



KOCHI METRO RAIL LIMITED

A Joint Venture of Government of India
and Government of Kerala



14th ANNUAL REPORT
2024 - 2025



Onboarding Kochi Metro Rail on the ONDC Network

04th April 2024



Inauguration of Metro connect feeder E-bus service

15th Jan 2025

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. अध्यक्ष का संदेश	3
2. बोर्ड की रिपोर्ट	5
3. निगमित अभिशासन की रिपोर्ट	41
4. सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट	51
5. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन)	55
6. वित्तीय विवरण और टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)	70
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)	154
8. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (समेकित)	157
9. वित्तीय विवरण और टिप्पणियाँ (समेकित)	168
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ (समेकित)	250



पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची- 682017. केरल, भारत

फ़ोन: +91 484 2846700/2846770

www.kochimetro.org

संवैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स पॉलसन एंड कंपनी

शासनपत्रित लेखाकार,

37/2830, मेन रोड, देशाभिमानी जंक्शन
कलूर, कोच्ची, केरल - 682017

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स वीएस एंड वीएस पार्टनर्स

कार्यरत कंपनी सचिव,

डोर नंबर 43/4194ए, पहला तल,
स्पैन हाइट, अपोलो रोड,
तम्मनम, कोचीन, केरल - 682032

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स तलाटी एंड तलाटी एलएलपी

शासनपत्रित लेखाकार

अंबिका चेम्बर्स, ओल्ड हाई कोर्ट रोड के पास,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात - 380009

मेसर्स सी. के. प्रुस्टी एंड एसोसिएट्स (31/03/2025 तक)

शासनपत्रित लेखाकार

49/550एफ, प्रशांति लेन,
एलमक्करा, कोच्ची 682026

कंपनी सचिव

श्री लिस्टन पेरेरा

हमारे बैंक

केनरा बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एक्सिस बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | भारतीय स्टेट बैंक | इंडियन बैंक
केरल राज्य सहकारी बैंक



निदेशक मंडल

(16 जुलाई 2025 तक)

- श्री श्रीनिवास कटिकिथला आई.ए.एस** : अध्यक्ष, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय,
नौवा मंजिल, जीपीओए2, संकल्प भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली - 110001
- श्री जयदीप** : ओएसडी (यूटी),
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 421,
जीपीओए2, संकल्प भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली - 110001
- श्रीमती नमिता मेहरोत्रा** : निदेशक वित्त, एनसीआरटीसी, गतिशक्ति भवन,
आई.एन.ए नई दिल्ली - 110023
- श्री भूपेन्द्र सिंह बोध** : एसएजी/आईआरएसईई ईडी/आरई, रेलवे बोर्ड
सेम.-बी, 1008, शिप्रा सृष्टि,
इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
- डॉ. ए. जयतिलक आई.ए.एस** : मुख्य सचिव, केरल सरकार,
सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
- श्री के.आर. ज्योतिलाल आई.ए.एस** : अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)
केरल सरकार,
सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
- श्री के. बीजू आई.ए.एस** : सचिव - परिवहन (मेट्रो),
केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
- श्री उमेश एन.एस.के. आई.ए.एस** : जिला कलेक्टर, कलेक्टरेट,
एरणाकुलम, काक्कनाड, कोच्ची
- श्री लोकनाथ बेहरा** : प्रबंध निदेशक,
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जे.एल.एन मेट्रो स्टेशन,
चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची- 682017
- श्री संजय कुमार** : निदेशक (प्रणाली),
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जेएलएन मेट्रो स्टेशन,
चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची- 682017
- डॉ. एम. पी. रामनवास** : निदेशक (परियोजनाएं),
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जेएलएन मेट्रो स्टेशन,
चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची - 682017



अध्यक्ष का संदेश



श्री श्रीनिवास कटिकिथला आईएस

अध्यक्ष, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल)
सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)
भारत सरकार

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी की 14वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 14वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तथा पूरक लेखापरीक्षा के पश्चात भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा जारी टिप्पणियां पूर्व में ही प्रसारित कर दी गई हैं। मैं इन दस्तावेजों को आपकी सहमति से पढ़ा हुआ मानता हूँ।

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) ने वर्ष 2017 में अपनी यात्रा की शुरुआत से ही कोच्चि और केरल में शहरी परिवहन के आधार स्तंभ के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यात्रा का एक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय साधन प्रदान करके, मेट्रो ने शहर के सार्वजनिक परिवहन परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है और इसकी कनेक्टिविटी और विकास में सार्थक योगदान देना जारी रखा है।

चरण I बी विस्तार का उद्घाटन माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान और माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 6 मार्च 2024 को किया गया। इस विस्तार के साथ, कंपनी अब अलुवा से त्रिपुनिथुरा टर्मिनल तक लगभग 28 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का संचालन करती है।

आपकी कंपनी चरण II के माध्यम से आगे विस्तार की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है, जो जेएलएन स्टेडियम से इन्फोपार्क होते हुए स्मार्टसिटी तक विस्तारित होगा। इस चरण का उद्देश्य छोटे गलियारों और वर्तमान में असेवित क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क में एकीकृत करना है, जिससे शहरी संपर्क में वृद्धि होगी। इस खंड के लिए निर्माण गतिविधियां पहले से ही चल रही हैं।

वर्ष के दौरान, केएमआरएल ने कोच्चि में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने और समग्र यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई दूरदर्शी पहल कीं। फोकस का एक प्रमुख क्षेत्र अंतिम-मील और प्रथम-मील कनेक्टिविटी को विशेष रूप से सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) आधारभूत संरचना को बढ़ावा देकर मजबूत करना था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) ने शहरी सार्वजनिक परिवहन के एक विश्वसनीय और कुशल प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। यह वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा, जिसमें कंपनी ने लगभग ₹111.90 करोड़ का किराया राजस्व दर्ज किया, जिसमें 3.56 करोड़ यात्रियों की सवारियों का योगदान रहा। परिचालन प्रदर्शन मजबूत रहा, केएमआरएल ने 182.38 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व भी हासिल किया, जिससे 33.34 करोड़ रुपये का परिचालन अधिशेष प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह 22.94 करोड़ रुपये था, जो बेहतर सवारियों और प्रभावी लागत प्रबंधन को दर्शाता है। वित्तीय निष्पादन पर आगे का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में उपलब्ध है।

आपकी कंपनी कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी है, जिसे इसकी सहयोगी कंपनी, कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। यह अग्रणी पहल भारत की पहली एकीकृत जल-आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जिसे ग्रेटर कोच्चि क्षेत्र के द्वीपों को एक आधुनिक और टिकाऊ जल



पारगमन नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह परियोजना माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अप्रैल 2023 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी। इसके तुरंत बाद वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया, जिसमें हाईकोर्ट-वाइपिन और व्यट्टिला-कक्कनाड मार्गों पर सेवाएं शुरू की गईं। बाद में, नेटवर्क का विस्तार हाई कोर्ट-दक्षिण चित्तूर, दक्षिण चित्तूर-चेरानल्लूर और हाई कोर्ट-फोर्ट कोच्चि सहित अतिरिक्त मार्गों को कवर करने के लिए किया गया। अब पाँच मार्गों और दस टर्मिनलों के संचालन के साथ, जो लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वाटर मेट्रो ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर ली है। अपनी दूसरी वर्षगांठ तक, इसने 40 लाख से ज्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान की थी, और इसकी दैनिक सवारियाँ मज़बूत थीं, जिससे द्वीपवासियों और आगंतुकों, दोनों के लिए परिवहन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इसकी स्थिति मज़बूत हुई। चूँकि कोच्चि वाटर मेट्रो ने अपने टिकाऊ मॉडल के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त कर ली है, इसलिए नवोन्मेषी गतिशीलता में इसकी विशेषज्ञता को मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने केएमआरएल को देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई स्थानों पर व्यवहार्यता अध्ययन करने का काम सौंपा है।

केएमआरएल की पहलों के केंद्र में हमारे यात्रियों के दैनिक यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता निहित है। अंतिम-मील कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए, केएमआरएल ने इलेक्ट्रिक फीडर बसों का एक बेड़ा तैनात किया है—शून्य-उत्सर्जन वाहन जो न केवल सुगमता में सुधार करते हैं, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ शहरी गतिशीलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करते हैं।

इसके साथ ही, डिजिटल टिकटिंग समाधानों को आगे बढ़ाने में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वचालित द्वारों पर क्यूआर कोड रीडिंग सिस्टम को उन्नत किया जा रहा है, और अब डिजिटल टिकट कोच्चि1 ऐप, व्हाट्सएप, गूगल वॉलेट और गूगल मैप्स सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से उपलब्ध हैं। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के साथ ट्रांजिट एग्रीगेटर्स का एकीकरण पूरा हो गया है और अप्रैल 2024 से यात्रियों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान में, डिजिटल क्यूआर आठ एग्रीगेटर्स के माध्यम से उपलब्ध है। इवेंट पास के शुभारंभ से हमारे यात्रियों को और अधिक सुविधा मिली है।

वर्ष के दौरान, कोच्चि मेट्रो की दृश्यता और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कई पहल की गईं। सोशल मीडिया पर आकर्षक अभियानों ने मेट्रो की मुख्य खूबियों—सुविधा, सुरक्षा और सामर्थ्य—को उजागर किया। प्रमुख यात्री वर्गों द्वारा पसंद किए जाने वाले प्लेटफार्मों पर लक्षित रेडियो प्रचार और डिजिटल आउटरीच के माध्यम से जागरूकता को और बढ़ाया गया। स्कूलों, कॉलेजों और कॉर्पोरेट संगठनों के साथ सहयोग ने छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के बीच मेट्रो के उपयोग को बढ़ावा दिया, जिसे विशेष सवारी, कैपस अभियानों और संस्थागत गठजोड़ द्वारा समर्थित किया गया। स्थानीय कार्यक्रमों और मेट्रो-थीम वाली प्रतियोगिताओं ने सामुदायिक जुड़ाव को मज़बूत किया, जबकि प्रचार सवारी और ब्रांड सक्रियण ने यात्रियों की नई श्रेणियों को आकर्षित करने में मदद की।

ये सभी प्रयास सार्वजनिक परिवहन को और अधिक निर्बाध, टिकाऊ और यात्री-अनुकूल बनाने पर हमारे निरंतर ध्यान को दर्शाते हैं।

मैं भारत सरकार और केरल सरकार के विभिन्न विभागों, साथ ही सभी हितधारकों, निदेशक मंडल, बैंकिंग भागीदारों, शेर्यधारकों, तथा प्रिंट, ऑडियो-विजुअल और सोशल मीडिया से प्राप्त निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ। मैं इस अवसर पर कंपनी के सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रबंध निदेशक का नेतृत्व, निदेशकों और कर्मचारियों के योगदान के साथ, केएमआरएल को चुनौतियों से उबारने में सहायक रहा है और हमारी प्रगति का आधार बना हुआ है। हमारे मूल्यवान यात्रियों और कोच्चि तथा केरल के लोगों के स्थायी विश्वास और समर्थन के साथ, हमें बदलते परिदृश्य के साथ अनुकूलन करने और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है।

सधन्यवाद,

ह०/-
(श्रीनिवास कटिकथला)
अध्यक्ष, केएमआरएल
सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार



बोर्ड की रिपोर्ट 2024-25

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 14वीं वार्षिक रिपोर्ट, साथ ही लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1.0 राजस्व परिचालन की स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मेट्रो परिचालन से प्राप्त राजस्व ₹167.29 करोड़, अन्य आय ₹15.08 करोड़ और अनुदान/अन्य परिशोधन ₹92.88 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के ₹246.41 करोड़ के मुकाबले कुल ₹275.26 करोड़ रहा। कुल आय में अलुवा से त्रिपुनिथुरा टर्मिनल तक कुल 28 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली मेट्रो ट्रेन परिचालन से किराया बॉक्स राजस्व, गैर-किराया बॉक्स राजस्व, बाहरी परियोजनाएँ, ब्याज आय, ई-बस टिकटिंग आय, अनुदान/परिशोधन आदि शामिल हैं।

इसी अवधि में व्यय ₹172.78 करोड़ रहा। ₹342.12 करोड़ की वित्तीय लागत और ₹190.92 करोड़ के मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय को ध्यान में रखते हुए, कर-पूर्व घाटा ₹430.57 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त, ₹0.75 करोड़ के अन्य व्यापक घाटे के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, कुल घाटा ₹431.31 करोड़ रुपए रहा।

वर्ष के दौरान अर्जित कुल परिचालन राजस्व ₹182.38 करोड़ के सापेक्ष, कुल परिचालन व्यय ₹149.03 करोड़ रहा, जिससे ₹33.34 करोड़ का परिचालन अधिशेष प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह ₹22.94 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में, कुल परिचालन राजस्व में ₹14.15 करोड़ की वृद्धि हुई है, अर्थात् 8.41% की वृद्धि हुई है।

वित्तीय परिणाम का एक सैपशॉट नीचे दिया गया है:

विवरण	रुपये लाख में	
	2024-25	2023-24
परिचालन राजस्व (क)	182 37.60	16 822.96
अनुदान/अन्य परिशोधन	92 88.17	78 17.93
कुल आय	275 25.77	246 40.89
मेट्रो परिचालन से संबंधित व्यय (ख)	149 03.19	145 29.06
गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों से संबंधित व्यय	23 75.05	60 30.72
कुल व्यय	172 78.24	205 59.78
परिचालन अधिशेष (क - ख)	33 34.41	22 93.90
ब्याज और मूल्यहास से पहले लाभ/(हानि)	102 47.53	40 81.11
वित्तीय प्रभार	342 11.92	294 22.31
मूल्यहास	190 92.26	179 53.69
कर से पहले लाभ/(हानि)	(430 56.65)	(432 94.89)

कर के बाद लाभ/(हानि)	(430 56.65)	(432 94.89)
अन्य व्यापक आय/(हानि)	(74.78)	(54.57)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)	(431 31.43)	(433 49.46)

1.1 शेयर पूँजी, अनुदान और अधीनस्थ ऋण।

वर्ष 2024-25 के दौरान, मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में भारत सरकार से ₹140.88 करोड़ (वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त ₹100 करोड़, कुल मिलाकर ₹240.88 करोड़) और केरल सरकार से ₹190.22 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) प्राप्त हुए। शेयर आवेदन राशि के रूप में प्राप्त ₹431.10 करोड़ में से, वर्ष 2024-25 के दौरान ₹200 करोड़ (भारत सरकार और केरल सरकार को 100-100 करोड़) के शेयर जारी किए गए।

तदनुसार, 31.03.25 तक केएमआरएल की चुकता शेयर पूँजी ₹1707.46 करोड़ थी और आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि ₹231.10 करोड़ थी।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में ऋण चुकौती और चरण। अंतराल निधि के लिए ₹327.81 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

1.2 लाभांश

वितरण योग्य लाभ की अनुपलब्धता को देखते हुए, आपके निदेशक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

1.3 आरक्षित निधियों में अंतरण

आपके निदेशक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आरक्षित निधियों में किसी भी राशि के अंतरण का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

1.4 सावधि ऋण और कार्यशील पूँजी ऋण

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक एनएमटी परियोजना सहित चरण-1 के लिए एएफडी और केनरा बैंक से कुल बकाया ऋण क्रमशः ₹1044.79 करोड़ और ₹1332.07 करोड़ है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संघ से चरण। विस्तार के लिए लिए गए ऋण की राशि ₹30.53 करोड़ है और दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कुल बकाया ऋण की राशि ₹702.71 करोड़ है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, परियोजना कार्यों हेतु भूमि अधिग्रहण, प्रारंभिक कार्यों और चरण। परियोजना की लागत वृद्धि हेतु केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और हुडको से सावधि ऋण लिए गए, जिनकी ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई। वर्ष 2024-25 के दौरान हुडको से ₹123.23 करोड़ निकाले गए। दिनांक 31.03.2025 तक केरल राज्य सहकारी बैंक और हुडको से बकाया ऋण क्रमशः ₹94 करोड़ और ₹628.46 करोड़ है।

दिनांक 31.03.2025 तक केनरा बैंक से कार्यशील पूँजी ऋण (कार्यशील पूँजी माँग ऋण सहित) के रूप में ₹33.20 करोड़ की राशि बकाया है।



सीयूएसएटी मेट्रो स्टेशन के निकट आईआईएमके परियोजना के लिए केनरा बैंक के साथ 2024-25 के दौरान ₹24.37 करोड़ मूल्य का एक नया सावधि ऋण हस्ताक्षरित किया गया और वर्ष के दौरान लिए गए ऋण की राशि ₹16.54 करोड़ है।

भारत सरकार ने केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए 27 मिलियन यूरो का ऋण सुविधा करार किया है। यह धनराशि भारत के राज्यों को भारतीय रुपये में विकास सहायता के लिए भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार, केरल सरकार को अंतरित की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, एनएमटी पहलों के लिए, भारत सरकार/केजीओआई द्वारा पीटीए के रूप में केएमआरएल को ₹91.35 करोड़ जारी किए गए हैं। 31.03.2025 तक कुल बकाया पीटीए ऋण ₹115.81 करोड़ है।

मेसर्स इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपकी कंपनी को 2100 करोड़ रुपये की बैंक ऋण सुविधा और 90 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए इंड बीबी+/स्थिर से इंड बीबीबी/स्थिर में अपग्रेड किया गया है।

2.0 परियोजना की प्रगति

2.1 कोच्चि मेट्रो रेल चरण II परियोजना

भारत सरकार के व्यय विभाग ने 1957.05 करोड़ रुपये की लागत से जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण II के लिए 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की थी, जिसकी सूचना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या फाइल संख्या के -14011/08/2015- एमआरटीएस-IV दिनांक 26 फरवरी 2019 के माध्यम से दी गई थी। इसके अलावा, दिनांक 13 मार्च 2020 को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 01.09.2022 को कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण II की आधारशिला रखी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 07.09.2022 को चरण II के लिए स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.सं. के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांक 21.11.2022 के तहत चरण II परियोजना के लिए स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है।

2.2 चरण II के लिए विभिन्न संबद्ध कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

2.2.1 केरल सरकार ने चरण II के प्रारंभिक कार्यों के लिए दिनांक 08.02.2016 के सरकारी आदेश (सुश्री) संख्या 13/2016/ ट्रांस के माध्यम से ₹189 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है और दिनांक 09.09.2024 के सरकारी आदेश (सुश्री) 348/2024/ ट्रांस के माध्यम से ₹380.57 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। सड़क चौड़ीकरण और पुल निर्माण भाग के लिए, भूमि अधिग्रहण का 100% कार्य पूरा हो चुका है।

2.2.2 इसके अलावा, केरल सरकार ने चरण II के प्रारंभिक कार्य के रूप में, दिनांक 17.12.2018 के सरकारी आदेश (सुश्री) संख्या 73/2018/ ट्रांस के तहत, बंदरगाह-हवाई अड्डा सड़क को चार लेन में चौड़ा करने के लिए ₹74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। बंदरगाह-हवाई अड्डा सड़क (2.5 किमी) पर यह प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।

2.2.3 पलारीवट्टम से कुन्नुमपुरम (3.65 किमी) तक प्रारंभिक कार्य दो पैकेजों में आवंटित किया गया है और कार्य प्रगति पर है।

2.2.4 पाँच स्टेशनों पर प्रवेश/निकास भवनों के निर्माण के लिए केरल सरकार से अनुमति प्राप्त हो गई है और निजी पक्षों से अग्रिम कब्जा प्राप्त हो गया है। शेष स्टेशनों के लिए, प्रवेश/निकास भवनों हेतु भूमि अधिग्रहण जुलाई 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

- 2.2.5 चरण II के स्टेशन घटकों का डीडीसी एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है।
- 2.2.6 विद्युत आपूर्ति वितरण प्रणाली 750 वोल्ट डीसी थर्ड रेल ट्रैक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन और स्काडा सिस्टम के लिए डीडीसी सिस्ट्रा एमवीए कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है।
- 2.2.7 सिस्ट्रा को सिट्रा एमवीए कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर चरण II का जनरल कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है।
- 2.2.8 कक्कनाड और एसईजेड में 2 प्रवेश/निकास स्टेशन भवनों के लिए सिविल कार्य 29.03.2023 को शुरू किया गया और कार्य प्रगति पर है।
- 2.2.9 चित्तेथुकारा, किनफ्रा पार्क और इन्फोपार्क में 3 प्रवेश/निकास स्टेशन भवनों के लिए सिविल कार्यों हेतु कार्य आदेश जारी किया गया और कार्य प्रगति पर है।
- 2.2.10 डिजाइन और निर्माण सिविल कार्य (वायाडक्ट और स्टेशन) 12.06.2024 को ₹ 1141.32 करोड़ की राशि के लिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एलओए जारी किया गया।
- संपूर्ण संरेखण के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
 - भू-तकनीकी जाँच कार्य का 93% और क्रॉस ट्रेजिंग कार्य का 51% पूरा हो चुका है।
 - वायाडक्ट और स्टेशनों के लिए विस्तृत डिजाइन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।
 - कुल 1,961 में से 536 पाइल (27.3%) पूरे हो चुके हैं।
 - कोचीन एसईजेड स्टेशन, अलिनचुवाडु स्टेशन, वज़हक्कला स्टेशन, पलारीवट्टम और किनफ्रा पार्क के लिए पाइलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। चेम्बुमुक्कु स्टेशन पर पाइलिंग का कार्य जुलाई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
 - अब पर्याप्त कार्य-क्षेत्र उपलब्ध होने और डिजाइन दर्शन को अंतिम रूप दिए जाने के साथ, ठेकेदार संसाधनों को बढ़ाने की योजना बना रहा है। अगली तिमाही में भौतिक और वित्तीय दोनों प्रगति अपने चरम पर पहुँचने की उम्मीद है।
 - कास्टिंग यार्ड का विकास तेजी से प्रगति पर है, (90% प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका है)। इस स्थल पर 30 यू-गर्डर्स और 18 पियर कैप्स तथा 6 आई-गर्डर्स डाले जा चुके हैं।

2.3 चरण II की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति

क. दिनांक 31.03.2025 तक चरण II की भौतिक प्रगति 7.05% है।

ख. दिनांक 31.03.2025 तक चरण II की समग्र वित्तीय प्रगति 11.20% है।

2.4 गैर-मोटर चालित परिवहन संबंधी पहल

केएमआरएल कोच्चि में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है, जिसमें सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) अवसंरचना के माध्यम से कुशल अंतिम-मील कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य कोच्चि के लोगों के परिवहन और यात्रा अनुभव को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाना है।

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा दिए गए एनएमटी संविदाओं में विभिन्न स्थानों पर पैदल यात्री अवसंरचना को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख पहलों में अलुवा से एडापल्ली जंक्शन (पैकेज ए) और मनोरमा जंक्शन से एसएन जंक्शन (पैकेज बी) तक एनएमटी कनेक्टिविटी में सुधार शामिल है। इसके अतिरिक्त, कलूर-कदवंतरा रोड



पर एनएमटी विकास कार्य किया गया। पिछले वर्ष शुरू हुए छह मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग क्षेत्र का विकास कार्य इस अवधि के दौरान सफलतापूर्वक पूरा हो गया।

स्टेनलेस स्टील हैंडरेल की आपूर्ति और स्थापना के लिए दो संविदा दिए गए, जिनका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। शहरी परिवहन (यूटी) विभाग के अनुरोध पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक रखरखाव डिपो भी स्थापित किया गया। इसके अलावा, वडक्केकोट्टा मेट्रो स्टेशन पर एक बहु-स्तरीय कार पार्किंग (एमएलसीपी) सुविधा का ठेका दे दिया गया है और काम लगातार प्रगति पर है।

ये परियोजनाएँ मेट्रो कॉरिडोर और मेट्रो स्टेशनों तक जाने वाली प्रमुख मुख्य सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए पैदल मार्गों के विकास और सुधार पर केंद्रित हैं। इन पैदल मार्गों का डिज़ाइन सभी उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है—जिनमें पैदल यात्री, गतिशीलता उपकरणों (जैसे छड़ी, बैसाखी या व्हीलचेयर) का उपयोग करने वाले व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और दृष्टिबाधित व्यक्ति शामिल हैं।

एनएमटी अवसंरचना की प्रमुख विशेषताओं में आवश्यकतानुसार नालियों का पुनरुद्धार या निर्माण, प्राकृतिक पत्थर से निर्मित फुटपाथ और एकीकृत स्पर्शनीय पथ, मैनहोल, गली ट्रेप, कर्ब, बोलाड, वृक्ष जाल और वृक्षारोपण की स्थापना शामिल है। अतिरिक्त तत्वों में कियोस्क, स्ट्रीट फ़र्नीचर, कूड़ेदान, भूनिर्माण और ऊर्जा-कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग शामिल हैं।

इसके अलावा, केएमआरएल ने जनवरी 2025 में अंतिम मील कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए 15 इलेक्ट्रिक फीडर बसों का अपना बेड़ा लॉन्च किया। इन शून्य-उत्सर्जन बसों को बेहद सराहा गया है, जो मेट्रो उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुविधाजनक और टिकाऊ यात्रा विकल्प प्रदान करती हैं। यह पहल न केवल सुगम्यता में सुधार लाती है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता के प्रति केएमआरएल की प्रतिबद्धता के अनुरूप भी है।

2.5 तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना

दिनांक 01.09.2022 के सरकारी आदेश (सुश्री) संख्या 43/2022/ ट्रांस के तहत, केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजनाओं और तीन फ्लाईओवरों के निर्माण का कार्य कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) को हस्तांतरित कर दिया है। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड के लिए नई व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) तैयार कर ली गई है और अनुमोदन के लिए केरल सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। तिरुवनंतपुरम मेट्रो के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी चल रही है। डीपीआर का कार्यकारी सारांश केरल सरकार (जीओके) सरकार को प्रस्तुत किया गया। जम्मू-कश्मीर सरकार के निर्देशानुसार डीपीआर के लिए वैकल्पिक संरक्षण प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, तिरुवनंतपुरम मेट्रो के प्रारंभिक कार्यों के एक भाग के रूप में श्रीकार्यम फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

3.0 एकीकृत जल परिवहन परियोजना (जल मेट्रो परियोजना)

3.1 सामान्य

कोच्चि जल मेट्रो एक अनूठी परियोजना है जिसकी परिकल्पना ग्रेटर कोच्चि क्षेत्र के द्वीपों को जोड़ने वाले आधुनिक जल परिवहन आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए की गई है। इस परियोजना में 76 किलोमीटर के मार्ग को कवर करने वाले 38 जेटी को 78 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नौकाओं से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। यह यात्रियों को जेटी, बस टर्मिनल, मेट्रो नेटवर्क और बसों, ऑटो रिक्शा आदि जैसी अन्य फीडर सेवाओं के संयोजन का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। इस परियोजना का स्वामित्व केरल सरकार के पास है। प्रारंभिक परियोजना लागत 682.01 करोड़ रुपये (नावों और भूमि की एक तिहाई लागत को छोड़कर) है, जिसमें से 579.71 करोड़ रुपये के एफडब्ल्यू द्वारा वित्तपोषित किए जाएंगे।



जम्मू-कश्मीर सरकार ने जून 2021 में संशोधित परियोजना लागत 1064.83 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। संशोधित वित्तपोषण पद्धति के अनुसार, ₹156.07 करोड़ का वित्तपोषण जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा और शेष राशि केएफडब्ल्यू (अर्थात 85 मिलियन यूरो और 24.7 मिलियन यूरो का अतिरिक्त ऋण) द्वारा किया जाएगा। आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने जनवरी 2023 में केएफडब्ल्यू को अतिरिक्त वित्तपोषण की अनुशंसा की थी। केएफडब्ल्यू और डीईए के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर सरकार और केएमआरएल जैसे अन्य हितधारकों के बीच एक वार्ता बैठक हुई और उसे मंजूरी देकर जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंप दिया गया। 24.7 मिलियन यूरो के अतिरिक्त ऋण की प्रक्रिया के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

3.2 प्रगति का अद्यतन:

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को जल मेट्रो परियोजना का संचालन राष्ट्र को समर्पित किया गया। जल मेट्रो का वाणिज्यिक संचालन दो मार्गों - उच्च न्यायालय - व्यापिन और व्यातिला - कक्कनाड - पर क्रमशः 26 और 27 अप्रैल को शुरू हो गया है। दूसरी वर्षगांठ तक 4 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं।

सितंबर 2019 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 100 यात्री नौकाओं में से 23 का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें से 19 नौकाएँ प्राप्त हुईं। 38 में से 10 टर्मिनल पूरी तरह से चालू हैं। निर्माण के लिए आवंटित 15 टर्मिनलों में से 10 पूरे हो चुके हैं और 5 और पूरा होने के करीब हैं, जिनके अगस्त 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। फ्लोटिंग पोंटून, एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस), यात्री नियंत्रण प्रणाली (पीसीएस), ड्रेजिंग आदि जैसे संबंधित घटक समानांतर रूप से प्रगति पर हैं। 100 यात्री नौकाओं के लिए अगले 15 सेट के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।

3.3 कोच्चि वाटर मेट्रो की नकल हेतु व्यवहार्यता अध्ययन

कोच्चि वाटर मेट्रो को अपनी स्थायी प्रकृति के कारण दुनिया भर में स्वीकृति मिली है। परिणामस्वरूप, इस तरह की एक नवीन गतिशीलता पहल की स्थापना की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने केएमआरएल को भारत भर में 11 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में 18 विभिन्न स्थानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। इसके अलावा, केएमआरएल ने महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक निविदा में भाग लिया और मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो जैसी प्रणाली के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की संविदा प्राप्त किया। यह कार्य पूरा हो चुका है और व्यवहार्यता रिपोर्ट उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी गई है।

4.0 एकीकृत शहरी पुनरुद्धार एवं जल परिवहन प्रणाली (आईयूआरडब्ल्यूटीएस) परियोजना

आपकी कंपनी को आईयूआरडब्ल्यूटीएस परियोजना के अंतर्गत कोच्चि शहर की 7 प्रमुख नहरों के पुनरुद्धार एवं पुनर्जीवन का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सात नहरें हैं: एडापल्ली नहर (11.23 किमी), पेरंदूर नहर (9.88 किमी), चिलावनूर नहर (11.15 किमी), थेवरा नहर (1.41 किमी), मार्केट नहर (0.66 किमी), मंगलवनम नहर (0.25 किमी) और कौथुरुथी नहर (0.67 किमी)। आपकी कंपनी कोच्चि शहर में इन प्रमुख नहरों का नवीनीकरण और कायाकल्प करने की परिकल्पना की गई है और इसका उद्देश्य नदी के किनारे को सार्वजनिक संपत्ति के रूप में पुनः प्राप्त करना, इसकी स्थानिक संरचना में सुधार करना और नहरों के साथ शहर के संबंध को बहाल करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक कुशल एवं टिकाऊ बुनियादी ढाँचा तैयार करना है जो वर्तमान गतिविधियों के साथ-साथ नई गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सके। परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में बाढ़ शमन और बाढ़ मैदान प्रबंधन, रेल मेट्रो और जल मेट्रो के साथ इंटरमॉडल कनेक्टिविटी में सुधार, नेविगेशन सुविधाओं और जहाजों के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करना, नहर बैंक विकास जिसमें सौंदर्यीकरण, पैदल मार्ग, मनोरंजन और पर्यटन शामिल हैं, सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना करके कोच्चि शहर के सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाना, और परियोजना के निवासियों



को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना और अपशिष्ट के डंपिंग को प्रतिबंधित करना, अतिक्रमणों को नियंत्रित करना, सीवेज मिश्रण को रोकना आदि शामिल हैं।

आपकी कंपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तैयार है क्योंकि कार्यान्वयन की शुरुआत के लिए सीआरज़ेड मंजूरी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्य जीवन मंजूरी जैसी सभी वैधानिक मंजूरियाँ प्राप्त हो चुकी हैं और सभी प्रारंभिक अध्ययन पूरे हो चुके हैं। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए, आपकी कंपनी ने 41.27 हेक्टेयर निजी भूमि और 2.79 हेक्टेयर सरकारी भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थानों और 8 वेट वेल-कम-पंपिंग स्टेशन स्थानों के लिए भूमि सीमांकन और एसआईए अध्ययन पूरा हो चुका है। एडापल्ली और चिलावनूर नहरों के लिए एसआईए अध्ययन प्रगति पर है। शेष नहरों के लिए भूमि सीमांकन और एसआईए अध्ययन शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी ने यह स्थापित किया है कि इस परियोजना के तहत नहरों के जीर्ण-शीर्ण होने का मूल कारण उनमें सीवेज का अनियंत्रित निर्वहन है। आपकी कंपनी ने यह अनुशंसा की है कि जब तक सीवेज का निर्वहन बंद नहीं किया जाता है, तब तक नौकाओं का परिचालन टिकाऊ नहीं होगा। टिकाऊ नहर प्रणाली की खोज में, आपकी कंपनी ने कोच्चि में पहली बार कोच्चि शहर के सीवरेज मास्टर प्लान को शामिल करते हुए सीवर लाइनों के साथ 4 विकेन्द्रीकृत सीवेज उपचार प्रणाली तैयार की है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, क्यूब (आईआईटी मद्रास और तमिलनाडु सरकार का संयुक्त उद्यम) द्वारा विधिवत जांच के बाद केरल सरकार को प्रस्तुत की गई थी और वित्त पोषण एजेंसी केआईआईएफबी (केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) ने 1325.74 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए वित्त पोषण की मंजूरी दी थी। आपकी कंपनी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना के अनुसार, भारत सरकार के 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम' के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दो सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण हेतु ₹58.39 करोड़ का केंद्र सरकार अनुदान प्रदान किया गया था। अब, केरल सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना के सीवरेज घटक (सीवर नेटवर्क के साथ एसटीपी) को केरल जल प्राधिकरण द्वारा संभाला जाएगा और आपकी कंपनी "जैसा है जहां है" के आधार पर कार्यान्वयन जिम्मेदारियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में है।

आपकी कंपनी ने एलमकुलम मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए वाटर मेट्रो फ़ेरीज़ तक पहुँच प्रदान करने हेतु चिलवनूर नहर के मुहाने पर 90 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह कार्य केरल सरकार और केआईआईएफबी की स्वीकृति से ठेकेदार - उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी को ₹38.78 करोड़ की लागत से सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।

केरल सरकार (जीओके) के बाढ़ शमन उपायों के तहत, आपकी कंपनी ने ₹10.43 करोड़ की लागत से चेम्बुमुक्क स्थान पर एडापल्ली नहर पर पुल का पुनर्निर्माण, ₹4.51 करोड़ की लागत से सुभाष चंद्र बोस रोड पर चिलवनूर नहर पर एक पुल का पुनर्निर्माण और ₹8.41 करोड़ की लागत से मानसून के दौरान पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने के लिए चिलवनूर नहर में ड्रेजिंग का प्रस्ताव रखा है। केआईआईएफबी ने इसके लिए पहले ही धनराशि स्वीकृत कर दी है और आपकी कंपनी निविदा प्रक्रिया में है और निर्माण गतिविधियाँ शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। आपकी कंपनी मार्केट कैनाल डेवलपमेंट के तहत ₹37.83 करोड़ की परियोजना लागत वाले कार्यों के लिए कैबिनेट की मंजूरी का भी इंतज़ार कर रही है।

आपकी कंपनी का लक्ष्य नहर के किनारों की स्थानिक संरचना में सुधार करके उन्हें सार्वजनिक संपत्ति के रूप में पुनः प्राप्त करना और नहर के किनारों को एक प्रमुख पर्यटन स्थल और मनोरंजन क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। आपकी कंपनी नहर के अग्रभाग को सक्रिय बनाने और नहर के अग्रभाग को आगे अतिक्रमण से बचाने का प्रस्ताव रखती है। तदनुसार, चिलावनूर नहर (400 मीटर लंबी) के सौंदर्यीकरण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और केआईआईएफबी ने इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है और परियोजना के लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी।

5.0 प्रणाली अनुबंध

5.1 सिग्नलिंग एवं दूरसंचार

कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1बी खंड के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के अवलोकन के अनुपालन सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिए गए हैं। चरण-2 के प्रारंभिक कार्य और अन्य वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त हो गई हैं।

कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए आईटीएमएस और पीसीएस कार्यों का विस्तार जल मेट्रो के 5 और जेटी (फोर्ट कोच्चि, कुम्बलम, फेरी टर्मिनल (विलिंगडन द्वीप), कदमकुडी और पलियामथुरुथ) तक किया गया है, जिनमें से फोर्ट कोच्चि राजस्व संचालन में है। वर्तमान में आईटीएमएस और पीसीएस सुविधाओं के साथ कुल 19 नावें कार्यरत हैं, जिनका प्रबंधन व्यट्टिला स्थित एक ही संचालन एवं नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत किया जाता है।

5.2 स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली

कोच्चि मेट्रो में डिजिटल टिकटिंग की पहुँच को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। स्वचालित गेटों पर क्यूआर रीडिंग सुविधा को बेहतर बनाने पर विचार किया गया और पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। इसके अलावा, गेटों पर क्यूआर रीडिंग सुविधा का पूर्ण परिवर्तन कार्य प्रगति पर है। कोच्चि मेट्रो के लिए डिजिटल क्यूआर टिकट सेवा प्रदान करने वाले कोच्चि1 ऐप और व्हाट्सएप के अलावा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के आधार पर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर 7 क्रेता ऐप (ट्रांजिट एग्रीगेटर) सक्षम किए गए हैं। पीओसी के सफल समापन पर, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर एडॉप्टर सेवा प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की गई और अनुबंध प्रदान किया गया। क्रेता ऐप्स को और जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। कोच्चि मेट्रो डिजिटल टिकट अब गूगल-वॉलेट और गूगल-मैप प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कार्यक्रम पास की सुविधा भी शुरू की गई, जिससे पास की अग्रिम खरीद की सुविधा मिल सके।

स्वचालित किराया संग्रह सुविधा को वाटर मेट्रो के 5 और जेटी (फोर्ट कोच्चि, कुम्बलम, फेरी टर्मिनल (विलिंगडन द्वीप), कदमकुडी और पलियामथुरुथ) तक विस्तारित किया गया है, जिनमें से फोर्ट कोच्चि राजस्व परिचालन में है और पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख टर्मिनल रहा है। इस प्रकार, 14 वाटर मेट्रो जेटी आधुनिक स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली से सुसज्जित हो गए हैं।

5.3 प्रमुख आईटी पहल


- **इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन मैपिंग अनुभव:** गांधीनगर में आयोजित यूएमआई 2024 में एक अभिनव इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन मैपिंग अनुभव प्रदर्शित किया गया, जिसे मंत्रालय स्तर के अधिकारियों और प्रतिनिधियों से काफ़ी सराहना मिली। आगंतुकों को व्यावहारिक बातचीत के माध्यम से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया यह एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं को स्टोरी कार्ड चुनने और उन्हें एक निर्दिष्ट होल्डर पर रखने की सुविधा देता है। यह सिस्टम प्रत्येक कार्ड को पहचानता है और एक गतिशील प्रोजेक्शन शुरू करता है जो केएमआरएल की यात्रा के प्रमुख पहलुओं को दृश्य रूप से दर्शाता है—जिसमें ऐतिहासिक मील के पत्थर, वाटर मेट्रो और अन्य प्रमुख परियोजनाएँ शामिल हैं। यह गहन दृष्टिकोण न केवल उपयोगकर्ता की सहभागिता को बढ़ाता है, बल्कि सूचना वितरण को एक आकर्षक और यादगार अनुभव में भी बदल देता है।
- **ग्राहक प्रबंधन प्रणाली:** यह एप्लिकेशन कियोस्क और कार्यालय स्थानों की नीलामी या लीज़िंग के माध्यम से जुड़े केएमआरएल के ग्राहकों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया था। यह पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए, संपूर्ण इनवॉइसिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एसएपी के साथ सहजता से एकीकृत, यह ऐप वास्तविक समय डेटा सिंक्रनाइज़ेशन को सक्षम बनाता है और ग्राहक ट्रेकिंग, बिलिंग और भुगतान प्रबंधन को सरल बनाता है, जिससे मैनुअल प्रयास में उल्लेखनीय कमी आती है और परिचालन नियंत्रण में वृद्धि होती है।



- प्रशिक्षु प्रबंधन एप्लिकेशन:** यह एप्लिकेशन केएमआरएल प्रशिक्षुओं की दैनिक कार्य डायरियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए विकसित किया गया था। यह प्रशिक्षुओं को अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को दर्ज करने की अनुमति देता है, जिनकी समीक्षा और अनुमोदन उनके रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसके बाद मानव संसाधन टीम द्वारा सत्यापन और अंतिम अनुमोदन किया जाता है। इंटरनेट परियोजना के छात्रों के सहयोग से विकसित यह ऐप संपूर्ण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करता है और प्रशिक्षु की प्रगति पर आसानी से नज़र रखता है।

6. परिचालन


कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने पूरे नेटवर्क में अपने रेल परिचालन को अनुकूलित करके यात्री सुविधा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब 15 ट्रेनें केवल 7 मिनट और 30 सेकंड की कुशल गति से चल रही हैं, जिससे मेट्रो प्रणाली यात्रियों के लिए न्यूनतम प्रतीक्षा समय सुनिश्चित करती है और एक निर्बाध और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करती है। यह बढ़ी हुई आवृत्ति पूरे 28.144 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में फैली हुई है, जिसमें 25 स्टेशन शामिल हैं, जिससे शहरी आवागमन अधिक सुलभ और कुशल हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 केएमआरएल के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसने अपनी प्रतिष्ठा और यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय परिचालन परिणाम प्राप्त किए, जिसमें 111,93,46,122 रुपये का किराया राजस्व शामिल है, जो 3,56,15,480 यात्रियों की मजबूत सवारियों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, मेट्रो नेटवर्क ने 99.98% की असाधारण समयपालन दर बनाए रखी, जो इसकी परिचालन सटीकता और समय पर सेवाएं देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।




किराया बॉक्स राजस्व 2024-25

विशेष अवसरों पर यात्रियों की बढ़ती माँग को देखते हुए, केएमआरएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न आयोजनों के लिए अतिरिक्त यात्राएँ कुशलतापूर्वक परिचालित कीं। यात्रियों के लिए निर्बाध संपर्क और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, केएमआरएल ने स्थानीय त्योहारों, प्रमुख खेल आयोजनों और यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान सेवाओं में वृद्धि की, जिससे यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। सक्रिय योजना और गतिशील समय-सारिणी के माध्यम से,

केएमआरएल ने इस अवधि के दौरान कुल 87,123 यात्राएँ सफलतापूर्वक संचालित कीं, जिससे भीड़भाड़ और प्रतीक्षा समय में काफी कमी आई।



सवारियों की संख्या 2024-25



समय की पाबंदी 2024-25

6.1 कार्यबल का कौशल विकास और सशक्तीकरण

केएमआरएल प्रशिक्षण केंद्र तकनीकी विशेषज्ञता, परिचालन दक्षता और सुरक्षा में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। कठोर मूल्यांकन और निरंतर विकास के माध्यम से, यह एक अत्यधिक सक्षम कार्यबल सुनिश्चित करता है, जो विश्वसनीय और उच्च-गुणवत्ता वाली मेट्रो सेवाओं के वितरण में प्रत्यक्ष योगदान देता है।


प्रशिक्षण केंद्र ने 216 प्रभावशाली प्रशिक्षण बैचों का सफलतापूर्वक संचालन करके कार्यबल विकास के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इन सोच-समझकर डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों में 34 अभिविन्यास सत्र, 73 योग्यता-निर्माण पाठ्यक्रम और 16 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित आवश्यक कौशल और ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। इसके अलावा, 93 बैचों ने मूल्यवान इंटरैक्टिव, सॉफ्ट स्किल्स संवर्धन और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।

कुल 1792 प्रशिक्षुओं ने इन व्यापक पहलों में सक्रिय रूप से भाग लिया, और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और प्रणालियों के सुचारू संचालन में योगदान देने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की। कुल मिलाकर, इन विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने विभिन्न विषयों में 45,654 घंटे का व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया।

6.2 सुरक्षा प्रबंधन


यात्रियों, कर्मचारियों और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संचालन और रखरखाव के चरण के दौरान मेट्रो रेल प्रणालियों में सुरक्षा प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए, मुख्य घटक संगठनात्मक लक्ष्य के प्रति सुरक्षा विभाग की प्रतिबद्धता है; सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन और सुनिश्चित करना; संचालन, रखरखाव और ऊर्जा प्रबंधन में सुरक्षा।





निरीक्षण

सुरक्षित प्रथाओं को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए, सुरक्षा विभाग समय पर निरीक्षण, ऑडिट, मॉक-ड्रिल, विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम सुनिश्चित और संचालित करता है, जिनकी प्रासंगिक आंकड़ों के साथ विधिवत रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण किया जाता है।



सुधारात्मक कार्रवाई

6.3 सुरक्षा सप्ताह समारोह:

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा 4 मार्च से 10 मार्च तक 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह का उद्देश्य जागरूकता, तैयारी बढ़ाना और सभी पहलुओं में सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करना था। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 का विषय "विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण" था। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि राष्ट्रीय प्रगति केवल आर्थिक या औद्योगिक विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा और कल्याण से भी जुड़ी है। कर्मचारियों के बीच सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण, सुरक्षा नारे लेखन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान और समारोहों के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभागियों और विजेता कर्मचारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए निदेशक प्रणाली, निदेशक परियोजनाएँ और मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सम्मानित किया गया। केएमआरएल हमेशा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आर्थिक और औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की दिशा में निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है।



6.4 सुरक्षा संबंधी लेखापरीक्षा

कर्मचारियों, प्रणाली और सभी हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केएमआरएल के सभी संचालन एवं रखरखाव कार्यालयों (डिपो, ओसीसी, स्टेशन और अन्य रखरखाव कार्यालयों सहित) में एक वार्षिक सुरक्षा लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है और सुरक्षा विभाग विभागीय लेखापरीक्षा करता है। यह लेखापरीक्षा प्रणाली की सुरक्षा की गारंटी के लिए प्रक्रियाओं और प्रबंधन विधियों का भी मूल्यांकन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और हितधारकों के लिए नियंत्रणों और प्रक्रियाओं का समग्र मूल्यांकन प्रदान करना है। प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण बनाए रखता है, और यह लेखापरीक्षा ऐसे आंतरिक नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है। दिनांक 28 अक्टूबर से 14 नवंबर 2024 तक सुरक्षा लेखापरीक्षा किया गया और सभी विभागों द्वारा आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डाला गया और उनका अनुपालन किया गया।

6.5 कोच्चि मेट्रो रेल में सुरक्षा उपायों में वृद्धि


कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने अपने स्टेशनों और डिपो में सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए कई सक्रिय पहल की हैं। तैयारियों को मज़बूत करने के लिए, निजी सुरक्षा गार्डों और केएमआरएल सुरक्षा कर्मियों (केएमएसपी) के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे संभावित खतरों पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हुई। इसके अतिरिक्त, सभी मेट्रो स्टेशनों और पथदिप्लम स्थित केएमएसपी कार्यालय में तैनात विशेष औद्योगिक सुरक्षा बल



(एसआईएसएफ) को ट्रेट्टा संचार सेट जारी किए गए, जिससे निर्बाध संचार और एकीकृत कमान की सुविधा मिली। मुत्तम डिपो में अधिकृत प्रवेश नियंत्रण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई है, जिसमें संविदा कर्मचारियों के लिए नए प्रवेश पास और केएमआरएल अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए वाहन पास शामिल हैं ताकि कर्मियों और वाहनों की आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया जा सके। सुरक्षा को और मज़बूत बनाने के लिए, एक नया सुरक्षा मैनुअल तैयार किया जा रहा है, जबकि मुत्तम डिपो को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत "निषिद्ध स्थान" और "ड्रोन उड़ान निषेध क्षेत्र" घोषित करने के लिए कदम उठाए गए हैं - ये प्रस्ताव वर्तमान में संबंधित अधिकारियों द्वारा समीक्षाधीन हैं।

6.6 सुरक्षा मॉक ड्रिल

मेट्रो रेल परिचालन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों की परिचालन तत्परता और तैयारी का मूल्यांकन करने हेतु, परिचालन एवं रखरखाव विभाग ने कोच्चि शहर पुलिस, यातायात पुलिस, एसआईएसएफ, एसएसबी, टीसीएस, त्वरित प्रतिक्रिया दल, बीडीडीएस और डॉग स्क़ायड, अग्निशमन एवं बचाव विभाग, डीडीएमए, जिला चिकित्सा दल और केरल पुलिस आतंकवाद निरोधी दस्ते के साथ त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन पर एक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस नकली परिदृश्य में सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा स्टेशन पर हमला और स्टेशन नियंत्रक का अपहरण शामिल था, जिससे विभिन्न विभागों के समन्वय और प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण किया गया। इस अभ्यास ने आपातकालीन प्रोटोकॉल, संचार प्रणालियों और संकट प्रबंधन रणनीतियों की प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, साथ ही सुरक्षा उपायों में संभावित खामियों की भी पहचान की। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य टीमों सहित प्रमुख हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे संकट समाधान के लिए एक बहु-एजेंसी दृष्टिकोण सुनिश्चित हुआ। इस अभ्यास से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग सुरक्षा मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार करने और वास्तविक जीवन के खतरों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।



6.7 ऊर्जा लेखा परीक्षा 2024-25: कोच्चि मेट्रो की दक्षता में वृद्धि और हरित परिवर्तन

केएमआरएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 44% ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करते हुए, स्थिरता और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय प्रगति की है। रेस्को मॉडल के माध्यम से, केएमआरएल ने ₹4.52 प्रति यूनिट की औसत लागत पर, 12.82 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा प्राप्त की, जो उसकी कुल खपत का 44% है। इसके अलावा, ग्रिड पर निर्भरता को 44% तक कम करके, केएमआरएल ने अनुमानित रूप से प्रति वर्ष 11,356 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन से बचा है, जो पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यात्री दक्षता के संदर्भ में, केएमआरएल ने प्रति यात्री ऊर्जा खपत में 6% की प्रभावशाली कमी दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 0.878 यूनिट से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 0.826 यूनिट हो गई। यह सुधार सिस्टम अपग्रेड और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण के माध्यम से कार्यान्वित की गई अनुकूलित ऊर्जा प्रबंधन रणनीतियों की सफलता को दर्शाता है। 10.5 मेगावाट की वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और अतिरिक्त 0.732 मेगावाट (चरण 1 विस्तार) और 12 मेगावाट (कासरगोड) परियोजनाओं के साथ, केएमआरएल 2025 तक 23.23 मेगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुँचने के लिए तैयार है।

भविष्य को देखते हुए, केएमआरएल 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ हाइब्रिड नवीकरणीय प्रणालियों को अपनाने में तेजी ला रहा है, जिससे अवशिष्ट ग्रिड निर्भरता प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगी।

6.8 तकनीकी विकास

6.8.1 भटकती धारा को कम करने के लिए ट्रैक फास्टनिंग का रेट्रोफिटिंग

चल रहे आधारभूत संरचना में सुधार के एक भाग के रूप में, यूपी लाइन पर एमयूटीटी (मट्टम) और केएलएमटी (कलामास्सेरी) के बीच के ट्रैक खंड में मौजूदा वोस्लोह 336 बन्धनों को नए और बेहतर 336आईडब्ल्यू बन्धनों से बदलकर रेट्रोफिटिंग की गई है। यह उन्नयन चरण 1 परियोजनाओं से उपलब्ध शेष पुर्जों का उपयोग करके किया गया, जिससे संसाधनों का लागत-प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हुआ। कुल 2 किलोमीटर के खंड को कवर करने वाला रेट्रोफिटिंग कार्य अब सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भटकी हुई धारा के हस्तक्षेप को कम करना है, जो आसन्न धातु संरचनाओं में क्षरण का कारण बन सकता है और सिग्नलिंग प्रणालियों को बाधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, 336आईडब्ल्यू फास्टनिंग ट्रैक के फ्लोटिंग गुणों को बढ़ाती है, विद्युत अलगाव में सुधार करती है और रिसाव धाराओं को कम करती है।



6.8.2 दुर्गम जलीय स्थानों में कैम्बर और बेयरिंग्स का ड्रोन-सहायता प्राप्त निरीक्षण।

जलभराव वाले या अन्य दुर्गम क्षेत्रों में कैम्बर और बेयरिंग्स की स्थिति के निरीक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए, एक उन्नत ड्रोन-आधारित निरीक्षण पद्धति को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

इससे जल निकायों के ऊपर स्थित महत्वपूर्ण पुल घटकों का व्यापक संरचनात्मक मूल्यांकन संभव हुआ, बिना किसी जोखिमपूर्ण मैनुअल पहुँच या विशेष उपकरणों की तैनाती के। उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले हवाई निरीक्षण ने व्यवस्थित फोटोग्राफिक दस्तावेज़ीकरण और रीयल-टाइम वीडियो विश्लेषण के माध्यम से संरचनात्मक संरक्षण, विरूपण पैटर्न और संभावित बेयरिंग दोषों पर विस्तृत दृश्य डेटा प्रदान किया। मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) का उपयोग करके, निरीक्षण दल ने कई परिचालन लाभ प्राप्त किए: जलीय वातावरण में पारंपरिक निरीक्षण विधियों से जुड़े सुरक्षा खतरों

का उन्मूलन, निरीक्षण डाउनटाइम में उल्लेखनीय कमी, और उच्च-परिभाषा इमेजिंग क्षमताओं के माध्यम से डेटा की सटीकता में वृद्धि। ड्रोन की गतिशीलता ने संरचनात्मक तत्वों की बहु-कोणीय जांच की अनुमति दी, जिसमें बेयरिंग असेंबली के नज़दीकी दृश्य और स्पैन के साथ सटीक कैम्बर माप शामिल थे।



6.8.3 डिपो में उन्नत दस्तावेज़ प्रबंधन अनुकूलक

परिचालन दक्षता और संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, डिपो में एक अत्याधुनिक दस्तावेज़ प्रबंधन अनुकूलक स्थापित किया गया है, जो मौजूदा प्रणाली के उन्नत विस्तार के रूप में कार्य करता है। इस उन्नत समाधान को विशेष रूप से दस्तावेज़ भंडारण को केंद्रीकृत करने, स्थान उपयोग को अनुकूलित करने और पहुँच में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है - जो बेहतर कार्यक्षमता प्रदान करते हुए वर्तमान वर्कफ़्लो के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित करता है। उन्नत अनुकूलक फ़ाइलों को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने, भौतिक भंडारण आवश्यकताओं को कम करने और अतिरिक्त को न्यूनतम करने के लिए बुद्धिमान वर्गीकरण एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

मुख्य विशेषताओं में स्वचालित अनुक्रमण, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और क्लाउड-आधारित बैकअप शामिल हैं, जो डिपो कर्मियों को डेटा शुचिता बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को शीघ्रता से पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। प्रणाली का स्केलेबल आर्किटेक्चर भविष्य में विस्तार की अनुमति देता है, जिससे बढ़ती दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं के लिए अनुकूलनशीलता सुनिश्चित होती है। अभिलेखों को डिजिटलीकृत और समेकित करके, अनुकूलक मैनुअल फाइलिंग से जुड़ी अक्षमताओं को समाप्त करता है, पुनर्प्राप्ति समय को कम करता है और समग्र उत्पादकता को बढ़ाता है।

6.8.4 केएमआरएल चरण-1 अवसंरचना में विरासती नेटवर्क स्विच विफलताओं का समाधान

केएमआरएल का चरण-1 दूरसंचार नेटवर्क विभिन्न दूरसंचार प्रणाली अंतर्बिंदुओं के बीच महत्वपूर्ण संपर्क बनाए रखने के लिए बाहरी स्थानों पर स्थापित कॉमनेट-निर्मित औद्योगिक स्विचों पर निर्भर करता है। अपनी दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) पार करने के बाद, इन कठोर स्विचों में क्रमिक परिचालन विफलताएँ देखी गईं, जिनमें से 20 इकाइयाँ पूरी तरह से निष्क्रिय हो गईं - जिससे नेटवर्क विश्वसनीयता संबंधी संभावित चिंताएँ उत्पन्न हुईं। कई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सेवा विक्रेताओं द्वारा पारंपरिक मरम्मत के प्रारंभिक प्रयास कार्यक्षमता बहाल करने में असफल रहे, जो एक जटिल अंतर्निहित तकनीकी समस्या का संकेत देता है।

कॉम तकनीकी टीम ने एक व्यापक विफलता विश्लेषण शुरू किया, जिसमें दोषपूर्ण स्विचों पर सावधानीपूर्वक घटक-स्तरीय निदान किया गया। व्यवस्थित परीक्षण के माध्यम से, इंजीनियरों ने खराब बिजली आपूर्ति माँड्यूल में विफलता के मूल कारण की पहचान की, विशेष रूप से संधारित्र की उम्र बढ़ने और वोल्टेज विनियामक की खराबी को प्राथमिक विफलता मोड के रूप में पहचाना। विशेष मरम्मत तकनीकों का प्रयोग करते हुए, टीम ने तीन स्विचों का सफलतापूर्वक नवीनीकरण किया। इन मरम्मत की गई इकाइयों ने छह महीने के निरंतर संचालन में असाधारण क्षेत्रीय प्रदर्शन प्रदर्शित किया है।

6.8.5 के-डीआईएमएस: एक व्यापक डिजिटल इन्वेंट्री प्रबंधन समाधान

डिजिटल इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली एक मज़बूत, विंडोज़-आधारित अनुप्रयोग है जिसे विशेष रूप से सिग्नलिंग एवं दूरसंचार (एसटीसी) विभाग के अंतर्गत सभी इन्वेंट्री-संबंधी कार्यों को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सफलता के कारण इसे सिविल एवं ट्रैक (सीटीआर) विभाग द्वारा उपयोग के लिए विस्तारित किया गया है। केएमआरएल इंटरनेट नेटवर्क के भीतर निर्बाध रूप से संचालित, के-डीआईएमएस, कस्टडी स्टोर गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह आवक (स्टॉक इन) और जावक (स्टॉक आउट) लेनदेन सहित स्टॉक की गतिविधियों पर वास्तविक समय में नज़र रखता है, साथ ही इन्वेंट्री स्तरों का सटीक रिकॉर्ड भी बनाए रखता है। उच्च-मात्रा डेटा प्रोसेसिंग को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया, के-डीआईएमएस प्रदर्शन से समझौता किए बिना कई समवर्ती उपयोगकर्ता प्रश्नों का समर्थन करता है, जिससे यह कुशल इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन जाता है। इस प्रणाली में एक सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (यूआई) है जो जटिल कार्यों को सरल बनाता है, जिससे अधिकृत कर्मचारी स्टॉक इन और स्टॉक आउट, रिपोर्ट जनरेशन, सामग्री जारी करने और वापसी के अनुरोध, वास्तविक समय में स्टॉक की स्थिति और टूल एवं स्टाफ प्रबंधन - टूल आवंटन और स्टाफ असाइनमेंट पर नज़र रखने सहित कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं।

6.8.6 ऑनबोर्ड एटीसी सिम्युलेटर: केएमआरएल द्वारा एक स्वदेशी विकास



सिग्नलिंग और दूरसंचार (एसटीसी) विभाग ने अनुबंधित पुर्जों और पुनः उपयोग किए गए स्क्रैप क्यूबिकल्स का उपयोग करके एक पूरी तरह कार्यात्मक ऑन-बोर्ड एटीसी (स्वचालित ट्रेन नियंत्रण) सिम्युलेटर को सफलतापूर्वक डिज़ाइन, विकसित, परीक्षण और चालू किया है। यह लागत प्रभावी, आंतरिक इंजीनियर समाधान बहुआयामी क्षमताओं के साथ एक व्यापक परीक्षण मंच के रूप में कार्य करता है जो वास्तविक ट्रेन-जनित एटीसी परिचालनों की प्रतिकृति है। सिम्युलेटर की परिष्कृत कार्यक्षमता में पूर्ण सिस्टम प्रोग्रामिंग शामिल है: यह प्रोसेसिंग कार्ड (सीएमपी, पीपीयू, जीटीडब्ल्यू, डीएलयू), उपयोगकर्ता स्विच और संचार मोडेम सहित सभी महत्वपूर्ण ऑनबोर्ड एटीसी उपकरणों के कॉन्फ़िगरेशन को सक्षम बनाता है और उन्नत डायग्नोस्टिक परीक्षण करता है, जिसमें ड्राइवर-मशीन इंटरफ़ेस (डीएमआई), कैब स्पीकर सिस्टम, डीसी-डीसी कन्वर्टर्स और मोडेम इकाइयों जैसे महत्वपूर्ण घटकों के प्रदर्शन सत्यापन का संचालन शामिल है। यह सबसिस्टम

सत्यापन में भी मदद करता है, जैसे गति पहचान प्रणालियों (ओडोमीटर), वेसाइड संचार उपकरण (बीकन) और संबंधित एंटीना प्रणालियों के गहन निरीक्षण और परिचालन परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है।



6.8.7 रोलिंग स्टॉक स्पेयर के लिए स्थानीय विक्रेता और उपकरण का विकास।

रोलिंग स्टॉक विभाग ने मूल उपकरण निर्माता पर निर्भरता और रखरखाव से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया है। आल्सटॉम द्वारा आपूर्ति किए गए ट्रेन डैम्पर्स की उच्च लागत और लंबी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने मेसर्स एस्कॉर्ट कुबोटा को एक वैकल्पिक विक्रेता के रूप में सफलतापूर्वक पहचाना और मान्य किया, जो कड़े अनुकूलता, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों को पूरा करने में सक्षम है। एक महीने तक चले नए विकसित डैम्पर्स के कठोर परीक्षण ने संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित किया, जिससे ओईएम पर निर्भरता कम हुई, लागत में उल्लेखनीय बचत हुई और खरीद की समय-सीमा कम हुई।



आरएसटी विभाग ने गैर-महत्वपूर्ण ट्रेन पुर्जों के स्थानीय निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। घरेलू निर्माताओं के साथ सहयोग से सैलून डोर एंड स्टॉपर और गियरबॉक्स कम्पोजिट गैस्केट जैसे प्रमुख घटकों का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण हुआ है, जो पहले केवल ओईएम से प्राप्त होते थे। इस बदलाव ने कड़े गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को बनाए रखते हुए, विदेशी खरीद से जुड़े लंबे समय और उच्च लागत को समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, ट्रेन डैम्पर की बार-बार होने वाली खराबी और उन्हें हटाने के लिए विशेष उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए, आरएसटी विभाग ने कुशलतापूर्वक एक आंतरिक विशेष उपकरण डिज़ाइन और विकसित किया है। इस नवाचार से बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता के बिना पूरी तरह से खराबी की जाँच, घटकों के प्रतिस्थापन और ओवरहालिंग संभव हो पाई है, जिसके परिणामस्वरूप रखरखाव लागत कम हुई है, मरम्मत दक्षता में सुधार हुआ है और ट्रेन का डाउनटाइम न्यूनतम हुआ है।

6.8.8 डिजिटल आधार को मज़बूत करना: संचालन एवं प्रबंधन आईटी

तेज़ी से तकनीकी विकास और बढ़ती साइबर सुरक्षा माँगों वाले इस वर्ष में, संचालन एवं प्रबंधन आईटी विभाग ने संगठन के डिजिटल बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। सुरक्षित पहुँच प्रणालियों से लेकर एंटरप्राइज़-स्तरीय निगरानी और उच्च-उपलब्धता डेटाबेस तक, विभाग की रणनीतिक पहलों ने सभी इकाइयों में परिचालन दक्षता, लचीलापन और डेटा अखंडता को नए सिरे से परिभाषित किया है।

इस परिवर्तन में सबसे आगे ओपन एलडीएपी के साथ एकीकृत रेडियस सर्वर की तैनाती थी, जो अब सुरक्षित वाई-फाई प्रमाणीकरण की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स का लगातार और सुरक्षित रूप से सत्यापन किया जाए, जिससे नेटवर्क पहुँच और प्रशासनिक नियंत्रण दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसके पूरक के रूप में दो शक्तिशाली ओपन-सोर्स निगरानी समाधानों का सफल रोलआउट हुआ। आंतरिक परियोजना नाम केएमओएन के तहत तैनात नागियोस, अब संगठन के नेटवर्क, सर्वर और क्लाउड बुनियादी ढाँचे की स्थिति पर 24/7 दृश्यता प्रदान करता है। साथ ही, जैबिक्स—जिसे आंतरिक रूप से कवच के नाम से जाना जाता है—उन्नत विश्लेषण और प्रदर्शन ट्रैकिंग प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समस्याओं की पहचान की जाए और उन्हें गंभीर विफलताओं में बदलने से पहले ही सक्रिय रूप से हल किया जाए।

एडिस्कॉन लॉग एनालाइज़र के साथ जुड़े एक केंद्रीकृत लॉग सर्वर के कार्यान्वयन के साथ लॉग प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण उन्नयन हुआ है। फ़ायरवॉल, रेडियस, डीएचसीपी और अन्य सभी सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं के लॉग अब एकत्रित किए जाते हैं, वास्तविक समय में विश्लेषण किए जाते हैं और सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए जाते हैं, जिससे सिस्टम गतिविधियों की बेहतर जानकारी मिलती है और सुरक्षा लेखांकन और समस्या निवारण के लिए एक मज़बूत आधार मिलता है।

सुव्यवस्थित फ़ाइल साझाकरण के महत्व को समझते हुए, विभाग ने के-वॉल्ट की शुरुआत की, जो खुले और मुफ्त में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके एक केंद्रीकृत संग्रहण समाधान है। विभागीय टीमों और कार्यकारी उपयोगकर्ताओं, दोनों की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया, यह साझा संसाधन सहयोग को बढ़ावा देता है और साथ ही डेटा की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, विभाग ने वाजुह का उपयोग करते हुए एक मज़बूत एसआईईएम और एक्सडीआर प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित किया। यह अत्याधुनिक प्रणाली सुरक्षा घटनाओं की निरंतर निगरानी करती है, खतरों का पता लगाती है, और घटना प्रतिक्रिया एवं अनुपालन का समर्थन करती है, जिससे संगठन उभरते डिजिटल खतरों के विरुद्ध मज़बूत स्थिति में रहता है।

वर्ष की तकनीकी रूप से सबसे महत्वाकांक्षी उपलब्धियों में से एक, ओएमएमएस अनुप्रयोग को समर्थन देने के लिए उच्च उपलब्धता वाले मारियाडीबी गैलेरा क्लस्टर की तैनाती थी। एचएप्रॉक्सी लोड बैलेंसिंग और वीआरआरपी - आधारित फ़्लोवर के साथ तीन-नोड सेटअप की विशेषता वाला यह आर्किटेक्चर अब दोष सहनशीलता और निर्बाध मापनीयता प्रदान करता है। इस प्रणाली को प्रोमेथियस और ग्राफाना के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी द्वारा और भी उन्नत किया गया है, जो सीपीयू उपयोग, मेमोरी लोड और सिस्टम स्वास्थ्य जैसे प्रदर्शन मेट्रिक्स में कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

6.9 यात्री जुड़ाव और पहले व आखिरी मील की कनेक्टिविटी।

कोच्चि मेट्रो के आखिरी और पहले मील की कनेक्टिविटी बेड़े में 105 इलेक्ट्रिक ऑटो और 16 गैर-इलेक्ट्रिक ऑटो शामिल हैं। इनमें से 75 इलेक्ट्रिक ऑटो केएमआरएल के स्वामित्व में हैं और अन्य 30 केएमआरएल द्वारा जारी फीडर लाइसेंस पर हैं। यात्रियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इन इलेक्ट्रिक ऑटो को विभिन्न स्टेशनों पर तैनात किया गया है। ये ई-ऑटो क्रेडिट, डेबिट कार्ड और यूपीआई का उपयोग करके ई-पीओएस भुगतान भी स्वीकार करते हैं। इन ई-ऑटो की चार्जिंग के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 3.3 किलोवाट के 25 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। चार्जिंग भुगतान के आधार पर की जाती है। केएमआरएल ने वर्ष (जनवरी 2025) में 15 इलेक्ट्रिक बसों के अपने फीडर बस बेड़े को भी तैनात किया है। ये एसी बसें 5 अलग-अलग मार्गों पर चलती हैं, जो सार्वजनिक परिवहन की कमी वाले स्थानों को मेट्रो और वाटर मेट्रो स्टेशनों से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। ये मार्ग हैं,



- 1) अलुवा मेट्रो स्टेशन - सीआईएएल हवाई अड्डा
- 2) कलामस्सेरी मेट्रो स्टेशन - कक्कनाड - कक्कनाड वॉटर मेट्रो - इन्फोपार्क
- 3) कलामासेरी मेट्रो स्टेशन- मेडिकल कॉलेज- स्टार्ट अप मिशन।
- 4) एमजी रोड मेट्रो- महाराजा - हाई कोर्ट सर्कुलर
- 5) कडवंथरा - पनमपिल्ली नगर सर्कुलर।

मुक्तोम में रात भर चार्जिंग और रखरखाव की सुविधा वाला एक डिपो बनाया गया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 7 चार्जर शामिल हैं; 4 डिपो में और अन्य अलुवा, व्यट्टिला, कलूर मेट्रो स्टेशनों पर चार्जिंग के लिए उपलब्ध हैं। टिकट के लिए यूपीआई, कोच्चि 1 कार्ड और डेबिट कार्ड सहित डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। थोड़े से समय में, इन बसों ने 195762 यात्रियों को ढोया है और ₹10078778/- (16 जनवरी - 31 मार्च, 2025) का राजस्व अर्जित किया है।

7.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी आय एवं व्यय

7.1 ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव

सभी मेट्रो स्टेशनों, कार्यालयों, डिपो क्षेत्रों, पुल, पार्किंग क्षेत्रों, संपत्ति विकास क्षेत्रों, ट्रेनों के आंतरिक और बाहरी भाग तथा जहाँ भी प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता है, वहाँ ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, जिससे नवनिर्मित चरण-1 खंड में प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा की बचत होती है। नई स्थापनाओं में ऊर्जा कुशल बीएलडीसी पंखों का उपयोग किया जाता है। चरण-1 विस्तार स्टेशनों में एस्केलेटर में ऊर्जा बचत मोड सक्षम करके ऊर्जा की बचत को बढ़ाया जाता है।

लिफ्टों और एस्केलेटर्स के लिए वीवीवीएफ (परिवर्तनीय वोल्टेज परिवर्तनीय आवृत्ति) ड्राइव का उपयोग किया गया है, जो लिफ्टों के लिए स्लीप मोड और यात्रियों के न मिलने पर एस्केलेटर को निष्क्रिय या धीमी गति मोड प्रदान करता है। चरण-1 विस्तार स्टेशनों में भी यही सुविधा उपलब्ध है। ट्रेक्शन ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एटीओ मोड में अनुकूलित ऊर्जा प्रोफाइल लागू की गई हैं। प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने और ऊर्जा की बचत के लिए ईडीएपी लिंक ब्रिज पर एलडीआर लगाए गए हैं। फेज-01 एक्सटेंशन में ऊर्जा कुशल इन्वर्टर प्रकार की एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाई गई है।

7.2 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम।

केएमआरएल ने सौर ऊर्जा नीति अपनाई है और पूर्ण ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। केएमआरएल ने पहले ही तीन चरणों में सौर ऊर्जा परियोजनाएँ शुरू कर दी हैं, अर्थात् (i) 2670 किलोवाट-पी रूफ टॉप सौर ऊर्जा परियोजना, (ii) 2719 किलोवाट-पी ग्राउंड माउंटेड प्रकार और मुट्टम डिपो ट्रेक स्थान, ओपन स्टेबलिंग लाइनें आदि। साथ ही 5191 किलोवाट-पी क्षमता वाले सौर संयंत्र को स्थापित करने हेतु संरचना भी शामिल है। केएमआरएल के अब तक चालू किए गए सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 10,580 किलोवाट-पी है। केएमआरएल चार स्थानों से 735 किलोवाट पावर का निष्पादन कर रहा है, जिनमें से दो स्थान चरण 1 विस्तार स्टेशनों से हैं। इससे 2% की अतिरिक्त वृद्धि होगी और इस प्रकार 53% की ऊर्जा तटस्थता प्राप्त होगी।

7.3 ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजी निवेश

प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और सुधार के प्रयास संगठन का लक्ष्य रहे हैं और जहाँ भी आवश्यकता होती है, वहाँ निवेश किया जाता है। सभी मौजूदा सौर ऊर्जा परियोजनाएँ रेस्को मॉडल पर क्रियान्वित की जाती हैं, जिसमें केएमआरएल का पूँजी निवेश शून्य है। कासरगोड में 15 मेगावाट पावर की ओपन एक्सेस परियोजना के अंतिम प्रस्ताव को बैंकिंग लाभ प्राप्त करने के लिए कैपेक्स मॉडल में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के चालू होने से केएमआरएल अपने पहले चरण के मेट्रो ट्रेन संचालन के लिए 100% ऊर्जा-तटस्थ हो जाएगा।

7.4 प्रौद्योगिकी समावेशन

7.4.1 प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास:

- चरण-1 विस्तार में बिजली की बचत के लिए प्लेटफार्मों और कॉनकोर्स पर पीआईडीएस (यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली) जैसी दूरसंचार सुविधाओं को गैर-राजस्व घंटों के दौरान स्वचालित रूप से बंद रखा जाता है।
- अप्रयुक्त समय स्लॉट या खाली क्षेत्रों के दौरान बिजली की बर्बादी को कम करने के लिए चरण-1 विस्तार स्टेशनों में शौचालयों में अधिभोग सेंसर-आधारित प्रकाश व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रकाश नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है।

7.5 उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ:

- केएमआरएल ने पहले ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के तीन चरण शुरू कर दिए हैं, अर्थात् 2670 किलोवाट पावर रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना, 2719 किलोवाट पावर ग्राउंड माउंटेड प्रकार और 5191 किलोवाट पावर, इन सभी को मिलाकर कुल विद्युत क्षमता 10580 किलोवाट पावर हो जाती है। 770 किलोवाट पावर की चरण IV सौर परियोजना का कार्य प्रगति पर है।
- केएमआरएल चरण-1 और चरण-1क विद्युत नेटवर्क में सक्रिय फिल्टर और शंट रिएक्टर प्रदान किए गए हैं।

(क) सिस्टम पावर फैक्टर को इकाई पर बनाए रखना,

(ख) सिस्टम हार्मोनिक्स को आईईईईई -519 की अनुमेय सीमा के भीतर रखना।

(ग) सिस्टम में होने वाली क्षतियों को कम करना।

सक्रिय फिल्टर और शंट रिएक्टरों के प्रावधान ने केएमआरएल को पीएफ को 0.4 - 0.5 से 0.9 - इकाई रेंज तक सुधारने में मदद की। प्रतिक्रियाशील विद्युत क्षतिपूर्ति प्रणाली के प्रावधान से केएमआरएल को घाटे और मांग शुल्क को कम करने में मदद मिली।

- **एससीडीए (स्काडा) के साथ एलटी साइड का ऊर्जा मीटर एकीकरण** - मोडबस आरएस485 प्रोटोकॉल की सहायता से, चरण-1 एक्सटेंशन स्टेशनों के लिए एलटी सिस्टम (लिफ्ट, एस्केलेटर, आदि) का ऊर्जा मीटर डेटा एससीडीए (स्काडा) में उपलब्ध कराया गया है। इससे विस्तृत ऊर्जा ऑडिटिंग और अतिरिक्त ऊर्जा खपत को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलती है।
- **एससीडीए (स्काडा) के साथ ट्रांसफार्मर तापमान स्कैनर एकीकरण** - मोडबस आरएस485 संचार का उपयोग करके, अतिरिक्त संसाधनों के बिना एससीडीए (स्काडा) में अलार्म और ट्रिप के साथ वास्तविक समय तापमान मान कॉन्फिगर किए गए हैं। इससे निम्नलिखित में मदद मिलती है:
 - अतिताप का शीघ्र पता लगाना
 - ट्रांसफार्मर क्षति की रोकथाम
 - बेहतर सुरक्षा
 - दूरस्थ निगरानी
 - डेटा लॉगिंग और विश्लेषण
- **रिमोट टर्मिनल यूनिट (आरटीयू) के लिए स्थानीय एचएमआई (मानव-मशीन इंटरफ़ेस)** - चरण-1 में, किसी भी विशेष सबस्टेशन के सभी संचालन स्काडा के माध्यम से किए जाते थे और स्काडा के विफल होने की स्थिति में, उपकरणों तक व्यक्तिगत रूप से पहुँचकर स्थानीय स्तर पर संचालन किया जाता था। आरटीयू में एचएमआई प्रदान करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
 - एचएमआई के माध्यम से बेहतर पहुँच और नियंत्रण
 - संचार विफलता की स्थिति में अतिरिक्त और बैकअप
 - स्थितिजन्य जागरूकता



- एचवी/एलवी उपकरणों तक सीधी पहुँच प्रतिबंधित होने से सुरक्षा स्तर में वृद्धि

7.6 आयातित प्रौद्योगिकी (वित्त वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में:

प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और सुधार के प्रयास संगठन का लक्ष्य रहे हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ निवेश किया गया है। सौर ऊर्जा परियोजनाएँ रेस्को मॉडल पर क्रियान्वित की जाती हैं, जिसमें केएमआरएल का पूँजी निवेश शून्य है।

7.6.1 आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण:

चरण-1 विस्तार परियोजना के अनुबंध चरण में ही, प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं और तदनुसार, केएमआरएल के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर भारत में निर्मित किए गए हैं, जिनमें क्रमशः लगभग 80% और 51% स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे लिफ्ट और एस्केलेटर की लागत में काफी कमी आई है। स्पेयर पार्ट्स और घटकों के स्वदेशीकरण के प्रयास जारी हैं।

- **आयात का वर्ष:** लागू नहीं
- **क्या प्रौद्योगिकी का पूर्णतः अवशोषण हो चुका है:** कुछ घटक अभी भी आयात पर निर्भर हैं।
- **यदि पूर्णतः अवशोषण नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहाँ अवशोषण नहीं हुआ है, और उसके कारण:** विनिर्माताओं की अनुपलब्धता।

7.6.2 अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: लागू नहीं।

7.7 विद्युत आपूर्ति एवं कर्षण तथा विद्युत एवं यांत्रिक

त्रिपुनिथुरा टर्मिनल तक चरण 1बी के सभी ईएंडएम कार्य, लिफ्ट एवं एस्केलेटर, साथ ही त्रिपुनिथुरा की पीडी लिफ्टें चालू हो गई हैं और राजस्व परिचालन दिनांक 06.03.2024 को शुरू हो गया है।

7.7.1 चरण-1बी का कर्षण एवं सहायक विद्युत आपूर्ति कार्य

चरण-1बी खंड में, केएसईबीएल के न्यू व्यट्टिला सबस्टेशन से दोहरे परिपथ भूमिगत केबलों के माध्यम से 110 केवी विद्युत प्राप्त की जाती है। इस 110 केवी विद्युत आपूर्ति को केएमआरएल थायकूडम रिसेविंग सबस्टेशन (2x25 एमवीए) पर 33 केवी तक कम किया जाता है और फिर सामान्य सेवाओं के लिए 415 वी - 3 फेज प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु वायडक्ट के साथ 33 केवी दोहरे परिपथ केबलों के माध्यम से प्रत्येक स्टेशन पर सहायक सबस्टेशन तक वितरित किया जाता है। इसी 33 केवी वितरण प्रणाली से विद्युत का उपयोग कर्षण सबस्टेशनों में कर्षण आपूर्ति के लिए 750 वी डीसी में परिवर्तित करने के लिए भी किया जा रहा है। मुट्टम डिपो आरएसएस में 110 केवी वोल्टेज स्तर पर विद्युत का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है।

ट्रेक्शन सब-स्टेशन (टीएसएस) रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर के उपयुक्त सेट के माध्यम से 33 केवी पावर को 750 वी डीसी में परिवर्तित करना सुनिश्चित करता है। 750 वोल्ट डीसी पावर को केबल के माध्यम से तीसरी रेल तक वितरित किया जाता है। थर्ड रेल 4500 एम्पियर की नाममात्र धारा के लिए डिज़ाइन की गई एल्युमीनियम बॉडी से बनी है और कलेक्टर शूज़ तक धारा स्थानांतरण के लिए एक स्टेनलेस स्टील संपर्क पथ है।

सभी केबल अग्रिरोधी निम्न धुआँ (एफआरएलएस) श्रेणी के हैं और इन्हें पटरियों के किनारे वायडक्ट पर उपलब्ध केबल डक्ट/पथों के अंदर बिछाया गया है। कर्षण और विद्युत आपूर्ति प्रणाली के लिए तकनीकी मंजूरी रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/परियोजना/कोच्चि/30/10 दिनांक 06.01.2017 के माध्यम से प्राप्त कर ली गई है। विद्युत प्रतिष्ठानों और तृतीय रेल कर्षण प्रणाली के ऊर्जाकरण के लिए ईआईजी मंजूरी निम्नानुसार प्राप्त की गई है:

1. केएमआरएल/ईआईजी-3/प्रोजेक्ट/एसएसटीएसएस/2023/002 दिनांक 18.11.2023

II. केएमआरएल/ईआईजी/प्रोज/तृतीय रेल/2023/02 दिनांक 07.12.2023

क्र. सं.	सबस्टेशन का प्रकार	स्थान	स्तर
1	सहायक सह कर्षण सबस्टेशन (एएसएस/टीएसएस)	त्रिपुनिथुरा	कॉन्कोर्स स्तर
	त्रिपुनिथुरा (टीपीएचटी)		

7.7.2 पीडी लिफ्ट

चरण 1ए और 1बी के मेट्रो स्टेशनों से जुड़े संपत्ति विकास क्षेत्रों में नौ लिफ्टों का संचालन शुरू कर दिया गया और 18.11.2024 को केएमआरएल संचालन एवं रखरखाव टीम को सौंप दिया गया। वडकेक्कोट्टा स्टेशन पर 6 लिफ्ट, एसएन जंक्शन स्टेशन पर 1 लिफ्ट और त्रिपुनिथुरा टर्मिनल स्टेशन पर 2 लिफ्ट हैं। संपत्ति विकास क्षेत्र में लोगों की पहुँच, सुरक्षा और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने में लिफ्टों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

7.7.3 स्काडा

पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली सामान्य और आउटेज दोनों स्थितियों में 110 केवी, 33 केवी और 750V डीसी उपकरणों को नियंत्रित और निगरानी करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, इस खंड में आपातकालीन ट्रिप प्रणालियाँ, आवारा धारा सुरक्षा एवं निगरानी प्रणालियाँ और ऊर्जा खपत निगरानी प्रणाली भी शामिल हैं।

7.7.4 सौर संयंत्र

केएमआरएल ने अपनी स्थापना के समय से ही केएमआरएल रेल परिचालन के लिए पूर्ण ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ सौर ऊर्जा क्षमता का दोहन करने की योजना बनाई थी। सौर ऊर्जा प्रदान करके, केएमआरएल ने कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ गो ग्रीन अवधारणा के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त किया है और सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। शुरू की गई कई सौर परियोजनाएँ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की भारत सरकार की आवश्यकताओं के साझा लक्ष्य/एजेंडे के अनुरूप हैं। मट्टम डिपो के पास बंजर दलदली भूमि में से एक को सौर ऊर्जा उत्पादक भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। सौर परियोजनाओं के चरणबद्ध दृष्टिकोण के आधार पर, केएमआरएल ने सौर परियोजनाओं को तीन खंडों या परियोजनाओं : एसपीवी 01, एसपीवी 02 और एसपीवी 03 में विभाजित किया है। सभी परियोजनाएँ रेस्को मॉडल के अनुसार संचालित की जा रही हैं, और 25 वर्षों तक विफलता-मुक्त संचालन का दायित्व उन विद्युत उत्पादकों के पास है जिनके साथ पीपीए हस्ताक्षरित है। ऊर्जा तटस्थता के लक्ष्य को चरणबद्ध उपलब्धि के साथ उपरोक्त परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

7.7.4.1 सौर परियोजना का प्रथम चरण

सौर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत, 2018 में मेट्रो स्टेशनों और डिपो भवनों की छतों पर 2.7 मेगावाट पावर की स्थापित क्षमता वाली रूफटॉप सौर परियोजना का क्रियान्वयन किया गया, जिससे प्रति वर्ष लगभग 37 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। यह परियोजना विक्रेता द्वारा पूंजी निवेश और भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सब्सिडी सहायता के साथ रेस्को (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित की गई और संयंत्र मार्च 2018 में चालू हो गया। इस संयंत्र से उत्पादन उस समय की कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 18% था।



7.7.4.2 सौर परियोजना का द्वितीय चरण

उपरोक्त के अतिरिक्त, 2019 में, केएमआरएल के डिपो में 2.7 मेगावाट पावर क्षमता वाली एक भू-आरोहित सौर ऊर्जा परियोजना का भी संचालन किया गया। यह भूमि बंजर, दलदली और असमान थी, जिसे सौर ऊर्जा उत्पादक बनाने के लिए बाड़ लगाकर सुरक्षित किया गया था। यह परियोजना विक्रेता द्वारा पूर्ण पूंजी निवेश के साथ रेस्को (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित की गई और मार्च 2019 में सफलतापूर्वक चालू हो गई, जिससे प्रति वर्ष लगभग 44 लाख यूनिट का औसत उत्पादन हुआ, जिससे सौर ऊर्जा क्षमता 5.4 एमडब्ल्यूपी तक बढ़ गई और ऊर्जा तटस्थता 30% तक पहुँच गई। इस बीच, फरवरी 2018 को आयोजित 29वीं बोर्ड बैठक में, 2018-2019 तक 10 मेगावाट हरित ऊर्जा प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया था, जिसके लिए चरण III की एक सौर परियोजना प्रस्तावित की गई थी और जो अब चालू हो गई है।

7.7.4.3 सौर परियोजना का तीसरा चरण

इसके अलावा, केएमआरएल ने 5.19 मेगावाट पी की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना के तीसरे चरण का भी शुभारंभ किया, जिसमें डिपो ट्रैक पर तीन प्रकार के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं: छत पर स्थापित, ज़मीन पर स्थापित और संरचनात्मक रूप से स्थापित। इस परियोजना की एक अनूठी विशेषता बैलस्टेड डिपो ट्रैक पर 2.4 मेगावाट पी का सौर संयंत्र स्थापित करना है, जो भारत में मेट्रो ट्रेन डिपो में अपनी तरह का अनूठा संयंत्र है। सौर परियोजना का यह तीसरा चरण अगस्त 2022 में चालू हुआ और इससे केएमआरएल का सौर ऊर्जा योगदान 10.57 मेगावाट पी हो गया और केएमआरएल का सौर ऊर्जा से कुल वार्षिक उत्पादन 137 लाख यूनिट हो गया। इस प्रकार, 29वीं बोर्ड बैठक में 2022 तक 10 मेगावाट पी प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो गया और उस समय गंभीर महामारी के कारण परियोजना के पूरा होने में देरी हुई।

ये हरित ऊर्जा पहल प्रतिवर्ष लगभग 13,090 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन को कम करके पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार लाने में योगदान देती है, जो परियोजना के जीवनकाल में 5,18,371 सागौन के पेड़ लगाने के बराबर है।

7.7.4.4 सौर परियोजना का चौथा चरण

केएमआरएल चार स्थानों से 770 किलोवाट पावर का निर्माण कर रहा है, जिनमें से दो स्थान चरण I स्टेशनों और चरण I विस्तार स्टेशनों से हैं। 2025 के अंत से पहले इस परियोजना के पूरा होने पर, केएमआरएल 53% ऊर्जा तटस्थ हो जाएगा, इस प्रकार चालू किए गए कुल सौर आंतरिक संयंत्र 11.340 मेगावाट पावर हो जाएंगे।

7.7.4.5 भावी सौर प्रस्ताव

केएमआरएल कासरगोड में सौर पार्क के निकट एक ओपन एक्सेस सौर संयंत्र का प्रस्ताव कर रहा है। प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार है। एक बार यह परियोजना स्थापित हो जाने और केएसईबीएल द्वारा इसकी कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उचित मान्यता मिलने के बाद, केएमआरएल अपने चरण I मेट्रो संचालन में 100% ऊर्जा तटस्थता प्राप्त कर लेगा, जिसमें सहायक भार की पूर्ति भी शामिल है। भूमि की पहचान कर ली गई है और भूमि की आवश्यकता के लिए केरल सरकार (जीओके) को पुष्टि प्रदान कर दी गई है। परियोजना की योजना पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में बनाई जानी प्रस्तावित है, प्रस्तावित क्षमता 15 मेगावाट पावर है।

7.8 विद्युत एवं विद्युत प्रणालियाँ

7.8.1 विद्युत एलवी प्रणालियाँ

विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली, अर्थात् 415वोल्ट -3 फेज़ और 240V-1 फेज़, 50 हर्ट्ज एसी, एलिवेटेड स्टेशन और पीडी क्षेत्र के भीतर विभिन्न पैनलों, वितरण बोर्डों, संयंत्रों और उपकरणों को आपूर्ति की जाती है।



सभी विद्युत आपूर्ति उपकरणों को विद्युत/यांत्रिक सर्किट ब्रेकरों वाले दोनों ट्रांसफार्मरों से आपूर्ति की जाएगी ताकि किसी भी ट्रांसफार्मर या किसी एक घटक के खराब होने पर उपकरण की आपूर्ति बाधित न हो। प्रथम इनकमर के खराब होने की स्थिति में, कुल भार का भार दूसरे इनकमर द्वारा वहन किया जाएगा, जो मुख्य वितरण पैनल के इनकमिंग पर उपलब्ध होगा। यह कुल भार का 100% कवर करेगा।

आवश्यक भार का बैकअप डीजल जनरेटर सेट द्वारा और आपातकालीन भार का बैकअप यूपीएस आपूर्ति के माध्यम से जुड़े डीजल जनरेटर सेट द्वारा किया जाएगा।

7.8.2 डीजल जनरेटर सेट

415 वोल्ट, 3-फेज, 50 हर्ट्ज की उपयुक्त क्षमता वाला डीजी सेट, आपातकालीन और आवश्यक श्रेणियों के लोड के साथ-साथ यूपीएस को भी बैकअप पावर प्रदान करेगा। डीजी सेट से आपूर्ति एएसएस में उपलब्ध आवश्यक एलवी स्विचबोर्ड पर प्राप्त की जाएगी।

7.8.3 निर्बाध विद्युत आपूर्ति

यूपीएस इकाई में 2 नं. 3पीएच / 3पीएच, नॉन-इंटरलॉक स्टेशनों और इंटरलॉक स्टेशनों के लिए रिडंडेंट प्रकार की यूपीएस इकाइयां होंगी, जिनमें बाईपास और स्टैटिक स्विच सुविधा होगी, दोनों मिलकर संचालन के लिए आउटपुट साइड पर एक साथ जुड़े होंगे। प्रत्येक सेल के 2 वोल्ट में 100% क्षमता के 2 बैटरी बैंक होंगे, जिनमें से प्रत्येक की 30 मिनट की बैक अप रेटिंग होगी, जो सिस्टम आवश्यकताओं (01 घंटे का कुल बैक अप) का समर्थन करेगा। यह डीजी आपूर्ति और सामान्य आपूर्ति विफल होने पर कुल प्रकाश भार का 25% कवर करेगा।

7.8.4 अर्थिंग प्रणाली

सभी अर्थिंग पद्धतियाँ भारतीय मानकों (आईएस 3043: 1987), आईईईई दिशानिर्देश, भारतीय विद्युत नियम 1957 के अनुसार होंगी। अर्थ मैट को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि कुल प्रतिरोध < 01 ओम हो। जबकि कुल अर्थिंग के लिए प्रतिरोध < 0.5 ओम होगा।

7.8.5 बिजली संरक्षण प्रणाली

बिजली संरक्षण आईईसी 62305 के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। सुरक्षा श्रेणी 3 है। आईईसी 62305 के अनुसार ग्रिड का आकार 15 मीटर है। तदनुसार, छत पर 15x15 मीटर आयाम के ग्रिड बनाए गए हैं।

7.8.6 अग्नि अलार्म प्रणाली

अग्नि अलार्म प्रणाली डिज़ाइन और स्थापना के संबंध में बीएस: 5839 पीटी -1-2013 के अनुरूप होगी, और यह ताप संसूचक (हीट डिटेक्टर) के मामले में तापमान या आयनीकरण/ऑप्टिकल संसूचक (ऑप्टिकल डिटेक्टर) के मामले में धुँएँ का घनत्व पूर्व-निर्धारित सीमा से अधिक होने पर श्रव्य/दृश्य अलार्म संकेत देगी। यह प्रणाली, क्षेत्रवार चेतावनी प्रणाली और आवश्यकतानुसार आदेशों और निर्देशों के लिए ध्वनि संचार के साथ, आग की क्षेत्रवार स्थिति बताएगी।

7.8.7 अग्निशमन प्रणाली

अग्नि सुरक्षा प्रणाली को एनबीसीआई (एनबीसीआई, मेट्रो स्टेशनों के लिए अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन प्रणाली) और संबंधित आईएस कोड के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।



7.8.8 वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम

प्रत्येक स्टेशन भवन में तकनीकी कक्ष जैसे स्टेशन नियंत्रण कक्ष, टिकट कार्यालय मशीन, सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण कक्ष (एसटीईआरआर), यूपीएस कक्ष आदि होंगे। इन क्षेत्रों के एयर कंडीशनिंग भार को ताप भार गणना के अनुसार समायोजित किया जाएगा। प्रत्येक स्टेशन में शौचालय, भंडारण कक्ष, रखरखाव कक्ष, मेस रूम, एएसएस और टीएसएस जैसे सेवा कक्ष, पंप रूम और डीजी रूम आदि होंगे तथा यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली भी उपलब्ध कराई जाएगी।

8.0 संवहनीयता - वित्त वर्ष 2024-25 में सवारियों की संख्या और किराया बॉक्स राजस्व बढ़ाने के प्रयास

वित्तीय स्थिरता आपकी कंपनी की परिचालन रणनीति का एक अभिन्न अंग बनी हुई है, जो प्रणाली की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी का ध्यान न केवल दैनिक परिचालन लागतों को पूरा करने पर था, बल्कि पहले और अंतिम मील कनेक्टिविटी, सेवा संवर्द्धन, भविष्य के नेटवर्क विस्तार और ग्राहक अनुभव में निरंतर सुधार के लिए निवेश करने की हमारी क्षमता को मजबूत करने पर भी था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने किराया बॉक्स राजस्व के रूप में ₹110 करोड़ का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। इसे प्राप्त करने के लिए रणनीतिक पहुँच, साझेदारियों और लक्षित विपणन के माध्यम से सवारियों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रित एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। आपकी कंपनी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने न केवल किराया बॉक्स राजस्व लक्ष्य को पूरा किया है, बल्कि उससे भी आगे निकल गई है, जो इन पहलों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

8.1 प्रमुख पहल:

(i) लक्षित विज्ञापन अभियान:

- आकर्षक सोशल मीडिया सामग्री प्रस्तुत की, जिसमें सुविधा, सुरक्षा और सामर्थ्य जैसे मेट्रो लाभों पर ज़ोर दिया गया।
- जागरूकता बढ़ाने के लिए रेडियो और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया।
- हमारे प्रमुख यात्री समूहों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मेट्रो प्रणाली का प्रचार किया।

(ii) रणनीतिक साझेदारियाँ और सहयोग:

- छात्रों और कर्मचारियों के बीच मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ सहयोग किया।
- नियमित यात्रा के लिए विशेष सवारी, परिसर अभियान और संस्थागत गठजोड़ की सुविधा प्रदान की।

(iii) प्रचार कार्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव:

- सामुदायिक संपर्क और दृश्यता बढ़ाने के लिए स्थानीय कार्यक्रम और मेट्रो-आधारित प्रतियोगिताएँ शुरू कीं।
- नए यात्री वर्गों को आकर्षित करने के लिए प्रचार सवारी और ब्रांड सक्रियण आयोजित किए।

ये गतिविधियाँ केएमआरएल पर न्यूनतम वित्तीय बोझ डालते हुए की गईं। जहां लागतें आईं (उदाहरण के लिए, रचनात्मक विषय-वस्तु और रेडियो प्रचार के लिए), उन्हें प्रचार व्यय के तहत पहले से स्वीकृत एक मामूली बजट के भीतर रखा गया।

8.2 परिणाम:

इन पहलों का सामूहिक प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में किराया-बॉक्स राजस्व में 12.54% से अधिक की वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ, जिससे केएमआरएल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने ₹110 करोड़ के राजस्व लक्ष्य को पार कर गया।

9.0 मानव संसाधन

9.1 कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) में मानव संसाधन, एक अभिन्न अंग, भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रगति और विकास में कोच्चि मेट्रो का एक रणनीतिक भागीदार है और केएमआरएल के विज्ञान का समर्थन और संचालन करने वाले मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है।

9.2 केएमआरएल के मिशन और विज्ञान के प्रति समर्पित रहते हुए, मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों की क्षमताओं, वर्तमान चुनौतियों और केएमआरएल के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच की खाई को पाटने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। मानव संसाधन विभाग 'कर्मचारी सशक्तिकरण' के मूल्य को अपनाता है और कार्य संस्कृति में सुधार, कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाने, उत्पादकता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके अलावा, कोच्चि मेट्रो में मानव संसाधन विभाग सही प्रकार के शिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने पर भी जोर देता है, जिससे कर्मचारियों की व्यक्तिगत दक्षताओं और क्षमताओं में वृद्धि होती है।

9.3 31 मार्च 2025 तक, केएमआरएल के पास 568 समर्पित मानव संसाधन हैं - जिनमें सहायक कार्यों सहित परियोजना विंग में एक सौ चालीस (140), संचालन एवं रखरखाव विंग में चार सौ पंद्रह (415) और जल परिवहन विंग में तेरह (13) शामिल हैं।

9.4 कई चल रही परियोजना गतिविधियों और हाल ही में मेट्रो रेल परिचालन विस्तार योजनाओं के साथ, सही मानव संसाधन उपलब्ध कराना और कर्मचारियों के कौशल एवं योग्यता को बढ़ाना मानव संसाधन कार्य के लिए एक सतत चुनौती है। इस प्रयास को जारी रखने और निरंतर सीखने को बढ़ावा देने के लिए, मानव संसाधन विभाग कार्यात्मक निदेशकों सहित सभी ग्रेड और पदों के सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, मानव संसाधन विभाग ने वरिष्ठ प्रबंधन सहित कई अधिकारियों को आईआईटी, आईआईएम, एमडीआई गुडगांव आदि जैसे प्रमुख संस्थानों में तकनीकी, रणनीतिक और कार्यात्मक प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लेने में सहायता की है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में, 456 से अधिक कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यशालाओं में भाग लिया।

9.5 केएमआरएल ने प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत अट्टहत्तर (78) से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है और इस प्रकार सरकार की कौशल विकास पहलों में योगदान देना जारी रखा है और राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाया है।

9.6. इसके अलावा, मानव संसाधन विभाग राज्य भर के विभिन्न इंजीनियरिंग/कानून एवं प्रबंधन संस्थानों से व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और इंटरशिप के अवसर प्रदान करने में अपना योगदान देता है। पिछले वर्ष कोच्चि मेट्रो के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लगभग सौ छात्रों को इंटरशिप प्रदान की गई थी।

9.7. एक अनूठी पहल के रूप में, कोच्चि मेट्रो रेल ने मेट्रो स्टेशनों पर सुविधा प्रबंधन का कार्य मेसर्स कुदुम्बश्री को सौंपा था - जो गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में केरल सरकार की एक पहल है। तदनुसार, मेट्रो स्टेशनों पर संपूर्ण सुविधा प्रबंधन - टिकटिंग, ग्राहक इंटरफ़ेस, हाउसकीपिंग पूरी तरह से कुदुम्बश्री के 568 कर्मचारियों (525 महिलाएं और 14 ट्रांसजेंडर) द्वारा प्रबंधित की जाती है। समान रूप से महत्वपूर्ण इकहत्तर (71) महिला सुरक्षा



गार्ड हैं - जो मेट्रो स्टेशनों पर चौबीसों घंटे तैनात रहने वाले कुल दो सौ सैंतालीस (247) सुरक्षा कर्मियों का लगभग 29% हैं।

9.8. इस प्रकार, कोच्चि मेट्रो में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत सभी मेट्रो में सबसे अधिक है - प्रबंधन पदानुक्रम के सभी स्तरों से लेकर कार्यस्थल तक। ट्रेन ऑपरेटरों से लेकर टिकट काउंटरों पर काम करने वालों तक, स्टेशनों के समग्र नियंत्रण से लेकर हाउसकीपिंग तक, सुरक्षाकर्मियों से लेकर इंजीनियरों तक, यहाँ महिलाओं की उपस्थिति ने सीमाओं को पार कर लिया है, जिससे कोच्चि मेट्रो महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और समावेशी विकास का एक प्रतीक बन गया है, जहाँ केएमआरएल के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है।

9.9. नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण बने रहे और केएमआरएल समय पर लक्ष्यों को पूरा कर सका - जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि किसी भी कर्मचारी के असंतोष के कारण सेवाओं में कोई घटना/बाधा नहीं आई है।

9.10 केएमआरएल का प्रबंधन हमेशा मानता है कि एक प्रेरित और संतुष्ट कार्यबल संगठनात्मक लक्ष्यों की सफल प्राप्ति की कुंजी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को प्रेरित रखने और उनकी क्षमता को साकार करने में मदद करने के लिए कई नई मानव संसाधन विकास पहल की जा रही हैं:

(क) ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए एक कल्याण कोष स्थापित किया गया है।

(ख) कर्मचारी आवासों में एक पुस्तकालय शुरू किया गया है।

(ग) कर्मचारी आवासों में एक शिशुगृह की स्थापना की गई है।

10.0 डीआईई के मूल्यों को कायम रखना - विविधता, समावेशिता और समता:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए रोज़गार के अवसरों और सेवाओं के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का सभी भर्ती अभियानों के दौरान पालन किया जा रहा है। 31 मार्च 2025 तक, केएमआरएल में अनुसूचित जाति के 73, अनुसूचित जनजाति के 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 244 कर्मचारी कार्यरत हैं। हमारे साथ 7 पूर्व सैनिक भी हैं।

कोच्चि मेट्रो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने और उन्हें सुगम बनाने में अग्रणी रहा है। सभी मेट्रो संगठनों में, कोच्चि मेट्रो पहला संगठन था जिसने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर टिकटिंग और ग्राहक सुविधा जैसे विभिन्न ग्राहक इंटरफ़ेस कार्यों को संभालने के लिए ट्रांसजेंडर को नियुक्त किया।

केएमआरएल की मानव संसाधन नीतियाँ विविधता और समावेशिता को हमारे मूल मूल्यों के रूप में प्रदर्शित करती रहती हैं और यह छह (6) दिव्यांग व्यक्तियों की उपस्थिति से स्पष्ट है जो मानव संसाधन, वित्त और विपणन कार्यों (यह भी ध्यान दिया जाता है कि अधिकांश नौकरियाँ तकनीकी प्रकृति की हैं, जिनमें केवल आईटीआई/डिप्लोमा धारक ही नियुक्त किए जा सकते हैं - मेट्रो/रेल भर्ती नियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार) में कार्यरत हैं।

11.0 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान, ₹5.65 लाख की विदेशी मुद्रा हानि और ₹4.98 लाख का विदेशी मुद्रा व्यय हुआ।

12.0 सूचना का अधिकार

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे "आरटीआई अधिनियम" कहा जाएगा) लागू किया है, जो नागरिकों को कंपनी में अपनाई गई जवाबदेही और पारदर्शिता के बारे में जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। आरटीआई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलिय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को कुल 92 आरटीआई आवेदन और 3 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं।

उपरोक्त सभी आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों का संबंधित अधिकारियों द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए निपटारा किया गया। कंपनी के विरुद्ध केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष एक द्वितीय अपील दायर की गई और आयोग द्वारा उसका निपटारा कर दिया गया।

13.0 ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने -

- क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;
- ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी ऋण के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है; और
- ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित अनुसार, किसी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियों को अभिदान, खरीद या अन्यथा के माध्यम से अर्जित नहीं किया है।

14.0 वैकल्पिक राजस्व पहल

कंपनी द्वारा शुरू किए गए गैर-किराया बॉक्स राजस्व के विभिन्न स्रोत नीचे सूचीबद्ध हैं जो अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं;

14.1 कार्यालय एवं खुदरा स्थान आवंटन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, केएमआरएल ने अपनी बाज़ार पहुँच बढ़ाई और विभिन्न खुदरा कियोस्क और कार्यालय स्थानों के लिए नए ग्राहक प्राप्त किए। इस पहल के उल्लेखनीय परिणाम सामने आए, और केएमआरएल ने ₹1.35 करोड़ के वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर कुल 28,000 वर्ग फुट (लगभग) स्थान का सफलतापूर्वक लाइसेंस प्रदान किया।

14.2 अर्ध नामकरण अधिकारों का आवंटन

केएमआरएल ने ₹1.80 करोड़ के कुल वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर विभिन्न ब्रांडों/कंपनियों को 4 मेट्रो स्टेशनों के अर्ध नामकरण/सह-ब्रांडिंग अधिकार प्रदान किए हैं। यह आवंटन 5 वर्षों की अवधि के लिए है। ये ब्रांड अपने ब्रांड नाम के साथ मेट्रो स्टेशनों का पूर्ण रूप से कायाकल्प करेंगे, जिसमें बाहरी हिस्से को अपनी पसंद के अनुसार रंग-रोगन का एक नया कोट दिया जाएगा, साथ ही स्टेशनों के अंदर और बाहर, स्टेशन के खंभों पर ब्रांडिंग स्थान भी होगा।

14.3 कलामस्सेरी में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ईंधन स्टेशन की डीलरशिप

KMRL ने 10 मार्च, 2025 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए एक डिस्पेंसिंग पंप और विक्रय लाइसेंस (डीपीसीएल) समझौता किया, जिसमें प्रत्येक अवधि के अंत में अतिरिक्त पाँच वर्षों के लिए नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल है। प्रत्यक्ष डीलरशिप मॉडल के तहत, प्रमुख आय में डीलरशिप कमीशन (ईंधन, स्नेहक, गैर-ईंधन और अन्य ऊर्जा स्रोतों की बिक्री से), बीपीसीएल से भूमि के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क और सुविधाजनक स्टोर (एआरबी) से राजस्व शामिल है। कुल अनुमानित वार्षिक राजस्व लगभग ₹3 करोड़ अनुमानित है। कलामस्सेरी स्थित बीपीसीएल ईंधन स्टेशन का व्यावसायिक संचालन आधिकारिक तौर पर 21 अप्रैल 2025 को सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरीयों के पूरा होने के बाद शुरू हुआ।

14.4 मेट्रो पियर्स पर विज्ञापन अधिकार

मेट्रो पियर्स पर विज्ञापन अधिकारों के अनुबंध को अतिरिक्त पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

विस्तारित संविदा से अनुमानित वार्षिक राजस्व ₹11.08 करोड़ है।

14.5 वडक्केकोट्टा मेट्रो स्टेशन पर एसजीएसटी के लिए कार्यालय स्थान



सरकारी आदेश के अनुसार, केएमआरएल ने वडक्केकोट्टा मेट्रो स्टेशन पर 49,753.68 वर्ग फुट कार्यालय स्थान के लिए एसजीएसटी विभाग को नामांकन के आधार पर ₹1,95,96,084 के वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर लाइसेंस प्रदान किया है।

14.6 मेट्रो स्टेशनों के अंदर वेंडिंग मशीनें

मेट्रो स्टेशनों के अंदर वेंडिंग मशीन लगाने के लिए ठेके दिए गए हैं। अलुवा और एडापल्ली मेट्रो स्टेशनों पर तीन वेंडिंग मशीनें आवंटित की गई हैं, जिनका संयुक्त वार्षिक अनुबंध मूल्य ₹2.90 लाख है।

14.7 एडापल्ली में भूमि भूखंड का मुद्रीकरण

एडापल्ली मेट्रो स्टेशन से सटे 55.62 सेंट क्षेत्रफल वाले भूमि भूखंड को वाणिज्यिक विकास के लिए एक एलएलपी को प्रदान किया गया है। प्रस्तावित अनुबंध से अनुमानित वार्षिक राजस्व लगभग ₹2.16 करोड़ होने का अनुमान है। राजस्व निर्धारण अठारह महीने की फिटमेंट अवधि के अंत या लाइसेंसधारी के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत से, जो भी पहले हो, शुरू होगा।

14.8 इसके अतिरिक्त, कंपनी पार्किंग, शूटिंग और फोटोग्राफी, फीडर सेवाओं से भी राजस्व अर्जित कर रही है। गैर-किराया बॉक्स राजस्व में कुल वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% है।

15.0 संबंधित पक्ष लेनदेन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और संबद्ध नियमों में उल्लिखित किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने दिनांक 4 सितंबर 2023 को कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केएमआरएल) के साथ संसाधन साझाकरण के संबंध में एक समझौता किया है, जो पक्षों द्वारा समाप्त किए जाने तक वैध रहेगा। संविदा/करार का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक में एओसी-2प्रपत्र में दिया गया है।

16.0 महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच हुई हों।

17.0 लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा।

कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों और सचिवीय लेखापरीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति या निदेशक मंडल को किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है।

18.0 सावधि जमाएँ

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है।

19.0 जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन जोखिम की पहचान, जोखिम कारकों का विश्लेषण, जोखिम का आकलन और जोखिम को कम करने से शुरू होता है। बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकें प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रदान करती हैं ताकि समय पर उनका समाधान किया जा सके। आपकी कंपनी इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार करती है। जोखिम प्रबंधन रणनीति के एक



भाग के रूप में, कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन उप-समिति तैयार की है, जिसमें तीन कार्यात्मक निदेशक सदस्य होंगे, तथा एक विभागाध्यक्ष जोखिम प्रबंधन अधिकारी और कंपनी सचिव संयोजक होंगे। कंपनी के लिए आईआईएम कोझिकोड द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति भी तैयार की गई है।

उप-समिति समय-समय पर बैठकें करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और प्रणाली मौजूद हो। समिति की वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दो बार 31 जुलाई 2024 और 19 सितंबर 2024 को बैठकें होंगी।

उप-समिति जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख भी करेगी, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन भी शामिल है।

20.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पहल

20.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

चूंकि आपकी कंपनी लाभ नहीं कमा रही है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए इस मद में व्यय शून्य है। हालांकि, एक ज़िम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, आपकी कंपनी अपने हितधारकों, जैसे शेरधारकों, कर्मचारियों, प्रबंधन, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समग्र समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध है। एक पर्यावरण-अनुकूल महानगरीय संगठन के रूप में, आपकी कंपनी अपनी स्थापना के समय से ही कोच्चि में लोगों के जीवन स्तर में सुधार और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पहल कर रही है, और समाज के प्रति कंपनी की ज़िम्मेदारी को स्वीकार करती है।

आपकी कंपनी ने स्वैच्छिक आधार पर, प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में 4 (चार) निदेशकों वाली एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। सीएसआर समिति की संरचना का विस्तृत विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

21.0 सतर्कता तंत्र

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 9 शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से 8 का निपटारा कर दिया गया। आपके बोर्ड ने 18 जनवरी 2016 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के अनुरूप सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है। व्हिसल ब्लोअर नीति केएमआरएल की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <https://kochimetro.org/about-us/>.

22.0 निदेशक मंडल

दिनांक 31.03.2025 तक, आपकी कंपनी के बोर्ड में 11 निदेशक हैं, जिनमें से 4 निदेशक भारत सरकार के नामिती हैं, 5 निदेशक केरल सरकार के नामिती हैं, और 2 कार्यात्मक निदेशक हैं। सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार इसके अध्यक्ष हैं, जबकि प्रबंध निदेशक केरल सरकार के नामिती हैं। निदेशक मंडल पर एक विस्तृत नोट 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

22.1 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की चार बैठकें: 27 जुलाई 2024, 20 सितंबर 2024, 2 दिसंबर 2024 और 21 मार्च 2025 को हुईं।



22.2 निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निदेशकों को नामित निदेशकों, जो स्थानांतरित/सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके हैं, के स्थान पर नियुक्त किया गया:

दिनांक 31 मार्च 2025 तक हुए निदेशक मंडल में परिवर्तन निम्नानुसार है:

- श्री किशोर कुमार - निदेशक (सिस्टम, इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक) गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमआरसीएल) अपनी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में बोर्ड में नहीं रहे।
- भारत सरकार ने, दिनांक 2 सितंबर 2024 के जी.ओ.एफ. संख्या के-14011/39/2005-यूटी-II (खंड III) के तहत, श्री श्रीनिवास कटिकिथला, आईएएस, सचिव, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को केएमआरएल के बोर्ड में भारत सरकार के अध्यक्ष और नामित निदेशक के रूप में नामित किया। वे श्री अनुराग जैन के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, जो अपने स्थानांतरण के परिणामस्वरूप 2 सितंबर 2024 से भारत सरकार के अध्यक्ष और नामित निदेशक नहीं रहे।
- श्रीमती केरल सरकार की मुख्य सचिव, आईएएस शारदा मुरलीधरन को, दिनांक 11 सितंबर 2024 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 359/2024/ट्रांस के तहत, केरल सरकार की ओर से नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। वे सेवानिवृत्त हो चुके आईएएस डॉ. वेणु वी. के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं।
- केरल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) विभाग, आईएएस डॉ. ए. जयतिलक को, दिनांक 11 सितंबर 2024 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 355/2024/ ट्रांस के तहत, स्थानांतरित हो चुके आईएएस श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल के स्थान पर, केरल सरकार की ओर से नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।
- निदेशक (वित्त) सह मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीमती अन्नपूर्णा एस. ने 30.09.2024 से अपना इस्तीफा दे दिया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यालय अपरिवर्तित रहा:

- श्री जयदीप
- श्री भूपेन्द्र सिंह बोध
- श्री उमेश एन.एस.के.
- श्री बीजू प्रभाकर
- डॉ. एम. पी. रानवास
- श्री लोकनाथ बेहरा
- श्रीमती. नमिता मेहरोत्रा
- श्री संजय कुमार

22.3 31 मार्च 2025 के बाद और इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक पद में परिवर्तन:

- श्री के. आर. ज्योतिलाल, आईएएस, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विभाग, केरल सरकार (जीओके) को, दिनांक 16.06.2025 के शासनादेश (आरटी.) संख्या 272/2025/ ट्रांस के तहत, केरल सरकार (जीओके) की ओर से नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। वे आईएएस डॉ. ए. जयतिलक, जिन्हें अब केरल सरकार (जीओके) का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं।
- श्री के. बीजू, आईएएस, सचिव (परिवहन - मेट्रो) विभाग, केरल सरकार (जीओके) को, दिनांक 16.06.2025 के शासनादेश (आरटी.) संख्या 272/2025/ ट्रांस के तहत, सेवानिवृत्त हो चुके आईएएस श्री बीजू प्रभाकर के स्थान पर, केरल सरकार (जीओके) की ओर से नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्रीमती शारदा मुरलीधरन आईएएस - मुख्य सचिव, केरल सरकार (जीओके) एवं नामित निदेशक, 30.04.2025 से अपनी सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप बोर्ड में नहीं रहेंगी।

- श्री बीजू प्रभाकर आईएएस - सचिव, परिवहन (मेट्रो) केरल सरकार (जीओके) सरकार एवं नामित निदेशक, 30.04.2025 से अपनी सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप बोर्ड में नहीं रहेंगी।

बोर्ड ने निदेशक के रूप में श्री अनुराग जैन, आईएएस, श्री किशोर कुमार, श्रीमती शारदा मुरलीधरन, आईएएस, श्री बीजू प्रभाकर और श्रीमती अन्नपूर्णा एस. की सेवाओं की सराहना की।

आज की तारीख में आपकी कंपनी में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी हैं:

बोर्ड ने निदेशक के रूप में श्री अनुराग जैन आईएएस, श्री किशोर कुमार, श्रीमती शारदा मुरलीधरन आईएएस, श्री बीजू प्रभाकर आईएएस और श्रीमती अन्नपूर्णा एस की सेवाओं की सराहना की।

आज की तारीख में आपकी कंपनी में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी हैं:

- श्री लोकनाथ बेहरा - प्रबंध निदेशक
- डॉ. एम. पी. रामनवास - निदेशक - परियोजनाएँ
- श्री संजय कुमार - निदेशक - प्रणालियाँ
- श्रीमती सीनी एलेक्स कुरुविला - मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
- श्री लिस्टन परेरा - कंपनी सचिव

22.4 निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

केएमआरएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) और संबंधित नियमों के प्रावधान, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के मद्देनजर, लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, कंपनी अपने तीनों कार्यकारी निदेशकों का वार्षिक आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन करती है। समीक्षाधीन वर्ष में, तीनों कार्यकारी निदेशकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया। नामित निदेशकों के मामले में, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधित सरकारों द्वारा किया जाता है, जिन्हें नामित किया जाता है।

23.0 सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(6) (क) के अनुसार, आपकी कंपनी की एक सहयोगी कंपनी है, जिसका "महत्वपूर्ण प्रभाव" है, अर्थात् कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस (20%) प्रतिशत पर नियंत्रण, या किसी समझौते के तहत व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण या भागीदारी। कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) 14 जुलाई 2021 से एक सहयोगी कंपनी बन गई है और केएमआरएल के पास केडब्ल्यूएमएल में 26% इक्विटी है।

24.0 लागत अभिलेखों का रखरखाव

केंद्र सरकार ने कंपनी से संबंधित किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव का प्रावधान नहीं किया है।

25.0 वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के अंतर्गत एमजीटी-7 प्रपत्र में वार्षिक विवरणी की प्रति कंपनी की वेबसाइट <https://kochimetro.org/about-us/> पर उपलब्ध है।



26.0 कॉर्पोरेट प्रशासन

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों का पालन करती है और अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही का पालन करती है। इस रिपोर्ट के साथ 'कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट' नामक एक अलग अनुभाग संलग्न किया गया है।

27.0 आईसीएसआई के सचिवीय मानक

कंपनी निदेशक मंडल की बैठकों के लिए 'एसएस-1' सचिवीय मानक और सामान्य बैठकों के लिए 'एसएस-2' सचिवीय मानक का अनुपालन कर रही है।

28.0 महत्वपूर्ण और सारवान आदेश

विनियामकों या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी की चालू-संबंधित स्थिति और उसके संचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और सारवान आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

29.0 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

निदेशक मंडल समय-समय पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है ताकि किसी भी धोखाधड़ी या त्रुटि की व्यवस्थित और कुशल पहचान और निवारण सुनिश्चित किया जा सके। ये आंतरिक नियंत्रण लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और लागू कानूनों और मानकों के अनुसार विश्वसनीय और समय पर वित्तीय जानकारी तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

30.0 लेखा परीक्षक

30.1 सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार, मेसर्स पॉलसन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी&एजी) द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, जो वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है, इसके साथ संलग्न है।

30.2 सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, मेसर्स वीएस एंड वीएस पार्टनर्स, फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, को वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई प्रत्येक टिप्पणी/योग्यता पर टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

30.3 आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सी. के. प्रुस्टी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोच्चि को आपकी कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था ताकि आंतरिक लेखा परीक्षा की जा सके और कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों का निरीक्षण किया जा सके। उनकी रिपोर्ट की समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से मेसर्स तलाटी एंड तलाटी LLP को आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

31.0 व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

32.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाए और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। साथ ही, कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्यों पर मापा जाता है, प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने सभी लागू इंड एएस लेखा नीतियों को अपनाया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहाँ किसी नए जारी किए गए लेखा मानक को शुरू में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रचलित लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में, निदेशकगण बताते हैं कि:

- दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों के लिए उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में आपकी कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए आपकी कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;
- निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे सतत आधार पर तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

33.0 लेखा परीक्षकों द्वारा की गई प्रत्येक योग्यता, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ।

समीक्षाधीन अवधि के लिए लेखा परीक्षकों से कोई योग्यता, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

34.0 सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2024 का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, हितधारकों को शिक्षित करने और अधिकारियों एवं आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के मूल कारणों का समाधान करना और सुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देना था।

इस आयोजन की शुरुआत केएमआरएल के निदेशक (परियोजनाएँ) द्वारा सतर्कता शपथ दिलाने के साथ हुई। कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जबकि अन्य इकाइयों और डिपो के कर्मचारी ऑनलाइन शामिल हुए।

व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के थीम गीत और नारे सभी 25 मेट्रो स्टेशनों पर जन संबोधन प्रणालियों के माध्यम से साझा किए गए।



सप्ताह के दौरान कई जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। विभागाध्यक्षों (एचओडी) के लिए 'नैतिकता और शासन' पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व केएमआरएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) ने किया। कार्यात्मक निदेशकों (एफडी) और विभागाध्यक्षों के लिए 'राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति' पर एक और सत्र आयोजित किया गया, जहाँ श्री राम कुमार, एसपी/सीबीआई, कोच्चि ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।

इसके अलावा, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा के सहयोग से मानव संसाधन और वित्त विभागों के कर्मचारियों के लिए "मानव संसाधन प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता" पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

35.0 अन्य प्रकटीकरण - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

आपकी कंपनी की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक नीति है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 से संबंधित सभी मामलों को निपटाने के लिए केएमआरएल में शुरू से ही (2014 से) एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है और सभी कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और जागरूकता फैलाने के लिए हर साल सभी वैधानिक उपाय किए जा रहे हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न का "एक" मामला सामने आया। जाँच शुरू की गई और पूरी की गई; आंतरिक समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए प्रबंधन को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

मौजूदा आंतरिक समिति के सदस्य हैं:

- श्रीमती मिनी छाबड़ा, महाप्रबंधक मानव संसाधन, प्रशासन एवं - पीठासीन अधिकारी
प्रशिक्षण
- श्रीमती पीशिबी .के., संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक, स्पिनेच इंडिय - बाहरी सदस्य
- श्री प्रवीण सी., उप महाप्रबंधक (आरएस) - सदस्य
- श्रीमती प्रतिभा जीनायर ., प्रबंधक (संचालन एवं प्रबंधन/वित्त) - सदस्य
- श्रीमती रेणु सीपॉल ., सहायक प्रबंधक (कानूनी) - सदस्य

सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को प्रोत्साहित, पोषित और पोषित करने के दृष्टिकोण के साथ, कोच्चि मेट्रो का मानव संसाधन विभाग केएमआरएल की व्यावसायिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच सही संतुलन बनाने में निरंतर मदद करता रहता है।

36.0 आभारोक्ति

निदेशक मंडल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, एमसीए, और अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियों, स्थानीय प्राधिकरणों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, एएफडी, केएफडब्ल्यू, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केरल राज्य सहकारी बैंक, हुडको और अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई सलाह, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। केएमआरएल के विजन को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए प्रिंट और विजुअल मीडिया, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, सलाहकारों, परामर्शदाताओं, ग्राहकों और कंपनी से जुड़े विभिन्न हितधारकों के प्रति भी उनका आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशकगण कोच्चि के लोगों द्वारा केएमआरएल को स्वीकार करने और समर्थन देने के लिए भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं।



निदेशक मंडल कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और पूर्ण सहयोग के लिए अपनी सराहना भी व्यक्त करना चाहता है।

स्थान: कोच्चि
दिनांक: 16.07.2025

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

श्रीनिवास कातिकिथला
अध्यक्ष
(डीआईएन :00414340)
कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड



निगमित अभिशासन की रिपोर्ट

किसी भी संगठन की सफलता और चिरस्थाइता में निगमित अभिशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नियमों, प्रक्रियाओं और कानूनों के एक समूह को संदर्भित करता है जो निगमों के प्रबंधन, विनियमन और नियंत्रण को नियंत्रित करते हैं। इसमें हितधारकों के हितों को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य दोनों कारक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निगमित अभिशासन कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। प्रभावी शासन ढाँचा जोखिमों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन करके उन्हें कम करता है, जिससे दीर्घकालिक और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।

कुल मिलाकर, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) की निगमित अभिशासन पद्धतियाँ प्रक्रियाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती हैं, जिससे परिचालन अधिक कुशल और प्रभावी होता है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और उच्च नैतिक मानकों पर ज़ोर देती है और एक सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल, व्यवहार्य और ग्राहक-अनुकूल मेट्रो प्रणाली प्रदान करने के निगमित लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। केएमआरएल अपने समस्त परिचालनों में उच्चतम नैतिक मानकों तथा सत्यनिष्ठा एवं विश्वास के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित है।

यह रिपोर्ट कंपनी द्वारा अपनाई गई निगमित अभिशासन पद्धतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है और बताती है कि कंपनी ने प्रभावी निगमित अभिशासन के सिद्धांतों और प्रथाओं को कैसे लागू किया है।

निदेशक मंडल

कंपनी के संघ के नियमों के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर लागू छूटों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 3 निदेशकों से कम और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक या तो नामित निदेशक या पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक हो सकते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

इस रिपोर्ट की तिथि तक, केएमआरएल के निदेशक मंडल में 11 निदेशक हैं, जिनमें से 4 निदेशक भारत सरकार के नामित, 5 निदेशक केरल सरकार के नामित और 2 कार्यात्मक निदेशक हैं। अध्यक्ष, सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार हैं, और प्रबंध निदेशक केरल सरकार के नामित हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल में सिद्ध प्रशासनिक और कार्यान्वयन क्षमताओं वाले पेशेवर शामिल हैं, जो कंपनी के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जो सामूहिक रूप से कंपनी के मामलों का निर्देशन भी करते हैं।

निदेशकों का उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उनके निदेशक पद के कार्यकाल के दौरान 2024-25 में आयोजित बैठकें	जिन बैठकों में भाग लिया	वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
1	श्री अनुराग जैन	1	1	लागू नहीं
2	श्री श्रीनिवास कटिकिथला	3	3	हाँ
3	डॉ. वेणु वी.	1	शून्य	लागू नहीं
4	श्रीमती सारदा मुरलीधरन	3	1	हाँ
5	श्री जयदीप	4	3	नहीं
6	श्री भूपेन्द्र सिंह बोध	4	3	हाँ

7	श्री किशोर कुमार	शून्य	शून्य	लागू नहीं
8	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	4	4	हाँ
9	श्री लोकनाथ बेहरा	4	4	हाँ
10	श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल	1	शून्य	लागू नहीं
11	डॉ. ए. जयतिलक	3	3	हाँ
12	श्री बीजू प्रभाकर	4	1	नहीं
13	श्रीमती अन्नपूर्णाणी एस.	2	2	लागू नहीं
14	डॉ. एम. पी. रामनवास	4	4	हाँ
15	श्री संजय कुमार	4	4	हाँ
16	श्री उमेश एन.एस.के.	4	1	नहीं

बोर्ड को दी गई जानकारी

प्रत्येक बैठक से पहले, बोर्ड को कंपनी के कामकाज से संबंधित प्रासंगिक जानकारी और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन पर बोर्ड को विचार करना आवश्यक होता है, विशेष रूप से वे जिन पर उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। कार्यात्मक निदेशकों द्वारा समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति, कानूनी अनुपालन और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतियाँ भी दी जाती हैं।

बोर्ड की प्रक्रियाएँ

बोर्ड बैठकें कंपनी के प्रदर्शन के आलोचनात्मक मूल्यांकन और समीक्षा के लिए, और प्रबंधन निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की चार बैठकें दिनांक 24 जुलाई 2024, 20 सितंबर 2024, 2 दिसंबर 2024 और 21 मार्च 2025 को हुईं।

कंपनी ने बोर्ड और बोर्ड उप-समिति की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क) संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया

सभी निगमित मामलों को संस्थागत बनाने और बोर्ड द्वारा चर्चा और निर्णय लेने की आवश्यकता वाले मामलों की अग्रिम योजना बनाने हेतु प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करने के उद्देश्य से, कंपनी ने निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए सुस्पष्ट प्रक्रियाएँ बनाई हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सूचना का प्रसार सुविचारित और कुशल तरीके से हो।

ख) बोर्ड/बोर्ड उप-समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण और चयन

- बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, उचित सूचना देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैठकें कम समय के नोटिस पर भी बुलाई जाती हैं। बोर्ड संचलन द्वारा प्रस्ताव भी पारित करता है, लेकिन केवल ऐसे मामलों के लिए जो अत्यंत आवश्यक हों और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय हों; संबंधित वर्ष में दो प्रस्तावों को संचलन द्वारा अनुमोदित किया गया था।



- एजेंडा पत्र संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किए जाते हैं और संबंधित कार्यकारी निदेशक की सहमति प्राप्त करने के बाद, अनुमोदन हेतु प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण, व्यापक पृष्ठभूमि जानकारी के साथ, बैठकों में सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने में सुविधा के लिए सदस्यों के बीच पहले से प्रसारित किए जाते हैं;
- जहाँ कोई दस्तावेज़ संलग्न करना वांछनीय नहीं है या यदि एजेंडा संवेदनशील प्रकृति का है, तो उसे प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक में पटल पर रखा जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या अनुपूरक मद(मदें), जो एजेंडे में नहीं हैं, अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए ली जाती हैं;
- बोर्ड को प्रमुख घटनाओं/मदों के बारे में भी सूचित किया जाता है और आवश्यकतानुसार अनुमोदन लिया जाता है। प्रबंध निदेशक बोर्ड की बैठकों में कंपनी के समग्र प्रदर्शन से बोर्ड को अवगत कराते रहते हैं;
- कार्यवाई रिपोर्ट, पिछली बैठकों में बोर्ड के निर्देशों पर की गई कार्यवाई की स्थिति की समीक्षा, भौतिक और वित्तीय प्रगति, समिति की बैठकों के कार्यवृत्त भी एजेंडे का हिस्सा हैं;
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच है;
- बोर्ड की बैठकें आम तौर पर लागू सचिवीय मानकों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं।

ग) प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त विवरण

बोर्ड की प्रत्येक बैठक की शुरुआत में, प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजना की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकासों सहित प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं।

घ) बोर्ड बैठक की कार्यवाही का विवरण दर्ज करना

बैठकों के विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार प्रसारित किए जाते हैं। प्रत्येक बोर्ड बैठक की कार्यवाही का विवरण अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। बोर्ड की बैठकों के विवरण अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार, बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों के विवरण भी सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

ड) अनुपालन

विभागाध्यक्ष, एजेंडा नोट तैयार करते समय, कंपनी अधिनियम, 2013, एसोसिएशन के अनुच्छेदों और सीवीसी दिशानिर्देशों के प्रावधानों सहित सभी लागू सांविधिक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी के कर्मचारी, उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, कंपनी द्वारा अनुमोदित और अपनाई गई आचार संहिता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे निगमित कामकाज में योगदान देते हुए हमेशा उच्च नैतिक मानकों और मूल्यों को बनाए रखते हैं और प्रबंधन से उचित और समय पर मिलने वाला मार्गदर्शन उन्हें बेहतर प्रशासनिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में मदद करता है।

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातें शामिल हैं:

- विस्तृत बजट अनुमान और राजस्व परिचालन की स्थिति।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट।
- बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों के निर्णय/कार्यवृत्त।

- चरण II, चरण III, एकीकृत जल परिवहन परियोजना, आईयूआरडब्ल्यूटीएस, आदि की अद्यतन स्थिति सहित नए प्रस्ताव/परियोजनाएँ।
- वे सभी प्रस्ताव जिनमें डीपीआर में परिकल्पित प्रौद्योगिकी/तकनीकी मापदंडों के अलावा अन्य परिवर्तन शामिल हैं।
- मानव संसाधन में कोई महत्वपूर्ण विकास, महत्वपूर्ण संपत्ति विकास मामले।
- सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण, अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों, वैधानिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी।
- अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
- समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्देशित/सलाह दिए गए अन्य मामले।

बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति के आधार पर आठ उप-समितियों का गठन किया है। ये हैं:

- i. लेखा परीक्षा समिति
- ii. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- iii. मानव संसाधन विकास एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- iv. संचालन एवं रखरखाव समिति
- v. परियोजना प्रबंधन समिति
- vi. निवेश समिति
- vii. अधिप्राप्ति समिति
- viii. संपत्ति विकास समिति

इनमें से प्रत्येक समिति के कार्य-क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। ये समितियाँ समय-समय पर कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार मिलती हैं। बोर्ड की उप-समितियों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. लेखा परीक्षा समिति

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की संरचना:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. डॉ. ए. जयतिलक | - अध्यक्ष |
| 2. श्री जयदीप | - सदस्य |
| 3. श्री बीजू प्रभाकर | - सदस्य |
| 4. श्रीमती नमिता मेहरोत्रा | - सदस्य |

वर्ष 2024-25 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें दिनांक 22 जुलाई 2024 और 18 नवंबर 2024 को हुईं। लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा, इन बैठकों में निदेशक (वित्त) और उन अधिकारियों ने भी भाग लिया जिन्हें समिति को जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक समझा गया। बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा समिति के कार्य-विषय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार हैं।



कंपनी सचिव ने लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य किया।

सदस्यों का उपस्थिति का रिकार्ड:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	उनकी सदस्यता के कार्यकाल के दौरान 2024-25 में आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
1.	श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल	1	1
2.	डॉ. ए. जयतिलक	1	1
3.	श्री जयदीप	2	शून्य
4.	श्री बीजू प्रभाकर	2	1
5.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	2	1

2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री उमेश एन.एस.के. - सदस्य
3. श्री संजय कुमार - सदस्य
4. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

चूंकि आपकी कंपनी लाभ नहीं कमा रही है, इसलिए सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत व्यय करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3. परियोजना प्रबंधन समिति

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री जयदीप - सदस्य
3. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

वर्ष के दौरान परियोजना प्रबंधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4. निवेश समिति

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार संरचना:

1. डॉ. ए जयतिलक - अध्यक्ष
2. श्री लोकनाथ बेहरा - सदस्य
3. श्री बीजू प्रभाकर - सदस्य

वर्ष के दौरान निवेश समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।



5. अधिप्राप्ति समिति

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार संरचना:

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1. | श्री लोकनाथ बेहरा | - अध्यक्ष |
| 2. | श्री उमेश एन.एस.के. | - सदस्य |
| 3. | डॉ. एम. पी. रामनवास | - सदस्य |
| 4. | श्री संजय कुमार | - सदस्य |

वर्ष 2024-25 के दौरान, खरीद समिति की दो बैठकें दिनांक 22 अगस्त 2024 और 5 नवंबर 2024 को हुईं।

सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	उनकी सदस्यता के कार्यकाल के दौरान 2024-25 में आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
1.	श्री लोकनाथ बेहरा	2	2
2.	श्री उमेश एन एस के	2	2
3.	श्रीमती अन्नपूर्णा नी एस	1	1
4.	डॉ. एम. पी. रामनवास	2	2
5.	श्री संजय कुमार	2	2

6. संचालन एवं रखरखाव समिति

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार संरचना:

- | | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | श्री लोकनाथ बेहरा | - अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती नमिता मेहरोत्रा | - सदस्य |
| 3. | डॉ. एम. पी. रामनवास | - सदस्य |

वर्ष के दौरान संचालन एवं रखरखाव समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

7. संपत्ति विकास समिति

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार संरचना:

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1. | श्री लोकनाथ बेहरा | - अध्यक्ष |
| 2. | श्री उमेश एनएसके | - सदस्य |
| 3. | श्री संजय कुमार | - सदस्य |
| 4. | डॉ. एम. पी. रामनवास | - सदस्य |

वर्ष के दौरान संपत्ति विकास समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

8. मानव संसाधन विकास एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार संरचना:



1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्रीमती नमिता मेहरोत्रा - सदस्य
3. श्री बीजू प्रभाकर - सदस्य
4. श्री उमेश एन.एस.के. - सदस्य
5. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

वर्ष 2024-25 के दौरान, मानव संसाधन विकास और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बार बैठक अर्थात 14 मई 2024 और 5 मार्च 2025 को हुई।

सदस्यों का उपस्थिति रिकार्ड:

क्रम सं..	सदस्य का नाम	उनकी सदस्यता के कार्यकाल के दौरान 2024-25 में आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
1.	श्री लोकनाथ बेहरा	2	2
2.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	2	2
3.	श्री बीजू प्रभाकर	2	Nil
4.	श्री उमेश एन एस के	2	1
5.	डॉ. एम. पी. रामनवास	2	2

9. आम बैठकें:

पिछले तीन वर्षों में आयोजित आम बैठकें:

वार्षिक आम बैठक / असाधारण आम बैठक	11वीं वार्षिक आम बैठक	12वीं वार्षिक आम बैठक	13वीं वार्षिक आम बैठक
दिनांक और समय	16.11.2022	29.09.2023	02.12.2024
स्थान	दोपहर 12.45 बजे	शाम 5.30 बजे	05.45 अपराह्न
विशेष प्रस्ताव (यदि कोई हो)	-	-	-

कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.kochimetro.org है। कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी, जैसे परियोजनाएँ, निदेशक मंडल, नवीनतम समाचार अपडेट, अनुबंध, निविदाएँ, नौकरी भर्ती प्रक्रियाएँ आदि, वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। इसके अलावा, कंपनी अपनी सभी निविदाएँ वेबसाइट पर पोस्ट करती है ताकि वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद के बारे में समय पर जानकारी प्रसारित की जा सके। वेबसाइट मेट्रो रेल परियोजना और अन्य महत्वपूर्ण विकासों की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों और प्रगति के बारे में जानकारी भी प्रदान करती है, और इसे लगातार अद्यतन किया जाता है।

स्थान: कोच्चि
दिनांक: 16.07.2025

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर
से

ह०/-

श्रीनिवास कातिकिथला
अध्यक्ष
(डीआईएन: 00414340)
कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड



प्रपत्र एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसार)

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग क: सहायक कंपनियां: लागू नहीं

भाग ख: सहयोगी और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है

सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों का नाम	कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड
1. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की तिथि	31.03.2025
2. वह तिथि जब सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित हुआ था	14.07.2021
3. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के शेयर	
- संख्याएँ	1,27,400 इक्विटी शेयर
- सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	₹127.40 लाख
- धारण की सीमा (प्रतिशत में)	26%
4. महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) के अनुसार।
5. सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं
6. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	₹(11.75) लाख
7. वर्ष के लिए लाभ या हानि	
i. समेकन में विचार किया गया	₹(3.16) लाख
ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	लागू नहीं

- उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है। **शून्य**
- उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन हो गया है या बेच दिया गया है। **शून्य**

समसंख्यक दिनांक की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते पॉलसन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

एफआरएन: 002620एस
यूडीआईएन: 25021855BMLBAU2127

ह/-
सीए पॉलसन के.पी., एलएलबी, एफसीए,
डीआईएसए (आईसीएआई)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 021855

ह/-
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

ह/-
डॉ. एम.पी. रामनवास
निदेशक
(डीआईएन :09663030)

ह/-
सीनी एलेक्स कुरुविला
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्चि
दिनांक: 16.07.2025

स्थान: कोच्चि
दिनांक: 16.07.2025

प्रपत्र एओसी - 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ अप्रत्यक्ष लेनदेन भी शामिल हैं।

1. संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण जो कि दूरी के आधार पर नहीं है

क.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति।	लागू नहीं
ख.	संविदाओं, व्यवस्थाओं या लेन-देनों की प्रकृति।	लागू नहीं
ग.	संविदाओं, व्यवस्थाओं या लेन-देनों की अवधि।	लागू नहीं
घ.	संविदाओं, व्यवस्थाओं या लेन-देनों की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, शामिल है।	लागू नहीं
ङ.	ऐसे संविदाओं, व्यवस्थाओं या लेन-देनों करने का औचित्य।	लागू नहीं
च.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि।	लागू नहीं
छ.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो।	लागू नहीं
ज.	धारा 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि।	लागू नहीं

2. महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्यौरा:

क.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति।	कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड, संबंध की प्रकृति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के खंड (viii) के अनुसार है।
ख.	संविदाओं, व्यवस्थाओं या लेन-देनों की प्रकृति।	संसाधनों और संविदाओं को साझा करके संचालन के प्रारंभिक चरण में कंपनी को सहायता प्रदान करने हेतु करार।
ग.	संविदाओं, व्यवस्थाओं या लेन-देनों की अवधि।	4 सितंबर 2023 (वित्त वर्ष 2023-24) को हस्ताक्षरित और दोनों पक्षों द्वारा समाप्ति तक मान्य।
घ.	संविदाओं, व्यवस्थाओं या लेन-देनों की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, शामिल है।	साझा सेवाओं के लिए केडब्ल्यूएमएल द्वारा केएमआरएल को ₹10,000 प्रति माह का सेवा शुल्क देय है।
ङ.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि।	29 सितंबर 2023
च.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो।	लागू नहीं

स्थान: कोच्चि
दिनांक: 16.07.2025

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से
कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड

ह./-
श्रीनिवास कटिकिथला
अध्यक्ष
(डीआईएन: 00414340)



प्रपत्र संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में]

सेवा में,

सदस्यगण

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड

सीआईएन: U60100KL2011SGC029003

जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्चि - 682017

हमने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार किया गया है कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/ सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ है।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के सत्यापन और सचिवीय लेखा-परीक्षण के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखा परीक्षा अवधि) को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी ने बोर्ड प्रक्रियाओं का पालन किया है और उसके पास आवश्यक अनुपालन तंत्र मौजूद है, जो इस सीमा तक, तरीके से और आगे की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i). कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (ii). प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम;
(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, यह खंड इस पर लागू नहीं होता)।
- (iii). निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;
(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, यह खंड इस पर लागू नहीं होता)।
- (iv). विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक;
(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, यह खंड इस पर लागू नहीं होता)।
- (v). निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित है;
(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, यह खंड इस पर लागू नहीं होता)।

- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992;
- ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;
- घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;
- ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

- च) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993;
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्ध करना) विनियम, 2021; और
- ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018।

हमने निम्नलिखित के संबंध में अनुपालन की भी जाँच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सचिवीय मानक - एसएस-1 और एसएस-2, और रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने सामान्यतः उक्त मानकों का अनुपालन किया है।
- (ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते।

(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, यह खंड इस पर लागू नहीं होता)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है, बशर्ते कि निम्नलिखित अवलोकन किए जाएँ:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 175(3) और सचिवीय मानक-1 (एसएस-1) के खंड 6.5 के प्रावधानों के अनुसार, परिचालन द्वारा पारित प्रस्तावों को बोर्ड की अगली बैठक में नोट किया जाना और उस बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

हालाँकि, दिनांक 07.06.2024 को परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव, जिस पर 24.07.2024 को आयोजित आगामी बोर्ड बैठक में ध्यान दिया जाना था, पर 20.09.2024 को आयोजित बैठक में ध्यान दिया गया।

ख) अधिनियम की धारा 177(2) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में तीन निदेशक होंगे जिनमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। अधिनियम की धारा 178(1) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 839(ई) दिनांक 05.07.2017 ने गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों, जो एक संयुक्त उद्यम हैं, को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट दी है। इसलिए, लेखा परीक्षा समिति और मानव संसाधन विकास तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें स्वतंत्र निदेशकों के बिना आयोजित की जाती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा कंपनी पर लागू उद्योग-विशिष्ट कानूनों की प्रयोज्यता पर जारी दिशानिर्देशों तथा प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और रखे गए अभिलेखों के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी ने सामान्यतः निम्नलिखित उद्योग-विशिष्ट कानूनों के प्रावधानों का उस सीमा तक अनुपालन किया है, जो उस पर लागू है:

- (i) आयकर अधिनियम, 1961;
- (ii) माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- (iii) वित्त अधिनियम, 1994;
- (iv) कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित श्रम कानूनों के प्रावधान, अर्थात्:
- क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- घ) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
- ङ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- (v) ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970;
- (vi) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979;
- (vii) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996;



- (viii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;
- (ix) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013;
- (x) हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रूप में रोजगार का निषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013;
- (xi) बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और
- (xii) भारतीय विद्युत नियम, 1956।

कंपनी के संबंधित विभाग पर्यावरण संरक्षण कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों सहित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ठेकेदार(कों) के साथ संपर्क बनाए हुए हैं।

नए संविदाओं के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। केएमआरएल के सभी विभाग, जिनमें संचालन एवं रखरखाव विभाग भी शामिल है, संबंधित ठेकेदारों के साथ संपर्क बनाए रखकर सभी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। केएमआरएल के कार्यान्वयन विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी देखी गई कमी को दूर किया जा रहा है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और महिला निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, और समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी। एजेंडा और विस्तृत

एजेंडा संबंधी नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मर्दों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों को निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से आयोजित बैठकों की रिकॉर्डिंग कंपनी सचिव के पास सुरक्षित रखी जाती है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित कार्रवाई हुई है:

(क) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक परिपत्र पारित कर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री लिस्टन परेरा को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) पर ऋण संबंधी जानकारी प्रमाणित करने हेतु "उपयोगकर्ता" के रूप में अधिकृत करने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया है, जिस पर 20.09.2024 को आयोजित बोर्ड बैठक में ध्यान दिया गया।

(ख) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान सतर्कता इकाई के लिए पद के सृजन/अनुमोदन हेतु एक परिपत्र प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर 20.09.2024 को आयोजित बाद की बोर्ड बैठक में ध्यान दिया गया।

कृते : मेसर्स वीएस एंड वीएस पार्टनर्स,

ह0/-

शरथ एस

सहभागी। सदस्य संख्या F11592 | सी.पी. संख्या 17466

स्थान: कोचीन

दिनांक: 08.08.2025

यूडीआईएन: F011592G000968108

अनुलग्नक - क

सेवा में,
सदस्य
कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
सीआईएन: U60100KL2011SGC029003
जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्चि - 682017

सम तिथि की रिपोर्ट इस अनुलग्नक के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के किसी भी वित्तीय अभिलेख और लेखा-पुस्तक की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमने अपनी राय कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी/अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत की है, और रिपोर्टिंग उसी सीमा तक सीमित है।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की प्रभावशीलता या प्रभावकारिता का।

कृते : मेसर्स वीएस एंड वीएस पार्टनर्स,
ह0/-

शरथ एस

सहभागी | सदस्य संख्या F11592 | सी.पी. संख्या 17466

स्थान: कोचीन
दिनांक: 08.08.2025
यूडीआईएन: F011592G000968108



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (जिन्हें आगे "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।
2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों ('इंड एस') के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उसकी हानि (अन्य व्यापक आय सहित), उसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

राय का आधार

3. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी 'आचार संहिता' और नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है।

मामलों पर ज़ोर देना

4. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 2.10 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('डीएमआरसी') के लेखा परीक्षकों द्वारा डीएमआरसी और कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार प्रमाणन लंबित होने तक, कंपनी ने डीएमआरसी द्वारा प्रस्तुत विवरणों के आधार पर, वर्ष के दौरान कुल 918.70 लाख रुपये की परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया है। परिणामस्वरूप, पिछली अवधियों के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त राशि में से, 1 अप्रैल 2023 तक 918.70 लाख रुपये का पूंजीकरण किया गया था। परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यहास में 125.13 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिधारित आय के आरंभिक शेष में इसी अनुपात में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यहास व्यय में 26.33 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे वर्ष के लाभ में उतनी ही कमी आई है।
5. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें पिछले वर्षों में पूंजीकृत कुछ उप-परिसंपत्तियों के स्क्रेप मूल्य में पूर्वव्यापी संशोधन का वर्णन है। परिणामस्वरूप, पिछली

अवधियों के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यहास में 928.81 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उसी तिथि को प्रतिधारित आय में तदनु रूप कमी आई है, और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यहास व्यय में 168.78 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे उस वर्ष के लाभ में उतनी ही कमी आई है।

- हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.10 और 3.4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो पिछले वर्षों में पूंजीकृत कुछ मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन की मान्यता का वर्णन करते हैं। परिणामस्वरूप, पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2023 तक मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि में क्रमशः 301.13 लाख रुपये और 3.58 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, और वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः 180.73 लाख रुपये और 11.15 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यहास और परिशोधन में क्रमशः 14.81 लाख रुपये और 0.42 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उसी तिथि को प्रतिधारित आय में 15.23 लाख रुपये की कमी आई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यहास और परिशोधन व्यय में क्रमशः 26.43 लाख रुपये और 0.88 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे वर्ष के लिए लाभ में 27.30 लाख रुपये की कमी आई है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को उपलब्ध होने पर पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

प्रबंधन और स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों की ज़िम्मेदारियाँ

- कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।
- इस ज़िम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करें और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त हों।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और



लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

13. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

14. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि मानक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा-परीक्षण हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

15. लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
 - परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
 - प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
 - प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी नहीं रह सकती है।
 - प्रकटीकरणों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।
16. भौतिकता, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानों की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के

आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलतबयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

17. हम शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।
18. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।
19. शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की अपेक्षा के अनुसार, हम "अनुलग्नक ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार, हम "अनुलग्नक ख" में उन निर्देशों में संदर्भित मामलों पर एक विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बही रखी गई है, जहाँ तक उन लेखा-बही की हमारी जाँच से पता चलता है, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे दिए गए पैराग्राफ 3(i)(vi) में उल्लिखित मामले को छोड़कर।
 - ग) इस रिपोर्ट में शामिल स्टैंडअलोन तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण, नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण, लेखा-बही से मेल खाते हैं।
 - घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एस) का अनुपालन करते हैं।



- ड) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 5 जून, 2015 के आदेश संख्या सं. 463(ड.) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों से छूट दी गई है। तदनुसार, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई निदेशक उक्त धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार अयोग्य है।
- च) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 की धारा 143(3)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 3(ख) और नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3(झ)(vi) में उल्लिखित लेखा रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित संशोधन।
- छ) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- ज) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्रकार है:
- कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है और अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों पर टिप्पणी संख्या 34.23 का उल्लेख किया है।
 - कंपनी के पास डेरिवेटिव संविदा सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी पूर्वानुमानित भौतिक हानि हुई हो।
 - कंपनी के पास निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कोई राशि नहीं है।
 - क) प्रबंधन ने ऐसा प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगा;
 - ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी;

- ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।
- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।
- vi. हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है, सिवाय इसके कि, किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग करने के लिए डेटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं है।

इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें उस अवधि के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला, जिसके लिए ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम और संचालित थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा पिछले वर्ष(वर्षों) के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड प्रतिधारण की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार उस सीमा तक संरक्षित किया गया है, जिस सीमा तक इसे संबंधित वर्षों में सक्षम और रिकॉर्ड किया गया था।

कृते पॉलसन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 002620S

ह०/-

सी.ए. पॉलसन के.पी.

साझेदार

सदस्यता संख्या 021855

यूडीआईएन: 25021855BMLBAT8168

कोच्चि

16 जुलाई 2025



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की आज की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में इसका उल्लेख किया गया है।

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क)

(क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, उपयोग-अधिकार वाली संपत्तियों और निवेश संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक नियमित कार्यक्रम चलाती है। इन संपत्तियों का भौतिक सत्यापन हर तीन साल में एक बार किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। सबसे हालिया भौतिक सत्यापन दिनांक 31 मार्च 2025 को किया गया था।

ग) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 2.3 के अनुसार, कंपनी ऐसी संपत्ति पर स्वामित्व प्रदान करने वाले उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर अपने नाम पर भूमि को मान्यता देती है। ऐसे निर्णयों और पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर, कंपनी के पास कुल 39 भूमि के टुकड़े हैं, जिनके स्वामित्व-पत्र कंपनी के नाम पर नहीं हैं। ये संपत्तियाँ कंपनी की स्थापना से लेकर रिपोर्टिंग तिथि तक विभिन्न निजी पक्षों से अलग-अलग तिथियों पर अर्जित की गई हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

संपत्ति का विवरण	हेक्टेयर	सकल वहन मूल्य	के नाम पर आयोजित	भूमि के टुकड़ों की संख्या	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी है	धारण अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा बताएं	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण*
भूमि (फ्रीहोल्ड)	2.541	1,61,63,77,230.07	निजी मालिक	39	नहीं	2014-15 से आज तक	भूमि स्वामित्व एजेंसियों/मालिकों के साथ कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के लंबित रहने के कारण।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ii)

क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भौतिक स्टॉक और बही अभिलेखों के बीच सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई, जो इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक थी।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत की गई है। कार्यशील पूँजी सीमा की शर्तों के अनुसार, कंपनी को इस सुविधा के संबंध में समय-समय पर या आवश्यकतानुसार बैंक को लेखा विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालाँकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, हम कंपनी की लेखा पुस्तकों के साथ तिमाही रिटर्न या विवरणों के मिलान पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(iii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या किसी अन्य पक्ष को ऋण, ऋण के रूप में अग्रिम, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii)(a), (iii)(b), (iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) और (iii)(f) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(iv) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने दिए गए ऋणों और निवेशों, तथा उसके द्वारा प्रदान की गई गारंटियों और सुरक्षा के संबंध में, जहाँ भी लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने कोई जमा या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। अतः, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं होता।

(vii)

क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है, जिसमें माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और इसके लिए लागू कोई अन्य वैधानिक बकाया शामिल है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और इसके लिए लागू किसी भी अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा



शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया राशि, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं की गई है, निम्नानुसार है:

क़ानून की प्रकृति	देय राशि का प्रकार	राशि (₹.)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	81,06,225 रुपये	2013-14, 2014-15 और 2015-16	आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर पर ब्याज	10,20,888 रुपये	2015-16	आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	एसआईएसएफ से प्राप्त सुरक्षा सेवाओं पर जीएसटी	12,28,79,700 रुपये	जुलाई 2017 से जनवरी 2022 तक	आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)

(viii) हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकट की गई पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix)

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को देय राशि के भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने आज तक कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋणों का उपयोग, समग्र रूप से, उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ड.) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। इसलिए, आदेश के खंड (ix)(ई) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड (ix)(च) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(x)

क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे के सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(क) लागू नहीं होता।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेषों या पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमाम्य आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ख) लागू नहीं होता।

(xi)

क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, लेखापरीक्षा मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहाँ लागू हो, और संबंधित पक्ष के लेन-देन क विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv)

क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए, वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा वर्ष की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi)

क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(क) लागू नहीं होता।



ख) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ख) लागू नहीं होता।

ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं होता।

घ) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अतः, आदेश के खंड (xvi)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xvii) कंपनी को चालू वर्ष में 24,330.36 लाख रुपये की नकद हानि हुई है। ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में, कंपनी को 25,361.39 लाख रुपये (पुनर्घोषित) की नकद हानि हुई थी।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी देनदारियों को, जो बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद थीं, बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियाँ कंपनी द्वारा चुका दी जाएँगी।

(xx) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जाना आवश्यक है और तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xx) लागू नहीं होता है।

कृते पॉलसन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 0026205

ह०/-

सीए. पॉलसन के.पी.

साझेदार

सदस्यता संख्या 021855

यूडीआईएन: 25021855BMLBAT8168

कोच्चि

16 जुलाई 2025



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की आज की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत "अनुलग्नक-ख" में अनुपूरक रिपोर्ट, जिसका उल्लेख दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट में किया गया है।

क. निर्देश

क्र. सं.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निर्देश	सांविधिक लेखा परीक्षक का विवरण
1	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	हमारी राय में, कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की एक प्रणाली मौजूद है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, तथा हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारा मानना है कि कंपनी के पास आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को रोकने और उसका पता लगाने के लिए एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आईटी प्रणालियों के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का कोई मामला सामने नहीं आया है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने आया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।	हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की जांच तथा प्रस्तुत सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं हुआ है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का कंपनी की लेखा पुस्तकों में उचित लेखा-जोखा रखा गया था। विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि के उपयोग के मामले में, हम रिपोर्ट करते हैं कि चूँकि विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि सीधे निर्दिष्ट खातों में स्थानांतरित नहीं की जाती है, इसलिए हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि वर्ष के दौरान, विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए धनराशि स्वीकृत



		की गई थी। हालाँकि, वर्ष के अंत में, विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का अप्रयुक्त भाग बैंक खाते में शेष राशि द्वारा दर्शाया गया है।
--	--	--

कृते पॉलसन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 002620S

ह०/-

सीए. पॉलसन के.पी.

साझेदार

सदस्यता संख्या 021855

यूडीआईएन: 25021855BMLBAT8168

कोच्चि

16 जुलाई 2025



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 3(छ) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, साथ ही उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का भी लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक, कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित, इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखा-परीक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण संबंधी मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखा-परीक्षण मानकों ("मानकों") के अनुसार किया है, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण पर लागू होता है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और लेखा-परीक्षण की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और क्या ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।



वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

- 1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को यथोचित विवरण के साथ सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- 2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
- 3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। इसके अलावा, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

कृते पॉलसन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 002620S

ह०/-

सी.ए. पॉलसन के.पी.

साझेदार

सदस्यता संख्या 021855

यूडीआईएन: 25021855BMLBAT8168

कोच्चि

16 जुलाई 2025

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2025 तक की स्टैंडअलोन तुलन पत्र

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
परिसंपत्तियाँ			
(I) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.क	5939 81.42	6004 47.23
(ख) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ	2.ख	3 98.27	8.30
(ग) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	2.ग	145 97.64	77 64.02
(घ) निवेश संपत्ति		28 77.69	7 58.34
(ङ) अन्य अमूर्त संपत्तियाँ	3.क	36 47.02	38 30.72
(च) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	3.ख	30.17	5.31
(छ) वित्तीय संपत्तियाँ			
(i) निवेश	4	1 27.40	127.40
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	606 99.87	600 16.88
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	6	217 42.57	180 98.27
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (I)		6981 02.05	6910 56.47
(II) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) इन्वेंटरी	7	4 90.78	3 72.25
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापारिक प्राप्य	8	13 41.80	7 31.47
(ii) नकद और नकद समतुल्य	9	346 33.40	110 35.75
(iii) अन्य बैंक शेष	10	100 22.70	45 32.26
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	315 34.82	239 96.29
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	34 78.73	48 79.19
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (II)		815 02.23	455 47.21
(III) बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ	13	.77	2 60.00
कुल परिसंपत्ति (I) + (II) + (III)		7796 05.05	7368 63.68
इक्विटी और देयताएँ			
(I) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	1707 46.00	1507 46.00
(ख) अन्य इक्विटी	15	484 91.65	640 31.51
कुल इक्विटी (I)		2192 37.65	2147 77.51
देयताएँ			
(II) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ उधार			
(i) पट्टा देनदारियाँ	16.क	4569 72.67	4403 19.90
(क) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	16.ख	-	4.13
(क) वित्तीय देनदारियाँ उधार	17	53 86.18	31 52.60
(ख) प्रावधान	18	30 77.34	25 55.88
(ग) आस्थगित कर देयताएँ	19	-	-
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	20	17 28.51	18 18.75
कुल गैर-चालू देयताएँ (II)		4671 64.70	4478 51.26
(III) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधार	21.क	298 40.96	238 95.59
(क) पट्टा देयताएँ	21.ख	4 62.93	5.46
(ii) व्यापार देयताएँ	22		



- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		57.92	11.70
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		12 51.17	11 98.10
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	23	591 84.08	470 21.44
(ख) अन्य चालू देयताएँ	24	20 41.86	18 15.01
(ग) प्रावधान	25	3 63.78	2 87.61
कुल चालू देयताएँ (III)		932 02.70	742 34.91
कुल इक्विटी और देयताएँ (I) + (II) + (III)		7796 05.05	7368 63.68
लेखांकन नीति संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी	1		
स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स देखें	2-34		

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।
 कृते पॉलसन एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या 002620S
 यूडीआईएन: 25021855BMLBAT8168

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
 सीए पॉलसन केपी, एलएलबी,
 एफसीए, डीआईएसए
 (आईसीएआई)
 साझेदार
 सदस्यता संख्या 021855

ह/-
 लोकनाथ बेहरा
 प्रबंध निदेशक
 (डीआईएन: 09406020)

ह/-
 डॉ. एम. पी. रामनवास
 निदेशक
 (डीआईएन: 09663030)

ह/-
 सीनी एलेक्स कुरुविला
 मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
 लिस्टन परेरा
 कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
 दिनांक : 16.07.2025

स्थान : कोचीन
 दिनांक : 16.07.2025

काँच मट्टो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का स्टैंडअलोन विवरण

		<i>राशि (लाख रुपये में)</i>		
विवरण	नोट सं.	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक	
I	परिचालन से राजस्व	26	167 29.46	151 30.10
II	अन्य आय	27	107 96.31	95 10.79
III	कुल आय (I + II)		275 25.77	246 40.89
IV	व्यय:			
	परिचालन व्यय	28	57 91.15	54 87.59
	कर्मचारी लाभ व्यय	29	60 37.68	54 05.32
	वित्तीय लागत	30	342 11.92	294 22.31
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	31	190 92.26	181 76.13
	अन्य व्यय	32	54 49.41	96 66.88
	कुल व्यय (IV)		705 82.42	681 58.23
V	कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)		(430 56.65)	(435 17.34)
VI	कर व्यय:			
	(1) पूर्व कर समायोजन		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
			-	-
VII	अवधि (V - VI) के लिए लाभ / (हानि)		(430 56.65)	(435 17.34)
VIII	अन्य व्यापक आय			
	वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- रोज़गार-पश्चात लाभ दायित्वों का पूर्व-मापन		(74.78)	(54.57)
	उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
			(74.78)	(54.57)
IX	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+ VIII) (वर्ष के लिए लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय सहित)		(431 31.43)	(435 71.91)
X	प्रति इक्विटी शेयर आय:	33		
	(1) मूल		(28.45)	(28.87)
	(2) तनुकारी		(28.37)	(27.07)
	लेखांकन नीति संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी	1		
	स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स देखें	2-34		

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते पॉलसन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002620S
यूडीआईएन: 25021855BMLBAT8168

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
सीए पॉलसन केपी, एलएलबी, एफसीए,
डीआईएसए (आईसीएआई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 021855

ह/-
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

ह/-
डॉ. एम. पी. रामनवास
निदेशक
(डीआईएन: 09663030)

ह/-
सीनी एलेक्स कुरुविला
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025



कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह विवरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	(431 31.43)	(435 71.91)
निम्न के लिए समायोजन		
(लाभ) / बिक्री पर हानि / परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति (निवल)	(1 24.12)	.01
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	190 92.26	181 76.13
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	.00	10 69.24
व्यापार प्राप्य और	2 28.47	3 41.31
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों प्राप्य पर अपेक्षित हानि भत्ता	(9 20.61)	(12 54.36)
ब्याज आय	258 86.74	224 93.63
वित्त लागत	5.65	(4.83)
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	(9 70.48)	(8 90.39)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	66.48	(36 41.17)
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(83 03.97)	(110 34.90)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	32 75.45	14 45.77
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(40 62.49)	(27 00.16)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	5 97.62	5 08.75
अन्य देय राशियों में (वृद्धि)/कमी	36 39.52	23 29.00
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	(47 87.39)	(130 92.71)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान	(138 81.21)	(92 66.72)
पूँजीगत अग्रिमों सहित पूँजीगत डब्ल्यूआईपी के लिए भुगतान	(185 54.43)	(107 05.55)
प्राप्त ब्याज आय	7 29.22	12 70.66
निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	(317 06.42)	(187 01.61)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर आवेदन राशि - भारत सरकार और केरल सरकार	331 02.00	.00
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण	170 30.03	216 43.96
भारत सरकार से पास-श्रु सहायता	91 34.53	.00
केरल सरकार से प्राप्त आय	439 32.25	383 44.43
भारत सरकार से प्राप्त आय	32.61	.00
बैंक से कार्यशील पूँजी ऋण	6 87.50	(9 13.29)
पट्टा देयताओं का भुगतान	(4 96.12)	(4.98)
भुगतान की गई वित्तीय लागत	(283 59.54)	(266 17.83)
वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण	(149 71.80)	(129 50.72)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	600 91.46	195 01.57
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क) + (ख) + (ग)	235 97.65	(122 92.75)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	110 35.75	233 28.50
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	346 33.40	110 35.75
इसमें शामिल हैं		
नकद राशि	60.98	34.33

बैंकों के पास शेष:

- चालू और स्वीप-इन खाते	184 07.28	16 13.42
- बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने या उससे कम)	161 65.14	93 88.00
कुल	346 33.40	110 35.75

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते पॉलसन एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या 0026205
 यूडीआईएन: 25021855BMLBAT8168

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
 सीए पॉलसन केपी, एलएलबी, एफसीए,
 डीआईएसए (आईसीएआई)
 साझेदार
 सदस्यता संख्या 021855

ह/-
 लोकनाथ बेहरा
 प्रबंध निदेशक
 (डीआईएन: 09406020)

ह/-
 डॉ. एम. पी. रामनवास
 निदेशक
 (डीआईएन: 09663030)

ह/-
 सीनी एलेक्स कुरुविला
 मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
 लिस्टन परेरा
 कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
 दिनांक : 16.07.2025

स्थान : कोचीन
 दिनांक : 16.07.2025



कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इकटिटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इकटिटी शेषर पूंजी में परिवर्तन	1507 46.00	1507 46.00
वर्ष की शुरुआत में पुनर्कीयित शेष राशि	1507 46.00	1507 46.00
चालू वर्ष के दौरान इकटिटी शेषर पूंजी में परिवर्तन	20,000.00	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	1707 46.00	1507 46.00

ख. अन्य इकटिटी

विवरण	राशि (लाख रुपए में)									
	शेषर आवेदन राशि आवंटन लंबित	व्याज मुक्त उप ऋण -भारत सरकार	व्याज मुक्त उप ऋण - राज्य करों की प्रतिपूर्ति - जीओके	आस्थगित आय - मौद्रिक अनुदान	भंडार और अधिशेष	अन्य व्यापक आय	कुल			
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	10,000.00	196 38.98	2039 05.04	196 79.79	4,581.20	139 30.43	139 30.43	(1815 51.94)	(1 30.07)	900 53.43
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	(10 69.24)	-	(1,069.24)
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि (पुनर्निर्धारित)	10,000.00	196 38.98	2039 05.04	196 79.79	4,581.20	139 30.43	139 30.43	(1826 21.18)	(1 30.07)	789 84.19
जोड़ें: वर्ष के लिए पुनः कथित व्यापक आय / (हानि)	-	-	-	-	-	-	-	(435 17.34)	(54.57)	(435 71.91)
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	-	-	26,333.31	-	-	-	-	-	-	263 33.31
घटाएँ: वर्ष के दौरान आय में अंतरण	-	(5 35.09)	(62 98.97)	(7 20.37)	(159.65)	-	-	-	-	(77 14.08)
31 मार्च 2024 तक शेष राशि (पुनः कथित)	100 00.00	191 03.89	2239 39.38	189 59.42	44 21.55	139 30.43	139 30.43	(2261 38.52)	(1 84.64)	640 31.51
1 अप्रैल, 2024 तक शेष (पुनः कथित)	10,000.00	191 03.89	2239 39.38	189 59.42	4,421.55	139 30.43	139 30.43	(2261 38.52)	(1 84.64)	640 31.51

लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ

	100 00.00	191 03.89	2239 39.38	189 59.42	4,421.55	139 30.43	(2261 38.52)	(1 84.64)	640 31.51
जोड़ें: वर्ष के लिए समग्र आय / (हानि)	-	-	-	-	-	-	(430 56.65)	(74.78)	(431 31.43)
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	331 02.00	-	236 34.14	-	-	-	-	-	567 36.14
घटाएँ: वर्ष के दौरान आय में अंतरण	(20,000.00)	(5 90.11)	(76 24.99)	(7 59.43)	(170.04)	-	-	-	(291 44.57)
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	231 02.00	185 13.78	2399 48.53	181 99.99	42 51.51	139 30.43	(2691 95.17)	(2 59.42)	484 91.65

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पॉलसन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 0026205
यूडीआईएन: 25021855BMLBAT8168

ह/-
सीए पॉलसन केपी, एलएलबी, एफसीए,
डीआईएसए (आईसीएआई)
साइनेदार
सदस्यता संख्या 021855

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
डॉ. एम. पी. रामनवास
निदेशक
(डीआईएन: 09663030)

ह/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025



दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स।

कॉर्पोरेट जानकारी

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" या "केएमआरएल" कहा जाएगा) भारत में स्थित और निगमित है (CIN: U60100KL2011SGC029003), जिसमें भारत सरकार (जीओआई) और केरल सरकार (जीओके) की समान इक्विटी भागीदारी है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्चि -682017 में स्थित है।

कंपनी मुख्य रूप से कोच्चि और तिरुवनंतपुरम शहर में मेट्रो रेल परियोजना की परिकल्पना और संचालन में लगी हुई है। कंपनी को मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार, इसके संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों का कार्यभार भी सौंपा गया है ताकि टिकाऊ संचालन सुनिश्चित किया जा सके और कोच्चि शहर में एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली लागू की जा सके। कंपनी ने दिनांक 19.06.2017 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। कंपनी के राजस्व स्रोतों में यात्रियों से किराया वसूली, संपत्तियों और विज्ञापन स्थलों का लाइसेंस/पट्टा देना और अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 16.07.2025 को आयोजित अपनी बैठक में जारी करने हेतु अनुमोदित किया गया है।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 अनुपालन विवरण

ये एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (जिन्हें "इंड एस" कहा जाता है) के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, सतत व्यवसाय आधार पर तैयार किए गए हैं।

1.1.क. तैयारी का आधार

ये एकल वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार, निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है, उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ तथा उचित मूल्य पर मापी गई आकस्मिक प्रतिफल;
- ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ;

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ('इंड एस') के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित नियम भी शामिल हैं।

लेखा नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहाँ किसी नए जारी किए गए लेखा मानक को शुरू में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रचलित लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। कंपनी ने आमतौर पर उद्योग में प्रचलित नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया है।

1.2 अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के मान्यता और मापन सिद्धांतों के अनुरूप एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को कुछ अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों, देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) और

प्रकटीकरणों की रिपोर्ट की गई राशियों और प्रस्तुत वर्षों के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करती हैं। कुछ अनुमानों के लिए अन्य की तुलना में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रबंधन उपलब्ध जानकारी और अपने अनुभव के आधार पर अपने सभी अनुमानों और निर्णयों का निरंतर मूल्यांकन करता है और मानता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात या साकार होते हैं।

वित्तीय विवरणों की तिथि पर अनिश्चितता के आकलन के प्रमुख स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकते हैं, निवेशों की हानि, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में हैं।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का उपयोगी जीवन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा करती है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि पूंजीकरण की आवश्यकता हो और परिसंपत्ति के किस घटक को पूंजीकृत किया जा सकता है। उपयोगी जीवन के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधियों में मूल्यहास व्यय में परिवर्तन हो सकता है। यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो भविष्य की अवधियों के लिए मूल्यहास/परिशोधन को संशोधित किया जाता है।

ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर मदों के तत्वों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं। इसके लिए नीति नोट 1.25 में स्पष्ट की गई है।

ग) पट्टे

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के रूप में योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरणों सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करती है।

वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टा व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों के आकलन पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण, पट्टेदार का क्रय विकल्प और ऐसे विकल्प के प्रयोग की अनुमानित निश्चितता, संपत्ति के आर्थिक जीवन में पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे पर दी गई संपत्ति की विशिष्ट प्रकृति की सीमा।

इसकी नीति नोट 1.30 में स्पष्ट की गई है।

घ) अग्रिमों/प्राप्य राशियों की वसूली योग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्य राशियों की वसूली योग्यता के आकलन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है। इसकी पहचान के लिए विवेक और अनुमानों का उपयोग आवश्यक है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, अपेक्षित अवधि में देखी गई ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्य राशियों और अग्रिम राशियों पर अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करता है।



ड) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधान तब माना जाता है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उसके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि वित्तीय विवरणों में एक नोट के रूप में प्रकट किया जाता है।

च) रोज़गार-पश्चात लाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों का मापन परियोजना इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है, जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ छूट दरों, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर में भविष्य के विकास से संबंधित मान्यताएँ शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए प्रयुक्त धारणाएँ उचित एवं प्रलेखित हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

छ) असूचीबद्ध निवेशों की क्षति

कंपनी अपने निवेशों के वहन मूल्य की समीक्षा वार्षिक रूप से करती है, या जब क्षति के संकेत मिलते हैं, तो अधिक बार करती है। यदि वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो हानि का लेखा-जोखा लिया जाता है।

झ) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का हानि परीक्षण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

ज) व्यापारिक प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम

संदिग्ध व्यापारिक प्राप्य/ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब देय राशि की अवधि की परवाह किए बिना वसूली की अनिश्चितता हो और जब वसूली न हो पाने की पुष्टि हो जाए तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.3 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

1.4 राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और नोटों में प्रकट की गई सभी राशियों को निकटतम लाखों में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि अन्यथा इंगित किया गया हो।



1.5 राजस्व मान्यता

- क) किराया संग्रह से आय की पहचान टिकटों की बिक्री, ट्रिप पास की बिक्री, स्मार्ट कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के मौद्रिक मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर की जाती है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि में रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट और रियायतें शामिल नहीं हैं।
- ख) संपत्ति के लाइसेंस से आय/भूमि सहित संपत्ति से किराये की आय की पहचान लाइसेंसधारी/पट्टेदार के साथ अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार की जाती है और लाइसेंसिंग शर्तों के दौरान उपार्जन के आधार पर इसका लेखा किया जाता है।
- ग) स्कैप की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशियाँ रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट, वस्तु एवं सेवा कर और तृतीय पक्षों की ओर से एकत्रित राशियों को घटाकर प्राप्त की जाती हैं। कंपनी राजस्व की पहचान तब करती है जब राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना होती है कि भविष्य में आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे।
- घ) ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके प्रोद्धव आधार पर मान्यता दी जाती है।
- ङ) परामर्श सेवाओं से प्राप्त आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ अनुबंधों में अन्यथा प्रावधान हो।
- च) अन्य आय को प्रोद्धव आधार पर मान्यता दी जाती है।
- छ) खातों में देय अघोषित बयाना राशि जमा (ईएमडी) जो तीन वर्ष से अधिक पुरानी है, उसे आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर) उनकी अधिग्रहण लागत/ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाए गए हैं। कंपनी सकल वहन राशि निर्धारित करने के लिए लागत मॉडल अपना रही है।

स्थायी परिसंपत्ति की लागत में उसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क और अन्य करों सहित, वसूली योग्य करों को घटाकर, और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर प्रत्यक्ष रूप से देय व्यय शामिल है।

निक्षेप कार्यों/अनुबंधों को निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर और उसके अभाव में, निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूरा होने पर पूंजीकृत किया जाता है। लागत में योग्य अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित उधारों पर ब्याज भी शामिल है, जो परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक और किसी भी व्यापारिक छूट, रियायतों और अन्य आकस्मिक खर्चों को घटाकर और वस्तु को तोड़ने, हटाने और उस स्थान को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, यदि कोई हो, शामिल है। उपयोग में लाई गई परिसंपत्ति के मामले में, जहां बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है, जो अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

एक वर्ष से अधिक उपयोगी जीवन वाले पुर्जों को संबंधित मदों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के पुर्जों का उपयोगी जीवन अलग-अलग होता है, तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में लेखांकित किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित प्रतिस्थापन पुर्जों/प्रमुख निरीक्षण की लागत को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

जनता के लिए खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्तियों का पूंजीकरण प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार और ऐसे खंड के उद्घाटन के लिए "मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त" द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रकार से पूर्णता सुनिश्चित करने के बाद किया जाता है।



प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत "पूँजीगत अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसी तिथि से पहले उपयोग में नहीं लाई गई परिसंपत्तियों की लागत को "प्रगतिशील पूँजीगत कार्य" के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित अनुवर्ती व्यय केवल तभी पूँजीकृत किए जाते हैं जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सके। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव, उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं जिसमें वे किए गए हैं।

परिसंपत्ति की बिक्री या सेवानिवृत्ति पर लागत और संबंधित संचित मूल्यहास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

1.7 अमूर्त संपत्तियाँ

अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और क्षति घटाकर दर्शाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन काल में, उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

ब्रांडिंग लागत को अमूर्त संपत्ति के रूप में पूँजीकृत किया जाता है और पाँच वर्षों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

रेलवे को उपयोग के अधिकार (अनुमति) के लिए भुगतान की गई राशि, जो रेलवे को वे लीव शुल्क है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पूँजीकृत किया जाता है और सत्तर वर्षों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

रेस्को मॉडल के तहत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और 25 वर्षों की अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया गया है।

सॉफ्टवेयर की लागत, जो आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूँजीकृत किया जाता है तथा पांच वर्षों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1.8 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जो किराया अर्जित करने और/या पूँजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी जाती हैं। निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन प्रारंभ में उनकी लागत पर किया जाता है, जिसमें लेन-देन लागत शामिल होगी। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 16 की लागत मॉडल की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, अर्थात् लागत में से संचित मूल्यहास और हानि हानि घटाकर। किसी निवेश संपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है या जब निवेश संपत्ति स्थायी रूप से उपयोग से हटा ली जाती है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में शामिल की जाती है जब संपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है। सेवाओं के प्रावधान में उपयोग के लिए और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति (भूमि और भवन) के मामले में, किराया अर्जित करने के लिए किराए पर देने के साथ-साथ, इसे निवेश संपत्ति तभी माना जाता है जब इसका एक छोटा सा हिस्सा सेवाओं के प्रावधान में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है या इसे अलग से बेचा जा सकता है।

1.9 प्रगतिरत पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) और विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ।

तुलन पत्र की तिथि पर निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिरत पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में दर्शाया गया है। निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय को पूँजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्ज किए जाते हैं। सामान्य व्यय और बाह्य उधारों पर ब्याज, जो निर्माण गतिविधियों से सीधे संबंधित हैं, लेकिन कार्य के एक से अधिक घटकों से संबंधित हैं, उन्हें निर्माण के दौरान व्यय के रूप में सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें निर्माण पूरा होने पर विभिन्न संपत्तियों में आवंटित किया जाता है। मूल्य परिवर्तन सहित दावों का लेखा स्वीकृतियों पर किया जाता है।

निक्षेप कार्यों/अनुबंधों के रूप में निष्पादित परियोजनाओं के लिए प्रगतिरत कार्यों को निष्पादन एजेंसी से प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर और उसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे कि अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज (इक्विटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से प्राप्त निधियों के अस्थायी उपयोग से भिन्न), ठेकेदार को अग्रिम जुटाने पर ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को सीडब्ल्यूआईपी के व्यय में समायोजित किया जाता है।

परियोजना से सीधे संबंधित प्रशासनिक और सामान्य उपरिव्यय (आय घटाकर) पूँजीकृत परिसंपत्तियों की लागत और सीडब्ल्यूआईपी की कुल लागत के अनुपात में आवंटित किए जाते हैं।

1.10 भूमि

ज़िला कलेक्टर के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिगृहीत भूमि के भूखंडों का मूल्य, ज़िला कलेक्टर के तत्वावधान में कार्यरत भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर, कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, पूँजीकृत किया गया है। कब्जे में भूमि से संबंधित लागत या मुआवजे के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतान / प्रदान की गई देयता को भूमि की लागत माना जाता है। निर्माण के लिए सौंपी गई भूमि, जो विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों की है, का मूल्य पूँजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि देय राशि और अन्य शर्तें अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं और इसलिए उनका निर्धारण नहीं किया जा सका है।

“भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” के अंतर्गत यदि कोई बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया है, तो उसे भुगतान के समय भूमि की लागत के रूप में दर्ज किया जाएगा और माना जाएगा क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भूमि में संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत और भूमि भराव व्यय भूमि की लागत में जोड़े जाते हैं।

राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास होता है, को सरकारी आदेश के आधार पर तथा भूमि के बाजार मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसकी गणना “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 26 के आधार पर की जाती है तथा भूमि का कब्जा सौंपते समय इसे भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान माना जाता है।

1.11 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर परिसंपत्तियों के अग्रणीत मूल्यों की, यदि कोई हो, क्षति के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी क्षति का कोई संकेत मौजूद है, तो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और क्षति की पहचान की जाती है। मान्यता प्राप्त क्षति हानि उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज की जाती है जिसमें परिसंपत्ति की क्षति के रूप में पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान लागत और उपयोग मूल्य को घटाकर जो भी अधिक हो, वह होती है। क्षति के बाद, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल में उसकी संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त क्षति हानि को बढ़ाया या उलटा किया जा सकता है। हालाँकि, उलटने के



बाद अग्रणीत मूल्य, उस अग्रणीत मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है जो सामान्य मूल्यहास लगाकर, यदि कोई क्षति न होती, लागू होता।

1.12 इन्वेंटरी

ढीले औज़ारों सहित इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत के आधार पर निर्धारित लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

1.13 संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब देय राशि की अवधि की परवाह किए बिना वसूली की अनिश्चितता हो और वसूली न होने की पुष्टि होने पर उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.14 बीमा संबंधी दावे

बीमा संबंधी दावों को बीमा कंपनी द्वारा दावों की स्वीकृति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.15 मूल्यहास और परिशोधन

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है, सिवाय कुछ परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों के घटकों के मामले में जहाँ उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यहास प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा के आधार पर, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई भी वस्तु, और उसका कोई भी महत्वपूर्ण भाग, जिसे प्रारंभ में मान्यता प्राप्त थी, निपटान के समय या जब उसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति की अमान्यता से होने वाला कोई भी लाभ/हानि, परिसंपत्ति की अमान्यता के समय लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।
- परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन, जहाँ कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन और चरण I परिसंपत्तियों को सौंपते समय डीएमआरसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया जाता है, निम्नानुसार है:

परिसंपत्ति का विवरण	परिसंपत्ति का उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में)
भवन की थीम (उप-परिसंपत्तियाँ)	10
रोलिंग स्टॉक	30
रोलिंग स्टॉक के घटक	18
एस्केलेटर और लिफ्ट	
लिफ्ट	30
लिफ्ट के अन्य घटक	20
एस्केलेटर	30
एस्केलेटर के अन्य घटक	15
यूपीएस बैटरी के घटक	10
ए प्रकार की सीढ़ी - 4 मीटर ऊँची	2
स्काडा सर्वर (मुख्य और स्टैंडबाय)	3
कम मूल्य की संपत्तियाँ (प्रति वस्तु 5,000 रुपये से कम)	1

परिसंपत्ति का विवरण	परिसंपत्ति का उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में)
रेलवे के लिए वे लीव शुल्क *	70
ब्रांडिंग	5
वायडक्ट, पुल, सुरंग और पुलिया	60
सीसीटीवी	6
सौर पैनल	25
पेवर ब्लॉक रोड/बिटुमिन रोड, (आंतरिक)	10
सौर ऊर्जा क्रय अधिकार **	25

- v. सभी परिसंपत्तियों (सड़क और अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर) के लिए 5% का अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखा गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुरूप है।
- vi. 50,000/- रुपये या उससे कम मूल्य वाली संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों (कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों) का क्रय वर्ष में पूर्णतः मूल्यहास/परिशोधन किया जाता है।
- vii. घटकों का अधिकतम जीवनकाल मुख्य परिसंपत्ति के जीवनकाल तक सीमित रखा गया है।
- viii. जिन वस्तुओं का स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, उन पर व्यय उस वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है जिस वर्ष ऐसा व्यय किया गया था।
- ix. अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनके उपयोगी जीवनकाल के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर, उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, व्यवस्थित आधार पर किया जाता है।
- x. रेलवे को भुगतान किए गए मार्ग-त्याग शुल्क को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है और 70 वर्षों (*) की अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।
- xi. रेस्को मॉडल के अंतर्गत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना हेतु उपलब्धि-संबंधी प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और 25 वर्षों की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के अनुसार परिशोधित किया गया है (**).
- xii. कार्यालय उपकरणों के अंतर्गत आने वाले मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन काल तीन वर्ष अनुमानित है।
- xiii. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यहास पद्धति की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो उन्हें भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

1.16 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को स्थगित कर दिया जाता है और उन्हें लाभ-हानि विवरण में उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जो उन्हें उन लागतों से मेल खाने के लिए आवश्यक है जिनकी भरपाई के लिए उन्हें बनाया गया है और अन्य आय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

जब कंपनी को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों का अनुदान प्राप्त होता है, तो परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन काल के दौरान लाभ-हानि विवरण में जारी किया जाता है।

जब सरकार या संबंधित संस्थाओं द्वारा ऋण या इसी तरह की सहायता, वर्तमान लागू बाजार दर से कम ब्याज दर पर या ब्याज मुक्त प्रदान की जाती है, तो बाजार दर से कम/ब्याज मुक्त लाभ को भारतीय लेखा मानक 109 और भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक वहन मूल्य और प्राप्त आय के लेनदेन मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है।



लाभ को तुलन पत्र में "अन्य इक्विटी" के तहत आस्थगित आय के रूप में मौद्रिक अनुदान की स्थापना करके प्रस्तुत किया जाता है और इसे भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार ऋण बकाया रहने की अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। इसके बाद ऋण को वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है।

1.17 चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को नीचे दर्शाए गए तरीके से चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है;

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित हो, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो, या
- नकद या नकद समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक विनिमय या किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

किसी देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

- सामान्य परिचालन चक्र में निपटान की उम्मीद है, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटान किया जाना है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू माना जाएगा।

1.18 बिक्री हेतु धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी किसी गैर-चालू परिसंपत्ति को बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उसकी अग्रणीत राशि मुख्यतः बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और उसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना हो।

बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत, बंद परिचालनों सहित गैर-चालू परिसंपत्तियों को अग्रणीत राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर जो भी कम हो, पर मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत हो जाने पर, इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास या परिशोधन नहीं लगता है।

बंद परिचालनों की बिक्री या पुनर्मापन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल पंक्ति मद के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

1.19 परिचालन चक्र

कंपनी की परिचालन गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकदी या नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने निर्धारित किया है।

1.20 वित्तीय उपकरण

क) प्रारंभिक मान्यता, मापन और मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब होती है जब कंपनी इन उपकरणों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें शुरू में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब वह समाप्त, मुक्त, रद्द या समाप्त हो जाती है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य से, प्रारंभिक मापन/मान्यता के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

परिशोधित लागत पर मापन किया जाएगा और;

बाद में उचित मूल्य (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ-हानि विवरण के माध्यम से) पर मापन किया जाएगा।

ग) वित्तीय परिसंपत्तियों की मूल्यहास:

व्यापार प्राप्य पर मूल्यहास हानि की पहचान अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके की जाती है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अनुमत ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव के आधार पर निर्मित प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल होता है और इसे भविष्यदर्शी जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है। निवेश पर मूल्यहास हानि की पहचान तब की जाती है जब वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित ऋण हानि की पहचान संविदात्मक नकदी प्रवाह और सभी अपेक्षित नकदी प्रवाहों के बीच के अंतर के आधार पर की जाती है।

घ) वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियों को छोड़कर, वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके परिशोधित लागत पर अनुवर्ती मापन किया जाता है।

1.21 निवेश

ऐसे निवेश जो आसानी से वसूल किए जा सकते हैं और जिन्हें उनके किए जाने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय तक धारण करने का इरादा है, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश, व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित लागत और उचित मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किए जाते हैं। दीर्घकालिक निवेश, लागत पर किए जाते हैं। हालाँकि, अस्थायी निवेशों को छोड़कर, निवेशों के मूल्य में कमी के प्रावधान को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को इंड एस 27 - पृथक वित्तीय विवरणों के अनुसार लागत पर मापा जाता है।

1.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

किसी प्रावधान को तभी मान्यता दी जाती है जब,



- क) कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो।
- ख) यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
- ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों को तुलन पत्र की तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा निम्नलिखित मामलों में किया जाता है,

- क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
- ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव न हो।

आकस्मिक देनदारियों का आकलन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है। ऐसी देनदारियों का खुलासा नोटों में किया जाता है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इनका प्रावधान नहीं किया जाता है। हालाँकि कानूनी कार्यवाही के अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है, कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इनका हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कंपनी आकस्मिक देनदारी को मान्यता नहीं देती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है।

आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं होती हैं। कंपनी किसी आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में उसके अस्तित्व का खुलासा करती है, जहां आर्थिक लाभ का आगमन संभावित होता है।

1.23 प्रतिबद्धताएँ

प्रतिबद्धताएँ संविदात्मक व्यय के लिए भावी देयताएँ हैं। प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और प्रकट किया जाता है:

- क) पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
- ख) अन्य गैर-रद्द करने योग्य प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, तो प्रबंधन की राय में उन्हें महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जाता है।

1.24 पूर्व अवधि समायोजन

त्रुटियों के कारण 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के पूर्व अवधि समायोजन, जिनका कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उन्हें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करके पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिनमें त्रुटि हुई थी या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक पूर्व अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनः प्रस्तुत करके।

1.25 कराधान

आयकर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान और आस्थगित करों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ

वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित करों को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

चालू कर

चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर तथा आकलन/अपील के अपेक्षित परिणाम के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर की पहचान बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके की जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतरों के लिए प्रावधान करती है। आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद होती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहाँ भविष्य में कर लाभ प्राप्त होने की संभावना हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

चालू कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब इकाई के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और वह या तो निवल आधार पर निपटान करना चाहती हो, या परिसंपत्ति का समायोजन और देनदारियों का एक साथ निपटान करना चाहती हो।

1.26 विदेशी मुद्रा लेनदेन/अनुवाद

इकाई के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा ("कार्यात्मक मुद्रा") का उपयोग करके किया जाता है जिसमें इकाई संचालित होती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ("INR") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किए जाते हैं।

वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा अनुबंधों द्वारा कवर न की गई मौद्रिक मदों का अनुवाद "वर्षांत विनिमय दरों" पर किया जाता है, जबकि अग्रिम विनिमय अनुबंधों द्वारा कवर की गई मदों का निर्धारण उनके संबंधित अनुबंधों द्वारा किया जाता है। दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों सहित सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अनुवाद/निपटान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, सिवाय IND AS 101 में दी गई स्वैच्छिक छूट के आधार पर IND AS 21 के तहत प्रदान किए गए दायरे के बहिष्करण को छोड़कर।

1.27 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों ही अपने कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर मासिक अंशदान करते हैं। यह अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है।



भविष्य निधि योजनाओं के अंतर्गत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत भी आते हैं। उपरोक्त भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों से कोई अंशदान नहीं लिया जाता है और नियोक्ता के अंशदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान: पात्र कर्मचारियों के लिए चालू वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपदान का प्रावधान किया जाता है।

अर्जित और अर्ध-वेतन अवकाश: कंपनी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है। संबंधित देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी स्वीकृत नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर और भारत में किसी भी स्थान की वास्तविक यात्रा के खर्चों को पूरा करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किए गए सभी कर्मचारी लाभ दायित्वों को परियोजना इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित मान्यताएँ शामिल होती हैं।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को नियोजन लाभ

अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को मिलने वाले कर्मचारी लाभ, उनके संबंधित मूल संगठन/नियोक्ता को उनके निर्देशानुसार विदेश सेवा अंशदान (एफएससी) के रूप में भुगतान किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में देय ऐसे लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान का अनुमान लगाया जाता है और उसका प्रावधान किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक 19 के अंतर्गत - परिभाषित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना बीमांकिकों द्वारा प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके प्रतिवर्ष की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाहों को घटाकर निर्धारित किया जाता है।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निवल परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है। निवल परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर निवल ब्याज आय/(व्यय) को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

बीमांकिक मान्यताओं और अनुभव समायोजनों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से घटित होते हैं।

1.28 वित्तीय लागत

वित्तीय लागतों में उधार पर ब्याज लागत, लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ या हानि, और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय अंतर शामिल हैं, जहाँ तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन माना जाता है।

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित निधियों के उधार से संबंधित लागतों को, योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तिथि तक की अवधि के लिए, योग्य परिसंपत्तियों में आवंटित किया जाता है। ऐसे उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, योग्य परिसंपत्तियों पर उनके व्यय लंबित रहने तक, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से घटा दी जाती है। इसके बाद, उधार लागत को लाभ-हानि विवरण में जोड़ दिया जाता है।

योग्य परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है।

1.29 निर्माण के दौरान ब्याज का आवंटन

उधार लागत, जो किसी योग्य परिसंपत्ति के निर्माण/उत्पादन से सीधे संबंधित उधार पर ब्याज है, को भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार उस परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान कमीशन की गई योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज, कमीशन की गई परिसंपत्तियों के मूल्य और कमीशनिंग के महीने के अंत में प्रगतिरत योग्य पूंजीगत कार्य के मूल्य के अनुपात में आवंटित किया जाता है।

1.30 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि पर, कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए, जिनमें वह पट्टेदार है, एक पट्टा देयता और एक संगत उपयोग-अधिकार ("आरओयू") परिसंपत्ति को मान्यता देती है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के। इन अल्पकालिक और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है। उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में से किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर शामिल होता है। बाद में, इन्हें लागत में से संचित मूल्यहास और हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर मापा जाता है। उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यहास आरंभ तिथि से सीधी रेखा आधार पर पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। लीज़ भुगतानों को लीज़ में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित न किया जा सके, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। लीज़ देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए वहन राशि बढ़ाकर और किए गए लीज़ भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि घटाकर, लीज़ देयता का पुनर्मापन किया जाता है। लीज़ अवधि में परिवर्तन या लीज़ भुगतान निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में परिवर्तन जैसी कुछ घटनाओं के घटित होने पर लीज़ देयता का पुनर्मापन किया जाता है। पुनर्मापन में आमतौर पर लीज़ पर ली गई संपत्तियों का भी समायोजन किया जाता है।

लीज़ देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है और लीज़ भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टाकर्ता के रूप में:

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकर्ता है, उन्हें वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती हैं, तो संविदा को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.31 खंड रिपोर्टिंग

कंपनी का केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड है, जो मेट्रो रेल प्रणाली का विकास, संचालन और रखरखाव है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों



के आधार पर एकल परिचालन खंड में संचालित होता है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली राशियाँ कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित हैं।

1.32 नकदी और नकदी समतुल्य (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनार्थ)

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनार्थ नकदी में हाथ में नकदी, सरकारी खजाना और बैंकों में माँग जमा शामिल हैं। नकदी समतुल्य अल्पकालिक शेष राशियाँ हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे अधिक, लेकिन अधिग्रहण की तिथि से बारह महीने से कम होती है, अत्यधिक तरल निवेश जो आसानी से ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित हो सकते हैं और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

1.33 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 7 में 'नकदी प्रवाह विवरण' पर निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.34 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के निवल लाभ या हानि को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनु आय की गणना के प्रयोजन के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।



राशि (लाख रुपए में)

नोट 2क : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण												
विवरण	सकल ब्याक						मूल्यहास/परिशोधन/हास				निवल ब्याक	
	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समाप्तो जन	वर्ष के दौरान निपटान/समाप्तो जन	31 मार्च 2025 तक	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समाप्तो जन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	
भूमि (फ्रीहोल्ड) (नोट 2.1 देखें)	1040 80.77	57 90.52	-	1098 71.29	-	-	-	-	-	1098 71.29	1040 80.77	
भवन	1642 50.94	35 79.82	-	1678 30.76	139 63.60	32 19.63	-	171 83.23	1506 47.53	1506 47.53	1502 87.34	
अस्थायी संरचनाएँ	8.30	-	-	8.30	6.85	0.45	-	7.30	1.00	1.00	1.45	
पुल, सुरंग और पुलिया	2469 98.11	-	-	2469 98.10	292 91.43	37 42.11	-	330 33.54	2139 64.56	2139 64.56	2177 06.68	
संयंत्र और मशीनरी	93 20.24	0.01	0.37	93 44.28	48 57.56	6 99.06	0.12	55 56.50	37 87.78	37 87.78	44 62.68	
रोलिंग स्टॉक	791 14.45	24.41	-	791 14.46	168 15.38	28 78.68	-	196 94.06	594 20.40	594 20.40	622 99.07	
एस्केलेटर और लिफ्ट	128 07.46	0.01	-	134 31.96	29 71.75	5 37.24	-	35 08.99	99 22.97	99 22.97	98 35.71	
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	235 20.45	62.45	-	235 20.84	87 98.04	17 98.50	-	105 96.54	129 24.30	129 24.30	147 22.41	
सड़कें	12 80.73	0.39	-	13 81.97	8 42.61	1 28.63	-	9 71.24	4 10.73	4 10.73	4 38.12	
बाड़, कुएँ, नलकूप	1 90.58	101.24	-	1 90.58	1 68.48	10.84	-	1 79.32	11.26	11.26	22.10	
कंप्यूटर	81 79.90	30.83	-	82 10.73	70 72.64	2 86.97	-	73 59.61	8 51.12	8 51.12	11 07.26	
विद्युत उपकरण	413 99.68	511.50	-	419 11.18	204 72.26	39 83.17	-	244 55.43	174 55.75	174 55.75	209 27.42	
केबल और नलिकाएँ	125 83.09	127.83	-	127 10.92	34 01.42	6 69.28	-	40 70.70	86 40.22	86 40.22	91 81.67	
स्विचिंग केंद्र	36 12.58	27.11	-	36 39.69	12 58.16	2 67.77	-	15 25.93	21 13.76	21 13.76	23 54.42	
फर्नीचर और फिक्स्चर	15 35.99	55.67	-	15 91.66	7 31.35	1 34.46	-	8 65.81	7 25.85	7 25.85	8 04.64	
कार्यालय उपकरण	45 40.59	77.82	9.35	46 09.06	26 25.87	4 05.90	8.81	30 22.96	15 86.10	15 86.10	19 14.72	
कम मूल्य की संपत्तियाँ	6 21.16	8.82	-	6 29.98	6 21.16	8.82	-	6 29.98	.00	.00	-	
वाहन	3 99.11	1,449.45	-	1848.56	98.34	1 03.42	-	201.76	16 46.80	16 46.80	300.77	
कुल	7144 44.13	124 09.91	9.72	7268 44.32	1139 96.90	188 74.93	8.93	1328 62.90	5939 81.42	5939 81.42	6004 47.23	



विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास/परिशोधन/हास				निवल ब्लाक		
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समाप्तो जन	वर्ष के दौरान निपटान/समाप्तो जन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समाप्तो जन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भूमि (प्रीहोल्ड) (नोट 2.1 देखें)	1056 84.39	-13 45.61	258.01	1040 80.77	-	-	-	1040 80.77	1056 84.39	
भवन	1514 84.08	127 66.86	-	1642 50.94	111 96.35	27 67.25	-	1502 87.34	1402 87.73	
अस्थायी संरचनाएँ	6.89	1.41	-	8.30	6.76	0.09	-	1.45	.13	
पुल, सुरंग और पुलिया	2311 21.78	15,876.33	-	2469 98.11	257 82.91	35 08.52	-	2177 06.68	2053 38.87	
संयंत्र और मशीनरी	91 29.20	191.34	0.30	93 20.24	40 12.13	8 45.50	0.07	44 62.68	51 17.07	
रोलिंग स्टॉक	791 14.45	-	-	791 14.45	139 36.69	28 78.69	-	622 99.07	651 77.76	
एस्कैलेटर और लिफ्ट	123 96.48	410.98	-	128 07.46	24 55.30	5 16.45	-	98 35.71	99 41.18	
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	220 35.53	1,484.92	-	235 20.45	71 03.67	16 94.37	-	147 22.41	149 31.86	
सड़कें	12 80.73	-	-	12 80.73	7 14.54	1 28.07	-	4 38.12	5 66.19	
बाड़, कुएँ, नलकूप	1 90.58	-	-	1 90.58	1 44.39	24.09	-	22.10	46.19	
कंप्यूटर	78 66.60	-	-	81 79.90	66 90.74	3 81.90	-	11 07.26	11 75.86	
विद्युत उपकरण	391 74.89	313.30	-	413 99.68	167 01.79	37 70.47	-	209 27.42	224 73.10	
केबल और नलिकाएँ	116 17.91	2,224.79	-	125 83.09	27 82.08	6 19.34	-	91 81.67	88 35.83	
स्विचिंग केंद्र	33 42.44	965.18	-	36 12.58	10 09.88	2 48.28	-	23 54.42	23 32.56	
फर्नीचर और फिक्स्चर	14 41.07	270.14	-	15 35.99	6 02.13	1 29.86	0.64	8 04.64	8 38.94	
कार्यालय उपकरण	44 74.47	95.98	1.06	45 40.59	22 01.60	4 25.64	1.37	19 14.72	22 72.87	
कम मूल्य की संपत्तियाँ	6 12.41	67.57	1.45	6 21.16	6 12.41	8.75	-	.00	-	
वाहन	98.07	8.75	-	399.11	69.24	29.10	-	3 00.77	-	
कुल	6810 71.97	336 32.98	2 60.82	7144 44.13	960 22.61	179 76.37	2.08	6004 47.23	5850 49.36	28.83

- 2.1. कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2025 तक 38.692 हेक्टेयर निजी भूमि का कब्जा ले लिया है (पिछले वर्ष 38.085 हेक्टेयर)।
- 2.2. पूंजीकृत भूमि मूल्य, भूस्वामियों और जिला स्तरीय क्रय समिति के बीच सहमत क्रय मूल्य या "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत पारित निर्णय के अनुसार है। पूंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की लागत को ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि केरल सरकार ने सरकारी आदेश संख्या जी.ओ.(पी) संख्या 164/2014/टीडी/2353 और 2354 दिनांक 25 सितंबर 2014 के तहत इन शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान की थी और कंपनी ने इन मदों पर कोई व्यय नहीं किया।
- 2.3. सरकारी अभिलेखों में कंपनी के नाम पर निजी भूमि के पूंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। 2.541 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 161.63.77 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 2.541 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 161.63.77 लाख रुपये था)। 23.963 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 451.90.73 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 395.92.13 लाख रुपये था) और भूमि अधिग्रहण के लिए एक पचास पारित किया गया है।
- 2.4. केरल सरकार ने दिनांक 22 मई 2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी के माध्यम से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे में 17.430 एकड़ भूमि केएमआरएल को निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए सौंप दी है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार, भूमि का सरकारी मूल्य 139.30.43 लाख रुपये दर्शाया गया है।
- 2.5. विभिन्न सरकारी निकायों/विभागों/राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित 6.5617 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 6.343 हेक्टेयर) भूमि पर मेट्रो का कार्य पूर्ण/प्रागैतिक है। मूल्य, हस्तांतरण औपचारिकताओं और अन्य नियमों व शर्तों के अंतिम रूप दिए जाने तक, इन भूमि खंडों को अबल संपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।
- 2.6. गांधी भवन समिति के अध्यक्ष से अधिग्रहित भवन (भाग) के पुनर्मूल्यांकन प्रमाण पत्र के आधार पर, यदि कोई क्लेयर होती है, तो वह भूमि अधिग्रहण विभाग से भूमि का संशोधित मूल्यांकन विवरण प्राप्त होने पर प्रभावी होगी। भूमि के मूल्य में संभावित कमी 49.93 लाख रुपये है।
- 2.7. 3.33 एकड़ भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज गलती से कंपनी के नाम पर पूंजीकृत हैं और कंपनी की अचल संपत्तियों में शामिल नहीं हैं। कोचि मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इसकी लागत केरल सरकार की प्रारंभिक निधि से वहन की जा रही है।
- 2.8. केरल सरकार ने चरण 1, चरण 1A और चरण 1B के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक मंजूरी को मंजूरी देते समय, यह संकेत दिया था कि चरण 1A और चरण 1B की सभी संपत्तियां राज्य सरकार के पास निहित की जा सकती हैं। इसके अलावा, पत्र संख्या Trans-C2/43/2020-Trans दिनांक 24.05.2022 के माध्यम से सूचित किया गया था कि चरण 1A और 1B के लिए भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के बाद शर्त में संशोधन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चरण 1A और चरण 1B के लिए जारी अनुदान पर विचार किया जा रहा है। केरल सरकार द्वारा संशोधन लंबित रहने तक, कंपनी ने प्रचलित लेखा नीति के अनुसार चरण 1A और 1B की संपत्तियों का पूंजीकरण कर लिया है।
- 2.9. कार्यालय उपकरण के अंतर्गत वॉकट मोबाइल फोन के मामले में, उपयोगी जीवन तीन वर्ष अनुमानित है।
- 2.10. वर्ष 2024-25 के दौरान, जैसा कि नोट संख्या 34.19 में उल्लिखित है, कंपनी ने पिछले वर्षों के दौरान पहले से पूंजीकृत संपत्तियों के मूल्य में 14,00.56 लाख रुपये की वृद्धि दर्ज की है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व में सूचित संचित मूल्यहास का पुनर्कथन भी हुआ है, जो 192.70 लाख रुपये की वृद्धि दर्शाता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभ-हानि विवरण और इकिटी के आरंभिक शेष में क्रमशः 52.76 लाख रुपये और 139.94 लाख रुपये की वृद्धि की गई है।
- 2.11. कंपनी ने पूर्व वर्षों से संबंधित उप-संपत्तियों के स्क्रैप मूल्य में संशोधन के अनुरूप, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संचित मूल्यहास में 10,97.59 लाख रुपये की वृद्धि करके पुनर्कथन किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभ-हानि विवरण और इकिटी के आरंभिक शेष पर लगाए गए मूल्यहास को क्रमशः 1.68.78 लाख रुपये और 9,28.81 लाख रुपये की वृद्धि करके पुनर्कथन किया गया है।
- 2.12. केएमआरएल ने चरण 1 परिसंपत्ति पूंजीकरण के लिए डीएमआरसी द्वारा सौंपे गए विवरण पर भरोसा किया है और यह डीएमआरसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रमाणन के अधीन है। आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर, अबल संपत्तियों के मूल्यांकन में यदि कोई अंतर है, तो उसे वर्ष 2025-26 में मान्यता दी जाएगी।
- 2.13. एनकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 17) के विकास के तहत भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित 0.0315 हेक्टेयर भूमि के लिए 86.42 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि का कब्जा चाहा गया। कंपनी ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी, बशर्त कि NHAI LARR अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करे।
- 2.14. वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने 12409.91 लाख रुपये मूल्य की मूर्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया (पिछले वर्ष 33632.98 लाख रुपये)।



नोट 2.ख: उपयोग का अधिकार संपत्ति												
विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यहास/ परिशोधन/ हास					निवल ब्लाक
	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2025 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2025 तक	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
उपयोग का अधिकार - भूमि	25.09	649.03	-	674.12	2 59.06	-	275.85	16.79	2 59.06	-	398.27	8.30
कुल	25.09	6 49.03	.00	6 74.12	2 59.06	.00	2 75.85	16.79	2 59.06	.00	3 98.27	8.30
नोट 34.20.2 देखें												
विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यहास/ परिशोधन/ हास					निवल ब्लाक
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
उपयोग का अधिकार - भूमि	25.09	-	-	25.09	5.02	-	16.79	11.77	5.02	-	8.30	13.32
कुल	25.09	.00	.00	25.09	5.02	.00	16.79	11.77	5.02	.00	8.30	13.32

राशि (लाख रुपए में)

नोट 2.ग : पूंजीगत कार्य प्रगति पर						
विवरण	दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 1 अप्रैल 2025 तक	
चरण 1क और 1ख	49 09.60	23 76.03	72 85.63	50 36.10	22 49.53	
चरण II	19 85.51	81 02.31	100 87.82	-	100 87.82	
अन्य	8 68.91	17 72.96	26 41.87	3 81.58	22 60.29	
कुल	77 64.02	122 51.30	200 15.32	54 17.68	145 97.64	

विवरण	दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 31 मार्च 2024 तक	
चरण 1क और 1ख	252 23.87	142 05.93	394 29.80	345 20.20	49 09.60	
चरण II	6 51.50	13 34.01	19 85.51	-	19 85.51	
अन्य	7 59.36	1 35.14	8 94.50	25.59	8 68.91	
कुल	266 34.73	156 75.08	423 09.81	345 45.79	77 64.02	

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपए में)

विवरण	अवधि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएँ	31.03.2025 तक	111 52.85	14 00.07	9 07.69	11 37.03	145 97.64
	31.03.2024 तक	24 36.37	41 90.17	1 11.58	10 25.90	77 64.02
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ	31.03.2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00
	31.03.2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00



राशि (लाख रुपए में)												
नोट 3क: अन्य अमूर्त संपत्तियां												
विवरण	सकल ब्याक					मूल्यहास/परिशोधन/हास					निवल ब्याक	
	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2025 तक	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	22 22.36	33.54	14.94	22 40.96	16 85.60	2 12.30	10.00	18 87.90	3 53.06	5 36.76		
ब्रांडिंग- कोच्चि मेट्रो	61.60	-	-	61.60	61.60	-	-	61.60	-	-		
सौर ऊर्जा क्रय अधिकार	426.66	-	-	4 26.66	27.12	-	-	27.12	399.54	399.54		
रेलवे को मार्गा-त्याग शुल्क	32 82.00	-	-	32 82.00	3 87.58	-	-	3 87.58	28 94.42	28 94.42		
कुल	59 92.62	33.54	14.94	60 11.22	21 61.90	2 12.30	10.00	23 64.20	36 47.02	38 30.72		

राशि (लाख रुपए में)												
नोट 3क: अन्य अमूर्त संपत्तियां												
विवरण	सकल ब्याक					मूल्यहास/परिशोधन/हास					निवल ब्याक	
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	20 01.01	2 21.35	-	22 22.36	15 54.82	1 30.78	-	16 85.60	5 36.76	4 46.19		
ब्रांडिंग- कोच्चि मेट्रो	61.60	-	-	61.60	61.60	-	-	61.60	-	-		
सौर ऊर्जा क्रय अधिकार	426.66	-	-	4 26.66	10.05	17.07	-	27.12	399.54	416.61		
रेलवे को मार्गा-त्याग शुल्क	32 82.00	-	-	32 82.00	3 40.69	46.89	-	3 87.58	28 94.42	29 41.31		
कुल	57 71.27	2 21.35	-	59 92.62	19 67.16	1 94.74	-	21 61.90	38 30.72	38 04.11		

3.1. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 33.54 लाख रुपये मूल्य की अमूर्त संपत्तियों का पूंजीकरण किया (पिछले वर्ष 221.35 लाख रुपये)।

3.2. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2021-22 के दौरान कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के लिए रेलवे भूमि पर पूरा निर्माण हेतु दक्षिण रेलवे को रेलवे भूमि पार करने की अनुमति के रूप में वे लीव शुल्क के रूप में क्रमशः 2776 लाख रुपये और 506 लाख रुपये का भुगतान किया। यह अनुमति भूमि के प्रयोजित बाजार मूल्य के 99% के बराबर एकमुश्त भुगतान के बदले 35 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए ली गई है। अनुमति की अवधि को लापू नाममात्र शुल्क के भुगतान पर 35 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। रेलवे को भुगतान की गई राशि को अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत दर्शाया गया है और औपचारिक समझौते के निष्पादन तक 70 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

3.3. रेस्को मॉडल के अंतर्गत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना हेतु उपलब्ध-संबंधी प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और 25 वर्षों की अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाएगा।

3.4. वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्षों में पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त संपत्तियों के मूल्य में 14.73 लाख रुपये की वृद्धि दर्ज की है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व में सूचित मूल्यहास का पुनर्कथन भी हुआ है, जो 1.30 लाख रुपये की वृद्धि दर्शाता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभ-हानि विवरण और इकटिरी के आर्थिक शेष में क्रमशः 0.88 लाख रुपये और 0.42 लाख रुपये की वृद्धि की गई है।

नोट 3.ख: विकासार्थीन अमूर्त संपत्तियां					
विवरण	दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 1 अप्रैल 2025 तक
एसएपी	5.31	30.17	35.48	5.31	30.17
कुल	5.31	30.17	35.48	5.31	30.17
विवरण	दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 31 मार्च 2024 तक
एसएपी	-	5.31	5.31	-	5.31
कुल	-	5.31	5.31	.00	5.31

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विकासार्थीन अमूर्त परिसंपत्ति की आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएँ	31.03.2025 तक	30.17	.00	.00	.00	30.17
	31.03.2024 तक	5.31	.00	.00	.00	5.31
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ	31.03.2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00
	31.03.2024 तक	.00	.00	.00	.00	.00



राशि (लाख रुपये में)

नोट 4 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ- निवेश	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (अनकोटेड) में इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स (नोट संख्या 34.32 देखें) 1,27,400 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 100 रुपये, पूर्णतः प्रदत्त	1 27.40	1 27.40
घटाएँ: संचित रिज़र्व का हिस्सा	(11.75)	(8.59)
कुल	1 15.65	1 18.81

राशि (लाख रुपये में)

नोट 5: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ- वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के विरुद्ध केरल सरकार से प्राप्य (नोट संख्या 34.6 देखें)	600 84.70	598 78.96
प्रतिभूति जमा (अप्रतिभूत और अच्छा माना गया)	6 15.17	1 37.92
कुल	606 99.87	600 16.88

राशि (लाख रुपये में)

नोट 6: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
पूँजीगत अग्रिम - परियोजना के लिए (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है):		
- भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर (नोट संख्या 6.1 देखें)	128 41.16	118 00.79
- पूँजीगत अग्रिम	66 08.77	7 29.39
अग्रिम - प्रारंभिक कार्यों के लिए (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है):		
- भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर (नोट संख्या 6.2 देखें)	20 52.35	32 15.93
पूर्वदत्त व्यय	75.04	72.53
कर वापसी प्राप्तियाँ	1 27.81	2 84.20
अन्य अग्रिम	20.00	19 77.99
एमएटी क्रेडिट प्राप्तियाँ	17.44	17.44
कुल	217 42.57	180 98.27

6.1. दिनांक 31 मार्च तक मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जिला कलेक्टर को दी गई अग्रिम राशि नीचे दी गई है:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
चरण I (अलुवा से पेट्टा)	94 29.29	38 11.69
चरण Iक (पेट्टा से एसएन जंक्शन)	.95	.95
चरण Iख (एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा)	9 66.90	9 68.90
चरण II (जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक)	24 44.02	70 19.25
कुल	128 41.16	118 00.79

6.2. प्रारंभिक कार्यों और अन्य परियोजना कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु जिला कलेक्टर को अग्रिम राशि 31 मार्च तक नीचे दी गई है:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
व्यतिल्ला-पेट्टा सड़क चौड़ीकरण	5.19	5.19
नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्य - जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कक्कनाड तक इन्फो पार्क होते हुए	7 39.51	19 03.10
नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्य - सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड का चौड़ीकरण	4 06.75	4 06.74
एकीकृत जल मेट्रो परिवहन प्रणाली	9 00.90	9 00.90
कुल	20 52.35	32 15.93

नोट 7: इन्वेंटरी	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
औज़ारों का स्टॉक	291.81	330.15
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(49.32)	(47.53)
भंडार और स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक	242.49	282.62
ईंधन का स्टॉक	243.69	89.63
	4.60	.00
कुल	4 90.78	3 72.25

नोट 8: व्यापारिक प्राप्य [चालू] वित्तीय परिसंपत्तियाँ	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
असुरक्षित - अच्छा माना जाता है - सुरक्षित (नोट संख्या 34.25.2.घ देखें)	10 21.30	5 04.53
असुरक्षित - अच्छा माना जाता है - असुरक्षित (नोट संख्या 34.25.2.घ देखें)	3 20.50	2 26.94
ऋण क्षतिग्रस्त (नोट संख्या 34.25.2.ऋण देखें)	7 54.53	5 26.05
घटाएँ: ऋण क्षतिग्रस्त व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	(7 54.53)	(5 26.05)
	.00	.00
कुल	13 41.80	7 31.47

कंपनी ग्राहकों से नकद/बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षा जमा राशि एकत्र करती है। असुरक्षित सीमा तक प्राप्त राशि को अलग से दर्शाया जाता है।

नोट 9: नकद और नकद समकक्ष [चालू]	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
हाथ में नकदी	60.98	34.33
बैंकों में शेष राशि (चालू और स्वीप-इन खातों में)	184 07.28	16 13.42
बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने या उससे कम)	161 65.14	93 88.00
	346 33.40	110 35.75

नोट 10: अन्य बैंक शेष [चालू]	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक और 12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाली)	.00	6 75.56
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि *	100 22.70	38 56.70
कुल	100 22.70	45 32.26

* लोक निर्माण विभाग/केरल वाणिज्यिक कर/ऋण सेवा आरक्षित खाते में गिरवी रखी गई बैंकों में सावधि जमा

नोट 11: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ [चालू]	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
केरल सरकार से प्राप्य		
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के विरुद्ध (नोट संख्या 34.6 देखें)	283 31.12	195 10.96
- अन्य	.00	14 80.32
अप्रतिभूत, अच्छा माना जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
- अर्जित ब्याज	3 05.78	1 14.39
- अर्जित आय लेकिन देय नहीं	20.03	50.70



- प्रतिभूति जमा राशि	22 46.98	22 63.60
- अन्य कर्मचारी अग्रिम	20.86	1.07
- अन्य (सरकार से वित्तीय सहायता शामिल है - नोट संख्या 34.13 देखें)	6 10.05	5 75.25
अप्रतिभूत, संदिग्ध माना जाता है		
- अन्य	84.69	84.69
घटाएँ: अग्रिम - ऋण क्षति (नोट संख्या 34.25.2.e देखें)	(84.69)	(84.69)
	.00	.00
कुल	315 34.82	239 96.29

	राशि (लाख रुपये में)	
नोट 12 : अन्य चालू परिसंपत्तियां	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अन्य अग्रिम	28 02.76	40 59.85
पूर्व भुगतान व्यय	166.69	151.67
लीज किराया प्राप्ति	1 46.02	.00
कर वापसी प्राप्ति	2 63.46	4 98.31
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	99.80	169.36
कुल	34 78.73	48 79.19

नोट 13: बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
निपटान के लिए रखी गई संपत्तियां (नोट संख्या 34.33 देखें)	0.77	260.00
	0.77	2 60.00

नोट 14: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	संख्या	राशि (लाखों रुपये में)	संख्या	राशि (लाखों रुपये में)
प्राधिकृत				
100 रुपये प्रति शेयर के इक्विटी शेयर	21 00 00 000	2100 00.00	21 00 00 000	2100 00.00
जारी, अभिलेखित और पूर्ण चुकता				
100 रुपये प्रति शेयर के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	17 07 46 000	1707 46.00	15 07 46 000	1507 46.00

शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयर की संख्या	राशि (लाखों रुपये में)	शेयर की संख्या	राशि (लाखों रुपये में)
वर्ष की शुरुआत में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	2 00 00 000	200 00.00	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	17 07 46 000	1707 46.00	15 07 46 000	1507 46.00

14.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग %	शेयर की संख्या	होल्डिंग %
भारत के राष्ट्रपति	8 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00
केरल के राज्यपाल	8 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00

14.2 कंपनी में प्रमोटर्स द्वारा धारित शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग %	शेयर की संख्या	होल्डिंग %
भारत के राष्ट्रपति	8 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00
केरल के राज्यपाल	8 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00

14.3 कंपनी के पास 100 रुपये प्रति शेयर के सममूल्य वाले इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभार्जित शेयरों का हकदार है और कंपनी की बैठक में प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमानी राशियों, यदि कोई हो, के वितरण के बाद, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति और केरल के माननीय राज्यपाल ने क्रमशः पाँच और चार नामित निदेशकों को नामित किया है।



आस्थगित आय
मौद्रिक अनुदान

ब्याज मुक्त उप-ऋण

- भारत सरकार (नोट संख्या 34.3 देखें)	185 13.78	191 03.89
- केरल सरकार (नोट संख्या 34.3 देखें)	2399 48.53	2239 39.38
केरल सरकार - राज्य करों की प्रतिपूर्ति (नोट संख्या 15.1 देखें) (नोट संख्या 30.6 देखें)	181 99.99	189 59.42
भारत सरकार (चरण 1ए) (नोट संख्या 15.2 देखें)	42 51.51	44 21.55
	2809 13.81	2664 24.24

गैर-मौद्रिक अनुदान

केरल सरकार - फ्रीहोल्ड भूमि (नोट संख्या 15.3 देखें)	139 30.43	139 30.43
---	-----------	-----------

आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि (नोट संख्या 15.4 देखें)

भारत सरकार	140 80.00	100 00.00
केरल सरकार	90 22.00	.00

प्रतिधारित आय - लाभ-हानि विवरण में अधिशेष

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(2261 38.52)	(1815 51.94)
जोड़ें: लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ	-	(10 69.24)
जोड़ें: चालू वर्ष की कुल व्यापक आय	(430 56.65)	(435 17.34)
घटाएँ: आरंभिक शेष में पिछली अवधि के समायोजन	-	-
	(2691 95.17)	(2261 38.52)

वर्ष के अंत में शेष राशि

अन्य व्यापक आय		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(1 84.64)	(1 30.07)
जोड़ें: चालू वर्ष की कुल व्यापक आय	(74.78)	(54.57)
वर्ष के अंत में शेष राशि	(2 59.42)	(1 84.64)

कुल

	484 91.65	640 31.51
--	------------------	------------------

15.1. राज्य करों की प्रतिपूर्ति

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005- एमआरटीएस -IV दिनांक 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते समय, यह संकेत दिया गया था कि राज्य करों के लिए 237.33 लाख रुपये की राशि केरल सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तदनुसार, 3 मई 2019 के शासन आदेश (एमएस) संख्या 170/2019/वित्त के तहत, कोच्चि मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केएमआरएल/डीएमआरसी द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर की प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य सरकार ने केवीएटी और एसजीएसटी के लिए 237.33.52 लाख रुपये की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की। इस राशि को अन्य इक्विटी के अंतर्गत आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी गई है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ-हानि विवरण में स्थानांतरित कर दिया गया है।

15.2. चरण 1 के लिए भारत सरकार से अनुदान

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के आदेश संख्या के-14011/08/2019- एमआरटीएस -IV दिनांक 06 फरवरी 2023 के अनुसार, पेट्टा से एस एन जंक्शन तक कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 को मंजूरी देते समय, 710.92.00 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत में से, यह संकेत दिया गया था कि 46.74.00 लाख रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने पर भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी की जाएगी।

तदनुसार, दिनांक 28 मार्च 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी की गई। इस राशि को अन्य इक्विटी के अंतर्गत आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ-हानि विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

15.3. केरल सरकार से गैर-मौद्रिक अनुदान

केरल सरकार ने दिनांक 22 मई 2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी के माध्यम से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे वाली भूमि को उक्त भूमि पर संपत्ति विकास कार्य हेतु केएमआरएल को निःशुल्क रजिस्ट्रीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की। 17.430 एकड़ भूमि मार्च 2020 में कंपनी को रजिस्ट्रीकृत की गई थी। भूमि के इस टुकड़े का मूल्य भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान माना जाता है।

केरल सरकार ने दिनांक 24.06.2022 के सरकारी आदेश संख्या 169/2022/आरडी के माध्यम से संपत्ति विकास परियोजना हेतु कक्कनाड में पीडब्ल्यूडी विभाग की अतिरिक्त 14 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की। यह भूमि अभी तक कंपनी को रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है।

15.4. आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, भारत सरकार (जीओ आई) और केरल सरकार (जीओके) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। दोनों सरकारों के पास 50-50% इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर अंशदान चरणों में जारी किया जा रहा है और सरकारों की समान शेयरधारिता बनाए रखने के लिए, अतिरिक्त शेयर आवेदन राशि को शेयर आवेदन राशि के रूप में तब तक रखा जाएगा जब तक कि अन्य संबंधित सरकारों से समान अंशदान प्राप्त न हो जाए।

100 रुपये प्रति शेयर के सममूल्य इक्विटी शेयर, मौजूदा शेयरों के समान सभी अधिकार रखने वाले शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे, और इस प्रकार जारी किए जाएंगे कि दोनों सरकारों की इक्विटी होल्डिंग का अनुपात समान हो। 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार से प्राप्त आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के विरुद्ध इक्विटी शेयर, 12.03.2025 को जीओके से समान अंशदान प्राप्त होने पर 21.03.2025 को जारी किए गए। 25.03.2025 को भारत सरकार से 90.22 करोड़ रुपये और 26.03.2025 को भारत सरकार से 140.80 करोड़ रुपये शेयर आवेदन राशि के रूप में प्राप्त हुए। प्राप्त योगदान के बराबर शेयरों का आवंटन आगामी बोर्ड बैठकों में किया जाएगा। कंपनी के पास शेयर आवेदन राशि के विरुद्ध शेयर आवंटन से प्राप्त शेयर पूंजी राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त अधिकृत शेयर पूंजी है।

	राशि (लाख रुपये में)	
नोट 16.क: उधार [गैर चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (नोट संख्या 34.5 देखें)	2030 32.31	2101 67.74
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थानों से (नोट संख्या 34.5 देखें)	556 18.49	505 33.11
पास-श्रु सहायता - भारत सरकार (नोट संख्या 34.7 देखें)	966 85.07	953 44.21
ब्याज मुक्त सबऑर्डिनेट ऋण (असुरक्षित) (नोट संख्या 34.3 देखें)		
भारत सरकार	248 50.00	248 50.00
केरल सरकार	3352 49.11	3024 68.11
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन	(2,58,462.31)	(2,43,043.27)
	1016 36.80	842 74.84
कुल	4569 72.67	4403 19.90

	राशि (लाख रुपये में)	
नोट 16ख : पट्टा देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
पट्टा देयता (नोट संख्या 34.20.2 देखें)	.00	4.13
पट्टा देयता (नोट संख्या 34.20.2 देखें)	.00	4.13

	राशि (लाख रुपये में)	
नोट 17: अन्य वित्तीय देनदारियां [गैर चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
केरल सरकार से प्राप्त ऋण सेवा आरक्षित निधि	30 00.00	.00
केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण पर देय ब्याज	10 07.45	20 14.90
प्रतिभूति जमा	9 14.19	6 28.74
प्रतिधारण	4 64.54	5 08.96
कुल	53 86.18	31 52.60

	राशि (लाख रुपये में)	
नोट 18 : प्रावधान [गैर-चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान (नोट संख्या 34.8 और 34.9 देखें)		
उपादान का प्रावधान	13 90.91	11 26.78
अर्जित अवकाश का प्रावधान	11 83.30	10 38.51
अर्ध-वेतन अवकाश का प्रावधान	3 82.30	3 11.36
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	1 20.83	79.23
कुल	30 77.34	25 55.88



	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नोट 19: आस्थगित कर देयताएं [गैर चालू]		
आस्थगित कर देयताएँ (नोट संख्या 34.15 देखें)		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के बही शेष और कर शेष के बीच अंतर पर	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति (नोट संख्या 34.15 देखें)		
अनवशोषित मूल्यहास और हानि	-	-
कुल	-	-

	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नोट 20: अन्य गैर चालू देयताएं		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	3 17.85	3 78.44
आस्थगित उचित मूल्यांकन - लाभ (प्रतिभूति जमा राशि)	14 10.66	14 40.31
कुल	17 28.51	18 18.75

	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नोट 21.क : उधार [चालू]		
चालू और बकाया नहीं:		
अवधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (नोट संख्या 34.5 देखें)	114 99.75	74 00.00
अवधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थानों से (नोट संख्या 34.5 देखें)	72 28.00	72 28.00
पास-श्रु सहायता - भारत सरकार (नोट संख्या 34.7 देखें)	77 93.66	66 35.54
कार्यशील पूंजी ऋण - केनरा बैंक (सुरक्षित) (नोट संख्या 34.5 देखें)	33 19.55	26 32.05
कुल	298 40.96	238 95.59

	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नोट 21.ख : पट्टा देयताएं [चालू]		
पट्टा देयता (नोट संख्या 34.20.2 देखें)	4 62.93	5.46
कुल	4 62.93	5.46

	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नोट 22 : व्यापार देय [चालू]		
व्यापार देय (नोट संख्या 34.31 देखें)		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	57.92	11.70
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	12 51.17	11 98.10
कुल	13 09.09	12 09.80

	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नोट 23: अन्य वित्तीय देयताएं [चालू]		
चालू और देय नहीं:		
उधार पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	20 11.16	20 91.74
अप्रतिभूत राशि		
- प्रतिधारण	24 69.69	20 07.36
- प्राप्त व्यापार/प्रतिभूति जमा राशि	6 86.65	5 53.77
- भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	72 14.22	58 81.33
- अन्य;		

- परियोजना संबंधी देयताएँ (बाह्य परियोजना देयताओं सहित)	123 00.16	184 75.28
- भारत सरकार	195 35.26	62 24.39
- केरल सरकार (नोट संख्या 34.12 देखें)	139 46.85	108 51.20
- अन्य	10 20.09	9 36.37
कुल	591 84.08	470 21.44

राशि (लाख रुपये में)

नोट 24: अन्य चालू देयताएं	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सांविधिक भुगतान	5 93.20	5 65.36
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	13 30.40	11 58.76
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ (सुरक्षा जमा)	1 18.26	90.89
कुल	20 41.86	18 15.01

राशि (लाख रुपये में)

नोट 25 : प्रावधान [चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट संख्या 34.8 और 34.9 देखें)		
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	1 10.70	88.09
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	1 87.51	1 49.32
अर्ध-वेतन अवकाश के लिए प्रावधान	33.45	29.14
छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	32.12	21.06
कुल	3 63.78	2 87.61



नोट 26: परिचालन से राजस्व	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ट्रेन संचालन से राजस्व	111 88.19	99 88.14
गैर-किराया बॉक्स राजस्व	55 41.27	51 41.96
कुल	167 29.46	151 30.10

नोट 27: अन्य आय	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों पर लाभ)	82 15.10	68 34.06
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से)	9 29.47	8 80.02
बाह्य परियोजना परामर्श आय	1 56.09	2 23.30
बैंक जमा पर ब्याज	9 20.61	12 54.36
अन्य गैर-परिचालन आय (नोट संख्या 27.1 देखें)	4 31.44	2 15.20
प्रतिभूति जमा राशि की समाप्ति से आय	1 43.60	1 03.85
कुल	107 96.31	95 10.79

27.1 अन्य गैर परिचालन आय :

आवेदन/निविदा प्रसंस्करण शुल्क	13.46	33.06
अन्य ब्याज	68.65	8.84
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (नोट संख्या 34.33 देखें)	1 24.12	.00
अन्य	2 25.21	1 73.30
कुल	4 31.44	2 15.20

नोट 28: परिचालन व्यय	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहक सुविधा व्यय	16 96.97	15 26.29
बिजली और पानी का शुल्क	22 47.17	21 44.11
सुरक्षा और अन्य आउटसोर्स व्यय	12 55.71	12 50.76
कमीशन	5 28.08	4 71.44
अन्य परिचालन व्यय	63.22	94.99
कुल	57 91.15	54 87.59

नोट 29: कर्मचारी लाभ व्यय	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	50 54.37	45 68.61
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	4 17.64	3 82.98
उपादान व्यय (नोट संख्या 34.8 और 34.9 देखें)	1 83.36	1 56.18
कर्मचारी कल्याण व्यय	3 82.31	2 97.55
कुल	60 37.68	54 05.32

नोट 30: वित्तीय लागत	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क) पास-श्रु सहायता पर ब्याज - भारत सरकार		
सकल ब्याज (क)	54 69.66	56 45.67
लाभ-हानि विवरण में कुल अंतरण (क)	54 69.66	56 45.67

ख) बैंकों से ऋण पर ब्याज

सकल ब्याज (क)	203 72.16	185 65.91
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (ख)	(89.01)	(18 54.29)
लाभ-हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (क-ख)	202 83.15	167 11.62

ग) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (नोट संख्या 34.3 देखें)

अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय की समाप्ति (क)	82 15.10	68 34.06
लाभ और हानि विवरण (क) में कुल स्थानांतरण	82 15.10	68 34.06

घ) प्रतिधारण राशि और सुरक्षा जमा के उचित मूल्यांकन पर ब्याज

प्रतिधारण राशि जमा पर ब्याज व्यय की समाप्ति (क)	1 12.80	97.12
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (ख)	(5.88)	(2.18)
घटाएँ: जीओके को देय (ग)	(4.33)	(1.46)
लाभ-हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (क-ख-ग)	1 02.59	93.48

ड.) पट्टा देयता पर ब्याज

पट्टा देयता पर ब्याज व्यय (क) (नोट संख्या 34.20.2 देखें)	29.30	1.14
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (ख)	(21.15)	-
लाभ-हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (क)	8.15	1.14

च) गारंटी आयोग

जीओके (क) को देय गारंटी कमीशन	1 33.27	1 36.34
लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (क)	1 33.27	1 36.34

कुल योग- लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरण

342 11.92	294 22.31
------------------	------------------

राशि (लाख रुपये में)

नोट 31: मूल्यहास और परिशोधन व्यय	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास (नोट संख्या 1.15 और 2 देखें)	188 74.94	179 76.37
उपयोग के अधिकार पर मूल्यहास	5.02	5.02
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन (नोट संख्या 1.15 और 3.ए देखें)	2 12.30	1 94.74
कुल	190 92.26	181 76.13

राशि (लाख रुपये में)

नोट 32: अन्य व्यय	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव	19 23.85	16 35.21
बीमा	3 66.25	4 39.24
सड़क निर्माण/स्टेशन उन्मुख निर्माण	23 78.83	60 46.63
कानूनी और व्यावसायिक	1 58.36	84.86
कार्यालय और अन्य विविध व्यय	81.92	1 43.19
बाहरी परियोजना परामर्श	13.46	1 37.21
विज्ञापन और प्रचार व्यय	81.90	1 36.03
यात्रा और परिवहन व्यय	93.46	95.74
बाढ़ के बाद बहाली व्यय	10.28	4 16.33
किराया, दरें और कर *	46.63	1 53.53
बैंक शुल्क	52.38	35.07



विनिमय उतार-चढ़ाव हानि/(लाभ) (नोट संख्या 34.2.2 देखें)	5.65	(4.83)
व्यापार प्राप्य पर अपेक्षित ऋण हानि	2 28.47	3 41.31
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या 32.1 देखें)	7.97	7.36
कुल	54 49.41	96 66.88

राशि (लाख रुपये में))

32.1 लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा शुल्क *	6.86	6.33
अन्य सेवाएँ	0.91	0.85
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.20	0.18
कुल	7.97	7.36

* सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के अनुसार जीएसटी आईटीसी रिवर्सल शामिल है

नोट 33: प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	(430 56.65)	(435 17.34)
शेयर		
मूल प्रति शेयर आय (ईपीएस) के लिए बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	1513487 40.00	1507460 00.00
बकाया तनु शेयरों का प्रभाव	4044 77.00	100000 00.00
तनुकृत प्रति शेयर आय (ईपीएस) के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1517532 17.00	1607460 00.00
प्रति शेयर आय		
100 रुपये प्रति शेयर सममूल्य वाले इक्विटी शेयर		
- मूल (रुपये)	(28.45)	(28.87)
- तनुकृत (रुपये)	(28.37)	(27.07)

टिप्पणी संख्या 34 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त जानकारी
34.1 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (लाख रुपए में)

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
केएमआरएल द्वारा व्यय		
- संविदा	.00	5 88.56
- अन्य	4.98	12.46
डीएमआरसी द्वारा अनुबंधों पर व्यय (*)	2 23.56	6 39.89
कुल	2 28.54	12 40.91

* वर्ष 2024-25 के लिए डीएमआरसी से प्राप्त पुष्टि के आधार पर।

34.2 विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन

34.2.1 भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदान की गई पास-थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एजेंसी फ्रॉंसेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई के बीच चरण। के लिए 180 मिलियन यूरो के ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। चरण। पीटीए निधि भारत सरकार द्वारा कंपनी को बजटीय प्रावधानों के माध्यम से भारतीय रुपये में जारी की गई थी। 1327.10.77 लाख रुपये (180 मिलियन यूरो के बराबर) की सम्पूर्ण ऋण राशि को कई किस्तों में पीटीए के रूप में कंपनी को भारतीय रुपये में हस्तांतरित कर दिया गया। कंपनी का दायित्व भारत सरकार के प्रति है। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि के समतुल्य भारतीय रुपये तक सीमित है। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित बैलेंस शीट तिथि पर विदेशी मुद्रा दर भिन्नता हानि/लाभ को मान्यता नहीं दी है।

भारत सरकार ने केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए 27 मिलियन यूरो का ऋण सुविधा समझौता किया है। यह धनराशि भारत के राज्यों को भारतीय रुपये में विकास सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार केरल सरकार को हस्तांतरित की जाती है। केरल सरकार द्वारा प्राप्त 115.81.19 लाख रुपये (13.03 मिलियन यूरो के समतुल्य) की राशि भारत सरकार से 2024-25 तक के लिए पीटीए के रूप में केएमआरएल को हस्तांतरित कर दी गई। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व पीटीए की राशि के समतुल्य भारतीय रुपये तक सीमित है। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित बैलेंस शीट तिथि पर विदेशी विनिमय दर परिवर्तन हानि/लाभ को मान्यता नहीं दी है। पीटीए के अंतर्गत देयता को भारतीय रुपये में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.1 के अनुसार, विनिमय दर परिवर्तन की पूर्ति/व्यवस्था केरल सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 273 के अनुसार, भारत सरकार विदेशी विनिमय दर में बदलाव को ऋण की पूरी तरह से चुकौती के बाद ही मानेगी, न कि ऋण अवधि के दौरान। विनिमय दर में बदलाव का लेखा-जोखा "8680 विविध सरकारी खातों" में समायोजित/बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

ऐसे विनिमय दर में बदलाव के कारण होने वाले अंतर का निपटान केरल सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, केरल सरकार ने सितंबर 2023 तक 59.78.22 लाख रुपये की विदेशी विनिमय दर में बदलाव का निपटान किया, जैसा कि कंपनी को पत्र डी.ओ. 59 78.22 लाख रुपये जैसा कि कंपनी को



पत्र डी.ओ.नं.के-14011/03/2023-यूटी-वी दिनांक 31.05.2023 और पत्र संख्या के 14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से सूचित किया गया।

दिनांक 31.3.2025 तक, विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के लिए, केरल सरकार (जीओके) से प्राप्त 15.72 लाख रुपये की राशि भारत सरकार को देय है।

34.2.2 भारतीय लेखा मानक-21, "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (पीटीए से संबंधित लेनदेन को छोड़कर) का प्रभाव निम्नानुसार है: वर्ष के लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर (निवल विदेशी मुद्रा) की कुल राशि 5.65 लाख रुपये की हानि है (वित्त वर्ष.2023-24, 4.83 लाख रुपये का लाभ)।

34.3 सरकारी ऋण लेखांकन (अधीनस्थ ऋण) और संबंधित वित्तीय लागत।

34.3.1 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005- एमआरटीएस -IV दिनांक 12 जुलाई 2012 के अनुसार कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते समय, यह संकेत दिया गया था कि भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा केंद्रीय करों के लिए 248.50 लाख रुपये प्रत्येक की राशि वित्तपोषित की जाएगी। तदनुसार, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा जारी की गई 497.00 लाख रुपये की राशि को अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.3.2 आदेश संख्या के-14011/37/2005- एमआरटीएस -IV दिनांक 12 जुलाई 2012 के अनुसार, यह संकेत दिया गया था कि अधिग्रहित भूमि की लागत के लिए 672.00 लाख रुपये की राशि केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके बाद, केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण के रूप में दिनांक 31 मार्च 2017 तक 306.25 लाख रुपये जारी किए। शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने कंपनी को सरकार की ओर से सावधि ऋण लेने का निर्देश दिया था।

केरल सरकार के निर्देशानुसार, दिनांक 25.03.2015 के सरकारी आदेश (सुश्री) संख्या 20/2015/लेनदेन के अनुसार, कंपनी ने केरल राज्य सहकारी बैंक (केरल बैंक) से, जिसे पहले एर्नाकुलम जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी) के नाम से जाना जाता था, 470.00 लाख रुपये का सावधि ऋण लिया, जो केरल सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण हेतु दिया गया था। 470.00 लाख रुपये में से, 366.00 लाख रुपये चरण। के लिए भूमि अधिग्रहण और 104.00 लाख रुपये कुन्नारा पार्क से पेट्टा तक व्यतिल्ला-पेट्टा रोड के लिए दिए गए हैं। ऋण की चुकौती और ब्याज का भुगतान केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर किया गया है। उक्त ऋण को वित्तीय विवरणों में उधार के रूप में दिखाया गया है।

संक्षेप में, केरल बैंक से लिया गया ऋण परियोजना अनुमोदन आदेश के अनुसार, केरल सरकार से प्राप्त होने वाले अधीनस्थ ऋण की प्रकृति का है। तदनुसार, 01.04.2016 से 366.00 लाख रुपये की राशि को केरल सरकार से प्राप्त होने वाले अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए शून्य (पिछले वर्ष 5.44 लाख रुपये) राशि जारी की।

34.3.3 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 के समझौता ज्ञापन के खंड 11.1 के अनुसार, पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि परियोजना की समयावधि के भीतर या उसके बाद किसी भी लागत वृद्धि को पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, जैसा कि जीओके द्वारा निर्देशित किया गया है, जीओ (आरटी) संख्या 215/2020/ट्रांस 22.06.2020 के माध्यम से, कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण। के लिए गैप निधियन हेतु 390 00 लाख रुपये की राशि के लिए मेसर्स हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया। समझौते की शर्तों के अनुसार, ऋण केरल सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित होगा।

मेसर्स हुडको से निकाली गई राशि, दिनांक 31.3.2025 तक संचयी समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, 390.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 331.23 लाख रुपये) को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए दूसरी लागत वृद्धि में केरल सरकार के हिस्से के रूप में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान केरल सरकार से प्राप्त क्रमशः 51.91 लाख रुपये (दिनांक 28.10.2020 के सरकारी आदेश संख्या 353/2020/ट्रांस) और 88.44 लाख रुपये (दिनांक 26.10.2021 के सरकारी आदेश संख्या 358/2021/ट्रांस) को समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.3.4 केरल सरकार ने दिनांक 17/10/2014 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 73/2014/ट्रांस के माध्यम से पेट्टा से एस एन जंक्शन तक मेट्रो लाइन के पहले चरण के विस्तार के लिए 359.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 15.7.2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 36/2019/ट्रांस के माध्यम से परियोजना लागत को संशोधित कर 710.92 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें भूमि की लागत 97.38 लाख रुपये शामिल है।

97.38 लाख रुपये में से, 58.11 लाख रुपये, जो केरल सरकार द्वारा विशेष तहसीलदार एलए को भूमि अधिग्रहण के लिए सीधे जारी किए गए थे, दिनांक 23.10.2018 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 63/2018/ट्रांस के माध्यम से, केरल सरकार के अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक शेष राशि के लिए, जैसा कि सरकार के दिनांक 17.03.2020 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस द्वारा निर्देशित है, कंपनी ने मेसर्स हुडको से सावधि ऋण लिया। 2020-21 के दौरान मेसर्स हुडको से लिए गए ऋण के बराबर राशि, जो 39.27 लाख रुपये है, को अनुमोदित परियोजना वित्तपोषण पैटर्न के भाग के रूप में, अधीनस्थ ऋण में सरकार के हिस्से के रूप में, सरकार के अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.3.5 केरल सरकार ने दिनांक 14/06/2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 27/2019/ट्रांस के माध्यम से दक्षिण पूर्व जंक्शन से त्रिपुनिथुरा रेलवे स्टेशन/बस डिपो तक मेट्रो लाइन के चरण I के विस्तार के लिए 356.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 16.01.2021 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 2/2021/ट्रांस के माध्यम से परियोजना लागत को संशोधित कर 448.33 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें 135.86 लाख रुपये की भूमि लागत शामिल है।

135.86 लाख रुपये में से, 11.10.2021 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 347/2021/ट्रांस के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए केरल सरकार द्वारा जारी 92.63 लाख रुपये को केरल सरकार के अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है। भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक शेष राशि के लिए, जैसा कि सरकार के दिनांक 17.03.2020 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस द्वारा निर्देशित है, कंपनी ने मेसर्स हुडको से ऋण लिया। 2021-22 के दौरान मेसर्स हुडको से लिए गए ऋण के बराबर राशि, जो 43.23 लाख रुपये है, को स्वीकृत परियोजना वित्तपोषण पैटर्न के भाग के रूप में, अधीनस्थ ऋण में सरकार के हिस्से के रूप में, सरकार के अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.3.6 केरल सरकार ने दिनांक 16.01.2021 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस के माध्यम से कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए 239.00 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, अर्थात् भारत सरकार से पास-श्रु सहायता के रूप में 202.54 लाख रुपये और केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में 36.46 लाख रुपये।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए केरल सरकार से प्राप्त 36.45 लाख रुपये (पिछले वर्ष 36.45 लाख रुपये तक) की संचयी राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी।



34.3.7 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.26 के अनुसार, यदि कंपनी नकद घाटे के कारण वरिष्ठ सावधि ऋण (जब भी देय हो) चुकाने में असमर्थ हो, तो यह केरल सरकार का दायित्व है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक को ब्याज चुकाने के लिए केरल सरकार से प्राप्त 903.67.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 695.55.76 लाख रुपये तक) की संचयी राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, 2.5 लाख रुपये की संचयी राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी। 458 79.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 397 87.91 लाख रुपये) एएफडी, फ्रांस के लिए भारत सरकार को ब्याज और मूलधन की सेवा के लिए जीओके से अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त हुए।

34.3.8 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.19 के अनुसार, परिचालन चरण के दौरान नकद घाटे का वित्तपोषण अपने स्वयं के संसाधनों से करना केरल सरकार का दायित्व है, यदि केएमआरएल द्वारा ऐसा संभव न हो।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, केरल सरकार से प्राप्त कुल 199.48 लाख रुपये (पिछले वर्ष 199.48 लाख रुपये तक) की राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी।

अधीनस्थ ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सरकारी अनुदान, जो लाभ है, को भारतीय लेखा मानक 109- वित्तीय लिखतों के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक वहन मूल्यों और भारतीय लेखा मानक 20- सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन के अनुसार अनुदान के रूप में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है।

34.3.9 भारत सरकार ने एफ.सं.के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांक 21 नवंबर, 2022 के तहत जेएलएन स्टेडियम से इन्फोपार्क वाया कक्कनाड तक मेट्रो लाइन के दूसरे चरण के लिए 1957.05 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। केरल सरकार ने जी.ओ. (सुश्री) संख्या 23/2023/ट्रांस दिनांक 03/04/2023 के तहत दूसरे चरण के लिए 1957.05 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

1957.05 लाख रुपये में से 82.68 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण लागत, जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लागत भी शामिल है, के लिए हैं। सरकार के निर्देशानुसार, सरकार के आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस दिनांक 17.03.2020 के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स हुडको से ऋण लिया। वर्ष 2023-24 के दौरान मेसर्स हुडको से लिए गए ऋण के बराबर राशि, जो 69.69 लाख रुपये है, को अनुमोदित परियोजना वित्तपोषण पैटर्न के भाग के रूप में, अधीनस्थ ऋण में सरकार के हिस्से के रूप में, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.4 एकीकृत जल परिवहन प्रणाली

केरल सरकार (केरल सरकार) ने दिनांक 19/11/2015 के सरकारी आदेश संख्या 73/2015/ट्रांस के माध्यम से कोच्चि में 682.01 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की परिकल्पना को मंजूरी दी। इस परियोजना का वित्तपोषण जर्मन वित्तपोषण एजेंसी "क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरॉफबाउ" (केएफडब्ल्यू) द्वारा, "जलवायु अनुकूल शहरी गतिशीलता" पहल के तहत भारत-जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग के तहत, और केरल सरकार द्वारा 102.30 लाख रुपये की सीमा तक ऋण के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना के सभी वित्तीय और परिचालन जोखिम केरल सरकार के पास हैं क्योंकि वह परियोजना का वास्तविक स्वामी है और केएमआरएल परियोजना निष्पादन एजेंसी है।

केरल सरकार ने दिनांक 18.6.2021 के सरकारी आदेश संख्या 14/2021/ट्रांस के माध्यम से 72.00 लाख रुपये की भूमि अधिग्रहण लागत को छोड़कर, 1064.83 लाख रुपये की संशोधित परियोजना लागत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। संशोधित वित्तपोषण पद्धति के अनुसार, केरल सरकार का योगदान 156.07 लाख रुपये और

केएफडब्ल्यू का वित्तपोषण 908.76 लाख रुपये है। केएफडब्ल्यू से अतिरिक्त वित्तपोषण की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, केरल सरकार ने 53.77 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) और केएफडब्ल्यू ने 71.92.49 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 93.94.99 लाख रुपये) की राशि जारी की। दिनांक 31.3.2025 तक जारी संचयी निधि 595.58.51 लाख रुपये है (जिसमें केरल सरकार का योगदान 228.07.00 लाख रुपये और केएफडब्ल्यू का योगदान 367.51.51 लाख रुपये है)।

दिनांक 31.03.2025 तक कुल व्यय 587.78.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 489.10.72 लाख रुपये) है। 31.3.2025 तक संविदाकारों को अग्रिम के रूप में 30.16 लाख रुपये का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष 65 19.59 लाख रुपये)।

केएफडब्ल्यू ऋण निकासी अवधि जून 2025 तक है। जून 2027 तक आगे विस्तार का अनुरोध केरल सरकार के विचाराधीन है।

कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 26/2020/ट्रांस के माध्यम से एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन को मंजूरी दी। इसमें राज्य सरकार की 74% इक्विटी और केएमआरएल की 26% इक्विटी होगी, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 4.90 लाख रुपये होगी। इक्विटी अंशदान राज्य सरकार से प्राप्त किया जाना था। धनराशि प्राप्त न होने के कारण, केएमआरएल ने 26% निवेश किया और इसे अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति-निवेश के रूप में मान्यता दी गई। तदनुसार, मेसर्स कोच्चि जल मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) का गठन 14 जुलाई, 2021 को किया गया। कंपनी ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया, जिसमें कंपनी और राज्य सरकार के दायित्वों को रेखांकित किया गया।



34.5 बैंकों / वित्तीय संस्थानों से उधार
राशि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	बैंक वित्तीय/संस्थानों का नाम	चुकौती की अवधि	चुकौती प्रारंभ की तिथि	चुकौती की अंतिम तिथि	वर्ष के लिए ब्याज	ब्याज दर	राशि	राशि
							31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार
क	केनरा बैंक चरण -I	54 त्रैमासिक किश्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	2024-25	04.07.2024 तक 9.35% 05.7.2024 से 9.85%	1154 74.85	1181 11.80
ख	केनरा बैंक चरण -I (अतिरिक्त उधार)	54 त्रैमासिक किश्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	16 51.69	04.07.2024 तक 8.65% 17.07.2024 तक 9.15% 18.07.2024 से 9.45%	177 32.43	181 38.19
ग	केनरा बैंक ऋण -1 विस्तार	56 त्रैमासिक किश्तें	तिमाही 2 2026-27	तिमाही 1 2040-41	40 93.93	04.07.2024 तक 9.65% 15.03.2025 तक 10.15% 16.03.2025 से 9.85%	413 54.46	395 57.64
घ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - चरण1 विस्तार	56 त्रैमासिक किश्तें	तिमाही 2 2026-27	तिमाही 1 2040-41	28 61.40	04.07.2024 तक 9.65% 15.03.2025 तक 10.15% 16.03.2025 से 9.85%	289 16.50	276 60.11
ड.	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण)	10 वार्षिक किश्तें	मार्च, 2018	मार्च, 2027		9.75%	73 20.00	99 40.00
च	केरल राज्य सहकारी बैंक -व्यतिल्ला - भूमि अधिग्रहण (पेट्टा रोड)	10 वार्षिक किश्तें	मार्च, 2018	मार्च, 2027	17 25.57	9.75%	20 80.00	41 60.00
छ	केनरा बैंक कार्यशील पूंजी - ऋण	लापू नहीं	लापू नहीं	लापू नहीं	94.77	13.11.2024 तक 9.25% 14.11.2024 से 9.55%	19.55	9 32.05

ज	केनरा बैंक कार्यशील पूंजी - कार्यशील पूंजी - मांग ऋण सीमा-सीमा की उप	महीना	लागू नहीं	अप्रैल, 2025	2 92.91	8.60% (अवधि आधारित एमसीएलआर प्लस 0.25% मार्जिन)	33 00.00	17 00.00
झ	केनरा बैंक क्यूरेट में - आईआईएमके परियोजना के लिए सावधि ऋण	168 मासिक किश्तें	जुलाई-25	जून-39	46.78	04.07.2024 तक 8.90% 05.07.2024 से 9.40%	16 53.83	.00
ञ	हुडको / प्रारंभिक कार्य - भूमि अधिग्रहण	52 त्रैमासिक किश्तें	फरवरी-22	नवंबर-34	29 71.60	भूमि अधिग्रहण के लिए: 14.11.2023 से 9.43% सिविल कार्य के लिए: 14.11.2023 से 8.87%	336 72.48	333 87.11
ट	हुडको चरण -I	58 त्रैमासिक किश्तें	फरवरी-21	मई-35	22 47.30	भूमि अधिग्रहण के लिए: 14.11.2023 से 9.43% सिविल कार्य के लिए: 14.11.2023 से 8.87%	291 74.00	243 74.00
योग					2 73 15.55		2806 98.10	2779 60.90



वित्तीय विवरणों में उपरोक्त ऋणों की प्रस्तुति

राशि (लाख रुपए में)

विवरण	संदर्भ नोट संख्या	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बैंकों से सावधि ऋण (प्रतिभूत राशि) का गैर-चालू भाग	16.क	2030 32.31	2101 67.74
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण (अप्रतिभूत राशि) का गैर-चालू भाग	16. क	556 18.49	505 33.11
कार्यशील पूंजी ऋण (प्रतिभूत राशि)	21. क	33 19.55	26 32.05
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वताएँ	21. क		
देय		.00	.00
अदेय		187 27.75	146 28.00
कुल		2806 98.10	2779 60.90

उपरोक्त ऋणों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है;
क) केनरा बैंक - चरण ।

कंपनी ने केनरा बैंक के साथ 1170 लाख रुपये की राशि का एक सावधि ऋण समझौता किया। केएमआरएल के अनुरोध पर, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज भुगतान स्थगन को मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज स्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण पर अर्जित ब्याज (पुनर्भुगतान के बाद) को कोविड-19 सहायता के रूप में बकाया सावधि ऋण में जोड़ दिया गया। लागू ब्याज दर एक वर्षीय एमसीएलआर (उधार दरों पर आधारित निधियों की सीमांत लागत) प्लस मार्जिन, वार्षिक शेष राशि के साथ, और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य शुल्क द्वारा सुरक्षित है।

ख) केनरा बैंक - चरण । (अतिरिक्त उधार)

कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण । की लागत वृद्धि को पूरा करने के लिए 18.7.2019 को केनरा बैंक के साथ 179.00 लाख रुपये की राशि का सावधि ऋण समझौता किया। केरल सरकार ने दिनांक 18.7.2019 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 323/2019/ट्रांस के माध्यम से मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए गारंटी जारी की। केएमआरएल के अनुरोध पर, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज भुगतान पर स्थगन को मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज स्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण पर अर्जित ब्याज (चुकौती के बाद) को कोविड-19 सहायता के रूप में बकाया सावधि ऋण में जोड़ दिया गया। लागू ब्याज दर एक वर्ष की एमसीएलआर (उधार दरों पर आधारित निधियों की सीमांत लागत) प्लस मार्जिन है, जिसमें वार्षिक शेष राशि शामिल है और यह कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य प्रभार द्वारा सुरक्षित है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

ग और घ) केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम ऋण - चरण । विस्तार

कंपनी ने चरण । विस्तार के लिए केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से सावधि ऋण लिया। कंसोर्टियम ऋण समझौता 25.05.2020 को निष्पादित किया गया। समझौते के अनुसार, केनरा बैंक चरण 1ए और 2बी परियोजना के वित्तपोषण के लिए अग्रणी बैंकर होगा, जिसमें कुल 730.67 लाख रुपये का सावधि ऋण होगा, जिसमें केनरा बैंक द्वारा 430.00 लाख रुपये और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 300.67 लाख रुपये का हिस्सा साझा किया जाएगा। लागू ब्याज दर एक वर्षीय एमसीएलआर प्लस मार्जिन है, जिसमें वार्षिक शेष राशि शामिल है। यह ऋण चरण । विस्तार की चल और अचल संपत्तियों पर समतुल्य शुल्क द्वारा सुरक्षित है और ब्याज

और मूलधन के भुगतान के लिए केरल सरकार द्वारा गारंटीकृत है। केरल सरकार (जीओके) ने दिनांक 18.6.2020 के जीओ (आरटी) संख्या 211/2020/ट्रांस के माध्यम से ऋण के ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए गारंटी जारी की। गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में क्रमशः 19,18.22 लाख रुपये और 2,48.04 लाख रुपये की राशि को भी दिनांक 31.3.2025 तक केरल सरकार से प्राप्य माना गया है (पिछले वर्ष तक क्रमशः 13,91.04 लाख रुपये और 1,15.37 लाख रुपये गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में थे), क्योंकि इस परियोजना का वित्तपोषण केरल सरकार द्वारा किया जाना है।

ड.) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एर्नाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के नाम से जाना जाता था) (भूमि अधिग्रहण)

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 12 जुलाई 2012 के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस -IV के तहत कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते समय, यह संकेत दिया गया था कि भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए 672.00 लाख रुपये केरल सरकार द्वारा ब्याज मुक्त उप-ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। 672.00 लाख रुपये में से, केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 तक 306.25 लाख रुपये जारी कर दिए। शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने निर्णय लिया कि केएमआरएल केरल सरकार की ओर से 366.00 लाख रुपये का ऋण लेगा, जो केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला उप-ऋण अंशदान होगा।

केरल सरकार के दिनांक 12 जुलाई 2012 के सरकारी आदेश संख्या 20/2015/ट्रांस 25.03.2015 को, भूमि अधिग्रहण हेतु केरल राज्य सहकारी बैंक से 366.00 लाख रुपये का सावधि ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार, कंपनी ने ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण समझौता किया है, जैसा कि 20 जनवरी 2015 को हुई इसकी 19वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। सरकारी आदेश के अनुसार, ऋण की अवधि दो वर्ष की मोहलत के साथ 12 वर्ष होगी और पुनर्भुगतान कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य प्रभार द्वारा सुरक्षित वार्षिकी आधार पर दस वर्षों में किया जाएगा। ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही आधार पर संयोजित होगी।

ब्याज सहित ऋण का पुनर्भुगतान केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर किया जाता है और देय होने पर इसे केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान 366.00 लाख रुपये की पूरी ऋण राशि निकाल ली है।

च) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एर्नाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के नाम से जाना जाता था) (भूमि अधिग्रहण-व्यतिल्ला पेट्टा सड़क)

केरल सरकार ने दिनांक 30.04.2015 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 24/2015/ट्रांस के माध्यम से व्यतिल्ला-पेट्टा सड़क के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने हेतु केरल राज्य सहकारी बैंक से 104.00 लाख रुपये का सावधि ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार, कंपनी ने केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ सावधि ऋण समझौता किया, जैसा कि 20 जनवरी 2015 को हुई उसकी 19वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। ऋण की कुल अवधि 12 वर्ष होगी, जिसमें दो वर्ष की स्थगन अवधि होगी, और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य प्रभार द्वारा सुरक्षित वार्षिकी आधार पर दस वर्षों में पुनर्भुगतान किया जाएगा। ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही आधार पर संयोजित होगी। ऋण की ब्याज सहित अदायगी का दायित्व केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर लिया जाता है और देय होने पर इसे केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान 104.00 लाख रुपये की पूरी ऋण राशि निकाली है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पैरा- ड. और च में उल्लिखित उपरोक्त ऋण पर 8वीं किस्त (ब्याज सहित) का भुगतान मार्च 2025 में किया, जिसकी राशि 7433.02 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8021.00 लाख रुपये, सातवीं किस्त) थी।



छ) और ज) केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी ऋण और कार्यशील पूंजी मांग ऋण

कंपनी दिनांक 30.9.2019 को केनरा बैंक के साथ क्रमशः ₹90.00 लाख और ₹5.00 लाख की राशि के लिए निधि आधारित कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी सीमा पर हस्ताक्षर किए, जिनका वार्षिक नवीनीकरण किया जाता है। कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए लागू ब्याज दर एक वर्षीय एमसीएलआर (उधार दरों पर आधारित निधियों की सीमांत लागत) प्लस मार्जिन है, जिसमें वार्षिक शेष राशि शामिल है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य शुल्क द्वारा सुरक्षित है।

केनरा बैंक ने कार्यशील पूंजी सुविधा की उप-सीमा के रूप में 90,00 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) की पेशकश की है, जिसमें अवधि आधारित एमसीएलआर + 0.25% की ब्याज दर शामिल है। कंपनी इस सुविधा का लाभ उठा रही है, क्योंकि ब्याज दर मौजूदा सुविधा की तुलना में कम है। दिनांक 31.3.2025 तक कंपनी द्वारा 33 00.00 लाख रुपये का डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त किया गया है (31.3.2024 तक 17 00 लाख रुपये)।

झ) केनरा बैंक - सीयूएसएटी मेट्रो स्टेशन के निकट भवन निर्माण हेतु सावधि ऋण

वर्ष के दौरान, सीयूएसएटी मेट्रो स्टेशन के निकट भवन निर्माण हेतु 14.5.2024 को 25.00 लाख रुपये का सावधि ऋण प्राप्त करने हेतु केनरा बैंक के साथ समझौता किया गया। सावधि ऋण वार्षिक पुनर्निर्धारण शर्त के साथ एक वर्षीय एमसीएलआर पर स्वीकृत है। प्रारंभिक समझौते के अनुसार, वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने की तिथि 31.12.2024 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30.06.2025 कर दिया गया। वर्ष के दौरान, सावधि ऋण से 16 53.83 लाख रुपये प्राप्त हुए। यह ऋण 44.46 सेंट भूमि के बंधक द्वारा सुरक्षित है, जिस पर प्रस्तावित भवन का निर्माण किया जाना है।

ञ) हुडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण

कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण I, चरण 1ए, चरण 1बी और चरण II के भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए 19.3.2020 को हुडको के साथ 589.82 लाख रुपये की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया। इसके विरुद्ध, हुडको द्वारा कंपनी को दिनांक 31 मार्च, 2025 तक 501.59.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 437.13.00 लाख रुपये) की राशि वितरित की गई। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए स्थगन अवधि फरवरी 2022 तक थी। यह ऋण ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी के लिए केरल सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित है, जैसा कि शासनादेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस दिनांक 17.3.2020 के अनुसार है।

चूंकि कंपनी ने भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए ऋण लिया है, इसलिए ब्याज और मूलधन की अदायगी, जिसमें ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन शामिल हैं, को केरल सरकार से प्राप्य माना गया है। तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क, गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में क्रमशः 1 23.90 लाख रुपये, 1 200.43 लाख रुपये और 1 76.31 लाख रुपये की राशि को 31 मार्च 2025 तक केरल सरकार से प्राप्य माना गया है (पिछले वर्ष तक क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क, गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में 1 23.90 लाख रुपये, 9 45.92 लाख रुपये और 1 02.02 लाख रुपये)।

ट) हुडको - चरण I

कंपनी ने चरण I परियोजना के लिए गैप फंडिंग हेतु हुडको के साथ 26.06.2020 को 39000 लाख रुपये की राशि का एक सावधि ऋण समझौता किया। दिनांक 22.06.2020 के GO(RT)215/2020/Trans के अनुसार, केरल सरकार ऋण और ब्याज की अदायगी के संबंध में पर्याप्त बजट प्रावधान प्रदान करने पर सहमत हुई है। तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन की अदायगी को केरल सरकार से प्राप्य माना जाता है।

तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में क्रमशः 1,23.90 लाख रुपये, 10,79.54 लाख रुपये और 1,55.84 लाख रुपये की राशि को 31 मार्च 2025 तक केरल सरकार से प्राप्य

माना जाता है (पिछले वर्ष तक ऋण प्रसंस्करण शुल्क गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में क्रमशः 1,23.90 लाख रुपये, 8,59.07 लाख रुपये और 87.72 लाख रुपये)। कंपनी ने वर्ष 2024-25 में 390 लाख रुपये की पूरी ऋण राशि का आहरण पूरा कर लिया है।

केरल सरकार को देय गारंटी कमीशन

दिनांक 16 अक्टूबर 2004 के शासनादेश संख्या 487/04/वित्त के खंड 4(i) के अनुसार, देय गारंटी कमीशन पिछले वर्ष की 31 मार्च तक बकाया वास्तविक ऋण राशि का 0.75% होगा, जिसमें ब्याज, दंडात्मक ब्याज आदि शामिल होंगे। एक वर्ष में देय राशि का भुगतान दो समान किश्तों में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाएगा।

दिनांक 31.3.2025 तक भुगतान किया गया गारंटी कमीशन ₹931.46 लाख है (पिछले वर्ष ₹931.46 लाख)। 31.3.2025 तक केरल सरकार को देय गारंटी कमीशन ₹4074.03 लाख है (पिछले वर्ष ₹2938.61 लाख)।



34.6 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के विरुद्ध केरल सरकार से प्राप्य

राशि (लाखों रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	विस्तृत नोट संदर्भ संख्या	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार		
			गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
क	केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण के विरुद्ध	34.11.ड. और 34.11.च	46 94.81	94 00.00	1 40 94.81	93 94.81	47 00.00	1 40 94.81
ख	केरल राज्य सहकारी बैंक से ऋण पर प्राप्त ब्याज के विरुद्ध	34.11.ड और 34.11.च	10 08.05	37 40.47	47 48.52	20 15.50	10 07.45	30 22.95
ग	हुडको से लिए गए ऋण के विरुद्ध	34.11.झ और 34.11.ञ	5 43 81.84	1 01 64.47	6 45 46.31	4 84 68.65	1 00 54.57	5 85 23.22
घ	गारंटी कमीशन, गारंटी कमीशन पर ब्याज और प्रसंस्करण शुल्क के विरुद्ध	34.11.ग, घ, झ & ज	.00	50 26.18	50 26.18	.00	37 48.94	37 48.94
कुल			6 00 84.70	2 83 31.12	8 84 15.82	5 98 78.96	1 95 10.96	7 93 89.92

34.7 भारत सरकार से पास-थ्रू सहायता

राशि (लाखों रुपये में)

क्र. सं.	बैंकवित्तीय संस्थान का/ नाम	चुकौती की अवधि	चुकौती प्रारंभ की तिथि	चुकौती की अंतिम तिथि	वर्ष के लिए ब्याज	ब्याज दर	राशि	राशि
							31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
क	चरण I के लिए पासथ्रू-सहायता	40 अर्धवार्षिक किश्तें	सितंबर, 2019	मार्च, 2039	50 54.84	6 मासिक यूरिबोर प्लस 155 आधार अंकों का मार्जिन	928 97.54	995 33.08
ख	एनएमटी के लिए पासथ्रू-सहायता	20 त्रैमासिक किश्तें	मई, 2025	नवंबर, 2034	4 14.82	सूचकांक दर + 1.52% अथवा 6 महीने यूरिबोर + 1.35% (मार्जिन)	115 81.19	24 46.67
कुल							1044 78.73	1019 79.75



वित्तीय विवरणों में भारत सरकार की ओर से पास-श्रु सहायता की प्रस्तुति

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	संदर्भ नोट संख्या	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
पास-श्रु सहायता का गैर-वर्तमान भाग - भारत सरकार	16.A	9 66 85.07	9 53 44.21
पास-श्रु सहायता का वर्तमान भाग - भारत सरकार	21.A	77 93.66	66 35.54
कुल		10 44 78.73	10 19 79.75

क) चरण I के लिए पास-श्रु सहायता

कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण I के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 180 मिलियन यूरो की पास-श्रु सहायता (पीटीए), फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार के बीच ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। यह ऋण भारत सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा सुरक्षित है। 180 मिलियन यूरो की पूरी ऋण राशि, जो 132710.77 लाख रुपये के बराबर है, एएफडी द्वारा भारत सरकार को जारी कर दी गई है। भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार, यह धनराशि केएमआरएल को कई किशतों में भारतीय रुपये में वितरित की गई।

मार्च 2024, सितंबर 2024 और मार्च 2025 में एएफडी को ऋण चुकौती के लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि 179.63.26 लाख रुपये (विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को छोड़कर) (मूलधन 99.53.31 लाख रुपये और ब्याज 80.09.95 लाख रुपये) भारत सरकार को देय राशि के रूप में दिखाई गई है, क्योंकि इस राशि का भुगतान/समायोजन अभी बाकी है। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2024 के लिए विनिमय दर में बदलाव के लिए भारत सरकार को 15.72.00 लाख रुपये देय दिखाए गए हैं क्योंकि यह धनराशि भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग से प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2024-25 के दौरान, एएफडी ऋण चुकौती के लिए भारत सरकार से 76.64 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। हालाँकि, इस राशि का उपयोग केरल बैंक के ऋण की सेवा के लिए किया गया था, जो 31.03.2025 को देय था और हुडको ऋणों के लिए अतिरिक्त डीएसआरए बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि ये धनराशि 31.3.2025 से पहले जीओके द्वारा जारी नहीं की गई थी।

ख) एनएमटी के लिए पास-श्रु सहायता

केरल सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए प्रदान की गई 27 मिलियन यूरो की पास-श्रु सहायता (पीटीए) फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता, भारत सरकार के बीच ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। यह ऋण भारत सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा सुरक्षित है। परियोजना समझौते पर केएमआरएल (अंतिम लाभार्थी) और एएफडी के बीच 05.02.2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। ऋण निकासी अवधि नवंबर 2024 में समाप्त हो रही है और विस्तार के लिए अनुरोध, प्रारंभ में मई 2025 तक और बाद में दिसंबर 2026 तक, एएफडी के साथ चर्चा/बातचीत के अधीन है और अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा में है।

ब्याज प्रत्येक भुगतान तिथि, अर्थात् प्रत्येक वर्ष 31 मई और 30 नवंबर को देय है। मूल राशि का पुनर्भुगतान बीस समान अर्धवार्षिक किशतों में किया जाएगा और पहली किस्त 31 मई, 2025 को देय होगी और अंतिम किस्त 30 नवंबर, 2034 को केरल सरकार द्वारा देय होगी।



वर्ष 2024-25 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को राष्ट्रीय खनिज संसाधन विकास (एनएमटी) के लिए एएफडी से जारी ऋण में से 54.79.57 लाख रुपये (पिछले वर्ष 36.54.96 लाख रुपये) की राशि जारी की गई।

दिनांक 31.3.2025 तक, राष्ट्रीय खनिज संसाधन विभाग (एनएमटी) के लिए कर्नाटक सरकार के माध्यम से एएफडी से केएमआरएल को प्राप्त संचयी निधि 115.81.19 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 24.46.67 लाख रुपये)।

34.8 भारतीय लेखा मानक -19, "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों ही, कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करते हैं। अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है।

कंपनी की पेंशन योजना, भविष्य निधि योजना से जुड़ी हुई है। भविष्य निधि योजनाओं के अंतर्गत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत भी आते हैं, सिवाय उन कर्मचारियों के जो दिनांक 1 सितंबर 2014 के बाद भविष्य निधि (पीएफ) सदस्य बने हैं और जिनका वेतन 15,000/- रुपये प्रति माह से अधिक है। ऐसे कर्मचारी ईपीएस योजना के अंतर्गत कवर होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उक्त लाभ केवल तभी दिया जा रहा है, यदि कर्मचारी केएमआरएल में शामिल होते समय पीएफ योजना का मौजूदा सदस्य था। उपरोक्त पेंशन योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों से अंशदान नहीं लिया जाता है और इसका भुगतान पूरी तरह से नियोक्ता के अंशदान से किया जाता है।

उपादान : उपादान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार, पाँच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ग्रेच्युटी देय होती है। ग्रेच्युटी योजना से संबंधित देयताएँ, इंड एस-19के अनुसार, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, उपादान के लिए लेखा पुस्तकों में प्रावधान किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि नियोजित संपत्तियाँ दर्शाई गई हैं, कंपनी ने इन संपत्तियों को पुस्तकों में मान्यता नहीं दी है, क्योंकि कंपनी ने निधि न्यास नहीं बनाया है।

अर्जित छुट्टी और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी मानव संसाधन नीति के अनुसार कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है। इस मद में देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारी को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान की वास्तविक यात्रा के खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस खाते पर देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

बीमा: कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी भी ली है।



34.9 बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि विवरण और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	उपादान की हकदारी (अनफंडेड)		अर्जित अवकाश नकदीकरण (अनफंडेड)		अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण (अनफंडेड)		कुटी यात्रा रियायत (अनफंडेड)	
	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए प्रकटीकरण, जैसे कि उपादान, अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत (अनफंडेड योजना), जो कि बीमाकिक मूल्यांकन पर आधारित है। राशि (लाख रुपये में)								
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23
वर्तमान सेवा लागत	1 65.90	1 43.82	2 05.65	1 96.09	69.48	56.90	32.12	21.46
ब्याज लागत	85.81	70.60	80.74	69.09	24.52	20.88	5.66	6.31
लाभ का भुगतान / प्रावधान वापस लिया गया	(59.26)	(38.50)	(1 45.16)	(1 10.28)	(3.51)	(2.26)	(36.17)	(15.98)
पिछली सेवा लागत	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमाकिक हानि/(लाभ)	61.89	25.44	65.97	24.88	20.11	7.02	5.72	1.87
दायित्वों पर बीमाकिक - हानि / (लाभ) अनुभव समायोजन और जनसंख्यिकीय धारणा के कारण	32.40	42.77	(24.22)	21.84	(35.35)	(24.60)	45.33	(8.60)
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व	15 01.61	12 14.87	13 70.81	11 87.83	4 15.75	3 40.50	1 52.95	1 00.29

कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:									
विवरण	उपादान की हकदारी (अनफंडेड)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (अनफंडेड)		अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण (अनफंडेड)		छुट्टी यात्रा सियायत (अनफंडेड)		राशि (लाख रुपये में)
	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वर्तमान सेवा लागत	1 65.90	1 43.82	2 05.65	1 96.09	69.48	56.90	32.12	21.46	
ब्याज लागत	85.81	70.60	80.74	69.09	24.52	20.88	5.66	6.31	
पिछली सेवा लागत	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
प्रतिपूर्ति सेवा लागत	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
ब्याज आय	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
पुनःआकलन	.00	.00	41.75	46.72	(15.25)	(17.58)	51.05	(6.73)	
कुल	2 51.71	2 14.42	3 28.14	3 11.90	78.75	60.20	88.83	21.04	
घटाएँ बीमांकिक : सीडब्ल्यू/(लाभ) प्रोजेक्ट /आईपी अन्य को /फंड अंतरित हानि	68.36	58.24	81.8	79.74	22.29	33.3	20.03	5.89	
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	183.35	156.18	246.34	232.16	56.46	26.90	68.80	15.15	



राशि (लाख रुपये में)

विवरण	उपादान की हकदारी (अनफंडेड)		छुटी नकदीकरण अनफंडेड		अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण (अनफंडेड)		छुटी यात्रा रिवायत (अनफंडेड)	
	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
दायित्व का वर्तमान मूल्य	15 01.61	12 14.87	13 70.81	11 87.83	4 15.75	3 40.50	1 52.95	1 00.29
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
अंतर	15 01.61	12 14.87	13 70.81	11 87.83	4 15.75	3 40.50	1 52.95	1 00.29
अमान्यताप्राप्त संक्रमणकालीन दायित्व	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
अमान्यताप्राप्त पिछली सेवा लागत गैर निहित लाभ -	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
दुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	15 01.61	12 14.87	13 70.81	11 87.83	4 15.75	3 40.50	1 52.95	1 00.29

राशि (लाख रुपए में)

अन्य व्यापक आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:		
विवरण	उपादान पात्रता (अनफंडेड)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) का पुनर्मापन		
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	61.89	25.44
अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकीय मान्यताओं के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	32.4	42.77
ओसीआई में कुल पुनर्मापन	94.29	68.21
घटाएँ: सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित बीमांकिक (लाभ)/हानि	19.51	13.64
ओसीआई के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	74.78	54.57

उपादान, अर्जित छुट्टी नकदीकरण, अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण और एलटीसी लाभ दायित्वों को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं:		
विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
छूट दर	6.89%	7.24%
वेतन वृद्धि दर - पहले 5 वर्ष	6.00%	6.00%



34.10 केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों / परियोजनाओं का विवरण, जो दिनांक 31.03.2025 तक प्रगति पर हैं

राशि (लाखों रुपये में)

क्र. सं.	किए गए प्रारंभिक कार्य / परियोजना का विवरण	परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार सरकारी आदेश	स्वीकृत परियोजना लागत	31.03.2025 तक प्राप्त निधि			31.03.2025 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त रकम	कुल	
1	कुन्नारा पार्क से पेढा तक 1.5 किलोमीटर वित्ति-पेढा रोड का चौड़ीकरण	शासनादेश (एमएस) संख्या 13/2015/ट्रांस दिनांक 10/03/2015	22 35.00	जीओके	22 35.00	22 35.00	19 43.36
2	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इम्को पार्क होते हुए कक्कनाड तक नई मेट्रो लाइन का प्रारंभिक कार्य	शासनादेश (आरटी) संख्या 342/2024/ट्रांस दिनांक 09/09/2024	380 57.89	जीओके	122 53.29	35519.00	355 19.00
				हुडको से ऋण	230 66.58		
				अन्य	1 99.13		
3	बंदरगाह हवाई अड्डे के चौड़ीकरण के लिए कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की तैयारी का कार्य	शासनादेश (एमएस) संख्या 73/2018/ट्रांस दिनांक 17/12/2018	74 07.00	हुडको से ऋण	46 79.94	4822.24	48 22.24
				अन्य	1 42.30		
4	एडापल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कल्लूर तक एडापल्ली-हाईकोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी प्रणाली के उन्नयन के लिए प्रारंभिक कार्य	शासनादेश (एमएस) संख्या 56/2016/ट्रांस दिनांक 26/08/2016	39 41.00	जीओके	3400.00	34 00.00	16 08.92

5	एडापल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक एडापल्ली-हाईकोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी प्रणाली के उन्नयन के लिए प्रारंभिक कार्य	शासनादेश (एमएस) संख्या 31/2016/ट्रांस दिनांक 31/03/2016 शासनादेश (रिट) संख्या 295/ट्रांस दिनांक 12/07/2023	131 10.29	जीओके		131 20.85
				हुडको से ऋण	6930.29	
				अन्य	6107.48	
					83.08	
	कुल		647 51.18		590 97.09	570 14.37

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का शुद्ध शेष, जो दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रगति पर है, जो जीओके से प्राप्त / देय है, तुलन पत्र में नोट संख्या 5.11 और 23 में दर्शाया गया है।



34.11 कंपनी द्वारा केरल सरकार की ओर से किए गए प्रारंभिक कार्यों/परियोजनाओं का विवरण, जिन्हें डीएमआरसी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है

राशि (लाखों रुपये में)

क्र. सं.	किए गए और पूर्ण किए गए प्रारंभिक कार्य / परियोजना का विवरण	प्रशासनिक मंजूरी के अनुसार केरल सरकार से आदेश	स्वीकृत परियोजना लागत	31.03.2025 तक प्राप्त धनराशि			31.03.2025 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त धनराशि	कुल	
1	प्रारंभिक कार्य	शासनादेश(एमएस) संख्या 110/2013/ट्रांस दिनांक 07-12-2013	2 42 47.00	जीओके	2 20 45.27	2 20 45.27	1 99 62.28
2	पचलम रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)	शासनादेश सुश्री संख्या 23/2014/ट्रांस दिनांक 05/03/2014 और शासनादेश (सुश्री) संख्या 56/2014/ट्रांस दिनांक 24/07/2014	52 59.00	जीओके	52 59.00	52 59.00	23 67.17
3	एडापल्ली प्लाईओवर	शासनादेश (आरटी) संख्या 714/2013/पीडब्ल्यूडी दिनांक 13/05/2013	1 08 77.00	केरल सड़क निधि बोर्ड (केआरएफबी)	34 43.55	34 43.55	35 28.25
4	चार लेन वाले चंबक्करा पुल के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य	शासनादेश सुश्री संख्या 68/2016/ट्रांस दिनांक 09/11/2016 और शासनादेश सुश्री संख्या 64/2018/ट्रांस दिनांक 11/11/2018	38 36.44	जीओके हुडको से ऋण	27 00.00 10 36.00	3736.00	37 09.75
कुल			4 42 19.44		3 44 83.82	3 44 83.82	2 95 67.45

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का निवल शेष, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित किया जाता है और जीओके से प्राप्य / देय है, तुलन पत्र में नोट संख्या 5, 11 और 23 में दर्शाया गया है।

34.12 दिनांक 31 मार्च 2025 तक प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्यों के लिए केरल सरकार से प्राप्त अग्रिम का विवरण।

राशि (लाख रुपए में)

वर्ण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
मेट्रो निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य	23 12.26	23 12.26
पचलम पचलम संबंधी कार्य कार्य	28 91.83	28 91.83
एडापल्ली-हाई कोर्ट रोड का सुधार	17 91.08	17 91.08
कुन्नारा से पेट्टा तक प्रारंभिक कार्य	2 91.64	2 91.64
एकीकृत जल परिवहन परियोजना	12 25.10	.00
कुल	85 11.91	72 86.81

34.13 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और केरल सरकार (जीओके) से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

क. कंपनी को शहरी परिवहन योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन आदि के लिए कुल व्यय का 80% एमओयूडी द्वारा और 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 26.73 लाख रुपये के कुल व्यय में से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 तक अपना पूरा हिस्सा जारी कर दिया है और शेष 45.35 लाख रुपये, जो कि केरल सरकार से देय हैं, वित्तीय सहायता का उनका हिस्सा होने के नाते, प्राप्त निधि से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, जो कि जीओ (आरटी) संख्या 192/2020/ट्रांस दिनांक 08.06.2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ है और 12.74 लाख रुपये का शुद्ध शेष कर्नाटक सरकार से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

ख. केरल सरकार ने शासनादेश संख्या (आरटी)सं.282/2023/ट्रांस, दिनांक 06.07.2023 के माध्यम से कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड शहर के लिए व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) तैयार करने के लिए कंपनी को मंजूरी दी। तदनुसार, मेसर्स यूएमटीसी को 528.16 लाख रुपये की राशि के लिए सीएमपी और एएआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। सीएमपी व्यय का 80% भारत सरकार और 20% केरल सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी प्रकार, एएआर से संबंधित व्यय भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा समान रूप से प्रदान किया जाएगा। इसलिए, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड के लिए सीएमपी और एएआर तैयार करने के लिए भारत सरकार और केरल सरकार का कुल हिस्सा क्रमशः 384.81 लाख रुपये और 143.35 लाख रुपये है।

केएमआरएल ने सीएमपी और एएआर की तैयारी के लिए 528.16 लाख रुपये की पूरी राशि खर्च कर दी है। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत सरकार ने दिनांक 21.06.2024 के शासनादेश संख्या के-14011/11/2022-यूटी-IV के माध्यम से 32.61 लाख रुपये और दिनांक 06.03.2025 के शासनादेश संख्या के-14011/11/2022-यूटी-IV के माध्यम से 146.75 लाख रुपये जारी किए हैं, और केरल सरकार ने दिनांक 21/02/2025 के शासनादेश संख्या 69/2025/ट्रांस के माध्यम से 14.33 लाख रुपये वित्तीय सहायता के अपने हिस्से के रूप में जारी किए हैं। शेष राशि क्रमशः भारत सरकार और केरल सरकार से प्राप्य मानी गई है, क्रमशः 205.45 लाख रुपये और 129.02 लाख रुपये।



34.14 क. तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड मेट्रो में लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजनाएँ।

दिनांक 01/09/2022 के शासनादेश संख्या 43/2022/ट्रांस के अनुसार, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड जिलों में केरल रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजनाओं और 3 फ्लाईओवरों का कार्य कंपनी को सौंप दिया गया।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 11/01/2023 के शासनादेश संख्या 3/2023/पीडब्ल्यूडी के अनुसार, केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में लाइट मेट्रो परियोजना के हिस्से के रूप में श्रीकार्यम, उल्लूर और पट्टम में फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए कंपनी को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में नियुक्त किया। इस परियोजना का वित्तपोषण केआईआईएफबी द्वारा किया जाएगा और श्रीकार्यम फ्लाईओवर के लिए भूमि अधिग्रहण को छोड़कर स्वीकृत परियोजना लागत 70.32 लाख रुपये है। केएमआरएल स्वीकृत परियोजना लागत के 3.25% की दर से सेन्टेज के लिए पात्र है।

ख. तिरुवनंतपुरम मेट्रो के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।

जीओके ने जीओ (एमएस) संख्या 43/2022/ट्रांस दिनांक 01/09/2022 के माध्यम से कंपनी को नए सीएमपी और एएआर के आधार पर तिरुवनंतपुरम शहर के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया। तदनुसार, मेसर्स डीएमआरसी को 4.16 लाख रुपये की राशि पर डीपीआर तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया।

34.15 भारतीय लेखा मानक-12, "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण।

कंपनी के पास दिनांक 31.03.2025 तक 1121 20.40 लाख रुपये (31.03.2024 तक 1016 25.51 लाख रुपये) की आस्थगित कर परिसंपत्ति है, जो अनवशोषित मूल्यहास और संचित हानियों के कारण है। दिनांक 31.03.2025 तक आस्थगित कर देयता 795 15.28 लाख रुपये (31.03.2024 तक 777 18.85 लाख रुपये) है।

दिनांक 31.03.2025 तक शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति 326.05.12 लाख रुपये (31.03.2024 तक 239.06.66 लाख रुपये) है और भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ की उपलब्धता में अनिश्चितता को देखते हुए, 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में, भारत सरकार के आयकर विभाग के सीबीडीटी पोर्टल पर दिनांक 08.04.2025 तक प्रदर्शित 26 एस के आधार पर वित्तीय विवरणों में स्रोत पर कर कटौती को मान्यता दी गई है।

34.16 केएमआरएल में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल।

जीओके ने जीओ(आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस दिनांक 16.01.2021 के माध्यम से कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए 239.00 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, अर्थात् भारत सरकार से पास-श्रू सहायता के रूप में 202.54 लाख रुपये और जीओके से अधीनस्थ ऋण के रूप में 36.46 लाख रुपये। एनएमटी योजना में स्टेशन-उन्मुख विकास, प्रमुख जंक्शन सुधार और शहरी स्थानों को पैदल यात्री बनाने की परियोजना शामिल है। एनएमटी पहलों के तहत किए गए व्यय को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार लाभ और हानि खाते/पूँजीकृत खाते में दर्ज किया जाता है।

वर्ष के दौरान, 23.75.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 60.30.72 लाख रुपये) लाभ और हानि विवरण में दर्ज किए गए हैं। अब तक एनएमटी कार्यों के लिए प्राप्त निधि से 151.51.56 लाख रुपये (पिछले वर्ष 102.23.96 लाख रुपये) का उपयोग किया जा चुका है।



34.17 इंड एस-23, "उधार लागत" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण।

वर्ष के दौरान, "उधार लागत" पर लेखांकन नीति के अनुरूप, राजस्व और सीडब्ल्यूआईपी पर क्रमशः 258.86.08 लाख रुपये (पिछले वर्ष 224.93.63 लाख रुपये) और 89.01 लाख रुपये (पिछले वर्ष 18.54.29 लाख रुपये) की राशि प्रभारित की गई है।

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	लाभ और हानि विवरण में उधार लेने की लागत को दर्शाया गया	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत	वर्ष के दौरान कुल उधार लागत
चालू वर्ष	258 86.08	89.01	259 75.09
पिछला वर्ष	224 93.63	18 54.29	243 47.92

34.18 इंड एस--33, "प्रति शेयर आय" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण।

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	(430 56.65)	(435 17.34)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- मूल	1513487 40.00	1507460 00.00
- तनुकृत	1517532 17.00	1607460 00.00
प्रति शेयर मूल आय (प्रति शेयर अंकित मूल्य 100 रुपये) (रुपये)	-28.45	-28.87
प्रति शेयर तनुकृत आय (प्रति शेयर अंकित मूल्य 100 रुपये) (रुपये)	-28.37	-27.07

34.19 इंड एस -1, "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति", इंड एस 8, "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" के संबंध में प्रकटीकरण।
क. पूंजी प्रबंधन

राशि (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(क) कुल ऋण	4868 13.63	4642 15.49
(ख) कुल पूंजी	2192 37.65	2147 77.51
(ग) ऋण/इक्विटी अनुपात (क/ख)	2.22	2.16



कंपनी के पूंजी प्रबंधन की गणना के लिए, पूंजी में जारी पूंजी और अन्य इक्विटी शामिल हैं। ऋण में दीर्घकालिक ऋण और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।

ख. पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन डीएमआरसी से पिछले वर्षों से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण और ठेकेदार के दावों के अंतिम निपटान के कारण केएमआरएल की मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण के कारण किया गया था।

ऐसे पुनर्कथनों का निवल प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है।

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	निवल प्रभाव
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के सकल मूल्य में (वृद्धि)	14 15.29
2023-24 तक संचित मूल्यहास एवं परिशोधन में (वृद्धि)	10 69.24
अन्य इक्विटी में (कमी)	(10 69.24)
प्रति इक्विटी शेयर आय में (कमी)	(.71)

34.20 भारतीय लेखा मानक -116, "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

34.20.1 कंपनी ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ परिसर पट्टे/किराए पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएँ आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीनीकृत की जाती हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने 3.82 लाख रुपये (वार्षिक वर्ष 5.13 लाख रुपये) का पट्टा किराया (वसूली घटाकर) चुकाया है और इस प्रकार चुकाया गया पट्टा किराया व्यय - कर्मचारी कल्याण व्यय शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया गया है।

34.20.2 पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दिनांक 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आरओयू परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	वर्ष 2024-25 के दौरान	वर्ष 2023-24 के दौरान
शुरुआत में शेष राशि	8.30	13.32
जोड़	649.03	0.00
हटाना	0.00	0.00
मूल्यहास	259.06	5.02
अंत में शेष राशि	398.27	8.30

आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यहास - ₹254.04 लाख, भारतीय लेखा मानक - 116 के अनुसार, प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित किया जाता है।

पट्टा देयताओं में परिवर्तन इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष 2024-25 के दौरान	वर्ष 2023-24 के दौरान
आरंभ में शेष राशि	9.59	14.57
अतिरिक्त राशि	920.81	0
वित्तीय लागत - लाभ और हानि पर प्रभारित	8.15	1.14
वित्तीय लागत - सीडब्ल्यूआईपी पर प्रभारित	21.15	0
पट्टे की देनदारियों का भुगतान	-496.77	-6.12
अंत में शेष राशि	462.93	9.59

दिनांक 31 मार्च तक चालू और गैर-चालू पट्टा देनदारियों का विवरण इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
गैर-चालू पट्टा देयताएँ	0	4.13
चालू पट्टा देयताएँ	462.93	5.46
कुल	462.93	9.59

उपरोक्त पट्टा देयता में केएमआरएल द्वारा मेसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से पट्टे पर ली गई 2.85 हेक्टेयर भूमि की देयता शामिल है, जिसे वित्तीय पट्टे के अंतर्गत मेसर्स एफकोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बैंक-टू-बैंक इनवॉइसिंग के आधार पर उप-पट्टे पर दिया गया है। पट्टे पर ली गई भूमि के विरुद्ध सृजित आरओयू परिसंपत्ति, जो कि उप-पट्टे पर दी गई अंतर्निहित परिसंपत्ति है, की मान्यता समाप्त कर दी गई है और पट्टा प्राप्य को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-116 के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

34.20.3 ऐसे पट्टे जिनके अंतर्गत कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को लगभग वहन करती है, वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। अधिग्रहण के समय, ऐसी परिसंपत्तियों को पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा भुगतानों के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूंजीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में एक सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों को परिचालन पट्टे के आधार पर पक्षों को लाइसेंस दिया है। परिचालन पट्टों से प्राप्त किराये की आय को सामान्यतः संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहाँ किराये को केवल कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए संरचित किया जाता है, ऐसी वृद्धि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसे लाभ अर्जित होते हैं।



परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाली भविष्य की न्यूनतम लाइसेंसिंग राशियाँ नीचे दी गई हैं;

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
एक वर्ष से अधिक नहीं	12 83.29	11 45.32
एक वर्ष से अधिक और पाँच वर्ष तक	38 03.43	44 63.60
पाँच वर्ष से अधिक	55 48.85	59 46.45
कुल	106 35.57	115 55.37

34.21 भारतीय लेखा मानक -24, “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण” के संबंध में प्रकटीकरण

34.21.1 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तिः

1. श्री अनुराग जैन (2 सितंबर 2024 तक अध्यक्ष एवं नामित निदेशक)
2. श्री श्रीनिवास कटिकिथला (2 सितंबर 2024 तक अध्यक्ष एवं नामित निदेशक)
3. श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (नामित निदेशक)
4. श्री जयदीप (नामित निदेशक)
5. श्री किशोर कुमार (30 जून 2024 तक नामित निदेशक)
6. श्री भूपेंद्र सिंह बोध (नामित निदेशक)
7. डॉ. वेणु वी. (31 अगस्त 2024 तक नामित निदेशक)
8. श्रीमती शारदा मुरलीधरन (11 सितंबर 2024 तक नामित निदेशक)
9. श्री उमेश एन.एस.के. (नामित निदेशक)
10. श्री बीजू प्रभाकर (नामित निदेशक)
11. श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल (11 सितंबर 2024 तक नामित निदेशक)
12. डॉ. ए. जयतिलक (11 सितंबर 2024 तक नामित निदेशक)
13. श्री लोकनाथ बेहरा (प्रबंध निदेशक)
14. श्रीमती अन्नपूर्णा एस. (निदेशक - वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी - 30 सितंबर 2024 तक)
15. डॉ. एम. पी. रामनवास (निदेशक - परियोजनाएँ)
16. श्री संजय कुमार (निदेशक - प्रणालियाँ)
17. श्रीमती सीनी एलेक्स कुरुविला - (मुख्य वित्तीय अधिकारी - 21 मार्च 2025 से)
18. श्री लिस्टन परेरा (कंपनी सचिव)

34.21.2 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेन-देन का प्रकटीकरण:

राशि (लाख रुपये में)

	विवरण	2024-25	2023-24
1	वेतन एवं भत्ते	1 82.10	1 83.95
2	भविष्य निधि एवं अन्य में अंशदान	20.71	20.58
3	अन्य लाभ	12.90	30.51
	कुल (कर्मचारी लागत में शामिल)	2 15.71	2 35.04

क) पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य वित्तीय अधिकारी को कंपनी की नीति के अनुसार वसूली के अधीन निजी यात्राओं के लिए कंपनी के वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

ख) उपरोक्त राशि में ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अवकाश यात्रा रियायत में योगदान के प्रावधान शामिल नहीं हैं, जैसा कि बीमांकिक मूल्यांकन पर निर्धारित किया गया है। हालाँकि, वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक भुगतान अन्य लाभों में शामिल हैं।

34.21.3 उन कंपनियों का विवरण जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है और जिनके साथ कंपनी का लेन-देन हुआ है

कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)।

34.21.4 संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का प्रकटीकरण।

केरल सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 26/2020/ट्रांस के माध्यम से कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन को मंजूरी दी, जिसमें कोच्चि सरकार की 74% इक्विटी और केएमआरएल की 26% इक्विटी, 4.90 लाख रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी होगी। तदनुसार, मेसर्स कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) का दिनांक 14 जुलाई, 2021 को निगमन किया गया। कंपनी ने केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया, जिसमें कंपनी और कोच्चि सरकार के दायित्वों का वर्णन किया गया।

कंपनी ने 09.08.2021 से 5 वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति के पट्टे के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के साथ एक समझौता किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने परिचालन के प्रारंभिक चरण के दौरान केडब्ल्यूएमएल को सहायता प्रदान करने के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के साथ एक समझौता किया।

वर्ष के दौरान सामान्य व्यावसायिक क्रम में कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए गए:



राशि (लाख रुपये में)

लेन-देन की प्रकृति	2024-25	2023-24
केडब्ल्यूएमएल की ओर से धनराशि प्राप्तियाँ	228.85	3 06.99
केडब्ल्यूएमएल से व्यय की प्रतिपूर्ति	2.94	37.44
केडब्ल्यूएमएल को व्यय की प्रतिपूर्ति	0.00	0.00
प्रदान की गई सेवाएँ	1.32	0.81
केडब्ल्यूएमएल टर्मिनलों से जारी पीरियड पास से केएमआरएल राजस्व	0.00	0.09
केएमआरएल स्टेशनों से जारी पीरियड पास से केडब्ल्यूएमएल राजस्व	20.42	0.03

दिनांक 31 मार्च तक कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के पास बकाया राशि निम्नलिखित है।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए केडब्ल्यूएमएल से प्राप्त राशि	3.45	7.18
प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त राशि	1.55	0.00
देय - केडब्ल्यूएमएल की ओर से प्राप्त राशि	0.10	2.29
देय - केएमआरएल स्टेशनों से जारी किए गए पीरियड पास से प्राप्त राजस्व	1.33	0.00

सभी बकाया राशि अप्रतिभूत राशि हैं और नकद में देय हैं।

34.22 भारतीय लेखा मानक -36 (परिसंपत्तियों की क्षति) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, परिसंपत्ति पर क्षति हानि शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के रूप में मान्यता प्राप्त है।



34.23. भारतीय लेखा मानक -37 - आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रकटीकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	01.04.2024 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/अंतरण /उपयोग	31.03.2025 को समापन शेष
आकस्मिक देनदारियाँ			
क. कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के लिए			
i. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे	613 74.16	(9 87.88)	603 86.28
ii. जिला कलेक्टर को स्थापना एवं आकस्मिकता शुल्क*	92 29.58	19 07.73	111 37.31
iii. मध्यस्थता दावे	219 85.29	(11 73.32)	208 11.97
iv. अन्य	208 05.81	2 48.75	210 54.56
ख. केरल सरकार (केजी) की ओर से केएमआरएल द्वारा किए जा रहे प्रारंभिक कार्यों के लिए			
i. प्रारंभिक कार्य (भूमि अधिग्रहण सहित)	354 07.33	164 95.21	519 02.54
ii. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे - जल मेट्रो परियोजना	0.00	19 93.60	19 93.60
iii. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे - लाइट मेट्रो (प्रारंभिक कार्य)	0.00	21 81.73	21 81.73
ग. सांविधिक प्राधिकरण	6 95.73	6 14.12	13 09.85
कुल आकस्मिक देयताएँ	1494 97.90	212 79.94	1707 77.84

* प्रारंभिक कार्यों से संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्थापना और आकस्मिकता शुल्क के लिए दावा की गई राशि को छोड़कर, क्योंकि प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि राज्य सरकार के नाम पर अधिग्रहित की जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2025 तक, परियोजनाओं से संबंधित कुछ भूमि अधिग्रहण मामले उप-न्यायालय एर्नाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एर्नाकुलम में लंबित हैं। बढ़े हुए मुआवजे के कारण अनुमानित अतिरिक्त देयता, जहाँ याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण प्रस्तुत किया गया है, 603.86.28 लाख रुपये अनुमानित है। इसे आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

इसके अलावा, विभिन्न कार्यों (प्रारंभिक, जल मेट्रो और श्रीकार्यम फ्लाईओवर) से संबंधित भूमि अधिग्रहण मामले, जो उप-न्यायालय एर्नाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एर्नाकुलम में लंबित हैं, जहाँ याचिकाकर्ताओं द्वारा 518.29.52 लाख रुपये की अनुमानित देयता के लिए दावा विवरण प्रस्तुत किया गया है, को भी आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

शेष मामलों में, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी ऐसे संदर्भों के आधार पर वर्तमान देयता का आकलन करने में असमर्थ है। न्यायालयों में लंबित इन मामलों के संबंध में देयताएँ, यदि कोई हों, कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद या अंतिम आदेश प्राप्त होने पर प्रदान की जाएंगी।



विभिन्न कार्यों पर दावों के संबंध में, निपटान ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु केरल सरकार से प्राप्त धनराशि से किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन पुनर्स्थापन (केरल) नियम 2015 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार के नियम 4(2) और नियम 4(3) के अंतर्गत, भूमि अधिग्रहण लागत के क्रमशः 30% और 5% की दर से स्थापना शुल्क और आकस्मिकता का भुगतान जिला कलेक्टर को अग्रिम रूप से किया जाएगा। चूँकि भारत सरकार, केरल सरकार और केएमआरएल के बीच दिनांक 04.11.2013 के समझौता ज्ञापन के अनुसार भूमि अधिग्रहण केरल सरकार का दायित्व है, इसलिए केएमआरएल ने कई बार राजस्व विभाग से ऐसे स्थापना शुल्क और आकस्मिकता की छूट का अनुरोध किया है। ऐसी पुष्टि होने तक, स्थापना शुल्क और आकस्मिकता के कारण देय राशि (अग्रिम/प्रावधान, यदि कोई हो, घटाकर) आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत शामिल की जाती है।

34.24 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, एक निश्चित सीमा को पूरा करने वाली कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। यद्यपि केएमआरएल पर सीएसआर प्रावधान लागू हैं, लेकिन हुए घाटे के कारण कंपनी को सीएसआर पर कोई भी राशि अनिवार्य रूप से खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया है।

34.25 भारतीय लेखा मानक (इंड एस) - 107 "वित्तीय लिखत प्रकटीकरण " के संबंध में प्रकटीकरण:

34.25.1 श्रेणियों के अनुसार वित्तीय लिखत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक			31 मार्च 2024 तक		
	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई
वित्तीय पूंजी						
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट संख्या 5 और 11 देखें)	922 34.69	-	-	840 13.17	-	-
व्यापारिक प्राप्य (नोट संख्या 8 देखें)	13 41.80	-	-	7 31.47	-	-
कुल	935 76.49	-	-	847 44.64	-	-
वित्तीय देनदारियाँ						
उधार (नोट संख्या 16ए और 21ए देखें)	48 68 13.63	-	-	46 42 15.49	-	-

अन्य वित्तीय देयताएं (नोट संख्या 17 एवं 23 देखें)	6 45 70.26	-	-	5 01 74.04	-	-
कुल	55 1383.89	-	-	51 43 89.53	-	-

34.25.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों से संबंधित विभिन्न जोखिमों से ग्रस्त है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का श्रेणीवार सारांश ऊपर दिया गया है। जोखिमों के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिम को कम करके कंपनी के अल्प से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

कंपनी जिन सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों से ग्रस्त है, उनका वर्णन नीचे किया गया है:

क. बाजार जोखिम

कंपनी के पास बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम है। साथ ही, कंपनी के पास कोई मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

ख. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व में चूक के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों, जैसे कर्मचारियों को अग्रिम राशि प्रदान करना, ग्राहकों से प्राप्तियां, सुरक्षा जमा आदि के लिए इस जोखिम से ग्रस्त है। रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से है।

- व्यापारिक प्राप्य

- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचानी गई चूकों की निरंतर निगरानी करती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रणों में शामिल करती है। जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध हो, ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है।

ग. नकदी जोखिम

कंपनी की नकदी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के नकदी के प्रमुख स्रोत परिचालन से प्राप्त राजस्व, वाणिज्यिक दीर्घकालिक उधार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

कंपनी नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखकर अपनी नकदी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए निवल नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।



अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी बकाया, सांविधिक बकाया, वर्तमान परिपक्वता अवधि और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सामान्य व्यावसायिक गतिविधि के दौरान उत्पन्न होने वाले बाह्य उधारों और प्रतिधारण एवं जमाराशियों पर ब्याज शामिल हैं। कंपनी अपनी अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और नकद समकक्षों तथा अन्य बैंक शेषों का रखरखाव करती है।

कंपनी समय-समय पर दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं का आकलन करती है और आंतरिक संचयों के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है। कंपनी की गैर-वर्तमान देनदारियों में उधारों का पुनर्भुगतान, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण एवं जमाराशियाँ तथा कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ शामिल हैं।

घ. ऋण जोखिम प्रबंधन

i. व्यापारिक प्राप्य

दिनांक 31 मार्च, 2025 और दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के पास क्रमशः 20.96.33 लाख रुपये और 12.57.52 लाख रुपये की बकाया व्यापारिक प्राप्य राशि (सकल) है। व्यापारिक प्राप्य राशियाँ आमतौर पर असुरक्षित होती हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। व्यापारिक प्राप्य राशियों से संबंधित ऋण जोखिमों को ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेकर कम किया जाता है। कंपनी देनदारों की ऋण पात्रता पर बारीकी से नज़र रखती है और केवल ऋण-योग्य पक्षों के साथ ही लेन-देन करती है। कंपनी की आंतरिक प्रणालियाँ ग्राहकों की ऋण सीमा निर्धारित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई हैं, जिससे ऋण जोखिम पूर्व-गणना की गई राशि तक सीमित रहता है।

ii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

ड. अपेक्षित ऋण हानियाँ - कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करती है:



व्यापार प्राप्तियां

व्यक्तिगत व्यापारिक प्राप्तियों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर, जब वसूली की संभावना संदिग्ध मानी जाती है, तो व्यापारिक प्राप्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है। कंपनी उन वित्तीय परिसंपत्तियों को अच्छी ऋण गुणवत्ता वाली मानती है जो क्षतिग्रस्त नहीं हैं और प्रत्येक समीक्षाधीन तिथि के लिए देय हैं। कंपनी ने व्यापारिक प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए ₹754.53 लाख (पिछले वर्ष ₹526.05 लाख) की राशि का अनुमान लगाया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राय का आयु विश्लेषण निम्नानुसार संक्षेपित है:

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						कुल
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		
31 मार्च 2025 तक	11 67.57	25.90	.67	1.66	.28	11 96.08	
निर्विवाद व्यापार प्राय - अच्छा माना जाता है	4 69.63	59.15	56.37	.05	.55	5 85.75	
31 मार्च 2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
निर्विवाद व्यापार प्राय - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
31 मार्च 2025 तक	7.84	11.03	7.97	9.89	3.10	39.83	
निर्विवाद व्यापार प्राय - ऋण क्षति	1 13.72	24.60	47.50	2.92	1 10.21	2 98.95	
31 मार्च 2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
विवादित व्यापार प्राय - अच्छा माना जाता है	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
31 मार्च 2025 तक	.00	.00	.00	.00	1 45.72	1 45.72	
विवादित व्यापार प्राय - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	.00	.00	.00	.00	1 45.72	1 45.72	
31 मार्च 2025 तक	90.28	80.71	1 82.65	78.03	2 83.03	7 14.70	



गिवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	31 मार्च 2024 तक	14.29	16.02	23.82	.00	1 72.97	2 27.10
	31 मार्च 2025 तक	12 65.69	1 17.64	1 91.29	89.58	4 32.13	20 96.33
कुल	31 मार्च 2024 तक	5 97.64	99.77	1 27.69	2.97	4 29.45	12 57.52

जहाँ भुगतान की देय तिथि उपलब्ध नहीं है, वहाँ लेनदेन की तिथि पर विचार किया गया है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का आकलन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की वसूली की निरंतर निगरानी करके किया जाता है, साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियाँ निर्धारित सीमाओं के भीतर रहें। कंपनी ने अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण हानि के लिए 84.69 लाख रुपये (पिछले वर्ष 84.69 लाख रुपये) की राशि का अनुमान लगाया है।

परिसंपत्तियों के प्रकार के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर बताए गए के अलावा परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर कोई संभावित प्रभाव नहीं है। कंपनी समीक्षा जारी रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर, उस समय हानि के लिए प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

34.26. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-108, "परिचालन खंड" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी का केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यावसायिक खंड है, जो कोच्चि शहर में एक मेट्रो रेल सुविधा के निर्माण, संचालन और रखरखाव का कार्यान्वयन करता है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एक ही परिचालन खंड में संचालित होता है। कंपनी की अन्य सभी गतिविधियाँ इसी मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। संपत्ति विकास परिसंपत्तियों के संबंध में परामर्श आय और पट्टे पर स्थान (स्टेशनों और स्टेशनों के बाहर) से अर्जित किराये की आय सहित अन्य परिचालन राजस्व, कंपनी की आंतरिक निर्णय लेने और प्रदर्शन मापन प्रक्रिया के तहत कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 108 के अनुसार, परिचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जानी चाहिए। मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता पूरी कंपनी के परिचालन परिणामों की एक खंड के रूप में निगरानी और समीक्षा करता है। इसलिए कंपनी का एकमात्र परिचालन खंड "मेट्रो संचालन" है। इस प्रकार, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" में पहचाना गया है, कंपनी का संपूर्ण व्यवसाय एक ऑपरेशन सेगमेंट के अंतर्गत आता है और इसलिए भारतीय लेखा मानक 108 के तहत कोई अतिरिक्त खुलासा नहीं किया जाना है।

34.27 कलामस्सेरी में ईंधन आउटलेट

कंपनी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए एक डिस्पेंसिंग पंप और विक्रय लाइसेंस (DPSL) समझौता किया है, जो दिनांक 10 मार्च 2025 से शुरू होगा। प्रत्येक अवधि के अंत में इसे पाँच वर्षों के लिए नवीनीकृत करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इस समझौते के तहत, कंपनी बीपीसीएल के पेट्रोलियम उत्पादों, जिनमें मोटर स्पिरिट, एचएसडी, मोटर ऑयल, ग्रीस और अन्य मोटर सहायक उपकरण शामिल हैं, के वितरण और बिक्री के लिए जिम्मेदार होगी। सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरीयों के पूरा होने के बाद, ईंधन स्टेशन का व्यावसायिक संचालन आधिकारिक तौर पर 21 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं होने और राजस्व अर्जित नहीं होने के कारण ईंधन आउटलेट संचालन के लिए भारतीय लेखा मानक 108 के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया है। हालाँकि, वित्तीय विवरण में शामिल पूर्व-प्रारंभ अवधि के दौरान संपत्ति, देनदारियाँ और व्यय नीचे दिए गए हैं।



राशि (लाख रुपये में)

विवरण	संदर्भ नोट संख्या	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
स्थायी संपत्तियाँ (निवल ब्लॉक)	2.क	9.21	0.00
प्रदत्त प्रतिभूति जमा राशि	5	5.00	0.00
अन्य चालू संपत्तियाँ - लाइसेंस शुल्क	12	0.09	0.00
उपकरणों का स्टॉक	7	0.14	0.00
ईंधन का स्टॉक	7	4.60	0.00
परिचालन व्यय	28	1.73	0.00
अन्य व्यय	32	0.19	0.00

34.28 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण

राशि (लाख रुपये में)

पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी द्वारा किए गए मूर्त परिसंपत्ति अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों को छोड़कर विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित) जिनका निष्पादन होना बाकी है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	8 74.65	13 43.92
केएमआरएल द्वारा किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों को छोड़कर) जिनका निष्पादन होना बाकी है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है - मूर्त संपत्तियाँ	1175 13.63	124 46.88
कुल	1183 88.28	137 90.80

34.29 कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। बैंक खातों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। व्यापारिक प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी ग्राहकों को नियमित चालान/पुष्टिकरण पत्र भेजती है और जब बकाया राशि की अवधि की परवाह किए बिना वसूली की अनिश्चितता होती है, तो प्रावधान किए जाते हैं और जब वसूली न हो पाने की पुष्टि हो जाती है, तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

जहाँ तक व्यापार/अन्य देय राशियों और ऋणों एवं अग्रिमों का संबंध है, शेष राशि की पुष्टिकरण पत्र पक्षों को भेजे गए थे। कुछ शेष राशियाँ पुष्टिकरण/समाधान के अधीन हैं, यदि कोई समायोजन होता है, तो उसका लेखा पुष्टिकरण/समाधान के समय किया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

34.30 सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों को देय राशि

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर 68.52 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5.01.48 लाख रुपये) बकाया है, लेकिन देय नहीं है। इस पर कोई ब्याज देय या बकाया नहीं है।

सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों को देय राशि

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
अदत्त मूल राशि	68.52	5 01.48
उपर्युक्त पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती है।	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित उपरोक्त जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है। लेखापरीक्षकों ने इसी पर भरोसा किया है।

34.31 व्यापार देयताएं समयाकाल निर्धारण अनुसूची

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से कम*	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	31.03.2025 तक	57.92	0	0	0	57.92
	31.03.2024 तक	11.7	0	0	0	11.70
अन्य	31.03.2025 तक	155.99	0.92	10.08	15.44	182.43
	31.03.2024 तक	734.46	0.09	17.37	2	753.92
विवादित बकाया - एमएसएमई	31.03.2025 तक	0	0	0	0	0
	31.03.2024 तक	0	0	0	0	0



विवादित बकाया राशि- अन्य	31.03.2025 तक	0	0	0	0	0
	31.03.2024 तक	0	0	0	0	0
कुल	31.03.2025 तक	213.91	0.92	10.08	15.44	240.35
	31.03.2024 तक	746.16	0.09	17.37	2.00	765.62

* इसमें वह राशि भी शामिल है जो देय नहीं है।

बिल न किए गए बकाया

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से कम/देय नहीं	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
बिल न किए गए बकाया	बिल न किए गए बकाया	1003.42	0	0	65.32	1068.74
	बिल न किए गए बकाया	3 82.75	0	0	61.44	4 44.19

34.32 सहयोगी कंपनियों में निवेश

केएमआरएल ने कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड में 26% इक्विटी शेयर के लिए 1.27.40 लाख रुपये (100 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 1,27,400 शेयर) का निवेश किया। सहयोगी कंपनियों में निवेश का विवरण नीचे दिया गया है:

कंपनी का नाम	कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड
मुख्य व्यवसाय स्थान	कोच्चि, भारत
31.03.2025 तक होल्डिंग का %	26%

34.33 भारतीय लेखा मानक 105 - बिक्री हेतु धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों और बंद परिचालनों के संबंध में प्रकटीकरण।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 17) के विकास के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिगृहीत भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की। ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, भूमि सभी भागों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। कुल अधिग्रहण 0.0315 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए है और इसे 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए "बिक्री हेतु धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका मूल्य 2.58.01 लाख रुपये है।

कंपनी को कार्यवाही संख्या 253/2021/EDPY-5315/2022 दिनांक 06.03.2024 के अनुसार 30.07.2024 को ₹3.88.65 लाख का मुआवज़ा प्राप्त हुआ। भूमि अधिग्रहण पर ₹130.66 लाख का लाभ वित्त वर्ष 2024-25 में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है (नोट संख्या 27.1 देखें)। इस प्रकार प्राप्त राशि को केनरा बैंक (₹3.43.80 लाख) और केरल बैंक (₹44.85 लाख) को सावधि ऋण चुकौती हेतु जारी किया गया।

34.34 निवेश संपत्ति

दिनांक 31 मार्च तक कंपनी के पास निम्नलिखित निर्माणाधीन निवेश संपत्तियाँ हैं:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024-25	2023-24
आरंभ में शेष राशि	7 58.34	.00
जोड़ें	21 19.35	7 58.34
हटाना/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरण	.00	.00
अंत में शेष राशि	28 77.69	7 58.34

दिनांक 31.03.2025 तक, कंपनी निर्माणाधीन निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापने की स्थिति में नहीं है और इसलिए इसका खुलासा नहीं किया गया है।

34.35 हाल की लेखांकन घोषणाएँ।

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, एमसीए ने भारतीय लेखा मानक - 117 बीमा अनुबंधों और भारतीय लेखा मानक 116 - पट्टे में बिक्री और लीज़बैक लेनदेन से संबंधित संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से कंपनी पर लागू होंगे। कंपनी ने नई घोषणाओं की समीक्षा की है और अपने मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि इसका उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

34.36 अन्य सांविधिक जानकारी

(i) वित्तीय विवरणों में प्रकटित सभी अचल संपत्तियों (उन अचल संपत्तियों को छोड़कर जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वामित्व विलेख, जिनमें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और पूंजीगत कार्य प्रगति शामिल है, तुलन पत्र की तिथि पर कंपनी के नाम पर हैं।

(ii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत रद्द की गई कंपनियों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

(iii) कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के साथ पठित कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के अंतर्गत निर्धारित स्तरों की संख्या की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्था/संस्था/संस्था/संस्था/संस्थाओं को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:



क. कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थियों) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या

(vi) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा। कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (निधि देने वाले पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्था

क. वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना, या

ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना।

(vii) कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया था।

(viii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिष्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(ix) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहाँ बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

(x) कंपनी के पास कोई ऐसा शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी हो।

(xi) कंपनी का कोई ऐसा लेनदेन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(xii) कंपनी के नाम पर धारित न होने वाली अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख।

परिसंपत्ति का विवरण	आइटम संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपये में)	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	क नाम पर स्वामित्व विलेख	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	भूमि (फ्रीहोल्ड)	161 63.77 (भूमि के टुकड़ों की संख्या - 39; क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - 2.541)	नहीं	निजी मालिक (प्रत्यक्ष खरीद के आधार पर अधिग्रहित)	वित्तीय वर्ष 2014-15 से आज तक	भूमि स्वामित्व एजेंसियों/मालिकों के साथ कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने में देरी के कारण।

34.37 अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	अंश	हर	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक	विचरण (% में)
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान	0.87	0.61	43%
2	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	देनदारियाँ	2.22	2.16	3%
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण चुकौती के लिए उपलब्ध आय	शेयरधारक की इक्विटी	0.08	0.06	33%
4	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	शुद्ध लाभ	कुल ऋण सेवा	(0.20)	(0.19)	-5%
5	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	राजस्व	औसत शेयरधारक इक्विटी	3.40	3.85	-12%
6	व्यापार देय कारोबार अनुपात	सेवाओं की खरीद और अन्य व्यय	औसत व्यापार देय राशि	7.04	7.37	-4%
7	शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात	राजस्व	कार्यशील पूँजी	(2.35)	(0.86)	-173%
8	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	राजस्व	(1.56)	(1.77)	12%
9	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूँजी	(0.01)	(0.02)	50%

1. चालू अनुपात में सुधार सरकार से परियोजना निधि प्राप्त होने के कारण है।

3. ऋण सेवा कवरेज अनुपात में सुधार वर्ष के लिए कर-पश्चात हानि में कमी के कारण है, जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण है।

7. शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात में अंतर वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में परिचालन से राजस्व में वृद्धि और परियोजना निधि प्राप्त होने के कारण कार्यशील पूँजी में वृद्धि के कारण है।

9. नियोजित पूँजी पर प्रतिफल में सुधार वर्ष के लिए ब्याज और कर-पश्चात हानि में कमी के कारण है, जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन से राजस्व में वृद्धि और व्यय में कमी के कारण है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II द्वारा अपेक्षित अन्य अनुपात कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन अनुपातों से संबंधित कोई लेनदेन नहीं है।



34.38 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

संग्रह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते पॉलसन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002620S
यूडीआईएन: 25021855BMLBAT8168

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
सीए पॉलसन केपी, एलएलबी,
एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 021855

ह/-
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

ह/-
डॉ. एम. पी. रामनवास
निदेशक
(डीआईएन: 09663030)

ह/-
सीनी एलेक्स कुरुविला
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) सहपठित धारा 129 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) सहपठित धारा 129(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार है। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 16.07.2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 143(6)(क) सहपठित 129(4) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। हमने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया, लेकिन उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण नहीं किया। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की विस्तृत जाँच तक सीमित है।

मैंने अपने अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं:

टिप्पणी संख्या 1

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

टिप्पणी संख्या 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, कंपनी को अनुसूची III में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार उन सभी अचल संपत्तियों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने कंपनी के वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 2.1 से 2.7 में फ्रीहोल्ड भूमि से संबंधित विभिन्न खुलासे किए हैं। तथापि, केएमआरएल द्वारा धारित अचल संपत्ति, अर्थात् भूमि, जिसके स्वामित्व के दस्तावेज कंपनी के नाम पर नहीं हैं, के संबंध में अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त विनियामक जानकारी का खुलासा टिप्पणियों में नहीं किया गया था।

इसलिए, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ उस सीमा तक अपूर्ण हैं।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उनकी ओर से

ह./-

(एस. वेलियानगिरी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

स्थान: चेन्नई

दिनांक: 26.09.2025



स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का उत्तर/स्पष्टीकरण

टिप्पणी संख्या 1	प्रबंधन का जवाब
<p>टिप्पणी संख्या 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण</p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, कंपनी को अनुसूची III में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार उन सभी अचल संपत्तियों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट 2.1 से 2.7 में फ्रीहोल्ड भूमि से संबंधित विभिन्न खुलासे किए हैं। हालाँकि, केएमआरएल द्वारा धारित अचल संपत्ति, अर्थात् भूमि, जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं, के संबंध में अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारी का खुलासा नोटों में नहीं किया गया था। इसलिए, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट उस सीमा तक अपूर्ण हैं।</p>	<p>दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।</p> <p>1.10 भूमि</p> <p>ज़मीन मालिकों द्वारा सौंपी गई और ज़िला कलेक्टर के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि के टुकड़ों का मूल्य, ज़िला कलेक्टर के तत्वावधान में कार्यरत भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर, कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, पंजीकृत किया गया है। कब्जे में मौजूद भूमि से संबंधित लागत या मुआवजे के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतान / प्रदान की गई देयता को भूमि की लागत माना जाता है। निर्माण के लिए सौंपी गई भूमि, जो विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों की है, का मूल्य पंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि देय राशि और अन्य शर्तों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और इसलिए उनका पता नहीं लगाया जा सका है।</p> <p>कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न खुलासे:</p> <ol style="list-style-type: none"> टिप्पणी संख्या 2.1: कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक 38.692 हेक्टेयर निजी भूमि का कब्ज़ा ले लिया है (पिछले वर्ष 38.085 हेक्टेयर)। टिप्पणी संख्या 2.3: सरकारी अभिलेखों में कंपनी के नाम पर निजी भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, जिसमें 2.541 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 161.63.77 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 2.541 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 161.63.77 लाख रुपये था)। टिप्पणी संख्या 2.5: विभिन्न सरकारी निकायों/विभागों/राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित 6.5617 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 6.343 हेक्टेयर) भूमि पर मेट्रो का कार्य पूरा हो चुका है/प्रगति पर है। मूल्य, हस्तांतरण औपचारिकताओं और अन्य नियमों व शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, भूमि के इन टुकड़ों को अचल परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

4. **टिप्पणी संख्या 2.7:** 3.33 एकड़ क्षेत्रफल वाले उन भूमि खंडों का खुलासा करता है जिनका गलत तरीके से पंजीकरण किया गया है।

5. **टिप्पणी संख्या 34.36 (xii):** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनियों को उन अचल संपत्तियों का विवरण प्रकट करना आवश्यक है जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टिप्पणी संख्या 34.36 (xii) में पर्याप्त प्रकटीकरण प्रदान करके इस आवश्यकता का अनुपालन किया है। इस टिप्पणी में समेकित आधार पर 2.541 हेक्टेयर भूमि का खुलासा किया गया है, जिसका पंजीकरण किया जा चुका है, जिसके लिए स्वामित्व दस्तावेज अभी तक केएमआरएल के नाम पर नहीं हैं, तथा पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने तक ऐसा नहीं किया जा सकता।

कंपनी वित्तीय विवरणों में भूखंड-वार विवरण के अभाव के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करती है। हालाँकि, चूँकि भूमि के भूखंड निजी व्यक्तियों के हैं और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से प्रक्रियागत देरी के कारण लंबित है, इसलिए भौतिकता और प्रस्तुतिकरण के दृष्टिकोण से एक समेकित प्रकटीकरण उचित माना गया। फिर भी, कंपनी आंतरिक रूप से भूखंड-वार डेटा रखती है।

इसके अलावा, केएमआरएल द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण उद्योग प्रथाओं के अनुरूप है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों की समीक्षा से पता चलता है कि भूखंड-वार विवरण के बिना, समेकित आधार पर भी इसी तरह के खुलासे किए गए हैं। केएमआरएल ने रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस उद्योग-मानक प्रकटीकरण पद्धति का पालन किया है।

इसके बावजूद, आवश्यक अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को उचित रूप से ध्यान में रखा गया है।



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात "कंपनी" के रूप में संदर्भित) और उसके सहयोगी के समेकित वित्तीय विवरणों का एखापरीक्षा किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 तक समेकित तुलनपत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी आदि शामिल है।
2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्टों और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों ('इंड एस') के अनुरूप कंपनी और उसके सहयोगी की 31 मार्च 2025 तक की समेकित स्थिति और उनकी समेकित हानि, उनकी समेकित कुल व्यापक आय, उनके समेकित नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में उनके समेकित परिवर्तनों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

3. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण हेतु प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, हम कंपनी और उसके सहयोगी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों पर जोर देना

4. हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.10 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('डीएमआरसी') और कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('डीएमआरसी') के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणन लंबित होने तक, कंपनी ने डीएमआरसी द्वारा प्रस्तुत विवरणों के आधार पर, वर्ष के दौरान कुल 918.70 लाख रुपये की परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया है। परिणामस्वरूप, पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त राशि में से, 1 अप्रैल 2023 तक 918.70 लाख रुपये का पूंजीकरण किया गया था। परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यहास में 125.13 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिधारित आय के आरंभिक शेष में तदनु रूप कमी आई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यहास व्यय में 26.33 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे वर्ष के लाभ में उतनी ही कमी आई है। आरंभिक

- शेष में इसी अनुपात में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यहास व्यय में 26.33 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे वर्ष के लाभ में उतनी ही कमी आई है।
- हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें पिछले वर्षों में पूंजीकृत कुछ उप-परिसंपत्तियों के स्क्रेप मूल्य में पूर्वव्यापी संशोधन का वर्णन है। परिणामस्वरूप, पिछली अवधियों के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यहास में 928.81 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उसी तिथि को प्रतिधारित आय में तदनु रूप कमी आई है, और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यहास व्यय में 168.78 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे उस वर्ष के लाभ में उतनी ही कमी आई है।
 - हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.10 और 3.4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो पिछले वर्षों में पूंजीकृत कुछ मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन की मान्यता का वर्णन करते हैं। परिणामस्वरूप, पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2023 तक मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि में क्रमशः 301.13 लाख रुपये और 3.58 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, और वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः 180.73 लाख रुपये और 11.15 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यहास और परिशोधन में क्रमशः 14.81 लाख रुपये और 0.42 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उसी तिथि को प्रतिधारित आय में 15.23 लाख रुपये की कमी आई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यहास और परिशोधन व्यय में क्रमशः 26.43 लाख रुपये और 0.88 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे वर्ष के लिए लाभ में 27.30 लाख रुपये की कमी आई है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का कोई भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

- कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी और उसके सहयोगी की इकटिटी और समेकित नकदी प्रवाह में समेकित परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो कि भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले भारतीय लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) शामिल हैं,



जैसा कि संशोधित किया गया है। कंपनी और उसके सहयोगी के संबंधित निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं, जिनका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

12. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी और उसके सहयोगी के संबंधित निदेशक मंडल, संबंधित संस्थाओं की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल या तो अपनी संबंधित संस्थाओं को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखें, या ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।
13. कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल अपनी-अपनी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

14. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।
15. समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:
 - समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
 - परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
 - समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो इस धारणा की उपयुक्तता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी नहीं रह सकती हैं।
 - समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह भी कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
 - समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए, कंपनी और उसके सहयोगी, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं और जिनकी वित्तीय जानकारी का हमने लेखा-परीक्षण किया है, की वित्तीय जानकारी या व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनका लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक अपने द्वारा किए गए लेखा-परीक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। हम अपनी लेखा-परीक्षण राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी बने रहेंगे। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन इस लेखा-परीक्षण रिपोर्ट के "अन्य मामले" अनुच्छेद में आगे किया गया है।
16. भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानों की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इस बात की संभावना बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलतबयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।
17. हम उस कंपनी के शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।
18. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।



अन्य मामले

19. समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की 3.16 लाख रुपये की शुद्ध हानि का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखा मानक (IDA) वित्तीय विवरणों में माना गया है, एक सहयोगी कंपनी के संबंध में, जिसके वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा लेखा-परीक्षण नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण एक अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक वह सहयोगी कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक वह पूर्वोक्त सहयोगी कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर आधारित है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और भारत में निगमित सहयोगी कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, और जहां तक लागू हो, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम "अनुलग्नक क" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और भारत में निगमित सहयोगी कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, और जहां तक लागू हो, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने/अन्य लेखापरीक्षक, जिनकी रिपोर्ट पर हमने भरोसा किया है, ने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बही रखी गई है, जिसमें उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख भी शामिल हैं, जहाँ तक उन बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है, नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 2(i)(vi) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर;

ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ-हानि का समेकित विवरण, नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से रखी गई प्रासंगिक लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं;

ड) दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। तदनुसार, उक्त धारा कंपनी और उसकी

सहयोगी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। इसलिए, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई निदेशक उक्त धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार अयोग्य है।

- च) खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित संशोधन, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 की धारा 143(3)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर ऊपर दिए गए पैराग्राफ 2(ख) और नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे दिए गए पैराग्राफ 2(झ)(छ) में उल्लिखित हैं।
- छ) कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- ज) सरकारी कंपनियां होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- झ) संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के विचार के आधार पर और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है:
- कंपनी और उसके सहयोगी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है और अपने समेकित वित्तीय विवरणों में खुलासा किया है - आकस्मिक देनदारियों पर समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34.23 का संदर्भ लें।
 - कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों के पास कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल थे, जिनके लिए कोई पूर्वानुमानित भौतिक हानियाँ थीं।
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
 - क) कंपनी और उसके सहयोगी के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत ऑडिट की गई है, ने हमें और ऐसे सहयोगी के दूसरे ऑडिटर को बताया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी या उसके सहयोगी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कंपनी या सहयोगी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।
- ख) कंपनी और उसके सहयोगी के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत ऑडिट की गई है, ने हमें और ऐसे सहयोगी के दूसरे ऑडिटर को क्रमशः बताया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी या उसके सहयोगी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है,



जिसमें विदेशी संस्थाएं ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी या उसके सहयोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगे या निवेश करेंगे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेंगे।

- ग) हमारे द्वारा निष्पादित और उसके सहयोगी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, के लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जो परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई हैं, हमारे या अन्य लेखापरीक्षक के ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखापरीक्षक को यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण शामिल है।
- v. कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।
- vi. हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें नमूना जाँच शामिल थी, और सहयोगी कंपनी के संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा की गई जाँच, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं और जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अंतर्गत लेखा-परीक्षण किया गया है, नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर, कंपनी और सहयोगी कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रही है। इसके अलावा, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान, हमें और उपर्युक्त सहयोगी कंपनी के संबंधित लेखा परीक्षक को ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा पिछले वर्ष(वर्षों) के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड प्रतिधारण की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार उस सीमा तक संरक्षित रखा गया है, जहाँ तक इसे संबंधित वर्षों में सक्षम और रिकॉर्ड किया गया था।
- हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के संबंध में, किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग करने के लिए ऑडिट ट्रेल सुविधा डेटाबेस स्तर पर सक्षम नहीं थी।

कृते **पॉलसन एंड कंपनी**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 0026205

ह/-

सीए. पॉलसन के.पी.

साझेदार

सदस्यता संख्या 021855

यूडीआईएन: 25021855BMLBAU2127

कोच्चि

16 जुलाई 2025

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक "क"

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों को सम दिनांकित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित।

(xxi) अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3(xxix) के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्टों में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नलिखित प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई हैं:

क्र. सं.	नाम	सीआईएन संख्या	होल्डिंग कंपनी / सहयोगी	प्रतिकूल टिप्पणी के साथ सीएआरओ रिपोर्ट की धारा संख्या
1	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	U60100KL2011SGC029003	होल्डिंग कंपनी	3(i)(ग), 3(ii)(ख), 3(vii)(ख) और 3(xvii)
2	कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड	U61100KL2021SGC069821	होल्डिंग सहयोगी	3(i)(ख) और 3(xvii)

कृते पॉलसन एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 002620S

ह०/-

सीए. पॉलसन के.पी.

साझेदार

सदस्यता संख्या 021855

यूडीआईएन: 25021855BMLBAU2127

कोच्चि

16 जुलाई 2025



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों को समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2(छ) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ("कंपनी") के दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने उस तिथि तक कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखा-परीक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण संबंधी मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखा-परीक्षण मानकों ("मानकों") के अनुसार किया है, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण पर लागू होता है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और लेखा-परीक्षण की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और क्या ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखापरीक्षक द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

- 1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को यथोचित विवरण के साथ सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- 2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
- 3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

समेकित भारतीय लेखा मानक (इंडियन अकाउंट्स) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। इसके अलावा, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के



किसी भी मूल्यांकन के भविष्य की अवधियों के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियाँ, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, ने समेकित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और समेकित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

अन्य मामले

कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह एक सहयोगी कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, से संबंधित है, ऐसी सहयोगी कंपनी के लेखा परीक्षक की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते पॉलसन एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 002620S

ह०/-

सी.ए. पॉलसन के.पी.

साझेदार

सदस्यता संख्या 021855

यूडीआईएन: 25021855BMLBAU2127

कोच्चि

16 जुलाई 2025



**कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2025 तक की समेकित तुलन पत्र**
राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
परिसंपत्तियाँ			
(I) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.क	5939 81.42	6004 47.23
(ख) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ	2.ख	3 98.27	8.30
(ग) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	2.ग	145 97.64	77 64.02
(घ) निवेश संपत्ति		28 77.69	7 58.34
(ङ) अन्य अमूर्त संपत्तियाँ	3.क	36 47.02	38 30.72
(च) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	3.ख	30.17	5.31
(छ) वित्तीय संपत्तियाँ			
(i) निवेश	4	1 15.65	118.81
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	606 99.87	600 16.88
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	6	217 42.57	180 98.27
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (I)		6980 90.30	6910 47.88
(II) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) इन्वेंटरी	7	4 90.78	3 72.25
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापारिक प्राप्त्य	8	13 41.80	7 31.47
(ii) नकद और नकद समतुल्य	9	346 33.40	110 35.75
(iii) अन्य बैंक शेष	10	100 22.70	45 32.26
(iiii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	315 34.82	239 96.29
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	34 78.73	48 79.19
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (II)		815 02.23	455 47.21
(III) बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ	13	.77	2 60.00
कुल परिसंपत्ति (I) + (II) + (III)		7795 93.30	7368 55.09
इक्विटी और देयताएँ			
(I) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	14	1707 46.00	1507 46.00
(ख) अन्य इक्विटी	15	484 79.90	640 22.92
कुल इक्विटी (I)		2192 25.90	2147 68.92
देयताएँ			
(II) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ उधार			
(i) पट्टा देनदारियाँ	16.क	4569 72.67	4403 19.90
(iक) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	16.ख	-	4.13
(ii) वित्तीय देनदारियाँ उधार	17	53 86.18	31 52.60
(ख) प्रावधान	18	30 77.34	25 55.88
(ग) आस्थगित कर देयताएँ	19	-	-
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	20	17 28.51	18 18.75
कुल गैर-चालू देयताएँ (II)		4671 64.70	4478 51.26
(III) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधार	21.क	298 40.96	238 95.59
(iक) पट्टा देयताएँ	21.ख	4 62.93	5.46
(ii) व्यापार देयताएँ	22		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		57.92	11.70
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		12 51.17	11 98.10
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	23	591 84.08	470 21.44



(ख) अन्य चालू देयताएँ	24	20 41.86	18 15.01
(ग) प्रावधान	25	3 63.78	2 87.61
कुल चालू देयताएँ (III)		932 02.70	742 34.91
कुल इक्विटी और देयताएँ (I) + (II) + (III)		7795 93.30	7368 55.09
लेखांकन नीति संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी	1		
स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स देखें	2-34		

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते पॉलसन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002620S
यूडीआईएन: 225021855BMLBAU2127

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
सीए पॉलसन केपी, एलएलबी, एफसीए,
डीआईएसए (आईसीएआई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 021855

ह/-
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

ह/-
डॉ. एम. पी. रामनवास
निदेशक
(डीआईएन: 09663030)

ह/-
सीनी एलेक्स कुरुविला
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का समेकित विवरण

विवरण		नोट सं.	31.03.2025 तक	राशि (लाख रुपये में) 31.03.2024 तक
I	परिचालन से राजस्व	26	167 29.46	151 30.10
II	अन्य आय	27	107 96.31	95 10.79
III	कुल आय (I + II)		275 25.77	246 40.89
IV	व्यय:			
	परिचालन व्यय	28	57 91.15	54 87.59
	कर्मचारी लाभ व्यय	29	60 37.68	54 05.32
	वित्तीय लागत	30	342 11.92	294 22.31
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	31	190 92.26	181 76.13
	अन्य व्यय	32	54 49.41	96 66.88
	कुल व्यय (IV)		705 82.42	681 58.23
V	कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)		(430 56.65)	(435 17.34)
VI	कर व्यय:			
	(1) पूर्व कर समायोजन		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
			-	-
VII	अवधि (V - VI) के लिए लाभ / (हानि)		(430 56.65)	(435 17.34)
VIII	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों का लाभ/(हानि) का हिस्सा (निवल)		(3.16)	(26.49)
IX	अन्य व्यापक आय			
	वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- रोज़गार-पश्चात लाभ दायित्वों का पूर्व-मापन		(74.78)	(54.57)
	उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
			(74.78)	(54.57)
X	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+ VIII) (वर्ष के लिए लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय सहित)		(431 34.59)	(435 98.40)
XI	प्रति इक्विटी शेयर आय:	33		
	(1) मूल		(28.45)	(28.89)
	(2) तनुकारी		(28.37)	(27.09)
	लेखांकन नीति संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी	1		
	स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स देखें	2-34		

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते पॉलसन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 0026205
यूडीआईएन: 25021855BMLBAU2127

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
सीए पॉलसन केपी, एलएलबी, एफसीए,
डीआईएसए (आईसीएआई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 021855

ह/-
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

ह/-
डॉ. एम. पी. रामनवास
निदेशक
(डीआईएन: 09663030)

ह/-
सीनी एलेक्स कुरुविला
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025



कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह विवरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	(431 34.59)	(435 98.40)
निम्न के लिए समायोजन		
(लाभ) / बिक्री पर हानि / परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति (निवल)		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	(1 24.12)	.01
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	190 92.26	181 76.13
व्यापार प्राप्य और	.00	10 69.24
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों प्राप्य पर अपेक्षित हानि भत्ता	2 28.47	3 41.31
ब्याज आय	(9 20.61)	(12 54.36)
वित्त लागत	3.16	26.49
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	258 86.74	224 93.63
वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाला शुद्ध लाभ एफवीटीपीएल पर आकलन किया जाता है	5.65	(4.83)
	(9 70.48)	(8 90.39)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	66.48	(36 41.17)
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(83 03.97)	(110 34.90)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	32 75.45	14 45.77
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(40 62.49)	(27 00.16)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	5 97.62	5 08.75
अन्य देय राशियों में (वृद्धि)/कमी	36 39.52	23 29.00
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	(47 87.39)	(130 92.71)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान	(138 81.21)	(92 66.72)
पूंजीगत अग्रिमों सहित पूंजीगत डब्ल्यूआईपी के लिए भुगतान	(185 54.43)	(107 05.55)
प्राप्त ब्याज आय	7 29.22	12 70.66
निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	(317 06.42)	(187 01.61)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर आवेदन राशि - भारत सरकार और केरल सरकार	331 02.00	.00
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण	170 30.03	216 43.96
भारत सरकार से पास-थ्रू सहायता	91 34.53	.00
केरल सरकार से प्राप्त आय	439 32.25	383 44.43
भारत सरकार से प्राप्त आय	32.61	.00
बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण	6 87.50	(9 13.29)
पट्टा देयताओं का भुगतान	(4 96.12)	(4.98)
भुगतान की गई वित्तीय लागत	(283 59.54)	(266 17.83)
वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण	(149 71.80)	(129 50.72)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	600 91.46	195 01.57
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क) + (ख) + (ग)	235 97.65	(122 92.75)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	110 35.75	233 28.50
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	346 33.40	110 35.75

इसमें शामिल हैं

नकद राशि	60.98	34.33
बैंकों के पास शेष:		
- चालू और स्वीप-इन खाते	184 07.28	16 13.42
- बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने या उससे कम)	161 65.14	93 88.00
कुल	346 33.40	110 35.75

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पॉलसन एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या 002620S
 यूडीआईएन: 25021855BMLBAU2127

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
 सीए पॉलसन केपी, एलएलबी, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)
 साझेदार
 सदस्यता संख्या 021855

ह/-
 लोकनाथ बेहरा
 प्रबंध निदेशक
 (डीआईएन: 09406020)

ह/-
 डॉ. एम. पी. रामनवास
 निदेशक
 (डीआईएन: 09663030)

ह/-
 सीनी एलेक्स कुरुविला
 मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
 तिस्टन परेरा
 कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
 दिनांक : 16.07.2025

स्थान : कोचीन
 दिनांक : 16.07.2025



कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इकिटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इकिटी शेयर पूंजी	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
विवरण		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1507 46.00	1507 46.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इकिटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि	1507 46.00	1507 46.00
चालू वर्ष के दौरान इकिटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	20,000.00	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	1707 46.00	1507 46.00

ख. अन्य इकिटी

विवरण	राशि (लाख रुपए में)					
	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	ब्याज मुक्त उप ऋण - भारत सरकार	ब्याज मुक्त उप ऋण - जीओके	आस्थगित आय - मौद्रिक अनुदान	राज्य करों की प्रतिपूर्ति - जीओके	राज्य करों की प्रतिपूर्ति जीओके
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	10,000.00	196 38.98	2039 05.04	196 79.79	4,581.20	139 30.43
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	(10 69.24)
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि (पुनःकथित)	10,000.00	196 38.98	2039 05.04	196 79.79	4,581.20	139 30.43
जोड़ें: वर्ष के लिए पुनःकथित समग्र आय / (हानि)	-	-	-	-	-	(435 17.34)
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	-	-	26,333.31	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान आय में स्थानांतरण	-	(5 35.09)	(62 98.97)	(7 20.37)	(159.65)	-
31 मार्च 2024 तक शेष राशि (पुनःकथित)	100 00.00	191 03.89	2239 39.38	189 59.42	44 21.55	139 30.43
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि (पुनःकथित)	10,000.00	191 03.89	2239 39.38	189 59.42	4,421.55	139 30.43
					(2261 38.52)	(1 84.64)
						640 22.92
						(1 84.64)
						640 22.92

लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 00.00	191 03.89	2239 39.38	189 59.42	4,421.55	139 30.43	(2261 47.11)	(1 84.64)	640 22.92
जोड़ें: वर्ष के लिए व्यापक आय / (हानि)	-	-	-	-	-	-	(430 59.81)	(74.78)	(431 31.43)
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	331 02.00	-	236 34.14	-	-	-	-	-	567 36.14
घटाएँ: वर्ष के दौरान आय में अंतरण	(20,000.00)	(5 90.11)	(76 24.99)	(7 59.43)	(170.04)	-	-	-	(291 44.57)
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	231 02.00	185 13.78	2399 48.53	181 99.99	42 51.51	139 30.43	(2692 06.92)	(2 59.42)	484 79.90

समसंख्यक तिथि की सलग हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पॉलिसन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 0026205
यूडीआईएन: 25021855BMLBAU2127

ह/-

सीए पॉलिसन कैपी, एलएलबी, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)
साहेंद्वार

सदस्यता संख्या 02:1855

ह/-

लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक

(डीआईएन: 09406020)

ह/-

डॉ. एम. पी. रामनवास
निदेशक

(डीआईएन: 09663030)

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-

सीनी एलेक्स कुरुविला
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-

लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025



दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

कॉर्पोरेट के बारे में जानकारी

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ("केएमआरएल" या "कंपनी") और इसकी सहयोगी कंपनी (सामूहिक रूप से, "समूह") के विवरण शामिल हैं। केएमआरएल, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत दिनांक 2 अगस्त 2011 को सीआईएन: यू60100केएल2011एसजीसी029003 के साथ निगमित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है।

यह समूह मुख्य रूप से कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में मेट्रो रेल परियोजना की परिकल्पना और संचालन तथा कोच्चि शहर में एकीकृत जल मेट्रो के संचालन में संलग्न है। समूह को मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार, इसके संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों का कार्यभार भी सौंपा गया है ताकि स्थायी संचालन सुनिश्चित किया जा सके और कोच्चि शहर में एक बहु-मॉडल परिवहन प्रणाली लागू की जा सके। समूह के राजस्व स्रोतों में यात्रियों से किराया वसूली, संपत्तियों और विज्ञापन स्थलों का लाइसेंस/पट्टा देना, और अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 16.07.2025 को आयोजित अपनी बैठक में जारी करने हेतु अनुमोदित किया गया है।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 अनुपालन विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (जिन्हें "इंड एस" कहा जाता है) के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, सतत व्यवसाय आधार पर तैयार किए गए हैं।

1.1. क. तैयारी का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार, निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है, प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं:

- क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ तथा उचित मूल्य पर आंकी गई आकस्मिक प्रतिफल;
- ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ;

समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ('इंड एस') के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित नियम भी शामिल हैं।

लेखा नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहाँ किसी नए जारी किए गए लेखा मानक को शुरू में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रचलित लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

कंपनी ने आमतौर पर उद्योग में प्रचलित नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया है।



1.2 अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के मान्यता और मापन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को कुछ अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) और प्रकटीकरणों की रिपोर्ट की गई राशियों और प्रस्तुत वर्षों के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करती हैं। कुछ अनुमानों को लागू करने के लिए अन्य की तुलना में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रबंधन उपलब्ध जानकारी और अपने अनुभव के आधार पर अपने सभी अनुमानों और निर्णयों का निरंतर मूल्यांकन करता है और मानता है कि समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात या साकार होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि पर अनिश्चितता के आकलन के प्रमुख स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकते हैं, निवेशों की हानि, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में हैं।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सार्थक जीवनकाल

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा करती है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि पूंजीकरण की आवश्यकता हो और परिसंपत्ति के किस घटक को पूंजीकृत किया जा सकता है। उपयोगी जीवन के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधियों में मूल्यहास व्यय में परिवर्तन हो सकता है। यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो भविष्य की अवधियों के लिए मूल्यहास/परिशोधन को संशोधित किया जाता है।

ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर मदों के तत्वों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं। इसके लिए नीति नोट 1.27 में स्पष्ट की गई है।

ग) पट्टे

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के रूप में योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरणों सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करती है।

पट्टा व्यवस्था को वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करना कई कारकों के आकलन पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण, पट्टेदार का खरीद का विकल्प और ऐसे विकल्प के प्रयोग की अनुमानित निश्चितता, संपत्ति के आर्थिक जीवन में पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे पर दी गई संपत्ति की विशिष्ट प्रकृति की सीमा।

इसकी नीति नोट 1.32 में स्पष्ट की गई है।



घ) अग्रिमों/प्राप्य राशियों की वसूली योग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्य राशियों की वसूली योग्यता के आकलन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है। इसकी पहचान के लिए विवेक और अनुमानों का उपयोग आवश्यक है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर, अपेक्षित अवधि में देखी गई ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्य राशियों और अग्रिम राशियों पर अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करता है।

ड) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

एक प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उसके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र की तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में एक नोट के रूप में प्रकट किया जाता है।

च) रोज़गार-पश्चात लाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों का मापन परियोजना इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है, जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ छूट दरों, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर में भविष्य के विकास से संबंधित मान्यताएँ शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए प्रयुक्त मान्यताएँ उचित और प्रलेखित हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

छ) गैर-उद्धृत निवेशों की हानि

कंपनी अपने निवेशों के वहन मूल्य की समीक्षा वार्षिक रूप से करती है, या हानि के संकेत मिलने पर अधिक बार करती है। यदि वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो हानि का लेखा-जोखा लिया जाता है।

ज) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का हानि परीक्षण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

झ) व्यापारिक प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम

संदिग्ध व्यापारिक प्राप्य/ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब देय राशि की अवधि की परवाह किए बिना वसूली की अनिश्चितता हो और जब वसूली न हो पाने की पुष्टि हो जाए तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.3 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और कंपनी द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

1.4 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

1.5 राशियों का पूर्णांकन

समेकित वित्तीय विवरणों और नोटों में प्रकट की गई सभी राशियों को निकटतम लाखों में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि अन्यथा इंगित किया गया हो।

1.6 राजस्व मान्यता

- क. किराया संग्रह से आय की मान्यता टिकटों की बिक्री, ट्रिप पास की बिक्री, स्मार्ट कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के मौद्रिक मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर होती है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट और रियायतों से निवल है।
- ख. संपत्ति के लाइसेंस से आय/भूमि सहित संपत्ति से किराये की आय की मान्यता लाइसेंसधारी/पट्टेदार के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार होती है और लाइसेंसिंग शर्तों के दौरान उपार्जन आधार पर इसका लेखा-जोखा रखा जाता है।
- ग. कबाड़ की बिक्री से प्राप्त राजस्व की गणना प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि में प्रतिफल, व्यापार भत्ते, छूट, माल एवं सेवा कर और तृतीय पक्षों की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं होती। कंपनी राजस्व की मान्यता तब देती है जब राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना होती है कि भविष्य में आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे।
- घ. ब्याज आय की मान्यता प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उपार्जन आधार पर होती है।
- ङ. परामर्श सेवाओं से प्राप्त आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ अनुबंधों में अन्यथा प्रावधान हो।
- च. अन्य आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।
- छ. लेखा पुस्तकों में देय अघोषित बयाना राशि (ईएमडी) जो तीन वर्ष से अधिक पुरानी हो, को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर) उनकी अधिग्रहण लागत/ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाए गए हैं। कंपनी सकल वहन राशि निर्धारित करने के लिए लागत मॉडल अपना रही है।

स्थायी परिसंपत्ति की लागत में उसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क और अन्य करों सहित, वसूली योग्य करों को घटाकर, और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर प्रत्यक्ष रूप से देय व्यय शामिल है।

निक्षेप कार्यो/अनुबंधों को निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर और उसके अभाव में, निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूरा होने पर पूंजीकृत किया जाता है। लागत में योग्य अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित उधारों पर ब्याज भी शामिल है, जो परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक और किसी भी व्यापारिक छूट, रियायतों और अन्य आकस्मिक खर्चों को घटाकर और वस्तु को तोड़ने, हटाने और उस स्थान को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, यदि कोई हो, शामिल है। उपयोग में लाई गई परिसंपत्ति के मामले में, जहाँ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन, अंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

एक वर्ष से अधिक उपयोगी जीवन वाले पुर्जों को संबंधित मदों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है।



जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग का उपयोगी जीवन अलग-अलग होता है, तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में लेखांकित किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित प्रतिस्थापन पुर्जों/प्रमुख निरीक्षण की लागत का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सके।

जनता के लिए खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्तियों का पूंजीकरण, प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार और ऐसे खंड के उद्घाटन के लिए "मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त" द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रकार से पूर्णता सुनिश्चित करने के बाद किया जाता है।

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत "पूंजीगत अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसी तिथि से पहले उपयोग में नहीं लाई गई परिसंपत्तियों की लागत को "प्रगतिशील पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित अनुवर्ती व्यय केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सके। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव, उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं जिसमें वे किए गए हैं।

परिसंपत्ति की बिक्री या सेवानिवृत्ति पर लागत और संबंधित संचित मूल्यहास को समेकित वित्तीय विवरणों से हटा दिया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

1.8 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और क्षति घटाकर दर्शाया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन काल में, उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

ब्रांडिंग लागत को अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पाँच वर्षों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

रेलवे को उपयोग के अधिकार (अनुमति) के लिए भुगतान की गई राशि, जो रेलवे को वे लीव शुल्क है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और सत्तर वर्षों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

रेस्को मॉडल के तहत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और 25 वर्षों की अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया गया है।

सॉफ्टवेयर की लागत, जो आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है तथा पांच वर्षों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1.9 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जो किराया अर्जित करने और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी जाती हैं। निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन प्रारंभ में उनकी लागत पर किया जाता है, जिसमें लेन-देन लागत शामिल होगी। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 16 की लागत मॉडल की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, अर्थात् लागत में से संचित मूल्यहास और हानि हानि घटाकर। किसी निवेश संपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है या जब निवेश संपत्ति स्थायी रूप से उपयोग से हटा ली जाती है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ

अपेक्षित नहीं होता है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में शामिल की जाती है जब संपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है। सेवाओं के प्रावधान और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए और किराया अर्जित करने के लिए किराए पर देने के साथ-साथ रखी गई संपत्ति (भूमि और भवन) के मामले में, इसे निवेश संपत्ति तभी माना जाता है जब इसका एक छोटा सा हिस्सा सेवाओं के प्रावधान या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए रखा जाता है या इसे अलग से बेचा जा सकता है।

1.10 प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां।

तुलन पत्र की तिथि पर निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में दर्शाया गया है। निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय को पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्ज किए जाते हैं। सामान्य व्यय और बाह्य उधार पर ब्याज, जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हैं, लेकिन कार्यों के एक से अधिक घटकों के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें निर्माण के दौरान व्यय के रूप में सीडब्ल्यूआईपी के तहत समूहीकृत किया जाता है, जिन्हें पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों में आवंटित किया जाता है। मूल्य परिवर्तन सहित दावों का लेखा स्वीकृतियों पर किया जाता है।

निक्षेप कार्यों/संविदाओं के रूप में निष्पादित परियोजनाओं के लिए प्रगतिरत कार्यों को निष्पादन एजेंसी से प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर और उसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे कि अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज (इक्विटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से प्राप्त निधियों के अस्थायी उपयोग से भिन्न), संविदाकार को अग्रिम जुटाने पर ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को सीडब्ल्यूआईपी के व्यय में समायोजित किया जाता है।

परियोजना से सीधे संबंधित प्रशासनिक और सामान्य उपरिव्यय (आय घटाकर) पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत और सीडब्ल्यूआईपी की कुल लागत के अनुपात में आवंटित किए जाते हैं।

1.11 भूमि

भूमि मालिकों द्वारा सौंपी गई और ज़िला कलेक्टर के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के टुकड़ों का मूल्य, ज़िला कलेक्टर के तत्वावधान में कार्यरत भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर, कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, पूंजीकृत किया गया है। कब्जे में मौजूद भूमि से संबंधित लागत या मुआवज़े के लिए अंतिम रूप से किए गए भुगतान/देयता को भूमि की लागत माना जाता है। निर्माण के लिए सौंपी गई भूमि, जो विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों की है, का मूल्य पूंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि देय राशि और अन्य शर्तें अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं और इसलिए उनका निर्धारण नहीं किया जा सका है।

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के अंतर्गत बढ़ा हुआ मुआवज़ा, यदि कोई हो, भुगतान के समय भूमि की लागत के रूप में दर्ज किया जाएगा और माना जाएगा क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भूमि में संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत और भूमि भराव व्यय भूमि की लागत में जोड़े जाते हैं।

राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास होता है, को सरकारी आदेश के आधार पर तथा भूमि के बाजार मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसकी गणना "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 26 के आधार पर की जाती है तथा भूमि का कब्जा सौंपते समय इसे भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान माना जाता है।



1.12 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर परिसंपत्तियों के अग्रणीत मूल्यों की, यदि कोई हो, क्षति के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी क्षति का कोई संकेत मौजूद है, तो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और क्षति की पहचान की जाती है। मान्यता प्राप्त क्षति हानि उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज की जाती है जिसमें परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाना जाता है। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान लागत और उपयोग मूल्य को घटाकर जो अधिक हो, वह होती है। क्षति के बाद, परिसंपत्ति के संशोधित अग्रणीत मूल्य पर उसके शेष उपयोगी जीवन काल में मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त क्षति हानि को बढ़ाया या उलट दिया जाता है। हालाँकि, उलटने के बाद अग्रणीत मूल्य उस अग्रणीत मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है जो सामान्य मूल्यहास लगाकर, यदि कोई क्षति न होती, लागू होता।

1.13 इन्वेंटरी

खुले औजारों सहित इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारत औसत आधार पर निर्धारित लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

1.14 संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब उनकी वसूली की अवधि चाहे जो भी हो, अनिश्चित हो और जब वसूली न हो पाने की पुष्टि हो जाए तो उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.15 बीमा संबंधी दावे

बीमा कंपनी द्वारा दावों की स्वीकृति के आधार पर बीमा दावों को मान्यता दी जाती है।

1.16 मूल्यहास और परिशोधन

- (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है, सिवाय कुछ परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों के घटकों के मामले में जहाँ उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- (ii) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यहास, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति में से जो भी कम हो, आरंभिक तिथि से सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।
- (iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और प्रारंभ में मान्यता प्राप्त कोई भी महत्वपूर्ण भाग, निपटान पर या जब उसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, अमान्य हो जाता है। परिसंपत्ति की अमान्यता से होने वाले किसी भी लाभ/हानि को, परिसंपत्ति की अमान्यता के समय लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।
- (iv) परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन, जहां उपयोगी जीवन का अनुमान कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर और चरण। परिसंपत्तियों को सौंपते समय डीएमआरसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर लगाया गया है, निम्नानुसार हैं;



परिसंपत्ति का विवरण	परिसंपत्ति का उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में)
भवन थीम (उप-परिसंपत्तियाँ)	10
रोलिंग स्टॉक	30
रोलिंग स्टॉक के घटक	18
एस्केलेटर और लिफ्ट	
लिफ्ट	30
लिफ्ट के अन्य पुर्जे	20
एस्केलेटर	30
एस्केलेटर के अन्य पुर्जे	15
यूपीएस बैटरी के घटक	10
एक प्रकार की सीढ़ी - 4 मीटर ऊँची	2
स्काडासर्वर (मुख्य और स्टैंडबाय)	3
कम मूल्य की संपत्तियाँ (प्रति वस्तु 5,000 रुपये से कम)	1
रेलवे के लिए वे लीव शुल्क *	70
ब्रांडिंग	5
वायडक्ट, पुल, सुरंग और पुलिया	60
सीसीटीवी	6
सौर पैनल	25
पेवर ब्लॉक रोड/बिटुमिन रोड, (आंतरिक)	10
सौर ऊर्जा क्रय अधिकार **	25

- (v) सभी परिसंपत्तियों (सड़कों और अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर) के लिए 5% का अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखा गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुरूप है।
- (vi) 50,000/- रुपये या उससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों (कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों) का क्रय वर्ष में पूर्णतः मूल्यहास/परिशोधन किया जाता है।
- (vii) घटकों का अधिकतम जीवनकाल मुख्य परिसंपत्ति के जीवनकाल तक सीमित रखा गया है।
- (viii) जिन वस्तुओं का स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, उन पर व्यय को ऐसे व्यय के वर्ष में राजस्व में शामिल किया जाता है।
- (ix) अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनके उपयोगी जीवनकाल के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर, उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, व्यवस्थित आधार पर किया जाता है।
- (x) रेलवे को भुगतान किए गए वे लीव शुल्क को अमूर्त आस्तियों के रूप में मान्यता दी गई है और 70 वर्षों की अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया गया है(*)।



- (xi) रेस्को मॉडल के अंतर्गत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और 25 वर्षों की अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया गया है (**).
- (xii) कार्यालय उपकरणों के अंतर्गत वर्गीकृत मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन काल तीन वर्ष अनुमानित है।
- (xiii) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवन काल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यहास पद्धति की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

1.17 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को स्थगित कर दिया जाता है और उन्हें लाभ-हानि विवरण में उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जो उन्हें उन लागतों से मेल खाने के लिए आवश्यक है जिनकी भरपाई के लिए उन्हें बनाया गया है और अन्य आय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

जब कंपनी को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों का अनुदान प्राप्त होता है, तो परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन काल के दौरान लाभ-हानि विवरण में जारी किया जाता है।

जब सरकार या संबंधित संस्थाओं द्वारा ऋण या इसी तरह की सहायता, वर्तमान लागू बाजार दर से कम ब्याज दर पर या ब्याज मुक्त प्रदान की जाती है, तो बाजार दर से कम/ब्याज मुक्त लाभ को भारतीय लेखा मानक 109 और भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक वहन मूल्य और प्राप्त आय के लेनदेन मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। लाभ को तुलन पत्र में "अन्य इक्विटी" के तहत आस्थगित आय के रूप में मौद्रिक अनुदान की स्थापना करके प्रस्तुत किया जाता है और इसे भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार ऋण बकाया रहने की अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। इसके बाद ऋण को वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है।

1.18 चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को नीचे दर्शाए अनुसार चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है;

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित हो, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो, या
- नकद या नकद समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक विनिमय या किसी देनदारी के निपटान के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

किसी देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

- सामान्य परिचालन चक्र में निपटान की उम्मीद हो, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित हो, या



- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटान के लिए देय हो, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू माना जाएगा।

1.19 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी किसी गैर-चालू परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और उसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत, बंद परिचालनों सहित गैर-चालू परिसंपत्तियों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर जो भी कम हो, पर मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास या परिशोधन नहीं लगता है।

बंद परिचालनों की बिक्री या पुनर्मापना से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एक ही पंक्ति मद के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

1.20 परिचालन चक्र

कंपनी की परिचालन गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी या नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने निर्धारित किया है।

1.21 वित्तीय दस्तावेज

क) प्रारंभिक मान्यता, मापन और मान्यता-विच्छेदन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब होती है जब कंपनी इन उपकरणों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रारंभ में लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें आरंभ में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब वह समाप्त, मुक्त, रद्द या समाप्त हो जाती है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य से, प्रारंभिक मापन/मान्यता के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर मापन किया जाना है और;
- बाद में उचित मूल्य पर मापन किया जाना है (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ-हानि विवरण के माध्यम से)।



ग) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्य पर क्षति हानि की पहचान अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके की जाती है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अनुमत ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव के आधार पर निर्मित प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल होता है और इसे भविष्यदर्शी जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है। निवेश पर क्षति हानि की पहचान तब की जाती है जब वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित ऋण हानि की पहचान संविदात्मक नकदी प्रवाह और सभी अपेक्षित नकदी प्रवाहों के बीच के अंतर के आधार पर की जाती है।

घ) वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियों को छोड़कर, वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके परिशोधित लागत पर बाद में मापा जाता है।

1.22 निवेश

ऐसे निवेश जो आसानी से वसूल किए जा सकते हैं और जिन्हें निवेश की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय तक धारण करने का इरादा है, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश, व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित लागत और उचित मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किए जाते हैं। दीर्घकालिक निवेश, लागत पर किए जाते हैं। हालाँकि, अस्थायी निवेशों को छोड़कर, निवेशों के मूल्य में कमी के प्रावधान को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.23 सहयोगी कंपनियों में निवेश

सहयोगी कंपनियाँ वे संस्थाएँ हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव, निवेशिती के वित्तीय और परिचालन नीतिगत निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। महत्वपूर्ण प्रभाव तब माना जाता है जब कंपनी के पास निवेशिती की 20 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान शक्ति होती है। यदि सहयोगियों की लेखांकन नीतियाँ समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों से भिन्न हैं, तो सहयोगियों की लेखांकन नीतियाँ समूह की नीतियों के अनुरूप होती हैं। सहयोगियों के परिणाम, परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए, इन वित्तीय विवरणों में शामिल की जाती हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है।

इक्विटी लेखांकन पद्धति (इक्विटी लेखांकन निवेशक)

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखा इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से निवेशक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाता है और उसे आरंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश के वहन मूल्य में अधिग्रहण की तिथि पर पहचानी गई सद्भावना, किसी भी संचित हानि को घटाकर, शामिल होती है। समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी के लाभ या हानि का हिस्सा, अन्य व्यापक आय और इक्विटी लेखांकन निवेशों में इक्विटी संचलन, उस तिथि से लेकर जब महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण शुरू होता है और उस तिथि तक जब महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण समाप्त हो जाता है, शामिल होते हैं। जब कंपनी का हानि का हिस्सा इक्विटी लेखांकन निवेश में उसके हित से अधिक हो जाता है, तो उस हित की वहन राशि (शुद्ध निवेश की प्रकृति में किसी भी दीर्घकालिक हित सहित) शून्य हो जाती है और आगे की हानि की मान्यता बंद कर दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब कंपनी ने रचनात्मक या कानूनी दायित्व वहन किए हों या निवेशिती की ओर से भुगतान किए हों।

जब कंपनी किसी सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन करती है, तो कंपनी के सहयोगी या संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की सीमा तक अप्राप्त लाभ और हानि को समाप्त कर दिया जाता है। लाभांश को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

समेकन में शामिल सहयोगी कंपनी और उसमें कंपनी की हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड
मुख्य व्यवसाय का स्थान	कोच्चि, भारत
31.03.2025 तक हिस्सेदारी का %	26%

1.24 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान तभी मान्य होता है जब,

- क) कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो।
- ख) यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा।
- ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

प्रावधानों को तुलन पत्र की तिथि पर दायित्व के निपटान हेतु आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा निम्नलिखित मामलों में किया जाता है:

- क) अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह सम्भावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी।
- ख) अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव न हो।

आकस्मिक देनदारियों का आकलन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है। ऐसी देनदारियों का खुलासा नोटों में किया जाता है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इनका उल्लेख नहीं किया जाता है। हालाँकि कानूनी कार्यवाही के अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है, फिर भी कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इनसे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कंपनी आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं देती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है।

आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं होती हैं। कंपनी आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देती है, लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है, जहाँ आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है।

1.25 प्रतिबद्धताएँ

प्रतिबद्धताएँ संविदात्मक व्यय के लिए भावी देयताएँ हैं।

प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और प्रकट किया जाता है:

- क) पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
- ख) अन्य गैर-रद्द करने योग्य प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जहाँ तक उन्हें प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जाता है।



1.26 पूर्व अवधि का समायोजन

त्रुटियों के कारण 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के पूर्व अवधि समायोजन, जिनका कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताकर पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें त्रुटि हुई थी या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक पूर्व अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनः बताकर ठीक किया जाता है।

1.27 कराधान

आयकर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल होता है। चालू और आस्थगित करों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मदों के जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त हैं, ऐसी स्थिति में, चालू और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

चालू कर

चालू अवधि के लिए आय पर कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर और आकलन/अपील के अपेक्षित परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतरों के लिए प्रावधान करती है। आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक लागू या मूलतः लागू हो चुके कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों के उलट होने पर उन पर लागू होने की उम्मीद होती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ भविष्य में कर लाभ प्राप्त होने की संभावना हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

चालू कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब इकाई के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती हो, या परिसंपत्ति का समायोजन और देनदारियों का एक साथ निपटान करना चाहती हो।

1.28 विदेशी मुद्रा लेनदेन/अंतरण

इकाई के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा ("कार्यात्मक मुद्रा") का उपयोग करके किया जाता है जिसमें इकाई संचालित होती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ("आईएनआर") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किए जाते हैं।

वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा संविदाओं द्वारा शामिल न की गई मौद्रिक मदों का अनुवाद "वर्षांत विनिमय दरों" पर किया जाता है, जबकि वायदा विनिमय अनुबंधों द्वारा कवर की गई मदों का

निर्धारण उनके संबंधित अनुबंधों द्वारा किया जाता है। दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों सहित सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के स्थानान्तरण/निपटान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, सिवाय भारतीय लेखा मानक 101 में दी गई स्वैच्छिक छूट के आधार पर भारतीय लेखा मानक 21 के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार अपवर्जन के।

1.29 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों ही अपने कर्मचारियों के वेतन के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करते हैं। अंशदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है।

भविष्य निधि योजनाओं के अंतर्गत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भविष्य निधि की पेंशन योजना के अंतर्गत भी आते हैं। उपरोक्त भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों से कोई अंशदान नहीं लिया जाता है और नियोक्ता के अंशदान से भुगतान किया जाता है।

उपादान: पात्र कर्मचारियों के लिए चालू वर्ष के दौरान, एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार, ग्रेच्युटी का प्रावधान किया जाता है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। संबंधित देयता की पहचान एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी स्वीकृत नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर और भारत में किसी भी स्थान तक की वास्तविक यात्रा के खर्चों को पूरा करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किए गए सभी कर्मचारी लाभ दायित्वों को परियोजना इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुरियल मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित मान्यताएँ शामिल हैं।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को नियोजन लाभ

अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को मिलने वाले कर्मचारी लाभ, उनके संबंधित मूल संगठन/नियोक्ता को उनके निर्देशानुसार विदेश सेवा अंशदान (एफएससी) के रूप में भुगतान किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में देय ऐसे लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान का अनुमान लगाया जाता है और उसका प्रावधान किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक 19 के अंतर्गत - परिभाषित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना बीमांकिकों द्वारा प्रक्षेपित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके प्रतिवर्ष की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को घटाकर निर्धारित किया जाता है।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निवल परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है। निवल परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज आय/(व्यय) को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.30 वित्तीय लागत

वित्तीय लागतों में उधार पर ब्याज लागत, लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि, और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय अंतर शामिल हैं, जहाँ तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन माना जाता है।



योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित निधियों के उधार से संबंधित लागतों को, योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तिथि तक की अवधि के लिए, योग्य परिसंपत्तियों में आवंटित किया जाता है। ऐसे उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, योग्य परिसंपत्तियों पर उनके व्यय लंबित रहने तक, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से घटा दी जाती है। इसके बाद, उधार लागत को लाभ-हानि विवरण में जोड़ दिया जाता है।

योग्य परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है।

बीमांकिक मान्यताओं और अनुभव समायोजनों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से घटित होते हैं।

1.31 निर्माण के दौरान ब्याज का आवंटन

उधार लागत, जो किसी योग्य परिसंपत्ति के निर्माण/उत्पादन से सीधे संबंधित उधार पर ब्याज है, को भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार उस परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान कमीशन की गई योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज, कमीशन की गई परिसंपत्तियों के मूल्य और कमीशन के महीने के अंत में प्रगतिरत योग्य पूंजीगत कार्य के मूल्य के अनुपात में आवंटित किया जाता है।

1.32 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि पर, कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए, जिनमें वह पट्टेदार है, एक पट्टा देयता और एक संगत उपयोग-अधिकार ("आरओयू") परिसंपत्ति को मान्यता देती है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के। इन अल्पकालिक और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है। उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में से किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर शामिल किया जाता है। बाद में, इन्हें लागत में से संचित मूल्यहास और हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर मापा जाता है। उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यहास, पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर सीधी रेखा आधार पर प्रारंभ तिथि से किया जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित न हो, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि बढ़ाकर और किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि घटाकर पट्टा देयता को बाद में पुनः मापा जाता है। पट्टा देयता को कुछ घटनाओं, जैसे पट्टे की अवधि में परिवर्तन या पट्टा भुगतान निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में परिवर्तन, के घटित होने पर पुनः मापा जाता है। पुनर्मापन में आमतौर पर पट्टे पर दी गई संपत्तियों को भी समायोजित किया जाता है। पट्टा देयता और आरओयू संपत्ति को तुलन पत्र में अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतानों को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टाकर्ता के रूप में:

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकर्ता है, उन्हें वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन

पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.33 खंड रिपोर्टिंग

परिचालन खंडों की रिपोर्टिंग समूह के मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जाती है। समूह के मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। सीओडीएम समूह के परिचालन खंडों के संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

1.34 नकदी और नकदी समतुल्य (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनार्थ)

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनार्थ नकदी में हाथ में नकदी, सरकारी खजाना और बैंकों में माँग जमा शामिल हैं। नकदी समतुल्य अल्पकालिक शेष राशियाँ हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे अधिक, लेकिन अधिग्रहण की तिथि से बारह महीने से कम होती है, अत्यधिक तरल निवेश जो आसानी से ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित हो सकते हैं और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

1.35 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एस) - 7 में 'नकदी प्रवाह विवरण' पर निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.36 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के शुद्ध लाभ या हानि को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनु आय की गणना के प्रयोजन के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।



राशि (लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यहास/परिशोधन/हास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2025 तक	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	
भूमि (फ्रीहोल्ड) (नोट 2.1 देखें)	1040 80.77	57 90.52	-	1098 71.29	-	-	-	-	1098 71.29	1040 80.77	-	
भवन	1642 50.94	35 79.82	-	1678 30.76	139 63.60	32 19.63	-	171 83.23	1506 47.53	1502 87.34	-	
अस्थायी संरचनाएँ	8.30	-	-	8.30	6.85	0.45	-	7.30	1.00	1.45	-	
पुल, सुरंग और पुलिया	2469 98.11	0.01	-	2469 98.10	292 91.43	37 42.11	-	330 33.54	2139 64.56	2177 06.68	-	
संयंत्र और मशीनरी	93 20.24	24.41	0.37	93 44.28	48 57.56	6 99.06	0.12	55 56.50	37 87.78	44 62.68	-	
रोलिंग स्टॉक	791 14.45	0.01	-	791 14.46	168 15.38	28 78.68	-	196 94.06	594 20.40	622 99.07	-	
एस्केलेटर और लिफ्ट	128 07.46	624.50	-	134 31.96	29 71.75	5 37.24	-	35 08.99	99 22.97	98 35.71	-	
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	235 20.45	0.39	-	235 20.84	87 98.04	17 98.50	-	105 96.54	129 24.30	147 22.41	-	
सड़कें	12 80.73	101.24	-	13 81.97	8 42.61	1 28.63	-	9 71.24	4 10.73	4 38.12	-	
बाड़, कुएँ, नलकूप	1 90.58	-	-	1 90.58	1 68.48	10.84	-	1 79.32	11.26	22.10	-	
कंप्यूटर	81 79.90	30.83	-	82 10.73	70 72.64	2 86.97	-	73 59.61	8 51.12	11 07.26	-	
विद्युत उपकरण	413 99.68	511.50	-	419 11.18	204 72.26	39 83.17	-	244 55.43	174 55.75	209 27.42	-	
केबल और नलिकाएँ	125 83.09	127.83	-	127 10.92	34 01.42	6 69.28	-	40 70.70	86 40.22	91 81.67	-	
स्विचिंग केंद्र	36 12.58	27.11	-	36 39.69	12 58.16	2 67.77	-	15 25.93	21 13.76	23 54.42	-	
फर्नीचर और फिक्स्चर	15 35.99	55.67	-	15 91.66	7 31.35	1 34.46	-	8 65.81	7 25.85	8 04.64	-	
कार्यालय उपकरण	45 40.59	77.82	9.35	46 09.06	26 25.87	4 05.90	-	30 22.96	15 86.10	19 14.72	-	
कम मूल्य की संपत्तियाँ	6 21.16	8.82	-	6 29.98	6 21.16	8.82	-	6 29.98	.00	-	-	
वाहन	3 99.11	1,449.45	-	1848.56	98.34	1 03.42	-	201.76	16 46.80	300.77	-	
कुल	7144 44.13	124 09.91	9.72	7268 44.32	1139 96.90	188 74.93	8.93	1328 62.90	5939 81.42	6004 47.23		

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास/ परिशोधन/ हास					निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भूमि (फ्रीहोल्ड) (नोट 2.1 देखें)	1056 84.39	-13 45.61	258.01	1040 80.77	-	-	-	-	1040 80.77	1056 84.39
भवन	1514 84.08	127 66.86	-	1642 50.94	111 96.35	27 67.25	-	139 63.60	1502 87.34	1402 87.73
अस्थायी संरचनाएँ	6.89	1.41	-	8.30	6.76	0.09	-	6.85	1.45	.13
पुल, सुरंग और पुलिया	2311 21.78	15,876.33	-	2469 98.11	257 82.91	35 08.52	-	292 91.43	2177 06.68	2053 38.87
संयंत्र और मशीनरी	91 29.20	191.34	0.30	93 20.24	40 12.13	8 45.50	0.07	48 57.56	44 62.68	51 17.07
रोलिंग स्टॉक	791 14.45	-	-	791 14.45	139 36.69	28 78.69	-	168 15.38	622 99.07	651 77.76
एक्सेलेटर और लिफ्ट	123 96.48	410.98	-	128 07.46	24 55.30	5 16.45	-	29 71.75	98 35.71	99 41.18
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	220 35.53	1,484.92	-	235 20.45	71 03.67	16 94.37	-	87 98.04	147 22.41	149 31.86
सड़कें	12 80.73	-	-	12 80.73	7 14.54	1 28.07	-	8 42.61	4 38.12	5 66.19
बाड़, कुएँ, नलकूप	1 90.58	-	-	1 90.58	1 44.39	24.09	-	1 68.48	22.10	46.19
कंप्यूटर	78 66.60	313.30	-	81 79.90	66 90.74	3 81.90	-	70 72.64	11 07.26	11 75.86
विद्युत उपकरण	391 74.89	2,224.79	-	413 99.68	167 01.79	37 70.47	-	204 72.26	209 27.42	224 73.10
केबल और नलिकाएँ	116 17.91	965.18	-	125 83.09	27 82.08	6 19.34	-	34 01.42	91 81.67	88 35.83
स्विचिंग केंद्र	33 42.44	270.14	-	36 12.58	10 09.88	2 48.28	-	12 58.16	23 54.42	23 32.56
फर्नीचर और फिक्स्चर	14 41.07	95.98	1.06	15 35.99	6 02.13	1 29.86	0.64	7 31.35	8 04.64	8 38.94
कार्यालय उपकरण	44 74.47	67.57	1.45	45 40.59	22 01.60	4 25.64	1.37	26 25.87	19 14.72	22 72.87
कम मूल्य की संपत्तियाँ	6 12.41	8.75	-	6 21.16	6 12.41	8.75	-	6 21.16	.00	-
वाहन	98.07	301.04	-	399.11	69.24	29.10	-	98.34	3 00.77	28.83
कुल	6810 71.97	336 32.98	2 60.82	7144 44.13	960 22.61	179 76.37	2.08	1139 96.90	6004 47.23	5850 49.36



2.1. कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक 38.692 हेक्टेयर निजी भूमि का कब्जा ले लिया है (पिछले वर्ष 38.085 हेक्टेयर)।

2.2. पूंजीकृत भूमि मूल्य, भूस्वामियों और जिला स्तरीय क्रय समिति के बीच सहमत क्रय मूल्य या 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के तहत पारित निर्णय के अनुसार है। पूंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क को लागत को ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि केरल सरकार ने सरकारी आदेश संख्या जी.ओ.(पी) संख्या 164/2014/टीडी/2353 और 2354 दिनांक 25 सितंबर 2014 के तहत इन शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान की थी और कंपनी ने इन मदों पर कोई व्यय नहीं किया।

2.3. सरकारी अभिलेखों में कंपनी के नाम पर निजी भूमि के पूंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। 2.541 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 161.63.77 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 2.541 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 161.63.77 लाख रुपये था)। 23.963 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 451.90.73 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 395.92.13 लाख रुपये था) और भूमि अधिग्रहण हेतु एक निर्णय पारित किया गया है।

2.4. केरल सरकार ने दिनांक 22 मई 2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी के माध्यम से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे में 17.430 एकड़ भूमि केएमआरएल को निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए सौंप दी है। भूमि को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार सरकारी मूल्य 139.30.43 लाख रुपये पर पुस्तकों में दर्शाया गया है।

2.5. विभिन्न सरकारी निकायों/विभागों/राष्ट्रीय राजमार्ग की 6.5617 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 6.343 हेक्टेयर) भूमि पर मेट्रो का कार्य पूर्ण/प्रगति पर है। मूल्य, हस्तांतरण औपचारिकताओं और अन्य नियमों व शर्तों के अंतिम रूप दिए जाने तक, इन भूखंडों को अवल संपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

2.6. गांधी भवन समिति के अध्यक्ष से अधिग्रहित भवन (भाग) के पुनर्मायंकन प्रमाण पत्र के आधार पर, यदि कोई वसूली होती है, तो वह भूमि अधिग्रहण विभाग से भूमि का संशोधित मूल्यांकन विवरण प्राप्त होने पर प्रभावी होगी। भूमि के मूल्य में अनुमानित कमी 49.93 लाख रुपये है।

2.7. 3.33 एकड़ भूमि के स्वामित्व विलेख गलती से कंपनी के नाम पर पूंजीकृत है और कंपनी की अवल संपत्तियों में शामिल नहीं है। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और लागत का वहन केरल सरकार की प्रारंभिक निधि से किया जा रहा है।

2.8. केरल सरकार ने चरण I, चरण II और चरण III के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते समय यह संकेत दिया था कि चरण I और चरण II की सभी संपत्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित की जा सकती हैं। इसके अलावा, पत्र संख्या ट्रांस-सी2/43/2020-ट्रांस दिनांक 24.05.2022 के माध्यम से सूचित किया गया कि चरण I और चरण II के लिए भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के बाद शर्तों में संशोधन किया जाएगा। चरण I के लिए भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान और चरण II के लिए अनुदान विवाराधीन है। केरल सरकार से संशोधन लंबित रहने तक कंपनी ने प्रचलित लेखांकन नीति के अनुसार चरण I और चरण II परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया।

2.9. कार्यालय उपकरण के अंतर्गत वार्किंग मोबाइल फोन के मामले में, उपयोगी जीवन तीन वर्ष अनुमानित है।

2.10. वर्ष 2024-25 के दौरान, जैसा कि नोट संख्या 34.19 में उल्लिखित है, कंपनी ने पिछले वर्षों के दौरान पहले से ही पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य में 14,00.56 लाख रुपये की वृद्धि दर्ज की है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व में सूचित संचित मूल्यहास का पुनर्कथन भी हुआ है, जो 192.70 लाख रुपये की वृद्धि दर्शाता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभ और हानि विवरण और इकिटी के प्रारंभिक शेष पर लगाए गए मूल्यहास में क्रमशः 52.76 लाख रुपये और 139.94 लाख रुपये की वृद्धि की गई है।

2.11. कंपनी ने पूर्व वर्षों से संबंधित उप-परिसंपत्तियों के स्क्रैप मूल्य में संशोधन के अनुरूप, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संचित मूल्यहास में 10,97.59 लाख रुपये की वृद्धि करके पुनर्कथन किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभ-हानि विवरण और इकिटी के आरंभिक शेष पर लगाए गए मूल्यहास में क्रमशः 1.68.78 लाख रुपये और 9.28.81 लाख रुपये की वृद्धि करके पुनर्कथन किया गया है।

2.12. केएमआरएल ने चरण I परिसंपत्ति पूंजीकरण के लिए डीएमआरसी द्वारा सौंपे गए विवरण पर भरोसा किया है और यह डीएमआरसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर, अवल संपत्तियों के मूल्यांकन में यदि कोई अंतर है, तो उसे वर्ष 2025-26 में मान्यता दी जाएगी।

2.13. एनकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 17) के विकास के अंतर्गत, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित 0.0315 हेक्टेयर भूमि के लिए, कंपनी ने 86.42 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि का कब्जा चाहा। कंपनी ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एनएचएआई द्वारा एलएआरआर अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने की शर्त पर, अनुमति प्रदान कर दी।

2.14. वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने ₹12409.91 लाख (पिछले वर्ष ₹33632.98 लाख) मूल्य की मूर्त संपत्तियों का पूंजीकरण किया।

राशि (लाख रुपए में)

नोट 2.ख: उपयोग का अधिकार संपत्ति										
विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास/ परिशोधन/ हास			निवल ब्लाक			
	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2025 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2025 तक	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन
उपयोग का अधिकार - भूमि	25.09	649.03	-	674.12	2 59.06	-	398.27	16.79	2 59.06	-
कुल	25.09	6 49.03	.00	674.12	2 59.06	.00	398.27	16.79	2 59.06	.00
नोट 34.20.2 देखें										
विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास/ परिशोधन/ हास			निवल ब्लाक			
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन
उपयोग का अधिकार - भूमि	25.09	-	-	25.09	5.02	-	8.30	11.77	5.02	-
कुल	25.09	.00	.00	25.09	5.02	.00	8.30	11.77	5.02	.00



राशि (लाख रुपए में)

नोट 2. ग : पूंजीगत कार्य प्रगति पर					
विवरण	दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 1 अप्रैल 2025 तक
चरण 1क और 1ख	49 09.60	23 76.03	72 85.63	50 36.10	22 49.53
चरण II	19 85.51	81 02.31	100 87.82	-	100 87.82
अन्य	8 68.91	17 72.96	26 41.87	3 81.58	22 60.29
कुल	77 64.02	122 51.30	200 15.32	54 17.68	145 97.64

विवरण	दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 31 मार्च 2024 तक
चरण 1क और 1ख	252 23.87	142 05.93	394 29.80	345 20.20	49 09.60
चरण II	6 51.50	13 34.01	19 85.51	-	19 85.51
अन्य	7 59.36	1 35.14	8 94.50	25.59	8 68.91
कुल	266 34.73	156 75.08	423 09.81	345 45.79	77 64.02

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपए में)

विवरण	अवधि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएँ	31.03.2025 तक	111 52.85	14 00.07	9 07.69	11 37.03	145 97.64
	31.03.2024 तक	24 36.37	41 90.17	1 11.58	10 25.90	77 64.02
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ	31.03.2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00
	31.03.2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00

राशि (लाख रुपये में)													
नोट 3क : अन्य अमूर्त संपत्तियां													
विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यहास/परिशोधन/हास					निवल ब्लाक		
	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2025 तक	1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	22 22.36	33.54	14.94	22 40.96	16 85.60	2 12.30	10.00	18 87.90	3 53.06	5 36.76			
ब्रांडिंग- कोच्चि मेट्रो	61.60	-	-	61.60	61.60	-	-	61.60	-	-			
सौर ऊर्जा क्रय अधिकार	426.66	-	-	4 26.66	27.12	-	-	27.12	399.54	399.54			
रेलवे को मार्ग-त्याग शुल्क	32 82.00	-	-	32 82.00	3 87.58	-	-	3 87.58	28 94.42	28 94.42			
कुल	59 92.62	33.54	14.94	60 11.22	21 61.90	2 12.30	10.00	23 64.20	36 47.02	38 30.72			

राशि (लाख रुपये में)													
नोट 3क : अन्य अमूर्त संपत्तियां													
विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यहास/परिशोधन/हास					निवल ब्लाक		
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	20 01.01	2 21.35	-	22 22.36	15 54.82	1 30.78	-	16 85.60	5 36.76	4 46.19			
ब्रांडिंग- कोच्चि मेट्रो	61.60	-	-	61.60	61.60	-	-	61.60	-	-			
सौर ऊर्जा क्रय अधिकार	426.66	-	-	4 26.66	10.05	17.07	-	27.12	399.54	416.61			
रेलवे को मार्ग-त्याग शुल्क	32 82.00	-	-	32 82.00	3 40.69	46.89	-	3 87.58	28 94.42	29 41.31			
कुल	57 71.27	2 21.35	-	59 92.62	19 67.16	1 94.74	-	21 61.90	38 30.72	38 04.11			

3.1. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 33.54 लाख रुपये मूल्य की अमूर्त संपत्तियों का पूंजीकरण किया (पिछले वर्ष 221.35 लाख रुपये)।

3.2. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2021-22 के दौरान कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के लिए रेलवे भूमि पर पुनः निर्माण हेतु दक्षिण रेलवे को रेलवे भूमि पार करने की अनुमति के रूप में वे लीव शुल्क के रूप में क्रमशः 2776 लाख रुपये और 506 लाख रुपये का भुगतान किया। यह अनुमति भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के 99% के बराबर एकमुश्त भुगतान के बदले 35 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए ली गई है। अनुमति की अवधि को लागू नाममात्र शुल्क के भुगतान पर 35 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। रेलवे को भुगतान की गई राशि की अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत दर्शाया गया है और औपचारिक समझौते के निष्पादन तक 70 वर्षों की अवधि के लिए परिशिोधित किया गया है।

3.3. रेलको मॉडल के अंतर्गत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना हेतु उपलब्धि-संबंधी प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और 25 वर्षों की अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशिोधित किया जाएगा।

3.4. वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्षों में पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त संपत्तियों के मूल्य में 14.73 लाख रुपये की वृद्धि दर्ज की है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व में सूचित मूल्यहास का पुनर्कथन भी हुआ है, जो 1.30 लाख रुपये की वृद्धि दर्शाता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभ-हानि विवरण और इकटिरी के आंशिक शेष में क्रमशः 0.88 लाख रुपये और 0.42 लाख रुपये की वृद्धि की गई है।



नोट 3.ख: विकासार्थीन अमूर्त संपत्तियां					
विवरण	दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 1 अप्रैल 2025 तक
एसएपी	5.31	30.17	35.48	5.31	30.17
कुल	5.31	30.17	35.48	5.31	30.17
विवरण	दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 31 मार्च 2024 तक
एसएपी	-	5.31	5.31	-	5.31
कुल	-	5.31	5.31	.00	5.31

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विकासार्थीन अमूर्त परिसंपत्ति की आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपये में)

सी डब्ल्यू आई पी	अवधि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएँ	31.03.2025 तक	30.17	.00	.00	.00	30.17
	31.03.2024 तक	5.31	.00	.00	.00	5.31
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ	31.03.2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00
	31.03.2024 तक	.00	.00	.00	.00	.00

	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नोट 4 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ- निवेश		
कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (अनकोटेड) में इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स (नोट संख्या 34.32 देखें) 1,27,400 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 100 रुपये, पूर्णतः प्रदत्त	1 27.40	1 27.40
घटाएँ: संचित रिज़र्व का हिस्सा	(11.75)	(8.59)
कुल	1 15.65	1 18.81

	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नोट 5: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां- वित्तीय परिसंपत्तियां		
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के विरुद्ध केरल सरकार से प्राप्य (नोट संख्या 34.6 देखें)	600 84.70	598 78.96
प्रतिभूति जमा (अप्रतिभूत और अच्छा माना गया)	6 15.17	1 37.92
कुल	606 99.87	600 16.88

	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नोट 6: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		
पूँजीगत अग्रिम - परियोजना के लिए (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है);		
- भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर (नोट संख्या 6.1 देखें)	128 41.16	118 00.79
- पूँजीगत अग्रिम	66 08.77	7 29.39
अग्रिम - प्रारंभिक कार्यों के लिए (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है);		
- भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर (नोट संख्या 6.2 देखें)	20 52.35	32 15.93
पूर्वदत्त व्यय	75.04	72.53
कर वापसी प्राप्तियाँ	1 27.81	2 84.20
अन्य अग्रिम	20.00	19 77.99
एमएटी क्रेडिट प्राप्तियाँ	17.44	17.44
कुल	217 42.57	180 98.27

6.1. दिनांक 31 मार्च तक मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जिला कलेक्टर को दी गई अग्रिम राशि नीचे दी गई है:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
चरण I (अलुवा से पेट्टा)	94 29.29	38 11.69
चरण Iक (पेट्टा से एसएन जंक्शन)	.95	.95
चरण Iख (एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा)	9 66.90	9 68.90
चरण II (जेएलएन स्टेडियम से कक्कानाड होते हुए इन्फोपार्क तक)	24 44.02	70 19.25
कुल	128 41.16	118 00.79

6.2. प्रारंभिक कार्यों और अन्य परियोजना कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु जिला कलेक्टर को अग्रिम राशि 31 मार्च तक नीचे दी गई है:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
व्यतिल्ला-पेट्टा सड़क चौड़ीकरण	5.19	5.19
नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्य - जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कक्कानाड तक इन्फो पार्क होते हुए	7 39.51	19 03.10
नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्य - सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड का चौड़ीकरण	4 06.75	4 06.74
एकीकृत जल मेट्रो परिवहन प्रणाली	9 00.90	9 00.90
कुल	20 52.35	32 15.93



नोट 7: इन्वेंटरी औज़ारों का स्टॉक	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	291.81	330.15
	<u>(49.32)</u>	<u>(47.53)</u>
भंडार और स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक	242.49	282.62
ईंधन का स्टॉक	243.69	89.63
	4.60	.00
कुल	4 90.78	3 72.25

नोट 8: व्यापारिक प्राप्य [चालू] वित्तीय परिसंपत्तियाँ	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
असुरक्षित - अच्छा माना जाता है - सुरक्षित (नोट संख्या 34.25.2.घ देखें)	10 21.30	5 04.53
असुरक्षित - अच्छा माना जाता है - असुरक्षित (नोट संख्या 34.25.2.घ देखें)	3 20.50	2 26.94
ऋण क्षतिग्रस्त (नोट संख्या 34.25.2.ऋण देखें)	7 54.53	5 26.05
घटाएँ: ऋण क्षतिग्रस्त व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	<u>(7 54.53)</u>	<u>(5 26.05)</u>
	.00	.00
कुल	13 41.80	7 31.47

कंपनी ग्राहकों से नकद/बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षा जमा राशि एकत्र करती है। असुरक्षित सीमा तक प्राप्त राशि को अलग से दर्शाया जाता है।

नोट 9: नकद और नकद समकक्ष [चालू]	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
हाथ में नकदी	60.98	34.33
बैंकों में शेष राशि (चालू और स्वीप-इन खातों में)	184 07.28	16 13.42
बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने या उससे कम)	161 65.14	93 88.00
	346 33.40	110 35.75

नोट 10: अन्य बैंक शेष [चालू]	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक और 12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाली)	.00	6 75.56
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि *	100 22.70	38 56.70
कुल	100 22.70	45 32.26

* लोक निर्माण विभाग/केरल वाणिज्यिक कर/ऋण सेवा आरक्षित खाते में गिरवी रखी गई बैंकों में सावधि जमा

नोट 11: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ [चालू]	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
केरल सरकार से प्राप्य		
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के विरुद्ध (नोट संख्या 34.6 देखें)	283 31.12	195 10.96
- अन्य	.00	14 80.32
अप्रतिभूत, अच्छा माना जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
- अर्जित ब्याज	3 05.78	1 14.39
- अर्जित आय लेकिन देय नहीं	20.03	50.70

- प्रतिभूति जमा राशि	22 46.98	22 63.60
- अन्य कर्मचारी अग्रिम	20.86	1.07
- अन्य (सरकार से वित्तीय सहायता शामिल है - नोट संख्या 34.13 देखें)	6 10.05	5 75.25
अप्रतिभूत, संदिग्ध माना जाता है		
- अन्य	84.69	84.69
घटाएँ: अग्रिम - ऋण क्षति (नोट संख्या 34.25.2.e देखें)	(84.69)	(84.69)
	.00	.00
कुल	315 34.82	239 96.29

	<i>राशि (लाख रुपये में)</i>	
नोट 12 : अन्य चालू परिसंपत्तियां	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अन्य अग्रिम	28 02.76	40 59.85
पूर्व भुगतान व्यय	166.69	151.67
लीज किराया प्राप्ति	1 46.02	.00
कर वापसी प्राप्ति	2 63.46	4 98.31
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	99.80	169.36
कुल	34 78.73	48 79.19

नोट 13: बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
निपटान के लिए रखी गई संपत्तियां (नोट संख्या 34.33 देखें)	0.77	260.00
	0.77	2 60.00



नोट 14: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	संख्या	राशि (लाखों रुपये में)	संख्या	राशि (लाखों रुपये में)
प्राधिकृत				
100 रुपये प्रति शेयर के इक्विटी शेयर	21 00 00 000	2100 00.00	21 00 00 000	2100 00.00

जारी, अभिदत्त और पूर्ण चुकता	
100 रुपये प्रति शेयर के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	17 07 46 000 1707 46.00

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयर की संख्या	राशि (लाखों रुपये में)	शेयर की संख्या	राशि (लाखों रुपये में)
शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान				
वर्ष की शुरुआत में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	2 00 00 000	200 00.00	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	17 07 46 000	1707 46.00	15 07 46 000	1507 46.00

14.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग %	शेयर की संख्या	होल्डिंग %
भारत के राष्ट्रपति	8 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00
केरल के राज्यपाल	8 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00

14.2 कंपनी में प्रमोटर्स द्वारा धारित शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग %	शेयर की संख्या	होल्डिंग %
भारत के राष्ट्रपति	8 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00
केरल के राज्यपाल	8 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00

14.3 कंपनी के पास 100 रुपये प्रति शेयर के सम्मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने का हकदार है और कंपनी की बैठक में प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों, यदि कोई हो, के वितरण के बाद, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति और केरल के माननीय राज्यपाल ने क्रमशः पाँच और चार नामित निदेशकों को नामित किया है।

आस्थगित आय
मौद्रिक अनुदान

ब्याज मुक्त उप-ऋण

- भारत सरकार (नोट संख्या 34.3 देखें)	185 13.78	191 03.89
- केरल सरकार (नोट संख्या 34.3 देखें)	2399 48.53	2239 39.38
केरल सरकार - राज्य करों की प्रतिपूर्ति (नोट संख्या 15.1 देखें) (नोट संख्या 30.6 देखें)	181 99.99	189 59.42
भारत सरकार (चरण 1ए) (नोट संख्या 15.2 देखें)	42 51.51	44 21.55
	2809 13.81	2664 24.24

गैर-मौद्रिक अनुदान

केरल सरकार - फ्रीहोल्ड भूमि (नोट संख्या 15.3 देखें)	139 30.43	139 30.43
---	-----------	-----------

आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि (नोट संख्या 15.4 देखें)

भारत सरकार	140 80.00	100 00.00
केरल सरकार	90 22.00	.00

प्रतिधारित आय - लाभ-हानि विवरण में अधिशेष

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(2261 38.52)	(1815 51.94)
जोड़ें: लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ	-	(10 69.24)

जोड़ें: चालू वर्ष की कुल व्यापक आय	(430 59.81)	(435 43.83)
------------------------------------	-------------	-------------

घटाएँ: आरंभिक शेष में पिछली अवधि के समायोजन

वर्ष के अंत में शेष राशि	(2691 95.17)	(2261 47.11)
--------------------------	---------------------	---------------------

अन्य व्यापक आय

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(1 84.64)	(1 30.07)
-----------------------------	-----------	-----------

जोड़ें: चालू वर्ष की कुल व्यापक आय	(74.78)	(54.57)
------------------------------------	----------	----------

वर्ष के अंत में शेष राशि	(2 59.42)	(1 84.64)
--------------------------	------------------	------------------

कुल

	484 79.90	640 22.92
--	------------------	------------------

15.1. राज्य करों की प्रतिपूर्ति

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005- एमआरटीएस -IV दिनांक 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते समय, यह संकेत दिया गया था कि राज्य करों के लिए 237.33 लाख रुपये की राशि केरल सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तदनुसार, दिनांक 3 मई 2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 170/2019/वित्त के तहत, कोच्चि मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केएमआरएल/डीएमआरसी द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर की प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य सरकार ने केवीएटी और एसजीएसटी के लिए 237.33.52 लाख रुपये की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की। इस राशि को अन्य इक्विटी के अंतर्गत आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी गई है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ-हानि विवरण में स्थानांतरित कर दिया गया है।

15.2. चरण 1क के लिए भारत सरकार से अनुदान

भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 06 फरवरी 2023 के आदेश संख्या के-14011/08/2019- एमआरटीएस -IV के अनुसार, पेट्टा से एस एन जंक्शन तक कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 को मंजूरी देते समय, 710.92.00 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत में से, यह संकेत दिया गया था कि 46.74.00 लाख रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने पर भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी की जाएगी।

तदनुसार, दिनांक 28 मार्च 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी की गई। इस राशि को अन्य इक्विटी के अंतर्गत आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ-हानि विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।



15.3. केरल सरकार से गैर-मौद्रिक अनुदान

केरल सरकार ने दिनांक 22 मई 2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी के माध्यम से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे वाली भूमि को उक्त भूमि पर संपत्ति विकास कार्य हेतु केएमआरएल को निःशुल्क रजिस्ट्रीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की। 17.430 एकड़ भूमि मार्च 2020 में कंपनी को रजिस्ट्रीकृत की गई थी। भूमि के इस टुकड़े का मूल्य भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान माना जाता है।

केरल सरकार ने दिनांक 24.06.2022 के सरकारी आदेश संख्या 169/2022/आरडी के माध्यम से संपत्ति विकास परियोजना हेतु कक्कनाड में पीडब्ल्यूडी विभाग की अतिरिक्त 14 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की। यह भूमि अभी तक कंपनी को रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है।

15.4. आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, भारत सरकार (जीओ आई) और केरल सरकार (जीओके) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। दोनों सरकारों के पास 50-50% इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर अंशदान चरणों में जारी किया जा रहा है और सरकारों की समान शेयरधारिता बनाए रखने के लिए, अतिरिक्त शेयर आवेदन राशि को शेयर आवेदन राशि के रूप में तब तक रखा जाएगा जब तक कि अन्य संबंधित सरकारों से समान अंशदान प्राप्त न हो जाए।

100 रुपये प्रति शेयर के सममूल्य इक्विटी शेयर, मौजूदा शेयरों के समान सभी अधिकार रखने वाले शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे, और इस प्रकार जारी किए जाएंगे कि दोनों सरकारों की इक्विटी होल्डिंग का अनुपात समान हो।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार से प्राप्त आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के विरुद्ध इक्विटी शेयर, 12.03.2025 को जीओके से समान अंशदान प्राप्त होने पर 21.03.2025 को जारी किए गए। दिनांक 25.03.2025 को भारत सरकार से 90.22 करोड़ रुपये और 26.03.2025 को भारत सरकार से 140.80 करोड़ रुपये शेयर आवेदन राशि के रूप में प्राप्त हुए। प्राप्त योगदान के बराबर शेयरों का आवंटन आगामी बोर्ड बैठकों में किया जाएगा। कंपनी के पास शेयर आवेदन राशि के विरुद्ध शेयर आवंटन से प्राप्त शेयर पूंजी राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त अधिकृत शेयर पूंजी है।

राशि (लाख रुपये में)

नोट 16.क: उधार [गैर चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सावधि ऋण (प्रतिभूत)		
बैंकों से (नोट संख्या 34.5 देखें)	2030 32.31	2101 67.74
सावधि ऋण (अप्रतिभूत)		
वित्तीय संस्थानों से (नोट संख्या 34.5 देखें)	556 18.49	505 33.11
पास-श्रू सहायता - भारत सरकार (नोट संख्या 34.7 देखें)	966 85.07	953 44.21
ब्याज मुक्त सबऑर्डिनेट ऋण (असुरक्षित)		
(नोट संख्या 34.3 देखें)		
भारत सरकार	248 50.00	248 50.00
केरल सरकार	3352 49.11	3024 68.11
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन	(2,58,462.31)	(2,43,043.27)
	1016 36.80	842 74.84
कुल	4569 72.67	4403 19.90

राशि (लाख रुपये में)

नोट 16ख : पट्टा देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
पट्टा देयता (नोट संख्या 34.20.2 देखें)	.00	4.13
	.00	4.13

राशि (लाख रुपये में)

नोट 17: अन्य वित्तीय देनदारियां [गैर चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
केरल सरकार से प्राप्त ऋण सेवा आरक्षित निधि	30 00.00	.00
केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण पर देय ब्याज	10 07.45	20 14.90
प्रतिभूति जमा	9 14.19	6 28.74
प्रतिधारण	4 64.54	5 08.96
कुल	53 86.18	31 52.60

राशि (लाख रुपये में)

नोट 18 : प्रावधान [गैर-चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान (नोट संख्या 34.8 और 34.9 देखें)		
उपादान का प्रावधान	13 90.91	11 26.78
अर्जित अवकाश का प्रावधान	11 83.30	10 38.51
अर्ध-वेतन अवकाश का प्रावधान	3 82.30	3 11.36
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	1 20.83	79.23
कुल	30 77.34	25 55.88

राशि (लाख रुपये में)

नोट 19: आस्थगित कर देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आस्थगित कर देयताएँ (नोट संख्या 34.15 देखें)		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के बही शेष और कर शेष के बीच अंतर पर	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति (नोट संख्या 34.15 देखें)		
अनवशोषित मूल्यहास और हानि	-	-
कुल	-	-

राशि (लाख रुपये में)

नोट 20: अन्य गैर चालू देयताएं	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	3 17.85	3 78.44
आस्थगित उचित मूल्यांकन - लाभ (प्रतिभूति जमा राशि)	14 10.66	14 40.31
कुल	17 28.51	18 18.75

राशि (लाख रुपये में)

नोट 21.क : उधार [चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
चालू और बकाया नहीं:		
अवधि ऋण (प्रतिभूत)		
बैंकों से (नोट संख्या 34.5 देखें)	114 99.75	74 00.00
अवधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थानों से (नोट संख्या 34.5 देखें)	72 28.00	72 28.00
पास-श्रु सहायता - भारत सरकार (नोट संख्या 34.7 देखें)	77 93.66	66 35.54
कार्यशील पूंजी ऋण - केनरा बैंक (सुरक्षित) (नोट संख्या 34.5 देखें)	33 19.55	26 32.05
कुल	298 40.96	238 95.59

राशि (लाख रुपये में)

नोट 21.ख : पट्टा देयताएं [चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
पट्टा देयता (नोट संख्या 34.20.2 देखें)	4 62.93	5.46
कुल	4 62.93	5.46

राशि (लाख रुपये में)

नोट 22 : व्यापार देय [चालू]	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
व्यापार देय (नोट संख्या 34.31 देखें)		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	57.92	11.70
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	12 51.17	11 98.10
कुल	13 09.09	12 09.80



नोट 23: अन्य वित्तीय देयताएं [चालू] चालू और देय नहीं:	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
उधार पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	20 11.16	20 91.74
अप्रतिभूत राशि		
- प्रतिधारण	24 69.69	20 07.36
- प्राप्त व्यापार/प्रतिभूति जमा राही	6 86.65	5 53.77
- भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	72 14.22	58 81.33
- अन्य;		
- परियोजना संबंधी देयताएँ (बाह्य परियोजना देयताओं सहित)	123 00.16	184 75.28
- भारत सरकार	195 35.26	62 24.39
- केरल सरकार (नोट संख्या 34.12 देखें)	139 46.85	108 51.20
- अन्य	10 20.09	9 36.37
कुल	591 84.08	470 21.44

नोट 24: अन्य चालू देयताएं	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सांविधिक भुगतान	5 93.20	5 65.36
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	13 30.40	11 58.76
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ (सुरक्षा जमा)	1 18.26	90.89
कुल	20 41.86	18 15.01

नोट 25 : प्रावधान [चालू]	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट संख्या 34.8 और 34.9 देखें)		
उपादान के लिए प्रावधान	1 10.70	88.09
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	1 87.51	1 49.32
अर्ध-वेतन अवकाश के लिए प्रावधान	33.45	29.14
छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	32.12	21.06
कुल	3 63.78	2 87.61

नोट 26: परिचालन से राजस्व	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ट्रेन परिचालन से राजस्व	111 88.19	99 88.14
गैर-किराया बॉक्स राजस्व	55 41.27	51 41.96
कुल	167 29.46	151 30.10

नोट 27: अन्य आय	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों पर लाभ)	82 15.10	68 34.06
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से)	9 29.47	8 80.02
बाह्य परियोजना परामर्श आय	1 56.09	2 23.30
बैंक जमा पर ब्याज	9 20.61	12 54.36
अन्य गैर-परिचालन आय (नोट संख्या 27.1 देखें)	4 31.44	2 15.20
प्रतिभूति जमा राशि की समाप्ति से आय	1 43.60	1 03.85
कुल	107 96.31	95 10.79

27.1 अन्य गैर परिचालन आय :

आवेदन/निविदा प्रसंस्करण शुल्क	13.46	33.06
अन्य ब्याज	68.65	8.84
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (नोट संख्या 34.33 देखें)	1 24.12	.00
अन्य	2 25.21	1 73.30
कुल	4 31.44	2 15.20

नोट 28: परिचालन व्यय	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहक सुविधा व्यय	16 96.97	15 26.29
बिजली और पानी का शुल्क	22 47.17	21 44.11
सुरक्षा और अन्य आउटसोर्स व्यय	12 55.71	12 50.76
कमीशन	5 28.08	4 71.44
अन्य परिचालन व्यय	63.22	94.99
कुल	57 91.15	54 87.59

नोट 29: कर्मचारी लाभ व्यय	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	50 54.37	45 68.61
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	4 17.64	3 82.98
उपादान व्यय (नोट संख्या 34.8 और 34.9 देखें)	1 83.36	1 56.18
कर्मचारी कल्याण व्यय	3 82.31	2 97.55
कुल	60 37.68	54 05.32

नोट 30: वित्तीय लागत	राशि (लाख रुपये में)	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क) पास-श्रु सहायता पर ब्याज - भारत सरकार		
सकल ब्याज (क)	54 69.66	56 45.67
लाभ-हानि विवरण में कुल अंतरण (क)	54 69.66	56 45.67



ख) बैंकों से ऋण पर ब्याज

सकल ब्याज (क)	203 72.16	185 65.91
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (ख)	(89.01)	(18 54.29)
लाभ-हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (क-ख)	202 83.15	167 11.62

ग) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (नोट संख्या 34.3 देखें)

अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय की समाप्ति (क)	82 15.10	68 34.06
लाभ और हानि विवरण (क) में कुल स्थानांतरण	82 15.10	68 34.06

घ) प्रतिधारण राशि और सुरक्षा जमा के उचित मूल्यांकन पर ब्याज

प्रतिधारण राशि जमा पर ब्याज व्यय की समाप्ति (क)	1 12.80	97.12
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (ख)	(5.88)	(2.18)
घटाएँ: जीओके को देय (ग)	(4.33)	(1.46)
लाभ-हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (क-ख-ग)	1 02.59	93.48

ड.) पट्टा देयता पर ब्याज

पट्टा देयता पर ब्याज व्यय (क) (नोट संख्या 34.20.2 देखें)	29.30	1.14
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (ख)	(21.15)	-
लाभ-हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (क)	8.15	1.14

च) गारंटी आयोग

जीओके (क) को देय गारंटी कमीशन	1 33.27	1 36.34
लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (क)	1 33.27	1 36.34

कुल योग- लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरण

	342 11.92	294 22.31
--	------------------	------------------

राशि (लाख रुपये में)
नोट 31: मूल्यहास और परिशोधन व्यय

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास (नोट संख्या 1.15 और 2 देखें)	188 74.94	179 76.37
उपयोग के अधिकार पर मूल्यहास	5.02	5.02
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन (नोट संख्या 1.15 और 3.ए देखें)	2 12.30	1 94.74
कुल	190 92.26	181 76.13

राशि (लाख रुपये में)
नोट 32: अन्य व्यय

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव	19 23.85	16 35.21
बीमा	3 66.25	4 39.24
सड़क निर्माण/स्टेशन उन्मुख निर्माण	23 78.83	60 46.63
कानूनी और व्यावसायिक	1 58.36	84.86
कार्यालय और अन्य विविध व्यय	81.92	1 43.19
बाहरी परियोजना परामर्श	13.46	1 37.21
विज्ञापन और प्रचार व्यय	81.90	1 36.03
यात्रा और परिवहन व्यय	93.46	95.74
बाढ़ के बाद बहाली व्यय	10.28	4 16.33
किराया, दरें और कर *	46.63	1 53.53
बैंक शुल्क	52.38	35.07

विनिमय उतार-चढ़ाव हानि/(लाभ) (नोट संख्या 34.2.2 देखें)	5.65	(4.83)
व्यापार प्राप्य पर अपेक्षित ऋण हानि	2 28.47	3 41.31
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या 32.1 देखें)	7.97	7.36
कुल	54 49.41	96 66.88

राशि (लाख रुपये में))

32.1 लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा शुल्क *	6.86	6.33
अन्य सेवाएँ	0.91	0.85
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.20	0.18
कुल	7.97	7.36

* सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के अनुसार जीएसटी आईटीसी रिवर्सल शामिल है

नोट 33: प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	(430 56.65)	(435 17.34)
शेयर		
मूल प्रति शेयर आय (ईपीएस) के लिए बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	1513487 40.00	1507460 00.00
बकाया तनु शेयरों का प्रभाव	4044 77.00	100000 00.00
तनुकृत प्रति शेयर आय (ईपीएस) के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1517532 17.00	1607460 00.00
प्रति शेयर आय		
100 रुपये प्रति शेयर सममूल्य वाले इक्विटी शेयर		
- मूल (रुपये)	(28.45)	(28.87)
- तनुकृत (रुपये)	(28.37)	(27.07)



टिप्पणी संख्या 34 समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त जानकारी

34.1 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (लाख रुपए में)

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
केएमआरएल द्वारा व्यय		
- संविदा	.00	5 88.56
- अन्य	4.98	12.46
डीएमआरसी द्वारा अनुबंधों पर व्यय (*)	2 23.56	6 39.89
कुल	2 28.54	12 40.91

* वर्ष 2024-25 के लिए डीएमआरसी से प्राप्त पुष्टि के आधार पर।

34.2 विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन

34.2.1 भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदान की गई पास-थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एजेंसी फ्रॉंसेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई के बीच चरण। के लिए 180 मिलियन यूरो के ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। चरण। पीटीए निधि भारत सरकार द्वारा कंपनी को बजटीय प्रावधानों के माध्यम से भारतीय रुपये में जारी की गई थी। 1327.10.77 लाख रुपये (180 मिलियन यूरो के बराबर) की सम्पूर्ण ऋण राशि को कई किस्तों में पीटीए के रूप में कंपनी को भारतीय रुपये में हस्तांतरित कर दिया गया। कंपनी का दायित्व भारत सरकार के प्रति है। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि के समतुल्य भारतीय रुपये तक सीमित है। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित बैलेंस शीट तिथि पर विदेशी मुद्रा दर भिन्नता हानि/लाभ को मान्यता नहीं दी है।

भारत सरकार ने केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए 27 मिलियन यूरो का ऋण सुविधा समझौता किया है। यह धनराशि भारत के राज्यों को भारतीय रुपये में विकास सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार केरल सरकार को हस्तांतरित की जाती है। केरल सरकार द्वारा प्राप्त 115.81.19 लाख रुपये (13.03 मिलियन यूरो के समतुल्य) की राशि भारत सरकार से 2024-25 तक के लिए पीटीए के रूप में केएमआरएल को हस्तांतरित कर दी गई। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व पीटीए की राशि के समतुल्य भारतीय रुपये तक सीमित है। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित बैलेंस शीट तिथि पर विदेशी विनिमय दर परिवर्तन हानि/लाभ को मान्यता नहीं दी है। पीटीए के अंतर्गत देयता को भारतीय रुपये में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.1 के अनुसार, विनिमय दर परिवर्तन की पूर्ति/व्यवस्था केरल सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 273 के अनुसार, भारत सरकार विदेशी विनिमय दर में बदलाव को ऋण की पूरी तरह से चुकौती के बाद ही मानेगी, न कि ऋण अवधि के दौरान। विनिमय दर में बदलाव का लेखा-जोखा "8680 विविध सरकारी खातों" में समायोजित/बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

ऐसे विनिमय दर में बदलाव के कारण होने वाले अंतर का निपटान केरल सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, केरल सरकार ने सितंबर 2023 तक 59.78.22 लाख रुपये की विदेशी विनिमय दर में बदलाव का निपटान किया, जैसा कि कंपनी को पत्र डी.ओ. 59 78.22 लाख रुपये जैसा कि

कंपनी को पत्र डी.ओ.नं.के-14011/03/2023-यूटी-वी दिनांक 31.05.2023 और पत्र संख्या के 14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से सूचित किया गया।

दिनांक 31.3.2025 तक, विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के लिए, केरल सरकार (जीओके) से प्राप्त 15.72 लाख रुपये की राशि भारत सरकार को देय है।

34.2.2 भारतीय लेखा मानक - 21, "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (पीटीए से संबंधित लेनदेन को छोड़कर) का प्रभाव निम्नानुसार है: वर्ष के लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर (निवल विदेशी मुद्रा) की कुल राशि 5.65 लाख रुपये की हानि है (वित्त वर्ष.2023-24, 4.83 लाख रुपये का लाभ)।

34.3 सरकारी ऋण लेखांकन (अधीनस्थ ऋण) और संबंधित वित्तीय लागत।

34.3.1 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005- एमआरटीएस -IV दिनांक 12 जुलाई 2012 के अनुसार कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते समय, यह संकेत दिया गया था कि भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा केंद्रीय करों के लिए 248.50 लाख रुपये प्रत्येक की राशि वित्तपोषित की जाएगी। तदनुसार, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा जारी की गई 497.00 लाख रुपये की राशि को अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.3.2 आदेश संख्या के-14011/37/2005- एमआरटीएस -IV दिनांक 12 जुलाई 2012 के अनुसार, यह संकेत दिया गया था कि अधिग्रहित भूमि की लागत के लिए 672.00 लाख रुपये की राशि केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके बाद, केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण के रूप में दिनांक 31 मार्च 2017 तक 306.25 लाख रुपये जारी किए। शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने कंपनी को सरकार की ओर से सावधि ऋण लेने का निर्देश दिया था।

केरल सरकार के निर्देशानुसार, दिनांक 25.03.2015 के सरकारी आदेश (सुश्री) संख्या 20/2015/लेनदेन के अनुसार, कंपनी ने केरल राज्य सहकारी बैंक (केरल बैंक) से, जिसे पहले एर्नाकुलम जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी) के नाम से जाना जाता था, 470.00 लाख रुपये का सावधि ऋण लिया, जो केरल सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण हेतु दिया गया था। 470.00 लाख रुपये में से, 366.00 लाख रुपये चरण I के लिए भूमि अधिग्रहण और 104.00 लाख रुपये कुन्नारा पार्क से पेट्टा तक व्यतिल्ला-पेट्टा रोड के लिए दिए गए हैं। ऋण की चुकौती और ब्याज का भुगतान केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर किया गया है। उक्त ऋण को वित्तीय विवरणों में उधार के रूप में दिखाया गया है।

संक्षेप में, केरल बैंक से लिया गया ऋण परियोजना अनुमोदन आदेश के अनुसार, केरल सरकार से प्राप्त होने वाले अधीनस्थ ऋण की प्रकृति का है। तदनुसार, 01.04.2016 से 366.00 लाख रुपये की राशि को केरल सरकार से प्राप्त होने वाले अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए शून्य (पिछले वर्ष 5.44 लाख रुपये) राशि जारी की।

34.3.3 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 के समझौता ज्ञापन के खंड 11.1 के अनुसार, पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि परियोजना की समयावधि के भीतर या उसके बाद किसी भी लागत वृद्धि को पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, जैसा कि जीओके द्वारा निर्देशित किया गया है, जीओ (आरटी) संख्या 215/2020/ट्रांस 22.06.2020 के माध्यम से, कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण I के लिए गैप निधियन हेतु 390 00 लाख रुपये की राशि के लिए मेसर्स हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया। समझौते की शर्तों के अनुसार, ऋण केरल सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित होगा।



मेसर्स हुडको से निकाली गई राशि, दिनांक 31.3.2025 तक संचयी समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, 390.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 331.23 लाख रुपये) को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए दूसरी लागत वृद्धि में केरल सरकार के हिस्से के रूप में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान केरल सरकार से प्राप्त क्रमशः 51.91 लाख रुपये (दिनांक 28.10.2020 के सरकारी आदेश संख्या 353/2020/ट्रांस) और 88.44 लाख रुपये (दिनांक 26.10.2021 के सरकारी आदेश संख्या 358/2021/ट्रांस) को समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.3.4 केरल सरकार ने दिनांक 17/10/2014 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 73/2014/ट्रांस के माध्यम से पेट्टा से एस एन जंक्शन तक मेट्रो लाइन के पहले चरण के विस्तार के लिए 359.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 15.7.2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 36/2019/ट्रांस के माध्यम से परियोजना लागत को संशोधित कर 710.92 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें भूमि की लागत 97.38 लाख रुपये शामिल है।

97.38 लाख रुपये में से, 58.11 लाख रुपये, जो केरल सरकार द्वारा विशेष तहसीलदार एलए को भूमि अधिग्रहण के लिए सीधे जारी किए गए थे, दिनांक 23.10.2018 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 63/2018/ट्रांस के माध्यम से, केरल सरकार के अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक शेष राशि के लिए, जैसा कि सरकार के दिनांक 17.03.2020 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस द्वारा निर्देशित है, कंपनी ने मेसर्स हुडको से सावधि ऋण लिया। 2020-21 के दौरान मेसर्स हुडको से लिए गए ऋण के बराबर राशि, जो 39.27 लाख रुपये है, को अनुमोदित परियोजना वित्तपोषण पैटर्न के भाग के रूप में, अधीनस्थ ऋण में सरकार के हिस्से के रूप में, सरकार के अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.3.5 केरल सरकार ने दिनांक 14/06/2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 27/2019/ट्रांस के माध्यम से दक्षिण पूर्व जंक्शन से त्रिपुनिथुरा रेलवे स्टेशन/बस डिपो तक मेट्रो लाइन के चरण I के विस्तार के लिए 356.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 16.01.2021 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 2/2021/ट्रांस के माध्यम से परियोजना लागत को संशोधित कर 448.33 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें 135.86 लाख रुपये की भूमि लागत शामिल है।

135.86 लाख रुपये में से, 11.10.2021 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 347/2021/ट्रांस के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए केरल सरकार द्वारा जारी 92.63 लाख रुपये को केरल सरकार के अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है। भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक शेष राशि के लिए, जैसा कि सरकार के दिनांक 17.03.2020 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस द्वारा निर्देशित है, कंपनी ने मेसर्स हुडको से ऋण लिया। 2021-22 के दौरान मेसर्स हुडको से लिए गए ऋण के बराबर राशि, जो 43.23 लाख रुपये है, को स्वीकृत परियोजना वित्तपोषण पैटर्न के भाग के रूप में, अधीनस्थ ऋण में सरकार के हिस्से के रूप में, सरकार के अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.3.6 केरल सरकार ने दिनांक 16.01.2021 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस के माध्यम से कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए 239.00 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, अर्थात् भारत सरकार से पास-थ्रू सहायता के रूप में 202.54 लाख रुपये और केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में 36.46 लाख रुपये।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए केरल सरकार से प्राप्त 36.45 लाख रुपये (पिछले वर्ष 36.45 लाख रुपये तक) की संचयी राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी।



34.3.7 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.26 के अनुसार, यदि कंपनी नकद घाटे के कारण वरिष्ठ सावधि ऋण (जब भी देय हो) चुकाने में असमर्थ हो, तो यह केरल सरकार का दायित्व है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक को ब्याज चुकाने के लिए केरल सरकार से प्राप्त 903.67.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 695.55.76 लाख रुपये तक) की संचयी राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, 2.5 लाख रुपये की संचयी राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी। 458 79.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 397 87.91 लाख रुपये) एएफडी, फ्रांस के लिए भारत सरकार को ब्याज और मूलधन की सेवा के लिए जीओके से अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त हुए।

34.3.8 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.19 के अनुसार, परिचालन चरण के दौरान नकद घाटे का वित्तपोषण अपने स्वयं के संसाधनों से करना केरल सरकार का दायित्व है, यदि केएमआरएल द्वारा ऐसा संभव न हो।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, केरल सरकार से प्राप्त कुल 199.48 लाख रुपये (पिछले वर्ष 199.48 लाख रुपये तक) की राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी।

अधीनस्थ ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सरकारी अनुदान, जो लाभ है, को भारतीय लेखा मानक 109- वित्तीय लिखतों के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक वहन मूल्यों और भारतीय लेखा मानक 20- सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन के अनुसार अनुदान के रूप में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है।

34.3.9 भारत सरकार ने एफ.सं.के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांक 21 नवंबर, 2022 के तहत जेएलएन स्टेडियम से इन्फोपार्क वाया कक्कनाड तक मेट्रो लाइन के दूसरे चरण के लिए 1957.05 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। केरल सरकार ने जी.ओ. (सुश्री) संख्या 23/2023/ट्रांस दिनांक 03/04/2023 के तहत दूसरे चरण के लिए 1957.05 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

1957.05 लाख रुपये में से 82.68 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण लागत, जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लागत भी शामिल है, के लिए हैं। सरकार के निर्देशानुसार, सरकार के आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस दिनांक 17.03.2020 के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स हुडको से ऋण लिया। वर्ष 2023-24 के दौरान मेसर्स हुडको से लिए गए ऋण के बराबर राशि, जो 69.69 लाख रुपये है, को अनुमोदित परियोजना वित्तपोषण पैटर्न के भाग के रूप में, अधीनस्थ ऋण में सरकार के हिस्से के रूप में, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.4 एकीकृत जल परिवहन प्रणाली

केरल सरकार (केरल सरकार) ने दिनांक 19/11/2015 के सरकारी आदेश संख्या 73/2015/ट्रांस के माध्यम से कोच्चि में 682.01 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की परिकल्पना को मंजूरी दी। इस परियोजना का वित्तपोषण जर्मन वित्तपोषण एजेंसी "क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरॉफबाउ" (केएफडब्ल्यू) द्वारा, "जलवायु अनुकूल शहरी गतिशीलता" पहल के तहत भारत-जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग के तहत, और केरल सरकार द्वारा 102.30 लाख रुपये की सीमा तक ऋण के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना के सभी वित्तीय और परिचालन जोखिम केरल सरकार के पास हैं क्योंकि वह परियोजना का वास्तविक स्वामी है और केएमआरएल परियोजना निष्पादन एजेंसी है।

केरल सरकार ने दिनांक 18.6.2021 के सरकारी आदेश संख्या 14/2021/ट्रांस के माध्यम से 72.00 लाख रुपये की भूमि अधिग्रहण लागत को छोड़कर, 1064.83 लाख रुपये की संशोधित परियोजना लागत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। संशोधित वित्तपोषण पद्धति के अनुसार, केरल सरकार का योगदान 156.07



लाख रुपये और केएफडब्ल्यू का वित्तपोषण 908.76 लाख रुपये है। केएफडब्ल्यू से अतिरिक्त वित्तपोषण की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, केरल सरकार ने 53.77 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) और केएफडब्ल्यू ने 71.92.49 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 93.94.99 लाख रुपये) की राशि जारी की। दिनांक 31.3.2025 तक जारी संचयी निधि 595.58.51 लाख रुपये है (जिसमें केरल सरकार का योगदान 228.07.00 लाख रुपये और केएफडब्ल्यू का योगदान 367.51.51 लाख रुपये है)।

दिनांक 31.03.2025 तक कुल व्यय 587.78.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 489.10.72 लाख रुपये) है। 31.3.2025 तक संविदाकारों को अग्रिम के रूप में 30.16 लाख रुपये का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष 65 19.59 लाख रुपये)।

केएफडब्ल्यू ऋण निकासी अवधि जून 2025 तक है। जून 2027 तक आगे विस्तार का अनुरोध केरल सरकार के विचाराधीन है।

कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 26/2020/ट्रांस के माध्यम से एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन को मंजूरी दी। इसमें राज्य सरकार की 74% इक्विटी और केएमआरएल की 26% इक्विटी होगी, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 4.90 लाख रुपये होगी। इक्विटी अंशदान राज्य सरकार से प्राप्त किया जाना था। धनराशि प्राप्त न होने के कारण, केएमआरएल ने 26% निवेश किया और इसे अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति-निवेश के रूप में मान्यता दी गई। तदनुसार, मेसर्स कोच्चि जल मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) का गठन 14 जुलाई, 2021 को किया गया। कंपनी ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया, जिसमें कंपनी और राज्य सरकार के दायित्वों को रेखांकित किया गया।



34.5 बैंकों / वित्तीय संस्थानों से उधार

राशि (लाखों रुपये में)

क्र. सं.	बैंक / वित्तीय संस्थानों का नाम	चुकौती की अवधि	ती प्रारंभ की तिथि	चुकौती की अंतिम तिथि	वर्ष के लिए ब्याज	व्याज दर	राशि	राशि
							31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार
क	केनरा बैंक - चरण 1	54 त्रैमासिक किश्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	2024-25	04.07.2024 तक 9.35% 05.7.2024 से 9.85%	1154 74.85	1181 11.80
ख	केनरा बैंक - चरण 1 (अतिरिक्त उधार)	54 त्रैमासिक किश्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	16 51.69	04.07.2024 तक 8.65% 17.07.2024 तक 9.15% 18.07.2024 से 9.45%	177 32.43	181 38.19
ग	केनरा बैंक ऋण - चरण 1 विस्तार	56 त्रैमासिक किश्तें	तिमाही 2 2026-27	तिमाही 1 2040-41	40 93.93	04.07.2024 तक 9.65% 15.03.2025 तक 10.15% 16.03.2025 से 9.85%	413 54.46	395 57.64
घ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - चरण 1 विस्तार	56 त्रैमासिक किश्तें	तिमाही 2 2026-27	तिमाही 1 2040-41	28 61.40	04.07.2024 तक 9.65% 15.03.2025 तक 10.15% 16.03.2025 से 9.85%	289 16.50	276 60.11
ङ.	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण)	10 वार्षिक किश्तें	मार्च, 2018	मार्च, 2027		9.75%	73 20.00	99 40.00
च	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण - व्यतिस्सा-पेट्टा रोड)	10 वार्षिक किश्तें	मार्च, 2018	मार्च, 2027	17 25.57	9.75%	20 80.00	41 60.00
छ	केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	94.77	13.11.2024 तक 9.25% 14.11.2024 से 9.55%	19.55	9 32.05
ज	केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी मांग ऋण - कार्यशील पूंजी सीमा की उप-सीमा	1 महीना	लागू नहीं	अप्रैल, 2025	2 92.91	8.60% (अवधि आधारित एमसीएल आर एक्स 0.25% मार्जिन)	33 00.00	17 00.00
झ	केनरा बैंक - क्यूसीट में आईआईएमके परियोजना के लिए सावधि ऋण	68 मासिक किश्तें	जुलाई-25	जून-39	46.78	04.07.2024 तक 8.90% 05.07.2024 से 9.40%	16 53.83	.00



अ	हुडको - प्रारंभिक कार्य / भूमि अधिग्रहण	12 त्रैमासिक किश्तें	फ़रवरी-22	नवंबर-34	29 71.60	भूमि अधिग्रहण के लिए: 14.11.2023 से 9.43% सिविल कार्य के लिए: 14.11.2023 से 8.87%	336 72.48	333 87.11
ट	हुडको - चरण I	18 त्रैमासिक किश्तें	फ़रवरी-21	मई-35	22 47.30	भूमि अधिग्रहण के लिए: 14.11.2023 से 9.43% सिविल कार्य के लिए: 14.11.2023 से 8.87%	291 74.00	243 74.00
कुल						2 73 15.55	2806 98.10	2779 60.90

वित्तीय विवरणों में उपरोक्त ऋणों की प्रस्तुति
राशि (लाख रुपए में)

विवरण	संदर्भ नोट संख्या	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बैंकों से सावधि ऋण (सुरक्षित) का गैर-चालू भाग	16.क	2030 32.31	2101 67.74
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण (अप्रतिभूत राशि) का गैर-चालू भाग	16. क	556 18.49	505 33.11
कार्यशील पूंजी ऋण (सुरक्षित)	21. क	33 19.55	26 32.05
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वताएँ	21. क		
देय		.00	.00
अदेय		187 27.75	146 28.00
कुल		2806 98.10	2779 60.90

उपरोक्त ऋणों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
क) केनरा बैंक - चरण ।

कंपनी ने केनरा बैंक के साथ 1170 लाख रुपये की राशि का एक सावधि ऋण समझौता किया। केएमआरएल के अनुरोध पर, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज भुगतान स्थगन को मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज स्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण पर अर्जित ब्याज (पुनर्भुगतान के बाद) को कोविड-19 सहायता के रूप में बकाया सावधि ऋण में जोड़ दिया गया। लागू ब्याज दर एक वर्षीय एमसीएलआर (उधार दरों पर आधारित निधियों की सीमांत लागत) प्लस मार्जिन, वार्षिक शेष राशि के साथ, और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य शुल्क द्वारा सुरक्षित है।

ख) केनरा बैंक - चरण । (अतिरिक्त उधार)

कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण । की लागत वृद्धि को पूरा करने के लिए 18.7.2019 को केनरा बैंक के साथ 179.00 लाख रुपये की राशि का सावधि ऋण समझौता किया। केरल सरकार ने दिनांक 18.7.2019 के सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 323/2019/ट्रांस के माध्यम से मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए गारंटी जारी की। केएमआरएल के अनुरोध पर, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज भुगतान पर स्थगन को मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज स्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण पर अर्जित ब्याज (चुकौती के बाद) को कोविड-19 सहायता के रूप में बकाया सावधि ऋण में जोड़ दिया गया। लागू ब्याज दर एक वर्ष की एमसीएलआर (उधार दरों पर आधारित निधियों की सीमांत लागत) प्लस मार्जिन है, जिसमें वार्षिक शेष राशि शामिल है और यह कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य प्रभार द्वारा सुरक्षित है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

ग और घ) केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम ऋण - चरण । विस्तार

कंपनी ने चरण । विस्तार के लिए केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से सावधि ऋण लिया। कंसोर्टियम ऋण समझौता 25.05.2020 को निष्पादित किया गया। समझौते के अनुसार, केनरा बैंक चरण 1ए और 2बी परियोजना के वित्तपोषण के लिए अग्रणी बैंकर होगा, जिसमें कुल 730.67 लाख रुपये का सावधि ऋण होगा, जिसमें केनरा बैंक द्वारा 430.00 लाख रुपये और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 300.67 लाख रुपये का हिस्सा साझा किया जाएगा। लागू ब्याज दर एक वर्षीय एमसीएलआर प्लस मार्जिन है, जिसमें वार्षिक शेष राशि शामिल है। यह ऋण चरण । विस्तार की चल और अचल संपत्तियों पर समतुल्य शुल्क द्वारा सुरक्षित है और ब्याज और मूलधन



के भुगतान के लिए केरल सरकार द्वारा गारंटीकृत है। केरल सरकार (जीओके) ने दिनांक 18.6.2020 के जीओ (आरटी) संख्या 211/2020/ट्रांस के माध्यम से ऋण के ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए गारंटी जारी की। गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में क्रमशः 19,18.22 लाख रुपये और 2,48.04 लाख रुपये की राशि को भी दिनांक 31.3.2025 तक केरल सरकार से प्राप्य माना गया है (पिछले वर्ष तक क्रमशः 13,91.04 लाख रुपये और 1,15.37 लाख रुपये गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में थे), क्योंकि इस परियोजना का वित्तपोषण केरल सरकार द्वारा किया जाना है।

ड.) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एर्नाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के नाम से जाना जाता था) (भूमि अधिग्रहण)

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 12 जुलाई 2012 के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस -IV के तहत कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते समय, यह संकेत दिया गया था कि भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए 672.00 लाख रुपये केरल सरकार द्वारा ब्याज मुक्त उप-ऋण के रूप में प्रदान किए जाएँगे। 672.00 लाख रुपये में से, केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 तक 306.25 लाख रुपये जारी कर दिए। शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने निर्णय लिया कि केएमआरएल केरल सरकार की ओर से 366.00 लाख रुपये का ऋण लेगा, जो केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला उप-ऋण अंशदान होगा।

केरल सरकार के दिनांक 12 जुलाई 2012 के सरकारी आदेश संख्या 20/2015/ट्रांस 25.03.2015 को, भूमि अधिग्रहण हेतु केरल राज्य सहकारी बैंक से 366.00 लाख रुपये का सावधि ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार, कंपनी ने ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण समझौता किया है, जैसा कि 20 जनवरी 2015 को हुई इसकी 19वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। सरकारी आदेश के अनुसार, ऋण की अवधि दो वर्ष की मोहलत के साथ 12 वर्ष होगी और पुनर्भुगतान कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य प्रभार द्वारा सुरक्षित वार्षिकी आधार पर दस वर्षों में किया जाएगा। ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही आधार पर संयोजित होगी।

ब्याज सहित ऋण का पुनर्भुगतान केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर किया जाता है और देय होने पर इसे केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान 366.00 लाख रुपये की पूरी ऋण राशि निकाल ली है।

च) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एर्नाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के नाम से जाना जाता था) (भूमि अधिग्रहण-व्यतिल्ला पेट्टा सड़क)

केरल सरकार ने दिनांक 30.04.2015 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 24/2015/ट्रांस के माध्यम से व्यतिल्ला-पेट्टा सड़क के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने हेतु केरल राज्य सहकारी बैंक से 104.00 लाख रुपये का सावधि ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार, कंपनी ने केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ सावधि ऋण समझौता किया, जैसा कि 20 जनवरी 2015 को हुई उसकी 19वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। ऋण की कुल अवधि 12 वर्ष होगी, जिसमें दो वर्ष की स्थगन अवधि होगी, और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य प्रभार द्वारा सुरक्षित वार्षिकी आधार पर दस वर्षों में पुनर्भुगतान किया जाएगा। ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही आधार पर संयोजित होगी। ऋण की ब्याज सहित अदायगी का दायित्व केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर लिया जाता है और देय होने पर इसे केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान 104.00 लाख रुपये की पूरी ऋण राशि निकाली है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पैरा - ड. और च में उल्लिखित उपरोक्त ऋण पर 8वीं किस्त (ब्याज सहित) का भुगतान मार्च 2025 में किया, जिसकी राशि 74 33.02 लाख रुपये (पिछले वर्ष 80 21.00 लाख रुपये, सातवीं किस्त) थी।

छ) और ज) केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी ऋण और कार्यशील पूंजी मांग ऋण

कंपनी दिनांक 30.9.2019 को केनरा बैंक के साथ क्रमशः ₹90.00 लाख और ₹5.00 लाख की राशि के लिए निधि आधारित कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी सीमा पर हस्ताक्षर किए, जिनका वार्षिक नवीनीकरण किया जाता है। कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए लागू ब्याज दर एक वर्षीय एमसीएलआर (उधार दरों पर आधारित निधियों की सीमांत लागत) प्लस मार्जिन है, जिसमें वार्षिक शेष राशि शामिल है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर समतुल्य शुल्क द्वारा सुरक्षित है।

केनरा बैंक ने कार्यशील पूंजी सुविधा की उप-सीमा के रूप में 90,00 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) की पेशकश की है, जिसमें अवधि आधारित एमसीएलआर + 0.25% की ब्याज दर शामिल है। कंपनी इस सुविधा का लाभ उठा रही है, क्योंकि ब्याज दर मौजूदा सुविधा की तुलना में कम है। दिनांक 31.3.2025 तक कंपनी द्वारा 33 00.00 लाख रुपये का डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त किया गया है (31.3.2024 तक 17 00 लाख रुपये)।

झ) केनरा बैंक - सीयूएसएटी मेट्रो स्टेशन के निकट भवन निर्माण हेतु सावधि ऋण

वर्ष के दौरान, सीयूएसएटी मेट्रो स्टेशन के निकट भवन निर्माण हेतु 14.5.2024 को 25.00 लाख रुपये का सावधि ऋण प्राप्त करने हेतु केनरा बैंक के साथ समझौता किया गया। सावधि ऋण वार्षिक पुनर्निर्धारण शर्त के साथ एक वर्षीय एमसीएलआर पर स्वीकृत है। प्रारंभिक समझौते के अनुसार, वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने की तिथि 31.12.2024 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30.06.2025 कर दिया गया। वर्ष के दौरान, सावधि ऋण से 16 53.83 लाख रुपये प्राप्त हुए। यह ऋण 44.46 सेंट भूमि के बंधक द्वारा सुरक्षित है, जिस पर प्रस्तावित भवन का निर्माण किया जाना है।

ञ) हुडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण

कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण I, चरण 1ए, चरण 1बी और चरण II के भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए 19.3.2020 को हुडको के साथ 589.82 लाख रुपये की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया। इसके विरुद्ध, हुडको द्वारा कंपनी को दिनांक 31 मार्च, 2025 तक 501.59.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 437.13.00 लाख रुपये) की राशि वितरित की गई। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए स्थगन अवधि फरवरी 2022 तक थी। यह ऋण ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी के लिए केरल सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित है, जैसा कि शासनादेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस दिनांक 17.3.2020 के अनुसार है।

चूंकि कंपनी ने भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए ऋण लिया है, इसलिए ब्याज और मूलधन की अदायगी, जिसमें ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन शामिल हैं, को केरल सरकार से प्राप्य माना गया है। तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क, गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में क्रमशः 1 23.90 लाख रुपये, 1.200.43 लाख रुपये और 1.76.31 लाख रुपये की राशि को 31 मार्च 2025 तक केरल सरकार से प्राप्य माना गया है (पिछले वर्ष तक क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क, गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में 1 23.90 लाख रुपये, 9 45.92 लाख रुपये और 1 02.02 लाख रुपये)।

ट) हुडको - चरण I

कंपनी ने चरण I परियोजना के लिए गैप फंडिंग हेतु हुडको के साथ 26.06.2020 को 39000 लाख रुपये की राशि का एक सावधि ऋण समझौता किया। दिनांक 22.06.2020 के GO(RT)215/2020/Trans के अनुसार, केरल सरकार ऋण और ब्याज की अदायगी के संबंध में पर्याप्त बजट प्रावधान प्रदान करने पर सहमत हुई है। तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन की अदायगी को केरल सरकार से प्राप्य माना जाता है।

तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में क्रमशः 1,23.90 लाख रुपये, 10,79.54 लाख रुपये और 1,55.84 लाख रुपये की राशि को 31 मार्च 2025 तक केरल सरकार से प्राप्य माना जाता है (पिछले वर्ष तक ऋण प्रसंस्करण शुल्क गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में



क्रमशः 1,23.90 लाख रुपये, 8,59.07 लाख रुपये और 87.72 लाख रुपये)। कंपनी ने वर्ष 2024-25 में 390 लाख रुपये की पूरी ऋण राशि का आहरण पूरा कर लिया है।

केरल सरकार को देय गारंटी कमीशन

दिनांक 16 अक्टूबर 2004 के शासनादेश संख्या 487/04/वित्त के खंड 4(i) के अनुसार, देय गारंटी कमीशन पिछले वर्ष की 31 मार्च तक बकाया वास्तविक ऋण राशि का 0.75% होगा, जिसमें ब्याज, दंडात्मक ब्याज आदि शामिल होंगे। एक वर्ष में देय राशि का भुगतान दो समान किश्तों में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाएगा।

दिनांक 31.3.2025 तक भुगतान किया गया गारंटी कमीशन ₹9.31.46 लाख है (पिछले वर्ष ₹9.31.46 लाख)। 31.3.2025 तक केरल सरकार को देय गारंटी कमीशन ₹4.07.03 लाख है (पिछले वर्ष ₹2.9.38.61 लाख)।



34.6 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के विरुद्ध केरल सरकार से प्राप्य

राशि (लाखों रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	विस्तृत नोट संदर्भ संख्या	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार		
			नैर-चालू	चालू	कुल	नैर-चालू	चालू	कुल
क	केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण के विरुद्ध	34.11.ड. और 34.11.च	46 94.81	94 00.00	1 40 94.81	93 94.81	47 00.00	1 40 94.81
ख	केरल राज्य सहकारी बैंक से ऋण पर प्राप्त ब्याज के विरुद्ध	34.11.ड. और 34.11.च	10 08.05	37 40.47	47 48.52	20 15.50	10 07.45	30 22.95
ग	हुडको से लिए गए ऋण के विरुद्ध	34.11.झ और 34.11.ञ	5 43 81.84	1 01 64.47	6 45 46.31	4 84 68.65	1 00 54.57	5 85 23.22
घ	गारंटी कमीशन, गारंटी कमीशन पर ब्याज और प्रसंस्करण शुल्क के विरुद्ध	34.11.ग,घ, झ &ञ	.00	50 26.18	50 26.18	.00	37 48.94	37 48.94
	कुल		6 00 84.70	2 83 31.12	8 84 15.82	5 98 78.96	1 95 10.96	7 93 89.92



34.7 भारत सरकार से पास-श्रु सहायता

राशि (लाखों रुपये में)

क्र. सं.	बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम	चुकोती की अवधि	शैती प्रारंभ की तिथि	चुकोती की अंतिम तिथि	वर्ष के लिए ब्याज	ब्याज दर	राशि	राशि
क	चरण I के लिए पास-श्रु सहायता	10 अर्धवार्षिक किश्तें	सितंबर, 2019	मार्च, 2039	2024-25	6 मासिक यूरिबोर प्लस 155 आधार अंकों का मार्जिन	928 97.54	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार 995 33.08
ख	एनएमटी के लिए पास-श्रु सहायता	20 त्रैमासिक किश्तें	मई, 2025	नवंबर, 2034	4 14.82	सूचकांक दर + 1.52% अथवा 6 महीने यूरिबोर + 1.35% (मार्जिन)	115 81.19	24 46.67
कुल							1044 78.73	1019 79.75

वित्तीय विवरणों में भारत सरकार की ओर से पास-श्रु सहायता की प्रस्तुति

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	संदर्भ नोट संख्या	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
पास-श्रु सहायता का गैर-वर्तमान भाग - भारत सरकार	16.A	9 66 85.07	9 53 44.21
पास-श्रु सहायता का वर्तमान भाग - भारत सरकार	21.A	77 93.66	66 35.54
कुल		10 44 78.73	10 19 79.75

क) चरण I के लिए पास-श्रु सहायता

कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के चरण I के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 180 मिलियन यूरो की पास-श्रु सहायता (पीटीए), फ्रॉन्सीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, एजेंस फ्रॉन्सेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार के बीच ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। यह ऋण भारत सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा सुरक्षित है। 180 मिलियन यूरो की पूरी ऋण राशि, जो 1327 10.77 लाख रुपये के बराबर है, एएफडी द्वारा भारत सरकार को जारी कर दी गई है। भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार, यह धनराशि केएमआरएल को कई किशतों में भारतीय रुपये में वितरित की गई।

मार्च 2024, सितंबर 2024 और मार्च 2025 में एएफडी को ऋण चुकौती के लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि 179.63.26 लाख रुपये (विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को छोड़कर) (मूलधन 99.53.31 लाख रुपये और ब्याज 80.09.95 लाख रुपये) भारत सरकार को देय राशि के रूप में दिखाई गई है, क्योंकि इस राशि का भुगतान/समायोजन अभी बाकी है। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2024 के लिए विनिमय दर में बदलाव के लिए भारत सरकार को 15.72.00 लाख रुपये देय दिखाए गए हैं क्योंकि यह धनराशि भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग से प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2024-25 के दौरान, एएफडी ऋण चुकौती के लिए भारत सरकार से 76.64 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। हालाँकि, इस राशि का उपयोग केरल बैंक के ऋण की सेवा के लिए किया गया था, जो 31.03.2025 को देय था और हुडको ऋणों के लिए अतिरिक्त डीएसआरए बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि ये धनराशि 31.3.2025 से पहले जीओके द्वारा जारी नहीं की गई थी।

ख) एनएमटी के लिए पास-श्रु सहायता

केरल सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए प्रदान की गई 27 मिलियन यूरो की पास-श्रु सहायता (पीटीए) फ्रॉन्सीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, एजेंस फ्रॉन्सेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता, भारत सरकार के बीच ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। यह ऋण भारत सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा सुरक्षित है। परियोजना समझौते पर केएमआरएल (अंतिम लाभार्थी) और एएफडी के बीच 05.02.2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। ऋण निकासी अवधि नवंबर 2024 में समाप्त हो रही है और विस्तार के लिए अनुरोध, प्रारंभ में मई 2025 तक और बाद में दिसंबर 2026 तक, एएफडी के साथ चर्चा/बातचीत के अधीन है और अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा में है।

ब्याज प्रत्येक भुगतान तिथि, अर्थात् प्रत्येक वर्ष 31 मई और 30 नवंबर को देय है। मूल राशि का पुनर्भुगतान बीस समान अर्धवार्षिक किशतों में किया जाएगा और पहली किस्त 31 मई, 2025 को देय होगी और अंतिम किस्त 30 नवंबर, 2034 को केरल सरकार द्वारा देय होगी।



वर्ष 2024-25 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को राष्ट्रीय खनिज संसाधन विकास (एनएमटी) के लिए एएफडी से जारी ऋण में से 54.79.57 लाख रुपये (पिछले वर्ष 36.54.96 लाख रुपये) की राशि जारी की गई।

दिनांक 31.3.2025 तक, राष्ट्रीय खनिज संसाधन विभाग (एनएमटी) के लिए कर्नाटक सरकार के माध्यम से एएफडी से केएमआरएल को प्राप्त संचयी निधि 115.81.19 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 24.46.67 लाख रुपये)।

34.8 भारतीय लेखा मानक -19, "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों ही, कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करते हैं। अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है।

कंपनी की पेंशन योजना, भविष्य निधि योजना से जुड़ी हुई है। भविष्य निधि योजनाओं के अंतर्गत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत भी आते हैं, सिवाय उन कर्मचारियों के जो दिनांक 1 सितंबर 2014 के बाद भविष्य निधि (पीएफ) सदस्य बने हैं और जिनका वेतन 15,000/- रुपये प्रति माह से अधिक है। ऐसे कर्मचारी ईपीएस योजना के अंतर्गत कवर होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उक्त लाभ केवल तभी दिया जा रहा है, यदि कर्मचारी केएमआरएल में शामिल होते समय पीएफ योजना का मौजूदा सदस्य था। उपरोक्त पेंशन योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों से अंशदान नहीं लिया जाता है और इसका भुगतान पूरी तरह से नियोक्ता के अंशदान से किया जाता है।

उपादान : उपादान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार, पाँच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ग्रेच्युटी देय होती है। ग्रेच्युटी योजना से संबंधित देयताएँ, इंड एस-19के अनुसार, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, उपादान के लिए लेखा पुस्तकों में प्रावधान किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि नियोजित संपत्तियाँ दर्शाई गई हैं, कंपनी ने इन संपत्तियों को पुस्तकों में मान्यता नहीं दी है, क्योंकि कंपनी ने निधि न्यास नहीं बनाया है।

अर्जित छुट्टी और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी मानव संसाधन नीति के अनुसार कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है। इस मद में देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारी को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान की वास्तविक यात्रा के खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस खाते पर देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

बीमा: कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी भी ली है।



34.9 बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि विवरण और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	उपादान की हकदारी (अनफंडेड)		अर्जित अवकाश नकदीकरण (अनफंडेड)		अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण (अनफंडेड)		छुटी यात्रा रियायत (अनफंडेड)		राशि (लाख रुपये में)
	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23	
वर्तमान सेवा लागत	1 65.90	1 43.82	2 05.65	1 96.09	69.48	56.90	32.12	21.46	
ब्याज लागत	85.81	70.60	80.74	69.09	24.52	20.88	5.66	6.31	
लाभ का भुगतान / प्रावधान वापस लिया गया	(59.26)	(38.50)	(1 45.16)	(1 10.28)	(3.51)	(2.26)	(36.17)	(15.98)	
पिछली सेवा लागत	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमाकिक (लाभ)/हानि	61.89	25.44	65.97	24.88	20.11	7.02	5.72	1.87	
दायित्वों पर बीमाकिक (लाभ) / हानि - अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकीय धारणा के कारण	32.40	42.77	(24.22)	21.84	(35.35)	(24.60)	45.33	(8.60)	
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व	15 01.61	12 14.87	13 70.81	11 87.83	4 15.75	3 40.50	1 52.95	1 00.29	

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए प्रकटीकरण, जैसे कि उपादान, अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत (अनफंडेड योजना), जो कि बीमाकिक मूल्यांकन पर आधारित है।



कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:									
राशि (लाख रुपये में)									
विवरण	उपादान की हकदारी (अनफंडेड)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (अनफंडेड)		अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण (अनफंडेड)		छुट्टी यात्रा खियायत (अनफंडेड)		
	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वर्तमान सेवा लागत	1 65.90	1 43.82	2 05.65	1 96.09	69.48	56.90	32.12	21.46	
ब्याज लागत	85.81	70.60	80.74	69.09	24.52	20.88	5.66	6.31	
पिछली सेवा लागत	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
प्रतिपूर्ति सेवा लागत	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
ब्याज आय	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
पुनःआकलन	.00	.00	41.75	46.72	(15.25)	(17.58)	51.05	(6.73)	
कुल	2 51.71	2 14.42	3 28.14	3 11.90	78.75	60.20	88.83	(21.04)	
घटाएँ: बीमाकिक (लाभ)/सीडब्ल्यूआईपी/प्रोजेक्ट फंड/अन्य को अंतरित हानि	68.36	58.24	81.8	79.74	22.29	33.3	20.03	5.89	
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	183.35	156.18	246.34	232.16	56.46	26.90	68.80	15.15	

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	उपादान की हकदारी (अनफंडेड)		छुटी नकदीकरण (अनफंडेड)		अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण (अनफंडेड)		छुटी यात्रा रियायत (अनफंडेड)	
	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
दायित्व का वर्तमान मूल्य	15 01.61	12 14.87	13 70.81	11 87.83	4 15.75	3 40.50	1 52.95	1 00.29
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
अंतर	15 01.61	12 14.87	13 70.81	11 87.83	4 15.75	3 40.50	1 52.95	1 00.29
अमान्यताप्राप्त संक्रमणकालीन दायित्व	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
अमान्यताप्राप्त पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
दुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	15 01.61	12 14.87	13 70.81	11 87.83	4 15.75	3 40.50	1 52.95	1 00.29



राशि (लाख रुपए में)

अन्य व्यापक आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:		
विवरण	उपादान पात्रता (अनफंडेड)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) का पुनर्मापन		
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	61.89	25.44
अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकीय मान्यताओं के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	32.4	42.77
ओसीआई में कुल पुनर्मापन	94.29	68.21
घटाएँ: सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित बीमांकिक (लाभ)/हानि	19.51	13.64
ओसीआई के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	74.78	54.57

उपादान, अर्जित छुट्टी नकदीकरण, अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण और एलटीसी लाभ दायित्वों को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएँ इस प्रकार हैं:		
विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
छूट दर	6.89%	7.24%
वेतन वृद्धि दर - पहले 5 वर्ष	6.00%	6.00%



34.10 केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों / परियोजनाओं का विवरण, जो दिनांक 31.03.2025 तक प्रगति पर हैं

राशि (लाखों रुपये में)

क्र. सं.	किए गए प्रारंभिक कार्य / परियोजना का विवरण	परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार सरकारी आदेश	स्वीकृत परियोजना लागत	31.03.2025 तक प्राप्त निधि			31.03.2025 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त रकम	कुल	
1	कुत्रारा पार्क से पेढा तक 1.5 किलोमीटर विटिला-पेढा रोड का चौड़ीकरण	शासनादेश (एमएस) संख्या 13/2015/ट्रांस दिनांक 10/03/2015	22 35.00	जीओके	22 35.00	22 35.00	19 43.36
2	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फो पार्क होते हुए कक्कनाड तक नई मेट्रो लाइन का प्रारंभिक कार्य	शासनादेश (आरटी) संख्या 342/2024/ट्रांस दिनांक 09/09/2024	380 57.89	जीओके	122 53.29	355 19.00	355 19.00
				हुडको से ऋण	230 66.58		
				अन्य	1 99.13		
3	बंदरगाह हवाई अड्डे के चौड़ीकरण के लिए कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की तैयारी का कार्य	शासनादेश (एमएस) संख्या 73/2018/ट्रांस दिनांक 17/12/2018	74 07.00	हुडको से ऋण	46 79.94	48 22.24	48 22.24
				अन्य	1 42.30		
4	एडापल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक एडापल्ली-हाईकोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी प्रणाली के उन्नयन के लिए प्रारंभिक कार्य	शासनादेश (एमएस) संख्या 56/2016/ट्रांस दिनांक 26/08/2016	39 41.00	जीओके	34 00.00	34 00.00	16 08.92
5	एडापल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक एडापल्ली-हाईकोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी प्रणाली के उन्नयन के लिए प्रारंभिक कार्य	शासनादेश (एमएस) संख्या 31/2016/ट्रांस दिनांक 31/03/2016 शासनादेश (रिट) संख्या 295/ट्रांस दिनांक 12/07/2023	131 10.29	जीओके	69 30.29	131 20.85	131 20.85
				हुडको से ऋण	61 07.48		
				अन्य	83.08		
कुल			647 51.18		590 97.09	590 97.09	570 14.37

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का शुद्ध शेष, जो दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रगति पर है, जो जीओके से प्राप्य / देय है, तुलन पत्र में नोट संख्या 5.11 और 23 में दर्शाया गया है।



34.11 कंपनी द्वारा केरल सरकार की ओर से किए गए प्रारंभिक कार्यों/परियोजनाओं का विवरण, जिन्हें डीएमआरसी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है

राशि(लाखों रुपये में)

क्र. सं.	किए गए और पूर्ण किए गए प्रारंभिक कार्य / परियोजना का विवरण	ज़ूरी के अनुसार केरल सरकार से आदेश	कृत परियोजना लागत	31.03.2025 तक प्राप्त धनराशि		1.03.2025 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	धनराशि प्राप्त कुल	
1	प्रारंभिक कार्य	शासनादेश(एमएस) संख्या 110/2013/ट्रांस दिनांक 07-12-2013	2 42 47.00	जीओके	2 20 45.27	1 99 62.28
2	पचलम रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)	शासनादेश सुश्री संख्या 23/2014/ट्रांस दिनांक 05/03/2014 और शासनादेश (सुश्री) संख्या 56/2014/ट्रांस दिनांक 24/07/2014	52 59.00	जीओके	52 59.00	23 67.17
3	एडापल्ली फ्लाईओवर	शासनादेश (आरटी) संख्या 714/2013/पीडब्ल्यूडी दिनांक 13/05/2013	1 08 77.00	केरल सड़क निधि बोर्ड (केआरएफबी)	34 43.55	35 28.25
4	चार लेन वाले चंबक्करा पुल के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य	शासनादेश सुश्री संख्या 68/2016/ट्रांस दिनांक 09/11/2016 और शासनादेश सुश्री संख्या 64/2018/ट्रांस दिनांक 11/11/2018	38 36.44	जीओके हुडको से ऋण	27 00.00 10 36.00	37 09.75
कुल			4 42 19.44		3 44 83.82	2 95 67.45

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का निवल शेष, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित किया जाता है और जीओके से प्राप्त / देय है, तुलन पत्र में नोट संख्या 5. 11 और 23 में दर्शाया गया है।

34.12 दिनांक 31 मार्च 2025 तक प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्यों के लिए केरल सरकार से प्राप्त अग्रिम का विवरण।

राशि (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
मेट्रो निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य	23 12.26	23 12.26
पचलम संबंधी कार्य	28 91.83	28 91.83
एडापल्ली-हाई कोर्ट रोड का सुधार	17 91.08	17 91.08
कुन्नारा से पेट्टा तक प्रारंभिक कार्य	2 91.64	2 91.64
एकीकृत जल परिवहन परियोजना	12 25.10	.00
कुल	85 11.91	72 86.81

34.13 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और केरल सरकार (जीओके) से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

क. कंपनी को शहरी परिवहन योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन आदि के लिए कुल व्यय का 80% एमओयूडी द्वारा और 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 26.73 लाख रुपये के कुल व्यय में से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 तक अपना पूरा हिस्सा जारी कर दिया है और शेष 45.35 लाख रुपये, जो कि केरल सरकार से देय हैं, वित्तीय सहायता का उनका हिस्सा होने के नाते, प्राप्त निधि से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, जो कि जीओ (आरटी) संख्या 192/2020/ट्रांस दिनांक 08.06.2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ है और 12.74 लाख रुपये का शुद्ध शेष कर्नाटक सरकार से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

ख. केरल सरकार ने शासनादेश संख्या (आरटी)सं.282/2023/ट्रांस, दिनांक 06.07.2023 के माध्यम से कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड शहर के लिए व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) तैयार करने के लिए कंपनी को मंजूरी दी। तदनुसार, मेसर्स यूएमटीसी को 528.16 लाख रुपये की राशि के लिए सीएमपी और एएआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। सीएमपी व्यय का 80% भारत सरकार और 20% केरल सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी प्रकार, एएआर से संबंधित व्यय भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा समान रूप से प्रदान किया जाएगा। इसलिए, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड के लिए सीएमपी और एएआर तैयार करने के लिए भारत सरकार और केरल सरकार का कुल हिस्सा क्रमशः 384.81 लाख रुपये और 143.35 लाख रुपये है।

केएमआरएल ने सीएमपी और एएआर की तैयारी के लिए 528.16 लाख रुपये की पूरी राशि खर्च कर दी है। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत सरकार ने दिनांक 21.06.2024 के शासनादेश संख्या के-14011/11/2022-यूटी-IV के माध्यम से 32.61 लाख रुपये और दिनांक 06.03.2025 के शासनादेश संख्या के-14011/11/2022-यूटी-IV के माध्यम से 146.75 लाख रुपये जारी किए हैं, और केरल सरकार ने दिनांक 21/02/2025 के शासनादेश संख्या 69/2025/ट्रांस के माध्यम से 14.33 लाख रुपये वित्तीय सहायता के अपने हिस्से के रूप में जारी किए हैं। शेष राशि क्रमशः भारत सरकार और केरल सरकार से प्राप्य मानी गई है, क्रमशः 205.45 लाख रुपये और 129.02 लाख रुपये।



34.14 क. तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड मेट्रो में लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजनाएँ।

दिनांक 01/09/2022 के शासनादेश संख्या 43/2022/ट्रांस के अनुसार, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड जिलों में केरल रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजनाओं और 3 फ्लाईओवरों का कार्य कंपनी को सौंप दिया गया।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 11/01/2023 के शासनादेश संख्या 3/2023/पीडब्ल्यूडी के अनुसार, केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में लाइट मेट्रो परियोजना के हिस्से के रूप में श्रीकार्यम, उल्लूर और पट्टम में फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए कंपनी को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में नियुक्त किया। इस परियोजना का वित्तपोषण केआईआईएफबी द्वारा किया जाएगा और श्रीकार्यम फ्लाईओवर के लिए भूमि अधिग्रहण को छोड़कर स्वीकृत परियोजना लागत 70.32 लाख रुपये है। केएमआरएल स्वीकृत परियोजना लागत के 3.25% की दर से सेन्टेज के लिए पात्र है।

ख. तिरुवनंतपुरम मेट्रो के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।

जीओके ने जीओ (एमएस) संख्या 43/2022/ट्रांस दिनांक 01/09/2022 के माध्यम से कंपनी को नए सीएमपी और एएआर के आधार पर तिरुवनंतपुरम शहर के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया। तदनुसार, मेसर्स डीएमआरसी को 4.16 लाख रुपये की राशि पर डीपीआर तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया।

34.15 भारतीय लेखा मानक -12, "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण।

कंपनी के पास दिनांक 31.03.2025 तक 1121 20.40 लाख रुपये (31.03.2024 तक 1016 25.51 लाख रुपये) की आस्थगित कर परिसंपत्ति है, जो अनवशोषित मूल्यहास और संचित हानियों के कारण है। दिनांक 31.03.2025 तक आस्थगित कर देयता 795 15.28 लाख रुपये (31.03.2024 तक 777 18.85 लाख रुपये) है।

दिनांक 31.03.2025 तक शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति 326.05.12 लाख रुपये (31.03.2024 तक 239.06.66 लाख रुपये) है और भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ की उपलब्धता में अनिश्चितता को देखते हुए, 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में, भारत सरकार के आयकर विभाग के सीबीडीटी पोर्टल पर दिनांक 08.04.2025 तक प्रदर्शित 26 एएस के आधार पर वित्तीय विवरणों में स्रोत पर कर कटौती को मान्यता दी गई है।

34.16 केएमआरएल में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल।

जीओके ने जीओ(आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस दिनांक 16.01.2021 के माध्यम से कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए 239.00 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, अर्थात् भारत सरकार से पास-श्रु सहायता के रूप में 202.54 लाख रुपये और जीओके से अधीनस्थ ऋण के रूप में 36.46 लाख रुपये। एनएमटी योजना में स्टेशन-उन्मुख विकास, प्रमुख जंक्शन सुधार और शहरी स्थानों को पैदल यात्री बनाने की परियोजना शामिल है। एनएमटी पहलों के तहत किए गए व्यय को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार लाभ और हानि खाते/पूँजीकृत खाते में दर्ज किया जाता है।

वर्ष के दौरान, 23.75.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 60.30.72 लाख रुपये) लाभ और हानि विवरण में दर्ज किए गए हैं। अब तक एनएमटी कार्यों के लिए प्राप्त निधि से 151.51.56 लाख रुपये (पिछले वर्ष 102.23.96 लाख रुपये) का उपयोग किया जा चुका है।



34.17 इंड एस-23, "उधार लागत" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण।

वर्ष के दौरान, "उधार लागत" पर लेखांकन नीति के अनुरूप, राजस्व और सीडब्ल्यूआईपी पर क्रमशः 258.86.08 लाख रुपये (पिछले वर्ष 224.93.63 लाख रुपये) और 89.01 लाख रुपये (पिछले वर्ष 18.54.29 लाख रुपये) की राशि प्रभारित की गई है।

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	लाभ और हानि विवरण में उधार लेने की लागत को दर्शाया गया	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत	वर्ष के दौरान कुल उधार लागत
चालू वर्ष	258 86.08	89.01	259 75.09
पिछला वर्ष	224 93.63	18 54.29	243 47.92

34.18 इंड एस--33, "प्रति शेयर आय" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण।

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	(430 59.81)	(435 43.83)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- मूल	1513487 40.00	1507460 00.00
- तनुकृत	1517532 17.00	1607460 00.00
प्रति शेयर मूल आय (प्रति शेयर अंकित मूल्य 100 रुपये) (रुपये)	-28.45	-28.89
प्रति शेयर तनुकृत आय (प्रति शेयर अंकित मूल्य 100 रुपये) (रुपये)	-28.37	-27.09

34.19 इंड एस -1, "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति", इंड एस 8, "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों" के संबंध में प्रकटीकरण।
क. पूंजी प्रबंधन

राशि (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(क) कुल ऋण	4868 13.63	4642 15.49
(ख) कुल पूंजी	2192 25.90	2147 68.92
(ग) ऋण/इक्विटी अनुपात (क/ख)	2.22	2.16



कंपनी के पूंजी प्रबंधन की गणना के लिए, पूंजी में जारी पूंजी और अन्य इक्विटी शामिल हैं। ऋण में दीर्घकालिक ऋण और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।

ख. पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन डीएमआरसी से पिछले वर्षों से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण और ठेकेदार के दावों के अंतिम निपटान के कारण केएमआरएल की मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण के कारण किया गया था।

ऐसे पुनर्कथनों का निवल प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है।

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	निवल प्रभाव
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के सकल मूल्य में (वृद्धि)	14 15.29
2023-24 तक संचित मूल्यहास एवं परिशोधन में (वृद्धि)	10 69.24
अन्य इक्विटी में (कमी)	(10 69.24)
प्रति इक्विटी शेयर आय में (कमी)	(.71)

34.20 भारतीय लेखा मानक -116, "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

34.20.1 कंपनी ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ परिसर पट्टे/किराए पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएँ आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीनीकृत की जाती हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने 3.82 लाख रुपये (वार्षिक वर्ष 5.13 लाख रुपये) का पट्टा किराया (वसूली घटाकर) चुकाया है और इस प्रकार चुकाया गया पट्टा किराया व्यय - कर्मचारी कल्याण व्यय शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया गया है।

34.20.2 पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दिनांक 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आरओयू परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	वर्ष 2024-25 के दौरान	वर्ष 2023-24 के दौरान
शुरुआत में शेष राशि	8.30	13.32
जोड़	649.03	0.00
हटाना	0.00	0.00
मूल्यहास	259.06	5.02
अंत में शेष राशि	398.27	8.30

आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यहास - ₹254.04 लाख, भारतीय लेखा मानक - 116 के अनुसार, प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित किया जाता है।

पट्टा देयताओं में परिवर्तन इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष 2024-25 के दौरान	वर्ष 2023-24 के दौरान
आरंभ में शेष राशि	9.59	14.57
अतिरिक्त राशि	920.81	0
वित्तीय लागत - लाभ और हानि पर प्रभारित	8.15	1.14
वित्तीय लागत - सीडब्ल्यूआईपी पर प्रभारित	21.15	0
पट्टे की देनदारियों का भुगतान	-496.77	-6.12
अंत में शेष राशि	462.93	9.59

दिनांक 31 मार्च तक चालू और गैर-चालू पट्टा देनदारियों का विवरण इस प्रकार है:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
गैर-चालू पट्टा देयताएँ	0	4.13
चालू पट्टा देयताएँ	462.93	5.46
कुल	462.93	9.59

उपरोक्त पट्टा देयता में केएमआरएल द्वारा मेसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से पट्टे पर ली गई 2.85 हेक्टेयर भूमि की देयता शामिल है, जिसे वित्तीय पट्टे के अंतर्गत मेसर्स एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बैंक-टू-बैंक इनवॉइसिंग के आधार पर उप-पट्टे पर दिया गया है। पट्टे पर ली गई भूमि के विरुद्ध सृजित आरओयू परिसंपत्ति, जो कि उप-पट्टे पर दी गई अंतर्निहित परिसंपत्ति है, की मान्यता समाप्त कर दी गई है और पट्टा प्राप्य को भारतीय लेखा मानक (इंड एसएस)-116 के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

34.20.3 ऐसे पट्टे जिनके अंतर्गत कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को लगभग वहन करती है, वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। अधिग्रहण के समय, ऐसी परिसंपत्तियों को पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा भुगतानों के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूंजीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में एक सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों को परिचालन पट्टे के आधार पर पक्षों को लाइसेंस दिया है। परिचालन पट्टों से प्राप्त किराये की आय को सामान्यतः संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहाँ किराये को केवल कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए संरचित किया जाता है, ऐसी वृद्धि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसे लाभ अर्जित होते हैं।

परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाली भविष्य की न्यूनतम लाइसेंसिंग राशियाँ नीचे दी गई हैं:



राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
एक वर्ष से अधिक नहीं	12 83.29	11 45.32
एक वर्ष से अधिक और पाँच वर्ष तक	38 03.43	44 63.60
पाँच वर्ष से अधिक	55 48.85	59 46.45
कुल	106 35.57	115 55.37

34.21 भारतीय लेखा मानक -24, “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण” के संबंध में प्रकटीकरण

34.21.1 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तिः

1. श्री अनुराग जैन (2 सितंबर 2024 तक अध्यक्ष एवं नामित निदेशक)
2. श्री श्रीनिवास कटिकिथला (2 सितंबर 2024 तक अध्यक्ष एवं नामित निदेशक)
3. श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (नामित निदेशक)
4. श्री जयदीप (नामित निदेशक)
5. श्री किशोर कुमार (30 जून 2024 तक नामित निदेशक)
6. श्री भूपेंद्र सिंह बोध (नामित निदेशक)
7. डॉ. वेणु वी. (31 अगस्त 2024 तक नामित निदेशक)
8. श्रीमती शारदा मुरलीधरन (11 सितंबर 2024 तक नामित निदेशक)
9. श्री उमेश एन.एस.के. (नामित निदेशक)
10. श्री बीजू प्रभाकर (नामित निदेशक)
11. श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल (11 सितंबर 2024 तक नामित निदेशक)
12. डॉ. ए. जयतिलक (11 सितंबर 2024 तक नामित निदेशक)
13. श्री लोकनाथ बेहरा (प्रबंध निदेशक)
14. श्रीमती अन्नपूर्णा एस. (निदेशक - वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी - 30 सितंबर 2024 तक)
15. डॉ. एम. पी. रामनवास (निदेशक - परियोजनाएँ)
16. श्री संजय कुमार (निदेशक - प्रणालियाँ)
17. श्रीमती सीनी एलेक्स कुरुविला - (मुख्य वित्तीय अधिकारी - 21 मार्च 2025 से)
18. श्री लिस्टन परेरा (कंपनी सचिव)

34.21.2 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेन-देन का प्रकटीकरण:

राशि (लाख रुपये में)

	विवरण	2024-25	2023-24
1	वेतन एवं भत्ते	1 82.10	1 83.95
2	भविष्य निधि एवं अन्य में अंशदान	20.71	20.58
3	अन्य लाभ	12.90	30.51
	कुल (कर्मचारी लागत में शामिल)	2 15.71	2 35.04

क) पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य वित्तीय अधिकारी को कंपनी की नीति के अनुसार वसूली के अधीन निजी यात्राओं के लिए कंपनी के वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

ख) उपरोक्त राशि में ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अवकाश यात्रा रियायत में योगदान के प्रावधान शामिल नहीं हैं, जैसा कि बीमांकिक मूल्यांकन पर निर्धारित किया गया है। हालाँकि, वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक भुगतान अन्य लाभों में शामिल हैं।

34.21.3 उन कंपनियों का विवरण जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है और जिनके साथ कंपनी का लेन-देन हुआ है

कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)।

34.21.4 संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का प्रकटीकरण।

केरल सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 26/2020/ट्रांस के माध्यम से कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन को मंजूरी दी, जिसमें कोच्चि सरकार की 74% इक्विटी और केएमआरएल की 26% इक्विटी, 4.90 लाख रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी होगी। तदनुसार, मेसर्स कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) का दिनांक 14 जुलाई, 2021 को निगमन किया गया। कंपनी ने केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया, जिसमें कंपनी और कोच्चि सरकार के दायित्वों का वर्णन किया गया।

कंपनी ने 09.08.2021 से 5 वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति के पट्टे के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के साथ एक समझौता किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने परिचालन के प्रारंभिक चरण के दौरान केडब्ल्यूएमएल को सहायता प्रदान करने के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के साथ एक समझौता किया।

वर्ष के दौरान सामान्य व्यावसायिक क्रम में कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए गए:



राशि (लाख रुपये में)

लेन-देन की प्रकृति	2024-25	2023-24
केडब्ल्यूएमएल की ओर से धनराशि प्राप्तियाँ	228.85	3 06.99
केडब्ल्यूएमएल से व्यय की प्रतिपूर्ति	2.94	37.44
केडब्ल्यूएमएल को व्यय की प्रतिपूर्ति	0.00	0.00
प्रदान की गई सेवाएँ	1.32	0.81
केडब्ल्यूएमएल टर्मिनलों से जारी पीरियड पास से केएमआरएल राजस्व	0.00	0.09
केएमआरएल स्टेशनों से जारी पीरियड पास से केडब्ल्यूएमएल राजस्व	20.42	0.03

दिनांक 31 मार्च तक कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के पास बकाया राशि निम्नलिखित है।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए केडब्ल्यूएमएल से प्राप्त राशि	3.45	7.18
प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त राशि	1.55	0.00
देय - केडब्ल्यूएमएल की ओर से प्राप्त राशि	0.10	2.29
देय - केएमआरएल स्टेशनों से जारी किए गए पीरियड पास से प्राप्त राजस्व	1.33	0.00

सभी बकाया राशि अप्रतिभूत राशि हैं और नकद में देय हैं।
34.22 भारतीय लेखा मानक -36 (परिसंपत्तियों की क्षति) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, परिसंपत्ति पर क्षति हानि शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के रूप में मान्यता प्राप्त है।

34.23. भारतीय लेखा मानक -37 - आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रकटीकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	01.04.2024 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/अंतरण /उपयोग	31.03.2025 को समापन शेष
आकस्मिक देनदारियाँ			
क. कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के लिए			
i. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे	613 74.16	(9 87.88)	603 86.28
ii. जिला कलेक्टर को स्थापना एवं आकस्मिकता शुल्क*	92 29.58	19 07.73	111 37.31
iii. मध्यस्थता दावे	219 85.29	(11 73.32)	208 11.97

iv. अन्य	208 05.81	2 48.75	210 54.56
ख. केरल सरकार (केजी) की ओर से केएमआरएल द्वारा किए जा रहे प्रारंभिक कार्यों के लिए			
i. प्रारंभिक कार्य (भूमि अधिग्रहण सहित)	354 07.33	164 95.21	519 02.54
ii. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे - जल मेट्रो परियोजना	0.00	19 93.60	19 93.60
iii. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे - लाइट मेट्रो (प्रारंभिक कार्य)	0.00	21 81.73	21 81.73
ग. सांविधिक प्राधिकरण	6 95.73	6 14.12	13 09.85
कुल आकस्मिक देयताएँ	1494 97.90	212 79.94	1707 77.84

* प्रारंभिक कार्यों से संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्थापना और आकस्मिकता शुल्क के लिए दावा की गई राशि को छोड़कर, क्योंकि प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि राज्य सरकार के नाम पर अधिग्रहित की जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2025 तक, परियोजनाओं से संबंधित कुछ भूमि अधिग्रहण मामले उप-न्यायालय एर्नाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एर्नाकुलम में लंबित हैं। बढ़े हुए मुआवजे के कारण अनुमानित अतिरिक्त देयता, जहाँ याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण प्रस्तुत किया गया है, 603.86.28 लाख रुपये अनुमानित है। इसे आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

इसके अलावा, विभिन्न कार्यों (प्रारंभिक, जल मेट्रो और श्रीकार्यम फ्लाइओवर) से संबंधित भूमि अधिग्रहण मामले, जो उप-न्यायालय एर्नाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एर्नाकुलम में लंबित हैं, जहाँ याचिकाकर्ताओं द्वारा 518.29.52 लाख रुपये की अनुमानित देयता के लिए दावा विवरण प्रस्तुत किया गया है, को भी आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

शेष मामलों में, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी ऐसे संदर्भों के आधार पर वर्तमान देयता का आकलन करने में असमर्थ है। न्यायालयों में लंबित इन मामलों के संबंध में देयताएँ, यदि कोई हों, कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद या अंतिम आदेश प्राप्त होने पर प्रदान की जाएँगी।

विभिन्न कार्यों पर दावों के संबंध में, निपटान ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु केरल सरकार से प्राप्त धनराशि से किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन पुनर्स्थापन (केरल) नियम 2015 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार के नियम 4(2) और नियम 4(3) के अंतर्गत, भूमि अधिग्रहण लागत के क्रमशः 30% और 5% की दर से स्थापना शुल्क और आकस्मिकता का भुगतान जिला कलेक्टर को अग्रिम रूप से किया जाएगा। चूँकि भारत सरकार, केरल सरकार और केएमआरएल के बीच दिनांक 04.11.2013 के समझौता ज्ञापन के अनुसार भूमि अधिग्रहण केरल सरकार का दायित्व है, इसलिए केएमआरएल ने कई बार राजस्व विभाग से ऐसे स्थापना शुल्क और आकस्मिकता की छूट का अनुरोध किया है। ऐसी पुष्टि होने तक, स्थापना शुल्क और आकस्मिकता के कारण देय राशि (अग्रिम/प्रावधान, यदि कोई हो, घटाकर) आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत शामिल की जाती है।

34.24 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, एक निश्चित सीमा को पूरा करने वाली कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। यद्यपि केएमआरएल पर सीएसआर प्रावधान लागू हैं, लेकिन हुए घाटे के



कारण कंपनी को सीएसआर पर कोई भी राशि अनिवार्य रूप से खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया है।

34.25 भारतीय लेखा मानक (इंड एस) - 107 "वित्तीय लिखत प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण:

34.25.1 श्रेणियों के अनुसार वित्तीय लिखत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक			31 मार्च 2024 तक		
	परिशोधित लागत	एफवीटीपी एल	एफवीओ सीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई
वित्तीय पूंजी						
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट संख्या 5 और 11 देखें)	922 34.69	-	-	840 13.17	-	-
व्यापारिक प्राप्य (नोट संख्या 8 देखें)	13 41.80	-	-	7 31.47	-	-
कुल	935 76.49	-	-	847 44.64	-	-
वित्तीय देनदारियां						
उधार (नोट संख्या 16ए और 21ए देखें)	48 68 13.63	-	-	46 42 15.49	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट संख्या 17 एवं 23 देखें)	6 45 70.26	-	-	5 01 74.04	-	-
कुल	55 1383.89	-	-	51 43 89.53	-	-

34.25.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों से संबंधित विभिन्न जोखिमों से ग्रस्त है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का श्रेणीवार सारांश ऊपर दिया गया है। जोखिमों के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिम को कम करके कंपनी के अल्प से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

क. बाजार जोखिम

कंपनी के पास बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम है। साथ ही, कंपनी के पास कोई मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

ख. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व में चूक के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों, जैसे कर्मचारियों को अग्रिम राशि प्रदान करना, ग्राहकों से प्राप्तियां, सुरक्षा जमा आदि के लिए इस जोखिम से ग्रस्त है। रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से है।

- व्यापारिक प्राप्य

- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचानी गई चूकों की निरंतर निगरानी करती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रणों में शामिल करती है। जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध हो, ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है।

ग. नकदी जोखिम

कंपनी की नकदी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के नकदी के प्रमुख स्रोत परिचालन से प्राप्त राजस्व, वाणिज्यिक दीर्घकालिक उधार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

कंपनी नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखकर अपनी नकदी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए निवल नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी बकाया, सांविधिक बकाया, वर्तमान परिपक्वता अवधि और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सामान्य व्यावसायिक गतिविधि के दौरान उत्पन्न होने वाले बाह्य उधारों और प्रतिधारण एवं जमाराशियों पर ब्याज शामिल हैं। कंपनी अपनी अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और नकद समकक्षों तथा अन्य बैंक शेषों का रखरखाव करती है।

कंपनी समय-समय पर दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं का आकलन करती है और आंतरिक संचयों के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है। कंपनी की गैर-वर्तमान देनदारियों में उधारों का पुनर्भुगतान, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण एवं जमाराशियाँ तथा कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ शामिल हैं।

घ. ऋण जोखिम प्रबंधन

i. व्यापारिक प्राप्य

दिनांक 31 मार्च, 2025 और दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के पास क्रमशः 20.96.33 लाख रुपये और 12.57.52 लाख रुपये की बकाया व्यापारिक प्राप्य राशि (सकल) है। व्यापारिक प्राप्य राशियाँ आमतौर पर असुरक्षित होती हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। व्यापारिक प्राप्य राशियों से संबंधित ऋण जोखिमों को ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेकर कम किया जाता है। कंपनी देनदारों की ऋण पात्रता पर बारीकी से नज़र रखती है और केवल ऋण-योग्य पक्षों के साथ ही लेन-देन करती है। कंपनी की आंतरिक प्रणालियाँ ग्राहकों की ऋण सीमा निर्धारित करने के लिए कॉन्फिगर की गई हैं, जिससे ऋण जोखिम पूर्व-गणना की गई राशि तक सीमित रहता है।

ii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

ड. अपेक्षित ऋण हानियाँ - कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करती है:



व्यापार प्राप्तियां

व्यक्तिगत व्यापारिक प्राप्तियों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर, जब वसूली की संभावना संदिग्ध मानी जाती है, तो व्यापारिक प्राप्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है। कंपनी उन वित्तीय परिसंपत्तियों को अच्छी ऋण गुणवत्ता वाली मानती है जो क्षतिग्रस्त नहीं हैं और प्रत्येक समीक्षाधीन तिथि के लिए देय हैं। कंपनी ने व्यापारिक प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए ₹754.53 लाख (पिछले वर्ष ₹526.05 लाख) की राशि का अनुमान लगाया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राय का आयु विश्लेषण निम्नानुसार संक्षेपित है:

राशि (लाखों रुपये में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राय - अच्छा माना जाता है	31 मार्च 2025 तक	25.90	.67	1.66	.28	11 96.08
	31 मार्च 2024 तक	4 69.63	59.15	56.37	.05	5 85.75
	31 मार्च 2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00
	31 मार्च 2024 तक	.00	.00	.00	.00	.00
निर्विवाद व्यापार प्राय - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	31 मार्च 2025 तक	7.84	11.03	7.97	9.89	39.83
	31 मार्च 2024 तक	1 13.72	24.60	47.50	2.92	2 98.95
निर्विवाद व्यापार प्राय - ऋण क्षति	31 मार्च 2025 तक	.00	.00	.00	.00	.00
	31 मार्च 2024 तक	.00	.00	.00	.00	.00
निर्विवाद व्यापार प्राय - अच्छा माना जाता है	31 मार्च 2025 तक	.00	.00	.00	.00	1 45.72
	31 मार्च 2024 तक	.00	.00	.00	.00	1 45.72
निर्विवाद व्यापार प्राय - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	31 मार्च 2025 तक	90.28	80.71	1 82.65	78.03	7 14.70
	31 मार्च 2024 तक	14.29	16.02	23.82	.00	1 72.97
निर्विवाद व्यापार प्राय - ऋण हानि						2 27.10

	31 मार्च 2025 तक	12 65.69	1 17.64	1 91.29	89.58	4 32.13	20 96.33
	31 मार्च 2024 तक	5 97.64	99.77	1 27.69	2.97	4 29.45	12 57.52
कुल							

जहाँ भुगतान की देय तिथि उपलब्ध नहीं है, वहाँ लेनदेन की तिथि पर विचार किया गया है।



अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का आकलन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की वसूली की निरंतर निगरानी करके किया जाता है, साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियाँ निर्धारित सीमाओं के भीतर रहें। कंपनी ने अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण हानि के लिए 84.69 लाख रुपये (पिछले वर्ष 84.69 लाख रुपये) की राशि का अनुमान लगाया है।

परिसंपत्तियों के प्रकार के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर बताए गए के अलावा परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर कोई संभावित प्रभाव नहीं है। कंपनी समीक्षा जारी रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर, उस समय हानि के लिए प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

34.26. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-108, "परिचालन खंड" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी का केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यावसायिक खंड है, जो कोच्चि शहर में एक मेट्रो रेल सुविधा के निर्माण, संचालन और रखरखाव का कार्यान्वयन करता है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एक ही परिचालन खंड में संचालित होता है। कंपनी की अन्य सभी गतिविधियाँ इसी मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। संपत्ति विकास परिसंपत्तियों के संबंध में परामर्श आय और पट्टे पर स्थान (स्टेशनों और स्टेशनों के बाहर) से अर्जित किराये की आय सहित अन्य परिचालन राजस्व, कंपनी की आंतरिक निर्णय लेने और प्रदर्शन मापन प्रक्रिया के तहत कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 108 के अनुसार, परिचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जानी चाहिए। मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता पूरी कंपनी के परिचालन परिणामों की एक खंड के रूप में निगरानी और समीक्षा करता है। इसलिए कंपनी का एकमात्र परिचालन खंड "मेट्रो संचालन" है। इस प्रकार, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" में पहचाना गया है, कंपनी का संपूर्ण व्यवसाय एक ऑपरेशन सेगमेंट के अंतर्गत आता है और इसलिए भारतीय लेखा मानक 108 के तहत कोई अतिरिक्त खुलासा नहीं किया जाना है।

34.27 कलामस्सेरी में ईंधन आउटलेट

कंपनी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए एक डिस्पेंसिंग पंप और विक्रय लाइसेंस (DPSL) समझौता किया है, जो दिनांक 10 मार्च 2025 से शुरू होगा। प्रत्येक अवधि के अंत में इसे पाँच वर्षों के लिए नवीनीकृत करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इस समझौते के तहत, कंपनी बीपीसीएल के पेट्रोलियम उत्पादों, जिनमें मोटर स्पिरिट, एचएसडी, मोटर ऑयल, ग्रीस और अन्य मोटर सहायक उपकरण शामिल हैं, के वितरण और बिक्री के लिए जिम्मेदार होगी। सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरीयों के पूरा होने के बाद, ईंधन स्टेशन का व्यावसायिक संचालन आधिकारिक तौर पर 21 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं होने और राजस्व अर्जित नहीं होने के कारण ईंधन आउटलेट संचालन के लिए भारतीय लेखा मानक 108 के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया है। हालाँकि, वित्तीय विवरण में शामिल पूर्व-प्रारंभ अवधि के दौरान संपत्ति, देनदारियाँ और व्यय नीचे दिए गए हैं।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	सदभ नोट संख्या	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
स्थायी संपत्तियाँ (निवल ब्लॉक)	2.क	9.21	0.00
प्रदत्त प्रतिभूति जमा राशि	5	5.00	0.00
अन्य चालू संपत्तियाँ - लाइसेंस शुल्क	12	0.09	0.00
उपकरणों का स्टॉक	7	0.14	0.00
ईंधन का स्टॉक	7	4.60	0.00
परिचालन व्यय	28	1.73	0.00
अन्य व्यय	32	0.19	0.00

34.28 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण

राशि (लाख रुपये में)

पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी द्वारा किए गए मूर्त परिसंपत्ति अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों को छोड़कर विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित) जिनका निष्पादन होना बाकी है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	8 74.65	13 43.92
केएमआरएल द्वारा किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों को छोड़कर) जिनका निष्पादन होना बाकी है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है - मूर्त संपत्तियाँ	1175 13.63	124 46.88
कुल	1183 88.28	137 90.80

34.29 कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। बैंक खातों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। व्यापारिक प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी ग्राहकों को नियमित चालान/पुष्टिकरण पत्र भेजती है और जब बकाया राशि की अवधि की परवाह किए बिना वसूली की अनिश्चितता होती है, तो प्रावधान किए जाते हैं और जब वसूली न हो पाने की पुष्टि हो जाती है, तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

जहाँ तक व्यापार/अन्य देय राशियों और ऋणों एवं अग्रिमों का संबंध है, शेष राशि की पुष्टिकरण पत्र पक्षों को भेजे गए थे। कुछ शेष राशियाँ पुष्टिकरण/समाधान के अधीन हैं, यदि कोई समायोजन होता है, तो उसका लेखा पुष्टिकरण/समाधान के समय किया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

34.30 सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों को देय राशि

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर 68.52 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5.01.48 लाख रुपये) बकाया है, लेकिन देय नहीं है। इस पर कोई ब्याज देय या बकाया नहीं है।

सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों को देय राशि


राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
अदत्त मूल राशि	68.52	5 01.48
उपर्युक्त पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती है।	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित उपरोक्त जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है। लेखापरीक्षकों ने इसी पर भरोसा किया है।

34.31 व्यापार देयताएं समयाकाल निर्धारण अनुसूची

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से कम*	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	31.03.2025 तक	57.92	0	0	0	57.92
	31.03.2024 तक	11.7	0	0	0	11.70
अन्य	31.03.2025 तक	155.99	0.92	10.08	15.44	182.43
	31.03.2024 तक	734.46	0.09	17.37	2	753.92
विवादित बकाया - एमएसएमई	31.03.2025 तक	0	0	0	0	0
	31.03.2024 तक	0	0	0	0	0
विवादित बकाया	31.03.2025 तक	0	0	0	0	0

राशि-अन्य	31.03.2024 तक	0	0	0	0	0
कुल	31.03.2025 तक	213.91	0.92	10.08	15.44	240.35
	31.03.2024 तक	746.16	0.09	17.37	2.00	765.62

* इसमें वह राशि भी शामिल है जो देय नहीं है।

बिल न किए गए बकाया

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से कम/देय नहीं	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
बिल न किए गए बकाया	बिल न किए गए बकाया	1003.42	0	0	65.32	1068.74
	बिल न किए गए बकाया	3 82.75	0	0	61.44	4 44.19

34.32 इक्विटी लेखाकृत निवेशको में निवेश

केएमआरएल ने कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड में 26% इक्विटी शेयर के लिए 1.27.40 लाख रुपये (100 रुपये प्रति शेयर के 1,27,400 शेयर) का निवेश किया। समेकन में शामिल सहयोगी कंपनी और उसमें कंपनी की हिस्सेदारी इस प्रकार है:

कंपनी का नाम	कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड
मुख्य व्यवसाय स्थान	कोच्चि, भारत
31.03.2025 तक होल्डिंग का %	26%

कंपनी के सहयोगियों के संबंध में वित्तीय जानकारी, जिसका लेखा इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, नीचे दी गई है।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के इक्विटी उपकरणों में निवेश (लागत पर)	1 27.40	1 27.40
घटाएँ: सहयोगी कंपनियों में कंपनी का कुल व्यापक आय का हिस्सा	(11.75)	(8.59)
कुल	1 15.65	1 18.81

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त जानकारी, सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित उद्यमों के लिए



- सहयोगी - भारतीय (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)

उद्यम का नाम: कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड

राशि (लाख रुपये में)

विवरण		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
निवल परिसंपत्तियाँ, अर्थात् कुल परिसंपत्तियाँ घटा कुल देनदारियाँ	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	(0.005)	(0.004)
	राशि (लाख रुपये में)	(11.75)	(8.59)
लाभ या हानि में हिस्सा	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	0.007	0.061
	राशि (लाख रुपये में)	(3.16)	(26.49)
अन्य समग्र आय में हिस्सा	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	-	-
	राशि (लाख रुपये में)	-	-
कुल समग्र आय में हिस्सा	कुल व्यापक आय के % के रूप में	0.007	0.061
	राशि (लाख रुपये में)	(3.16)	(26.49)

34.33 भारतीय लेखा मानक 105 - बिक्री हेतु धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों और बंद परिचालनों के संबंध में प्रकटीकरण।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 17) के विकास के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिगृहीत भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की। ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, भूमि सभी भागों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। कुल अधिग्रहण 0.0315 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए है और इसे 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए "बिक्री हेतु धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका मूल्य 2.58.01 लाख रुपये है।

कंपनी को कार्यवाही संख्या 253/2021/EDPY-5315/2022 दिनांक 06.03.2024 के अनुसार 30.07.2024 को ₹3.88.65 लाख का मुआवज़ा प्राप्त हुआ। भूमि अधिग्रहण पर ₹130.66 लाख का लाभ वित्त वर्ष 2024-25 में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है (नोट संख्या 27.1 देखें)। इस प्रकार प्राप्त राशि को केनरा बैंक (₹3.43.80 लाख) और केरल बैंक (₹44.85 लाख) को सावधि ऋण चुकौती हेतु जारी किया गया।

34.34 निवेश संपत्ति

दिनांक 31 मार्च तक कंपनी के पास निम्नलिखित निर्माणाधीन निवेश संपत्तियाँ हैं:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	2024-25	2023-24
आरंभ में शेष राशि	7 58.34	.00
जोड़ें	21 19.35	7 58.34
हटाना/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरण	.00	.00

अंत में शेष राशि	28 77.69	7 58.34
-------------------------	-----------------	----------------

दिनांक 31.03.2025 तक, कंपनी निर्माणाधीन निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापने की स्थिति में नहीं है और इसलिए इसका खुलासा नहीं किया गया है।

34.35 हाल की लेखांकन घोषणाएँ।

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, एमसीए ने भारतीय लेखा मानक - 117 बीमा अनुबंधों और भारतीय लेखा मानक 116 - पट्टे में बिक्री और लीज़बैक लेनदेन से संबंधित संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से कंपनी पर लागू होंगे। कंपनी ने नई घोषणाओं की समीक्षा की है और अपने मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि इसका उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

34.36 अन्य सांविधिक जानकारी

(i) वित्तीय विवरणों में प्रकटित सभी अचल संपत्तियों (उन अचल संपत्तियों को छोड़कर जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वामित्व विलेख, जिनमें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और पूंजीगत कार्य प्रगति शामिल है, तुलन पत्र की तिथि पर कंपनी के नाम पर हैं।

(ii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत रद्द की गई कंपनियों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

(iii) कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के साथ पठित कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के अंतर्गत निर्धारित स्तरों की संख्या की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्था/संस्था/संस्था/संस्था/संस्थाओं को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:

क. कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थियों) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या

(vi) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा। कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (निधि देने वाले पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्था

क. वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना, या

ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना।

(vii) कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया था।

(viii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिष्टे करेसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(ix) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहाँ बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।



(x) कंपनी के पास कोई ऐसा शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी हो।

(xi) कंपनी का कोई ऐसा लेनदेन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(xii) कंपनी के नाम पर धारित न होने वाली अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख।

परिसंपत्ति का विवरण	आइटम संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपये में)	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	के नाम पर स्वामित्व विलेख	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	भूमि (फ्रीहोल्ड)	161 63.77 (भूमि के टुकड़ों की संख्या - 39; क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - 2.541)	नहीं	निजी मालिक (प्रत्यक्ष खरीद के आधार पर अधिग्रहित)	वित्तीय वर्ष 2014-15 से आज तक	भूमि स्वामित्व एजेंसियों/मालिकों के साथ कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने में देरी के कारण।

34.37 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पॉलसन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002620S
यूडीआईएन: 25021855BMLBAU2127

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

ह/-
सीए पॉलसन केपी, एलएलबी,
एफसीए, डीआईएसए
(आईसीएआई)
साझेदार
सदस्यता संख्या 021855

ह/-
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

ह/-
डॉ. एम. पी. रामनवास
निदेशक
(डीआईएन: 09663030)

ह/-
सीनी एलेक्स कुरुविला
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025

स्थान : कोचीन
दिनांक : 16.07.2025

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) सहपठित धारा 129 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) सहपठित धारा 129(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार है। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 16.07.2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 143(6)(क) सहपठित 129(4) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। हमने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया, लेकिन उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण नहीं किया। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की विस्तृत जाँच तक सीमित है।

मैंने अपने अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं:

टिप्पणी संख्या 1

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

टिप्पणी संख्या 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, कंपनी को अनुसूची III में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार उन सभी अचल संपत्तियों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने कंपनी के वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 2.1 से 2.7 में फ्रीहोल्ड भूमि से संबंधित विभिन्न खुलासे किए हैं। तथापि, केएमआरएल द्वारा धारित अचल संपत्ति, अर्थात् भूमि, जिसके स्वामित्व के दस्तावेज कंपनी के नाम पर नहीं हैं, के संबंध में अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त विनियामक जानकारी का खुलासा टिप्पणियों में नहीं किया गया था।

इसलिए, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ उस सीमा तक अपूर्ण हैं।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उनकी ओर से

ह./-

(एस. वेलियानगिरी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

स्थान: चेन्नई

दिनांक: 26.09.2025



समेकित वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का उत्तर/स्पष्टीकरण

टिप्पणी संख्या 1	प्रबंधन का जवाब
<p>टिप्पणी संख्या 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण</p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, कंपनी को अनुसूची III में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार उन सभी अचल संपत्तियों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट 2.1 से 2.7 में फ्रीहोल्ड भूमि से संबंधित विभिन्न खुलासे किए हैं। हालाँकि, केएमआरएल द्वारा धारित अचल संपत्ति, अर्थात् भूमि, जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं, के संबंध में अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारी का खुलासा नोटों में नहीं किया गया था। इसलिए, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट उस सीमा तक अपूर्ण हैं।</p>	<p>दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।</p> <p>1.11 भूमि</p> <p>ज़मीन मालिकों द्वारा सौंपी गई और ज़िला कलेक्टर के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि के टुकड़ों का मूल्य, ज़िला कलेक्टर के तत्वावधान में कार्यरत भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर, कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, पंजीकृत किया गया है। कब्जे में मौजूद भूमि से संबंधित लागत या मुआवजे के लिए अंतिम रूप से किए गए भुगतान / प्रदान की गई देयता को भूमि की लागत माना जाता है। निर्माण के लिए सौंपी गई भूमि, जो विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों की है, का मूल्य पंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि देय राशि और अन्य शर्तों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और इसलिए उनका पता नहीं लगाया जा सका है।</p> <p>कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न खुलासे:</p> <ol style="list-style-type: none"> टिप्पणी संख्या 2.1: कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक 38.692 हेक्टेयर निजी भूमि का कब्ज़ा ले लिया है (पिछले वर्ष 38.085 हेक्टेयर)। टिप्पणी संख्या 2.3: सरकारी अभिलेखों में कंपनी के नाम पर निजी भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, जिसमें 2.541 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 161.63.77 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 2.541 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 161.63.77 लाख रुपये था)। टिप्पणी संख्या 2.5: विभिन्न सरकारी निकायों/विभागों/राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित 6.5617 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 6.343 हेक्टेयर) भूमि पर मेट्रो का कार्य पूरा हो चुका है/प्रगति पर है। मूल्य, हस्तांतरण औपचारिकताओं और अन्य नियमों व शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, भूमि के इन टुकड़ों को अचल परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

	<p>4. टिप्पणी संख्या 2.7: 3.33 एकड़ क्षेत्रफल वाले उन भूमि खंडों का खुलासा करता है जिनका गलत तरीके से पंजीकरण किया गया है।</p> <p>5. टिप्पणी संख्या 34.36 (xii): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनियों को उन अचल संपत्तियों का विवरण प्रकट करना आवश्यक है जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टिप्पणी संख्या 34.36 (xii) में पर्याप्त प्रकटीकरण प्रदान करके इस आवश्यकता का अनुपालन किया है। इस टिप्पणी में समेकित आधार पर 2.541 हेक्टेयर भूमि का खुलासा किया गया है, जिसका पंजीकरण किया जा चुका है, जिसके लिए स्वामित्व दस्तावेज अभी तक केएमआरएल के नाम पर नहीं हैं, तथा पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने तक ऐसा नहीं किया जा सकता।</p> <p>कंपनी वित्तीय विवरणों में भूखंड-वार विवरण के अभाव के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करती है। हालाँकि, चूँकि भूमि के भूखंड निजी व्यक्तियों के हैं और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से प्रक्रियागत देरी के कारण लंबित है, इसलिए भौतिकता और प्रस्तुतिकरण के दृष्टिकोण से एक समेकित प्रकटीकरण उचित माना गया। फिर भी, कंपनी आंतरिक रूप से भूखंड-वार डेटा रखती है। इसके अलावा, केएमआरएल द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण उद्योग प्रथाओं के अनुरूप है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों की समीक्षा से पता चलता है कि भूखंड-वार विवरण के बिना, समेकित आधार पर भी इसी तरह के खुलासे किए गए हैं। केएमआरएल ने रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस उद्योग-मानक प्रकटीकरण पद्धति का पालन किया है।</p> <p>इसके बावजूद, आवश्यक अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को उचित रूप से ध्यान में रखा गया है।</p>
--	---





First test pile of Kochi Metro phase II

03rd July 2024



First working pile of Kochi Metro phase II

07th Sep 2024



Kochi Metro Rail Limited

A Joint Venture of Government of India and Government of Kerala

Registered Office : 4th Floor, JLN Stadium Metro Station,
Kaloor, Ernakulam, Kerala – 682017
Phone no. 0484 2846 700/770

www.kochimetro.org